राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

गुरुवार,

26 फरवरी, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम।

डा. किरोड़ी लाल।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सीट 176 नम्बर थी, अब वह नहीं है। कल उस सीट पर अन्य माननीय सदस्य थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद में मैं आपको सुन लूंगा। कृपया विराजें। प्रश्नकाल के बाद सुन लूंगा।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : पहले नहीं सुनोगे?

श्री अध्यक्ष : हां, प्रश्नकाल के बाद में मैं आपको सुन लूंगा।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : ठीक है, बाद में सुन लेना।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। डाक्टर किरोडी लाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू का इतना जोर है, पूरा प्रदेश चपेट में आया हुआ है। लगभग 1,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटसरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल होने दीजिये। आप कृपया विराजिये। (व्यवधान) आप कृपया विराजिये। प्रश्नकाल होने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये। प्रश्नकाल के बाद ले रहा हूं मैं इसी विषय को। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर) : ×××

श्री रमेश (सपोटरा) : ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। प्रश्नकाल होने दीजिये। डाक्टर किरोड़ी लाल। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। प्लीज, बैठ जाइये। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री रमेश (सपोटरा) : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल होने दीजिये। (व्यवधान) प्रश्नकाल होने दीजिये, उसके बाद व्यवस्था दूंगा आपको। प्रश्नकाल होने दीजिये। प्रश्न काल। डाक्टर किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : प्रश्न संख्या 1।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न काल को चलने दीजिये। मैं प्रश्नकाल के बाद ले रहा हूं इस विषय को। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा) : ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : वह मैं ले रहा हूं। देखिये, मैं यह विषय ले रहा हूं, मैं इसके बाद ही ले रहा हूं, चार-चार स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं लेकिन प्रश्न काल होने दीजिये। मैंने आपसे यही निवेदन किया है। डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले प्रश्नकाल होने दीजिये। (व्यवधान) प्रश्न काल होने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं चांस दूंगा आपको। (व्यवधान) 50 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्नकाल के बाद में मैं इस विषय को लूंगा। चार-चार स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं, मैं उन स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था भी दूंगा। जैसे आप राय देंगे, वैसे दूंगा, परन्तु अभी प्रश्नकाल होने दीजिये। नहीं, प्रश्न काल होने दीजिये। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, प्रश्न काल होने दीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : यह अंकित ही नहीं हो रहा है। (व्यवधान) प्रश्नकाल के अलावा एक शब्द नहीं जायेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं समय दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं 12 बजे बाद व्यवस्था दे रहा हूं। मैं समय दे रहा हूं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद में लूंगा मैं। किसी का अंकित नहीं हो रहा है। इसलिए आप चिंता मत कीजिये। यह अंकित नहीं हो रहा है किसी का। यहां किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : डाक्टर किरोडी लाल।

प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में व्यय राशि

1. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर प्रदेश के कुल खर्च की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितना बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय कितना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर श्री गुलाबसिंह शक्तावत कमेटी द्वारा राज्य योजना मद की आठा प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए आबंटित करने की अनुशंसा की गई थी? यदि हां, तो उक्त अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितना प्रतिशत बजट आबंटन किया गया, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रहीं? यदि आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, तो क्यों एवं भविष्य के लिए कौन सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (**श्री नन्दलाल मीणा**) : (1) प्रदेश में वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक कुल राज्य योजना की 10.93 प्रतिशत राशि का जनजाति उपयोजना के लिए व्यय किया गया। वर्षवार राज्य योजना मद एवं जनजाति उपयोजना मद में आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य की जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या का 13.47 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है। राज्य के कुल आयोजना व्यय की लगभग 12 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना मद में व्यय की जा रही है।

(3) राज्य सरकार (वित्त विभाग) के यू.ओ. नोट दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली अपनाये जाने सम्बन्धित प्रसतावों को स्वीकार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(श्री नन्दलाल मीणा)

राज्य सरकार के पुन: आदेश क्रमांक एफ.10(25) आयोजना/ग्रुप-5/09 दिनांक 30.09.2010 द्वारा राज्य योजना की 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में करने के निर्देश दिये गये, जो परिशिष्ट 'स' पर संलग्न हैं। इस आदेश क्रम में जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत गत पांच वर्षों में आबंटन के विरुद्ध किये गये व्यय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य सरकार के पुन: आदेश क्रमांक एफ.10(25) आयोजना/ग्रुप-5/09 दिनांक 30.09.2010 द्वारा राज्य योजना की 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में करने के निर्देश दिये गये, जो परिशिष्ट 'स' पर संलग्न हैं। उक्त आदेश के क्रम में जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु कुल राज्य योजना 69,820.00 करोड़ रुपये में से बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में 9,178.00 करोड़ रुपये जनजाति उपयोजना हेतु रखे गये हैं, जो राज्य योजना का 13.15 प्रतिशत है।

(5) सम्बन्धित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का लगभग पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। राज्य योजना अन्तर्गत जनजाति उपयोजना मद हेतु राशि विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा व्यय किया जाकर उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। जनजाति उपयोजना हेतु व्यय भी उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है। सम्बन्धित विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना मद में वर्ष 2013-14 में भौतिक उपलब्धियों विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने टी.एस.पी. क्षेत्र में, जैसा कि मंत्रीजी ने जवाब दिया है, महाराष्ट्र पैटर्न लागू है और उस हिसाब से जो टी.ए.डी. का डिपार्टमेंट है वही बजट आबंटन करे, वही प्रायोरिटीज तय करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल सबप्लान के पेटे जो-जो राशियां, महाराष्ट्र पैटर्न में 8 परसेंट की गुलाबसिंह शक्तावत कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, 8 परसेंट के आधार पर जो राशि आती है, क्या वह राशि जनजातिय क्षेत्रीय विकास को

(डा. किरोड़ी लाल)

आयोजना विभाग द्वारा एकमुश्त उपलब्ध करा दी जाती है? यदि हां, तो सड़क, शिक्षा, बिजली, मेडिकल हैल्थ सर्विसेज में वित्त वर्ष 2014-15 में कितनी-कितनी राशि आपको उपलब्ध कराई गई और कितनी-कितनी सड़कें, बिजली, पी.एच.सी., वगैरह वहां पर आपने खोलीं?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : ट्राइबल सब-प्लान एरिया में महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जाए, इसके निर्णय हेतु राज्य सरकार ने 8 अप्रैल, 1999 को गुलाबसिंहजी शक्तावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसमें श्री बनवारी लालजी, समाज कल्याण मंत्री; श्री भीखाभाई, श्रम मंत्री; सी.पी. जोशी, पंचायती राज मंत्री; श्री दयाराम परमार, राज्य मंत्री....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : मेरा स्पेसिफिक सवाल है। इसमें बनवारी लालजी कहां से आये बीच में? कमेटी बन गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि आप 8 परसेंट बजट अलाट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कमेटी का कांस्टिट्यूशन बता रहे हैं आपको, उसका महत्व बता रहे है। आप सुनिये। कमेटी के कांस्टिट्यून की आपको जानकारी दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : आप, मंत्रीजी, इसका स्पष्ट जवाब दे दें।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : क्या पूछना चाहते हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समिति के गठन के पश्चात, डाक्टर किरोड़ी लालजी उस राज्य सरकार के पार्ट एण्ड पार्सल थे। मुझे अफसोस है आपको कहते हुए, निवेदन करते हुए, तब आप क्यों मौन थे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपकी पार्टी ने इनकी मानी ही नहीं आगे। तब तो छोड़ गये आपको।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : ये कब आ जाएंगे वापस, कुछ पता है आपको?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : तब तो आपने मेरे को बाहर निकाल दिया था, चल बाहर चल।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो भी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, जो निकालता है, जिसको निकालने का अधिकार है, उसको बुलाने का भी अधिकार होता है...

श्री अध्यक्ष : ये निकल जाएंगे, बुला लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : और अब घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भगवान राम को भी वनवास दिया गया था, चौदह साल बाद वापस बुला लिया था। तो ये भी उस दहलीज पर खड़े हैं कि कब नम्बर आएगा और मैं अन्दर जाऊंगा।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय डाक्टर साहब ने सवाल किया है, वर्ष 2013-14 में जनजातिय क्षेत्र के लिए 5,493.57 करोड़ रुपये का आबंटन था, इसके अगेंस्ट में 87.43 प्रतिशत राशि खर्च की गई।

अब क्या हुआ, महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया गया है परन्तु इसका व्यावसायिक पहलू यह है कि जनजातिय विकास विभाग को महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वित्तीय प्रबंधन के, वे वित्तीय प्रबंधन के अधिकार जनजातिय विकास विभाग को न मिलकर के, अलग-अलग विभागों में मांग संख्या-30 के अन्तर्गत आबंटित किया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है, जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है। यही मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ जाने दीजिये। एक पूरक प्रश्न का मौका मिलेगा। आप सुन लीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गुलाबसिंहजी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के लिए जो समिति राज्य ने गठित की थी, उस समिति की बैठक 8 अप्रैल, 1999 को हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य के 13 विभागों को जो ट्राइबल सब-प्लान के लिए, इनमें जो राज्य मद का पैसा होता है, टी.एस.पी. के लिए 8 परसेंट पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद 14 विभाग सम्मिलित किये गये और जनसंख्या के अनुपात में एकमुश्त राशि जन-जातिय विकास विभाग को आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसम्बर, 1999 को एक विभाग और, सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसमें सम्मिलित किया। इस प्रकार 14 विभागों का पैसा टी.एस.पी. एरिया में मांग संख्या 30

(श्री नन्दलाल मीणा)

के अन्तर्गत ट्राइबल सब-प्लान डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए था। परन्तु इसकी क्रियान्विति नहीं हुई। समय-समय पर इस सदन, माननीय सदस्यों ने सही ढंग से महाराष्ट्र पैटर्न टी.एस.पी. एरिया में लागू हो, उसके बारे में अपना मंतव्य व्यक्त किया था, परन्तु आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। केवल इतना इस समिति ने निर्णय लिया था कि इसके लिए महाराष्ट्र और आन्ध्रा, वहां जाकर के पुन: इसकी समीक्षा की जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को निर्देश फरमायें कि थोड़ी स्पीड बढ़ायें। एक प्रश्न में ही 16 मिनट हो गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : आपकी स्पीड तो ढीली हो गई है ओर मेरी स्पीड बढ़ाने की बात करेंगे तो कहां टिकेंगे आप?

तो, अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य बात यह है कि जिस हिसाब से 14 विभागों में, बाद में यह सभी विभागों पर राजस्थान में लागू हुआ टी.एस.पी. एरिया के लिए, परन्तु सही ढंग से जो पैसा जनजातिय विकास विभाग को ट्रांसफर होना चाहिए था, आज दिन तक नहीं हुआ है। इसके लिए इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र और आन्ध्रा, आदि राज्यों में जहां पर महाराष्ट्र पैटर्न लागू है, वहां पर राजस्थान की एक टीम जाए और पुन: अध्ययन करके महाराष्ट्र पैटर्न किस स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में लागू किया जाए, ताकि आदिवासियों का भला हो सके। इसके लिए कमेटी ने राय दी थी। आज मैं घोषणा करता हूं सदन में कि बजट सत्र के बाद दुबारा इसको रिव्यू किया जाएगा और कमेटी का गठन करके, जहां महाराष्ट्र पैटर्न लागू है, उनका अध्ययन करके, राजस्थान में लागू कर सकें...

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे? आप पूरा कर चुके, माननीय मंत्री महोदय? दूसरा पूरक प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : मंत्रीजी, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या यह सही है कि आबंटित राशि की सीमा के अन्तर्गत जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग ही बजट का प्रावधान करता है कि किस-किस कार्यक्रम हेतु किस-किस विभाग को कितना बजट दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर साहब की जो आशंका है, वह निराधार है। जैसे अपन कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि डाक्टर साहब के लिए कपड़े खरीदने हैं और पैसा निर्धारण नहीं किया कि पांच हजार रुपये में खरीदेंगे और पांच हजार रुपये में से चार हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये ही खर्च हुए। तो यह तो अनुमान है। आबंटन का जो है, खर्चा किस प्रकार से हो, खर्चा कम-ज्यादा भी हो सकता है, उस समय के व्यावहारिक पहलू को देखते हुए।

इसलिए जो कुछ भी जनजातिय विकास विभाग ने आबंटन पर व्यय किया गया है, वह व्यय अनुमानत: सही है और इसका औचित्य भी यह दर्शाता है कि सही है।

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह। पूरक प्रश्न। इनके बाद आप।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपने जो टेबल दी है 2007-08 से लगाकर 2012-13, पूर्ववर्ती सरकार के समय टी एस पी प्लान में कितना लगा, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे हिसाब से जो आपकी बजट की टेबल आयी हुई है वह बजट की किताबों से आयी है। सर, 2007-08 में तो सिर्फ 3.86 परसेंट ही उस वक्त की निवर्तमान सरकार ने टी एस पी प्लान में पैसा दिया, 2008-09 में 3.15 है, 2009-10 में 2.92 है, 2010-11 में 5.14 है, 2011-12 में 7.16 है, 2012-13 में 8.21 है। तो यह दूसरी टेबल कहां से आ गई?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये, आप।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न जब लागू हुआ तो शुरू-शुरू में वित्त विभाग ने पैसा कम आबंटित किया था, 8 प्रतिशत किया था। उसके बाद धीरे-धीरे ट्राइबल सब-प्लान एरिया में और विभागों को पैसा देना शुरू किया, उनके माध्यम से विकास के कार्य दिये गये, वह 12 प्रतिशत से 13.44 प्रतिशत तक दिया गया। इसलिए अगल-अलग वर्षों में जो आबंटन हुआ है, वह शुरुआती तौर पर कम हुआ है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : एक मिनट। मैं यह पूछना चाह रहा हूं, आपने टेबल दी है इसमें...।

श्री अध्यक्ष : आदरणीय, आपका हो गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें टेबल दी गई है, टेबल वर्षवार। मैं सिर्फ यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आपने उदारतापूर्वक वर्तमान वित्त वर्ष में अपनी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर तो टी एस पी प्लान में पैसा दिया है लेकिन उस वक्त उस पांच साल की संवेदनशील सरकार की संवेदनहीनता देखिये कि टी एस पी प्लान में सिर्फ साढे तीन परसेंट पैसा उस वक्त की सरकार ने दिया। मैं यह करेक्ट कराना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : आपकी बात से मैं सहमत हूं। भूतपूर्व सरकार ने महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने में, महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर टी एस पी एरिया में राशि का आबंटन करने में और आबंटन के साथ-साथ आबंटित राशि को व्यय करने में जिस प्रकार की उदासीनता बरती, वह इस बात का द्योतक है कि भूतपूर्व सरकर आदिवासियों के हित के बारे में चिंतित नहीं थी, वोटों के बारे में चिंतित थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी सुराना। पूरक प्रश्न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो चार्ट दिया है खंड-एक के जवाब में, उसका पार्ट तो अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न...।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय सदय, इसको ज्यादा खोदो मत। यह है, जितना वही रहने दो, वरना पूरा का पूरा पहाड़ ढेर हो जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : नहीं, नहीं, महाराष्ट्र पैटर्न में ट्राइबल सब-प्लान का पैसा ट्राइबल सब-प्लान के जरिये ही बांटा जाए और आयोजना के द्वारा न बांटा जाए, यह नीतिगत परिवर्तन वर्तमान सरकार कब करने को तैयार है?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया है कि जो विसंगतियां इसमें छोड़ी गई हैं, गुलाबसिंहजी शक्तावत की अध्यक्षता में कमेटी ने यह भी राय दी है कि इसमें क्या-क्या विसंगतियां हैं, इसके लिए अलग से विभागीय कमेटी बनाकर के महाराष्ट्र में, आन्ध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में जाकर कमेटी अध्ययन करे और अध्ययन करने के

(श्री नन्दलाल मीणा)

बाद, वह क्या सुझाव देती है, महाराष्ट्र पैटर्न को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, उसके बारे में रिपोर्ट दे, और राज्य सरकार उसके बारे में विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न। श्री गिर्राज सिंहजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें थोडा-सा सुधार किया जाए। चार बी पी एल वाले हों तब जाकर के उन्हें एक इंजन देंगे, चार बी पी एल वालों के वहां पर एक जगह खेत होंगे तब जाकर के बोरिंग करायेंगे, तो न तो चार बी पी एल वालों के वहां पर एक जगह खेत मिलेंगे, न वहां पर आप बोरिंग करायेंगे, न वहां पर कोई मशीन लगायेंगे। तो मेरा, मंत्री महोदय, आपसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा इसमें संशोधन करें और जो भी पैसा इस स्कीम में जाता है, माडा योजना में, वह अलग-अलग टुकड़ों में जाता है, उन टुकड़ों को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाए। पैसा एक जगह ही लग जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, रिएक्ट करेंगे? जवाब दे दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब-प्लान एरिया के लिए, माडा क्षेत्र के लिए, माडा क्लस्टर के लिए और बिखरी हुई आबादी के लिए, जनजाति बिखरी हुई आबादी के लिए जो पैसा मांग संख्या-30 के अन्तर्गत आबंटित किया जाता है, उसका नियंत्रण जनजाति विकास विभाग का नहीं है। सम्बन्धित विभाग उस पैसे को व्यय करते हैं। यदि नियंत्रण जनजाति विकास विभाग के पास आ जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इसमें सफलता मिलेगी।

प्रश्न संख्या-2

श्री अध्यक्ष : विराजिये। दूसरा प्रश्न। श्री जगदीश नारायण।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर में प्रस्तावित कार्य

3. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) प्रदेश में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं और उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

(2) उक्त कोरिडोर में क्या-क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित है? सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम (DMICDC) परियोजना में कोई संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार के बीच किया गया एम.ओ.यू. नियमानुसार सही है?

(5) उक्त एम ओ यू के अनुसार उक्त कोरिडोर में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, जो योजना का कितने प्रतिशत और कितनी राशि है? उक्त कोरिडोर विकास निगम के खातों का अंकेक्षण कब व किसके द्वारा किया जाएगा?

(6) क्या यह भी सही है कि केन्द्र व राज्य सरकार के बीच उक्त कोरिडोर में निवेश के लिए कोई सहमति बनी है? यदि हां, तो सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह) माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) राज्य में दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना के अन्तर्गत पांच नोड्स और उनकी पूरक अर्ली-बर्ड प्रोजेक्ट्स का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो कि निम्न प्रकार से हैं :-

1. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन;
2. जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र;
3. अजमेर-किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन;
4. राजसमन्द-भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र; व
5. जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र।

उक्त नोड्स में से प्रथम चरण में दो नोड्स खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। चूंकि अभी कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, अतः कोई कार्य अपूर्ण नहीं कहे जा सकते।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(2) इस संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा संधारित निगम डी एम आई सी डी सी लिमिटेड, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 20.02.2009 को हस्ताक्षरित एम ओ यू की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) डी एम आई सी डी सी लिमिटेड केन्द्र सरकार द्वारा संधारित एक निगम है, अत: दिल्ली-मुम्बई ओद्योगिक कोरिडोर निगम परियोजना में राज्य सरकार के स्तर पर कोई संशोधन करना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां।

(5) खातों के अंकेक्षण की वांछित सूचना मूलत: डी एम आई सी डी सी लिमिटेड से सम्बन्धित है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा संधारित एक निगम है।

डी एम आई सी डी सी व राज्य सरकार के मध्य 20.02.2009 को निष्पादित एम ओ यू तक सैद्धांतिक सहमति का सूचक है। परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार का हिस्सा, आदि का निर्धारण भविष्य में निष्पादित किये जाने वाले एम ओ यू, जिन्हें स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट एवं शेयर होल्डर एग्रीमेंट कहा जाता है, द्वारा तय हो सकेगा।

(6) डी एम आई सी डी सी व राज्य सरकार के मध्य 20.02.2009 को निष्पादित एम ओ यू की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय, यह बात तो तय है कि डी एम आई सी डी सी का इन्कोरपोरेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया के कैबिनेट नोट के आधार पर हुआ और 2009 में एम ओ यू पर दस्तखत कर दिये निवर्तमान सरकार ने डी एम आई सी डी सी से। सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब डी एम आई सी डी सी का जन्म हुआ तो 21.8.2007 के गवर्नमेंट आफ इंडिया के कैबिनेट मीमो से डी एम डीएम आई सी डीसी को इन्कोरपोरेट करने के मिनिट्स जारी हुए। उसका मैं हवाला देते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डी एम आई सी डी सी का आखिर काम क्या था और जो एम ओ यू आपके यहां हुआ, उसमें उसने काम क्या किया? डी एम आई सी डी सी का जो कैबिनेट मीमो है, उसमें काम यह था कि उनको ब्राउन-फील्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट को डवलप करना था। ब्राउन-फील्ड इंडस्टिल एस्टेट कौन से हैं, जो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

डोरमेंट पड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज आपके नहीं चल रहे हैं। जिन इंडस्ट्रियल एरियाज में या इंडस्ट्रियल एस्टेट के अन्दर किसी कारण से उस प्रकार की प्रगति नहीं हुई जो वांछित थी तो डी एम आई सी डी सी आपको सहूलियत प्रदान करता है।

अब ठीक इससे पहले डी एम आई सी डी सी का जो रेफरेंस कोरिडोर है, उसके दो हैं, एक इन्वेस्टमेंट कोरिडोर है, एक इंडस्ट्रियल कोरिडोर है। मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि उस कोरिडोर के दो हैं? एक डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर है जिसमें कि आप फ्रैट और लाइन से करते हैं।

अब आप मुझे यह बताये कि डी एम आई सी डी सी आपका कैटेलिस्ट नोड है या आपका हैंडिकेप्ड है? डी एम आई सी डी सी से जब आपने करार किया तो आपने यह अपेक्षा की थी कि डी एम आई सी डी सी आपको इंडस्ट्रियल एस्टेट को, इंडस्ट्रियल एफ्लूएस को प्रमोट करने के लिये काम करेगा।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस वक्त की, निवर्तमान सरकार जो 2005 से लगाकर 2008 तक थी, उन्होंने आपके अर्ली-बर्ड प्रोजेक्ट में से, एक प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट एरेट्रोपोलिस का भी है, जो एविएशन से सम्बन्धित है। 2008 में निवर्तमान सरकार ने एक एम ओ यू किया, एरेट्रोपोलिस का अमुक ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर एम ओ यू करके आपने लैटर आफ इंटेंट जारी कर दिया। उस निवेश करने वाली इकाई को गवर्नमेंट आफ इंडिया से इजाजत थी। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से लैटर आफ इंटेंट लेकर राजस्थान आ गई। इसी बीच डी एम आई सी डी सी से आपका करार हो गया। इस डी एम आई सी डी सी ने आपके एम ओ यू को, जो 2008 में आपने किया था, उसको नजरअंदाज करते हुये नये टेंडर जारी कर दिये। अब डी एम आई सी डी सी प्रमोट कर रही है या डी एम आई सी डी सी हैंडिकेप्ट के रूप में काम कर रही है? पहला प्रश्न तो यह है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिए, फिर दूसरा पूरक प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डी एम आई सी डी सी सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्गेनाइजेशन है, देहली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डवलपमेंट कारपोरेशन। इसमें इक्विटी पार्टनरशिप है, 40 परसेंट

(श्री गजेन्द्रसिंह)

गर्वनमेंट आफ इंडिया की, 26 परसेंट जपानीज बैंक की, 20 परसेंट हुडको की, 4 परसेंट एफ सी आई की और एक परसेंट एल आई सी की। अध्यक्ष महोदय, इस कोरिडोर में इसका एक अंग जो है, वह तो डी एफ सी, डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर, जो रेलवे के जूरिस्डिकशन में आता है। यह जो कोरिडोर, 1,500 किलोमीटर का है, दिल्ली के पास से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, इसमें हमारे राजस्थान में पूरी जमीन एक्वायर होकर रेलवे ट्रैक का काम शुरू हो गया है। यह रेलवे जूरिस्डिक्शन में आता है। इसके अलावा, जो लगभग 150-200 किलोमीटर ट्रैक के पूर्वी और पश्चिमी साइड का जो एरिया है, वह एक स्पेशल जोन, जिसमें 28 स्मार्ट सिटीज बनाने का एक प्रोग्राम बनाया गया है।

माननीय सदस्य ने जो एक इंपोर्टेंट इश्यू रेज किया है, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपका जो मेन इंटरेस्ट है, वह शाहपुरा-दौसा, जयपुर-दौसा, जो आपका शुरू में सलेक्ट किया गया था, उसको ड्राप कर दिया गया और 21.8.2010 में पाली-जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन को एड कर दिया गया। इसमें जयपुर में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में उस समय जो तत्कालीन कामर्स मिनिस्टर थे श्री आनंद शर्मा और भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी के बीच में यह होकर पाली-मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर को इसमें एड कर दिया गया था और इसको ड्राप कर दिया था। यह बात जो आप फरमा रहे हैं, यह बिलकुल सही है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं यह कहना चाहता हूं कि डी एम आई सी डी सी गवर्नमेंट आफ इंडिया की इन्कोरपोरेटड कंपनी है, वह गवर्नमेंट आफ राजस्थान को बाध्य करके इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। 39 परसेंट राजथान की धरती पर से गुजरेगा यह डी एम आई सी। डी एम आई सी डी सी के पास कौनसी ऐसी एक्सपर्टीज हैं? एक आदमी की कंपनी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक व्यक्ति डी एम आई सी डी सी को चला रहा है और 6 राज्यों को घुमा रहा है।

जब राजस्थान की सरकार ने सीकर-जयपुर बार्डर पर एविएशन हब को स्वीकृति प्रदान कर दी तो डी एम आई सी डी सी के साथ में ऐसी कौनसी बाध्यता थी, अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट में आज भी एट्रोपोलेस है, आपने उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण बताये ? आपके डी एम आई सी डी सी की प्रोजेक्ट की प्रोफाइल यह बता रही है, 2014 तक डिपार्टमेंट आफ डिफेंस ने आपको एन ओ सी जारी नहीं की। जो व्यक्ति निवेश लेकर आया था, डिपार्टमेंट आफ डिफेंस से, डिपार्टमेंट आफ सिविल एविएशन से,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

डिपार्टमेंट आफ होम से, गवर्नमेंट आफ इंडिया से एकेडिटेशन लेकर आया था, वह साढ़े चार हजार करोड़ से ऊपर का निवेश करना चाहता था, आपको 5 परसेंट हिस्सा दे रहा था बगैर आपसे पैसे लिये हुए, जमीन की कीमत देना चाह रहा था, आपको बाध्य नहीं कर रहा था कि जमीन दें। उस चीज को नजरंदाज करके आपने शिफ्ट किया तो इसमें कहीं न कहीं दाल में कुछ काला तो है। सबसे पहले तो यह।

दूसरा, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर में उसी के साथ में मिनिट्स यह थे कि मनोहरपुर को भी रेलवे स्टेशन के लिए युक्त किया जायेगा।

आखिर जयपुर जिले और सीकर जिले के साथ में यह सौतेला व्यवहार क्यों हुआ? और क्या कारण हुआ कि डी एम आई सी डी सी और ब्यूरो आफ इन्वेटमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट आफ राजस्थान जिस चीज के लिए सहमत थे, उस चीज को सिर्फ पाली ले जाने के लिए आपने यह संशोधन क्यों किया? क्या जयपुर की जनता, जयपुर जिले की जनता और सीकर-शेखावाटी की जनता राजस्थान की जनता नहीं है? और अगर यह हुआ है तो, मंत्री महोदय, गुणावगुण के आधार पर इसका दुबारा परीक्षण करवा कर, हमारा जो उचित दावा और अधिकार है, वह इस जनता को वापस दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजथान स्पेशल इन्वेटमेंट विजन बिल, 2015 के तहत हमने एक बिल तैयार कर लिया है। कैबिनेट की एप्रूवल के पश्चात इसको हाउस में इंट्रोड्यूस किया जायेगा। इसकी मान्यता प्राप्त करने के बाद डी एम आई सी डी सी को पूरे पावर मिलेंगे और उसके पश्चात् डी एम आई सी डी सी की फंक्शनिंग एक्टिव हो जायेगी।

माननीय सदस्य ने जो एयरपोर्ट का इश्यू रेज किया था, इस एयरपोर्ट को कोटकासिम शिफ्ट किया गया, कारण जो मेरे सुनने में है वह यह था कि एयरपोर्ट अथोरिटीज ने जो लोकेशन है, वह कोटकासिम के आसपास जो एरिया है, हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि यह जो जयपुर-दौसा एरिया है वह जयपुर एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है। जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी ... (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसको करेक्ट करवा लेना, आपके 117 से लगातार 138 मिनट्स

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की कापीज हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नई दिल्ली के 150 किलोमीटर की परिधि में किसी प्रकार का एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से संचालित एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जायेगी। उस वक्त के सेक्रेटरी ने चेन्नई में जो रिलेक्सेशन हुआ था, उसका हवाला देते हुए कहा, चेन्नई हिन्दुतान की राजधानी नहीं है। डाइरेक्टर आफ सिविल एविएशन रिकार्ड पर आकर यह बात कह चुके हैं, हम आपको वहां इजाजत नहीं देंगे; जो पहले इजाजत दी हुई है, आप वहीं लगाइए।

न तो डिपार्टमेंट आफ डिफेंस का आब्जेक्शन था, न सिविल एविएशन का था। आब्जेक्शन था तो उस वक्त की सरकार का था। दुरुस्त आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

रेलवे ट्रैक की भी बात की है आप ही के मिनट्स में। मनोहरपुर में रेलवे ट्रैक का और रेलवे स्टेशन स्थापित करने का था। उसमें क्या बाधा आ रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महादेय। (व्यवधान) आप विराजिए। बिलकुल नहीं। विराजिए आप, जवाब आ रहा है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटकासिम को एयरपोर्ट अथोरिटीज आफ इंडिया स्वीकृति दे चुकी है। अब एप्रूवल सिविल एविएशन और डिफेंस मिनिस्ट्री से अवेटेड है। अब किस कारण लोकेशन को टेक्निकली एस्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में हम केन्द्र सरकार से पूछें सकते है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपकों यह बताना चाहूंगा कि डी एम आई सी डी सी निर्देश नहीं देती है, यह केवल नोलेज पार्टनर काम करती है, सलाहाकार सेवाएं उपलब्ध कराती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत। ...(व्यवधान)... नहीं, निर्मल कुमावतजी ने पहले मांगा है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष, महोदय, मैं मंत्रीजी से इसी से जुड़ा हुआ, डेडिकेटेड फैट कोरिडोर के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा भू-भाग फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में से होकर जा रहा है। आपने फरमाया कि यह रेलवे के अंडर में है। मैं केवल इतनी सी जानकारी आपसे चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार में जो लैंड एक्विजीशन के तहत जो अधिकारी थे, क्या यह सही है कि उनके खिलाफ जांच चल रही है, या शिकायत मिली है कि इसमें जो निजी भूमि अवाप्ति हुई और राज्य सरकार की गोचर और सिवायचक

(श्री निर्मल कुमावत)

भूमि को इसमें खुर्द बुर्द करने का काम तत्कालीन अधिकारियों ने किया है? मेरी जानकारी के अनुसार, इसमें करोड़ों रुपये का राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ है। क्या सरकार एक बार पुन: इसकी लैंड एक्विजीशन को लेकर जो प्रक्रिया हुई है, उसकी जांच कराना चाहती है, या नहीं कराना चाहती? इतनी सी मुझे जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) इस तरह नहीं, जवाब आने दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, यह रेलवेज, पूरा कोरिडोर, पूरी जमीन एक्वायर हो चुकी है। यह रेलवेज के तहत की गई है। माननीय सदस्य ने जो इश्यू रेज किया है, इसकी मैं पूरी जांच करूंगा और जांच करके माननीय सदस्य को जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि डी एम आर सी और डी एम आई सी, ये दोनों मारवाड़ जंक्शन से गुजर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी मारवाड़ जंकशन का सेंटर पाइंट है, दिल्ली-मुम्बई रेलवे कोरिडोर का भी सेंटर पाइंट मारवाड़ जंक्शन है। सोजत रोड से लेकर जवाली के बीच में एक भी ओवरब्रिज नहीं लिया गया, केवल अंडरब्रिज दिये गये हैं। इसमें राजस्थान सरकार का भी हिस्सा होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : हां, यही तो प्रश्न पूछ रहा हूं कि मारवाड़ जंक्शन पर ओवरब्रिज बनाने का, राजस्थान सरकार उसमें हिस्सा लगाकर ओवरब्रिज बनाएगी या नहीं? अगर नहीं बनाएगी तो इण्डस्ट्रियल कोरिडोर और रेलवे कोरिडोर, दोनों का मारवाड जंक्शन सेंटर पाइंट है और जोधपुर से लेकर भीलवाड़ा के बीच का जो भी एरिया है, वह इण्डस्ट्रियल कोरिडोर में घोषित है। तो मारवाड़ जंक्शन पर ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सकार का उसमें हिस्स होता है और राजस्थान सरकार जब तक यस नहीं करती तब तक ओवरब्रिज की स्वीकृति नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : छोटे-छोटे स्टेशनों पर आपने ओवरब्रिज दिये हैं। तो मारवाड़ जंक्शन पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जंक्शन होते हुए भी, वहां पर ओवरब्रिज नहीं देने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अभी तक तो रेलवे ट्रैक्स ले ही नहीं हुए हैं। एक्विजीशन जमीन का किया गया है। सोजत के लिए बाइपास अप्रूव हो रहा है कि सोजत का बाईपास होगा। जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन और पाली के बीच में फासट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा, जिसके अन्दर जोधपुर एयरपोर्ट को भी डी एम आई सी के जरिये क्रमोन्नत किया जाएगा, फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। जब ये रेलवे ट्रैक्स ले होंगे, उस समय रेलवे अपना सर्वे करता है, ट्रैफिक को देखता है। रेलवे से बात करेंगे।

आपने जो मांग उठाई है, वह रेलवे के अधिकारियों से बात करके, वहां ट्रैफिक है। तो यह पूरा कोरिडोर एक फास्ट मूवमेंट ट्रांजेक्ट के लिए रखा गया है। इफेक्टिव अपना माल आपके मारवाड़ जंक्शन पहुंचाने का है, जबकि आपके फुलेरा है, दो-तीन जंक्शन हैं, फुलेरा, ब्यावर और मारवाड़ जंक्शन, ये तीन ही मेन हब पाइंट हैं। सटेशन तो आपके 12-13 हैं। जिस जगह पर ट्रैफिक होगा, रेलवे स्वयं ओवरब्रिज करेगा।

इसका अपन बैठकर डिस्कशन कर लेंगे। डिस्कशन करके मैं आपको सही जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्षजी, यह जो कोरिडोर का विषय है, इसमें पुरानी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की राजनीतिक अदूरर्शिता है, उसका परिणाम है। आज भी कई बार यहां जयपुर में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपतिजी को उतरना पड़ता है। हवाई अड्डा बनना था, उसके पीछे यह लोजिक था कि मौसम... (व्यवधान) हां, हां, सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हम तो यही देख रहे हैं... (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं आरोप लगा रहा हूं, सत्य आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : प्रश्न पूछना नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मंत्रीजी जवाब गलत बता रहे हैं। (व्यवधान) यह कह रहे हैं, मैंने तो गलत दिया, सही बाद में दे दूंगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं कह रहा हूं ना, आप बताइये, क्या लोजिक है इस बात के पीछे कि सीकर और नागौर की जमीन जाएगी और जोधपुर का डवलमपेंट होगा? आप बताइये, इसके पीछे क्या लोजिक है? धन तो हम दे रहे हैं। जापान के जो बैंक, उनको तो 29 परसेंट शेयर मिलेगा और राजस्थान को एक परसेंट भी शेयर नहीं मिलेगा। इसके पीछे अदूर्शिता नहीं है तो क्या बात है? आप बताइये। इतना ही नहीं,...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : इतना ही नहीं, हम जो जमीन दे रहे थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिए। माननीय सदस्य, प्रश्न कीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : चार परसेंट...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : यह तो अब हो रहा है चार परसेंट का तो। चार परसेंट से क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदय, प्रश्न कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं आ रहा हूं अपनी बात पर। मुझे कहने दीजिए। दिल्ली में मौसम गड़बड़ होता है, उस कारण से... (व्यवधान) दिल्ली का एयरपोर्ट है, जो कम्पनी दिल्ली के एयरपोर्ट को देख रही है, वह मौसम के कारण से, डाइवर्ट करने के कारण, केवल होल्डिंग के लिए यह बनाया जा रहा है, यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। उसका लाभ हमें ही नहीं होगा, यह जो व्हाइट हब बन रहा था, उसमें रेलवे लाइन के अलावा प्रोसेसिंग हाउस, एक्सपोर्ट हाउस भी थे और उनमें शेयर भी था। 18 हजार बीघा जमीन डी एल सी रेट का पैंमेट कर रही थी कम्पनी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : इस एम ओ यू का दुबारा परीक्षण किया जाए, यह कहो ना।

श्री अध्यक्ष : आप डिस्टर्ब मत कीजिए। (व्यवधान) आप डिस्टर्ब मत कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : अध्यक्षजी, आप बताइये, आपका संरक्षण चाहता हूं, राजस्थान के किसानों की जमीन ली गई, वापस क्यों लौटाई गई? कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं? पूछिये इनसे। मंत्रीजी से जवाब दिलाइये कि यह जमीन वापस क्यों लौटाई गई? ज्यादा क्यों ली गई? क्या तमाशा है कि किसानों की जमीन चाहे जब ले लो और चाहे जब वापस लौटा दो। इसके पीछे षड्यंत्र है और केन्द्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है; राजस्थान का मुख्य मंत्री, पूर्व मुख्य मंत्री जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं आरोप लगा रहा हूं, सत्य आरोप लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि सारी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : दुबारा एम ओ यू हों; एम ओ यू पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात का मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : जो बन रहा है, उसका लाभ पूरा नहीं मिलेगा। पचास किलोमीटर तक ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह रुकने वाले नहीं हैं आज। आज 12 बजे तक नहीं रुकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : आप सुनिये पहले, आपके कारनामे बता रहा हूं। यह पचास किलोमीटर के एरिया में, सीकर में डवलपमेंट होता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विधायक, आपका ....(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : किसी का डवलपमेंट नहीं होता, सीकर का डवलपमेंट होता।

श्री अध्यक्ष : अब आपका जवाब आ रहा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : नहीं हो रहा उसमें सीकर का डवलपमेंट।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ रहा है, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) इसमें मेजर इश्यू है, वह एयरपोर्ट अथोरिटीज आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ सिविल एविएशन से सम्बन्धित है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि लगभग 600 किलोमीटर यह कोरिडोर राजस्थान के बीच में से गुजरेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि पूरा राजस्थान बिलकुल डाइगनली एक तरह से आपका बेनिफिट करेगा। इसके अन्दर आपके मेजर डेस्टिनेशन/स्टाप्स आ गये हैं, इसमें भागेगा, श्रीमाधोपुर...

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर) : मंत्री महोदय, आप सौभाग्य बता रहे हैं, वे दुर्भाग्य बता रहे थे अभी। (व्यवधान) हल्ला मत मचाइये। आराम से भी बोल सकते हैं आप। हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। यह भाषण का मंच नहीं है। प्रश्न काल है, प्रश्न काल होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे भागेगा, श्रीमाधोपुर, पचार, मलिकपुरा, साकून, किशनगढ़, सराधना, हरिपुर, चण्डावल, जावल, बिरोलिया, केशवगंज, बनास, स्वरूपगंज, यह पूरे राजस्थान को क्रोस करता जा रहा है। 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, दोनों साइड में पूरे एरिया लाभान्वित होंगे।

मैंने तो यह एयरपोर्ट वाला इश्यू है। माननीय राव साहब भी रेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र में एयरपोर्ट बने। एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि जयपुर एयरपोर्ट को और दिल्ली एयरपोर्ट को देखते हुए सही लोकेशन क्या है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में शाहजहांपुर और नीमराना आता है। डी एम आई सी के तहत वहां...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : इसके बाद कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। इस क्वेश्चन पर एक घंटे की चर्चा अलग से रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा) : अलग से रख लें इस बिन्दु पर। और लोगों को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : 60 गांव में...(व्यवधान) यह नीमराना का प्रश्न है।

श्री रमेश (सपोटरा) : विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष अंजू देवी धानका। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, यह नीमराना सबसे पहले जुडा हुआ है। वहां पर आंदोलन चल रहे हैं और हरियाणा में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था।

श्री अध्यक्ष : अंजू देवी धानका अपना प्रश्न पूछेंगी। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : वहां पर जिस तरह से, कल भी धरना हुआ है वहां। मंत्रीजी इस बात को देखें। (व्यवधान) 31 मार्च तक भूमि अधिग्रहण को तीन साल वहां कम्प्लीट हो गये। तीन साल वहां कम्प्लीट हो गये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : प्रश्न संख्या 4 ।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से मिल लीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : अलग से क्या मिलें, साहब? विधान सभा के अन्दर अगर कोई बात हमारे क्षेत्र की, कल वहां धरना और प्रदर्शन हुआ और आप चाहते हैं कि हरियाणा की तरह वहां लोग मरें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। अंजू देवी धानका। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : जनता ने हमको यहां चुनकर भेजा है तो इसलिए थोड़े भेजा है कि अन्दर जाकर मंत्री से बात कर लें। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्विजिशन वाला मामला है, आंदोलन बहुत उग्र हो सकता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : हमारा सबसे पहले दिल्ली के नजदीक लगता हुआ क्षेत्र है, जहां इतनी बेशकीमती जमीन है। जिस जमीन को पूरे तीन सल हो गये, 31 मार्च को तीन साल हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : 60 गांवों की वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : साहब, स्थान तो ग्रहण कर लेंगे लेकिन इनका जवाब तो दिलाइये ना। क्या होगा? हरियाणा की तरह आंदोलन होगा, तब क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न हो चुके। (व्यवधान)

बस्सी में नियम विरुद्ध सड़कों का निर्माण

4. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ऐसे कितने गांव एवं ढाणियां हैं जो प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अन्य योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने के लिए प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के 500 एवं 200 से अधिक आबादी वाले कौन-कौन से गांव सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं?

(3) जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक कितने गांव प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अन्य योजना से जोड़ दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक जिन सड़कों का निर्माण किया गया, वे सड़कें किसी भी योजना में नहीं आतीं तथा वहां की आबादी 250 से भी कम है व केवल व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियमों की अनदेखी की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : सबसे पहले मैंने बटन दबाया था।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। कृपया विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान) : (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बसी, जिला जयपुर में गांवों, ढाणियों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसी नहीं। आपसी नहीं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : (2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी के सभी गांव डामर सड़क से जोड़े जा चुके हैं एवं 250 से अधिक आबादी वाला एक गांव बिना जुडा हुआ है, जिसका प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2015 तक जोड़े गये गांवों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक निर्मित की गयी सभी सड़कें विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही स्वीकृत की गई थीं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से कम की आबादी के किसी भी गांव को डामर सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृति नहीं है। इसके अतिरिक्त, मिसिंग लिंक व धार्मिक महत्व की सड़कों का निर्माण किया गया है, जो नियमानुसार ही बनाई गई हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत क्लस्टर योजना के तहत एकल या समूह में 500 से अधिक की आबादी की बसावटों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है एवं इन्हीं मानदण्डों के तहत जोड़ी गई बसावटों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियमों की अनदेखी नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। आप कीजिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की जितनी भी मुफ्त योजनाएं थीं, उनमें कई सारी योजनाएं इस प्रकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, लेकिन एक मुफ्त योजना है जिसका लाभ हम सब ले रहे हैं, वह है, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर के खर्चे पर बोट और शिप का आनन्द। उस मुफ्त योजना का हम सब लाभ लेते हैं और अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो पब्लिक से गालियां खा रहे हैं। ऐसी सड़कों की स्थिति है यहां पर। लेकिन मैं प्रश्न पर आ करके, क्योंकि वक्त कम है तो दो बहुत जरूरी चीजें रखना चाहती हूं।

पहले प्रश्न में इन्होंने जवाब दिया है कि कोई प्रस्तावित ही नहीं है, तो ये एडमिट कर रहे हैं कि एक साल से कोई सड़क के प्रस्ताव लिये हीं नहीं गये हैं। दूसरे प्रश्न में सभी सड़कों को जोड़े जाने की बात कही है, लेकिन मेरे

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

पास ऐसी कई सारी सड़कें हैं जो 2001 की जनगणना के अनुसार जोड़ी नहीं गई हैं, जो ढाई सौ और पांच सौ से भी ज्यादा आबादी की सड़कें हैं, पांच-छह सड़कें हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूं क्योंकि वक्त कम है। मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह रह जाएगा, जो सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। (व्यवधान) कई सड़कें हैं जो मैं मंत्रीजी को दे दूंगी।

तीसरे प्रश्न का जो है, वह कई सूची हैं, फिर भी मैं बता देती हूं कि रोजवाड़ी से रामसर तक की सड़क पिछले साल बनी है, लेकिन अगर अभी आप पर्सनल फिजिकल विजिट करके आएंगे तो वहां ग्रेवल मिलेगी, जबकि इसका 23 लाख रुपया उठाया जा चुका है। नांगल बेरसी से पेईपुरा तक की सड़क, इसमें 61 लाख 90 हजार रुपये दिखाई गई है, लेकिन वह ऐसा गांव है जो मुख्य धारा से बिलकुल कटा हुआ है। जहां पर उन गांव वालों को यह भी नहीं पता कि सड़क डामरीकरण और सी.सी. में क्या फर्क होता है। लेकिन यहां पर यह दे रखा है कि वहां सड़क 61 लाख की बन चुकी है। तो 61 लाख का नुकसान यहां पर सरकार को हो रहा है। काशीपुरा रोड से रामरखपुरा तक की सड़क पूर्ण दिखाई गई है, लेकिन वहां पर सड़क सौ मीटर बनी है। डेढ़ किलोमीटर दिखा रहे हैं और सौ मीटर बनकर काम रुक गया था। 12-13 में यह सड़क पूर्ण दिखाई गई है, जबकि 13-14 में मैंने एम.एल.ए. फण्ड से बजट देकर ग्रेवल कराई है इसी सड़क पर। ऐसी पचासों सड़कें हैं लेकिन मैं मेन-मेन बातें करना चाहती हूं।

एक तो मैं प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि जब 2011 में जनगणना हो चुकी है, अध्यक्ष महोदय, तो फिर 2001 की जनगणना के अनुसार सड़कें आज भी क्यों बनती हैं? क्योंकि आबादी, परिथिति बदलती रहती है समय के साथ-साथ, फिर भी 2001 को पकड़कर आज भी 2015 में ही बैठे हुए हैं, वह क्यों बैठे हुए हैं? कई गांव ऐसे हैं जो पूरे-पूरे खाली हो गये हैं लेकिन उनमें करोड़ों रुपया लग रहा है। वहां पर एक आदमी रहता नहीं है। क्योंकि 2001 की जनगणना में वहां पर 500 की आबादी थी, इसलिए वहां पर एक करोड़ रुपया लगाया गया है।

यह एक्सक्यूज जो ए.ईएन. साहब देते हैं, वह मैं आपको बताती हूं। सबसे बड़ी बात, जो मैंने इसमें मेन मुद्दा आपके लिए रखा था कि किसी खास व्यक्ति के लिए, वह मैं आपको क्लीयर करना चाहती हूं। प्रहलादपुरा जयराम-

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

का-बास सड़क से, इसमें मैंने यह दिया था कि कोई ऐसी सड़क जो व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए दी जा रही है, तो जवाब यह मिला था कि जी नहीं। एक गांव है जयराम-का-बास जिसमें 20 साल पहले से कनेक्टिविटी है, जबकि प्रधान मंत्री सड़क योजना में उन गांवों को जोड़ा जाता है जिनकी मुख्य सड़क से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे पचास गांव छोड़ दिये गये हैं लेकिन एक गांव ऐसा है जिसको बार-बार कनेक्ट किया जा रहा है। जयराम-का-बास है सांवलिया वाला, जयराम-का-बास है देवरी, जयराम-का-बास है टेडयावाला। प्रहलादपुरा से...।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। फिर दूसरा प्रश्न और कर लेना।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : यह बहुत जरूरी है। मैं एक मिनट आपको बता देती हूं कि अणतपुरा से जयराम का विवरण ही नहीं दिया गया है। इस सड़क को तीन जगह से कनेक्ट किया हुआ है और आज भी जो आपने प्रश्न का उत्तर दिया, वह यह दिया हुआ है कि एक गांव है जो छोड़ दिया गया है। उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उस पर काम चल रहा है, बाकी सब जुडी हुई हैं। यही एक गांव ऐसा है जो तीन-तीन, चार-चार बार कनेक्ट हो चुका है और अभी भी इस पर काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इसको किया गया है, अणतपुरा से जयराम-का-बास, उसको छिपा लिया गया है और बताया नहीं गया है। आपके ए.ईएन. साहब मेरे पास आये थे, इस क्वेश्चन के बाद। आप सब इसको ध्यान से सुनना कि उन्होंने मुझे क्या कहा, कि मैडम, यह तो जयराम-का-बास कनेक्ट नहीं है, यह कनेक्ट हो रहा है। जयराम-का-बास को हमने कनेक्टन नहीं किया। यह तो हमने जयराम-का-बास टेडयावाला को कनेक्ट किया है। उस टाइम मैंने ए.ईएन. साहब को कुछ नहीं कहा। वह मैं अभी बताती हूं कि क्यों नहीं कहा था। क्योंकि टेडयावाला का नाम ही जयराम-का-बास है। उसको इस तरह से मुझे शो किया गया कि टेडयावाला में बनाई है, जयराम-का-बास में तो बनाई नहीं है। जयराम-का-बास है टेडयावाला। टेडयावाला 20 साल पहले जयराम-का-बास का ही दूसरा नाम था, उसको नये नाम से जयराम-का-बास कर दिया गया। उस पर करोड़ों रुपये खर्च किया गया।

अब आप 2001 की जनगणना ले लो कि 2001 की जनगणना के अनुसार अब आप आज सड़क दे रहे हों। ठीक है, आप दे दो...

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आने दीजिये, जवाब आने दीजिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : 2001 की जनगणना में जयराम-का-बास में आप 2-3 करोड़ रुपये लगा रहे हों। (व्यवधान) आप यह सुनें, 2-3 करोड़ रुपये आप एक गांव में लगाये जा रहे हों क्योंकि वहां की पूर्व सरपंच एक आई.ए.एस. की पत्नी है और वह गांव एक आई.ए.एस. अधिकारी का है। इसलिए तीन-तीन, चार-चार बार वह सड़क कनेक्ट करके दिखाई जा रही है। फिर जो उसका तरीका मुझे बेवकूफ बनाने का है, वह है, मैडम, यह तो टेडयावाला का बनाया है, जयराम-का-बास का बनाया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : नाम तो बताओ उनका, किनके लिये बन रही है। नाम बताओ। आप तो गोल-मोल ही कह रहे हैं। जिस आदमी का है, उस आदमी का नाम बताओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : मेरे पास मंत्रीजी का जवाब आये, नहीं आये, लेकिन मैं यह बताना चाह रही हूं कि अधिकारी किस तरह से एम.एल.ए. को भी बेवकूफ बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि किस तरह से मेरे पास आ करके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जहां दस साल से रह रही हूं, मुझे नहीं पता कि उस गांव का नाम क्या है? मुझे उस गांव का नाम बताकर गुमराह किया जा रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : विधायक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वरिष्ठ विधायक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वरिष्ठ विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। डिस्टर्ब मत कीजिये। वे पूरक प्रश्न कर रही हैं, डिस्टर्ब मत कीजिये उनको।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : उसमें फिजिकल कई सड़कें ऐसी हैं जो...।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, बहुत लम्बा हो गया आपका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, वैसे भी टाइम खतम हो गया है, एक बात और सुन लीजिये। जो 11-12 में आप दिखा रहे हों 61 लाख की, उसका ग्रेवल मैं करवा रही हूं 13-14 में। (व्यवधान) जवाब की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखें कि अधिकारी कैसे मंत्रियों को और एम.एल.एज. को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं सिर्फ यह बताना चाह रही हूं। जवाब

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

नहीं चाहिये मुझे। और जो यह मुफ्त...(व्यवधान) सुनिये, मंत्रीजी, जो यह मुफ्त योजना आपने चला रखी है ना शिप और बोट की, इस पर भी कृपा करें थोड़ी सी। आप सड़कों पर ध्यान दें। आपने एडमिट किया पहले भाग में कि हमने कोई प्रस्ताव ही नहीं लिया है...(व्यवधान) अब प्रस्ताव लें।

श्री अध्यक्ष: अच्छा अब जवाब। आप बैठिये, अब जवाब आ रहा है। आप जवाब दे दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो मुद्दे उठाये हैं, उसमें मैं यह निवेदन कर दूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना जनसंख्या 2001 के अनुसार ही चल रही है अभी तक प्रथम चरण में। यह बात सही है, आपकी यह बात सही है कि 2011 की जनंसख्या का भी नोटिफिकेशन हो गया...

श्री अध्यक्ष : बैठिये। अब जवाब सुनिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : लेकिन प्रथम चरण के जो 39,753 गांव थे, उन्हीं पर काम चल रहा है। राजस्थान के आज भी 1,445 हैबिटेशंस ऐसे हैं जो प्रथम चरण में बाकी हैं।

परसों ही माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के पास मैं स्वयं और हमारे अधिकारी गये थे और इस योजना के दूसरे चरण में प्रवेश के लिए उनसे निवेदन किया। चूंकि 2001 और 2015 में 14 साल का फर्क हो गया, नये राजस्व गांव आ गये, उनमें सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बात कही है। उन्होंने हमारे सामने ही अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं कि वास्तविक बात सही है कि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्तमान माननीय मोदीजी की सरकार में वर्ष 2011 के अनुसार ही अगली सड़कें बनेंगी। (व्यवधान)

जहां तक माननीय सदस्या ने यह बात कही है कि यह योजना, इनका जो खण्ड-एक था, वह स्पेस्फिक क्वेश्चन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 2001 तक के इनके सारे गांव जुड़ चुके। तो इसलिए अब तो नया तो आने का सवाल ही पैदा पहीं होता। जहां तक मुख्य मंत्री सड़क योजना है, उसमें इनका कोई प्रपोजल आज की तारीख

(श्री युनुस खान)

में पेंडिंग नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर पहले भी सही था, अब भी सही है। इन्होंने जो पूछा, उसका उत्तर दिया है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : मंत्रीजी आपके कहने से सही थोड़े ही होगा। मैं रहती हूं, मुझे मालूम है। एक हजार गांव 2001 की जनगणना वाले दिखवा दूं जिनमें सड़क नहीं हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सदस्य, जहां तक आपने यह बात कही है, बार-बार जिस सड़क का विवाद चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि आप यह कह रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

सभापति-तालिका

श्री ज्ञानचन्द पारख का सभापति तालिका के लिए मनोनयन

सभापति तालिका में सदस्य का मनोनयन। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मैं श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं। श्रीमती किरण माहेश्वरी की वजह से जो खाली हुई।

अनुपस्थिति अनुमति

कामिनी जिन्दल, श्रीमती, सदस्या, को दिनांक 25 फरवरी, 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्या, विधान सभा ने स्वास्थ्य कारणों से दिनांक 25 फरवरी, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती, सदस्या, को 25 फरवरी, 2015 से 6 मार्च, 2015 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या, विधान सभा ने स्वास्थ्य कारणों से दिनांक 25 फरवरी, 2015 से 6 मार्च, 2015 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. किरोड़ी लाल, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा एवं तीन अन्य माननीय सदस्य, डा. राजकुमार शर्मा एवं श्री रमेश चन्द मीणा की ओर से प्रदेश में स्वाइन फ्लू फैलने के कारण कई मौतें होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, व

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि करने से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्यों को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

स्वाइन-फ्लू के सम्बन्ध में आज राज्य सरकार की ओर वक्तव्य भी दिया जा रहा है।

अब मैं आपसे चाहता हूं कि जिन्होंने यह प्रस्ताव दिये हैं, वे दो-दो, तीन-तीन मिनट में अपने विचार यहां पर व्यक्त कर दें और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना जवाब दे दें। यह अगर आपको ठीक लगे, या पहले वक्तव्य दिलावा दें? जैसा आप उचित समझें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : पहले स्टेटमेंट। पहले मंत्रीजी का स्टेटमेंट आये, फिर हम कमियां बताएंगे।

श्री अध्यक्ष : पहले आप बोल लीजिए, स्थगन प्रस्ताव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वाथ्य मंत्री) : पहले स्थगन का प्रस्ताव है, विषय-वस्तु वे ही रखेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव है न, उस पर व्यवस्था है। इसलिए मैं चाहूंगा कि डा. किरोड़ी लाल, आप बोलिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूरा सदन उद्वेलित है...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : बाकी कार्यवाही का क्या हुआ, साहब? बाकी कार्यवाही भी बताइए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : स्वाइन फ्लू के कारण बड़े पैमाने पर राजस्थान में मौतें हुई हैं। मैं तो बोल दूं पहले। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : बाकी कार्यवाही नहीं हुई। बाकी कार्यवाही दिन भर की दीजिए।

श्री अध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : यह स्थगन ही है क्या? इसके अलावा और भी हैं।

श्री अध्यक्ष: यह तो स्थगन प्रस्ताव है। अगली कार्यवाही बाद में लेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : इसके अलावा हमने दे रखे हैं न। लाटरी है, पर्ची है, सब ही हैं न।

श्री अध्यक्ष : क्या आप सारी व्यवस्थाएं एक साथ ही चाहते हो? इसके बाद में पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले ले रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : मैं तो बोल गया, साहब।

श्री अध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से, 295, ये सब तो इसके बाद में आएंगे न। फिर मैं सदन की मेज पर रखने वाले लूंगा। बोल लेने दीजिए। मैं इसके बाद ले लूंगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : पहले होनी चाहिए जानकारी।

श्री अध्यक्ष : अब दे देंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में स्वाइन फ्लू से कारित मौतें

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल हमारे कांग्रेस दल के सारे लोग मास्क लगा कर आये थे और आज भी सारा सदन उद्वेलित है।

हमारे यहां राजस्थान में स्वाइन फ्लू बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की गम्भीर लापरवाही रही है। पूरे देश में स्वाइन फ्लू से जो मौत के आंकड़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर मौत हुई हैं तो वह राजस्थान में हुई हैं। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार की लापरवाही है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की अकर्मण्यता है कि उनकी अनदेखी के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, उनके मिस्मैनेजमैंट के कारण से यह स्थिति बनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक 56 दिन से स्वाइन फ्लू है और इन 56 दिनों में 250 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर अब भी जारी है। एक बार बात बीच में आयी थी, इसका भी स्पष्टीकरण देंगे, स्वास्थ्य मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो बताएंगे, कि मौसम बदलेगा, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो स्वाइन फ्लू कम हो जाएगा। अब भी कहर जारी है और कल ही, बुधवार को ही इस बीमारी से आठ लोगों की मौत हुई है। जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में जोबनेर के निवासी विष्णु, सीकर निवासी श्रवणलाल, धनबाद की बगीची निवासी जुवेदा, सिमोली चारभुजा निवासी अंतर कंवर ने दम तोड़ा, मालवीय नगर के रूंगटा हास्पिटल में भरतपुर के कप्तान सिंह तथा जबलपुर की 26 साल की मीनाक्षी की इटर्नल हार्ट केयर यूनिट में मौत हो गई। ज्ञानगढ़ क्षेत्र की बीड़ का बारिया निवासी भागूलाल गुर्जर ने भी दम तोड़ दिया। प्रदेश में इस तरह से 56 दिनों से लगातार जो स्वाइन फ्लू हो रहा है, उसमें सर्वाधिक 250 मौतें अब तक हो चुकी हैं और सरकार यह छाती ठोक कर नहीं कह सकती कि हमने इसको नियंत्रण में ले लिया है।

कारण क्या है? कारण ढेर सारे हैं। एक, दिल्ली में स्वाइन फ्लू की जो जांच रिपोर्ट है वह आठ घंटे में आ जाती है, हमारे यहां 12 घंटे से 24 घंटे लगते हैं। यहां पर सरकार ने व्यवस्था करते समय निजी अस्पतालों को साथ में नहीं लिया, जिसके कारण से यह स्थिति बनी है। अगर निजी अस्पतालों को साथ में लिया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। एक, अस्पतालों में 15

(डा. किरोड़ी लाल)

जनवरी तक तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, टैमिफ्लू नाम की मेडिसिन की व्यवस्था ही नहीं थी। तो दवा की, मेडिसिन की समय पर प्रोपर व्यवस्था नहीं की गयी; जांच के इंतजाम अपर्याप्त थे; अलग से स्टाफ की व्यवस्था भी देर से की, शुरू में नहीं की गयी।

माननीय मंत्री महोदय, 2013 में स्वाइन फ्लू से राजस्थान में 135 मौतें हुई थीं। जब इतनी मौतें हो गई तो उसके बाद भी जो जाग्रति अभियान चलना चाहिए था, वह सरकार ने किसी प्रकार का जाग्रति अभियान नहीं चलाया। इसके कारण से यह सारी स्थिति, पूरी पिक्चर राजस्थान की बनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा, कोई जापानी मशीन आती बतायी, जापानी मशीन आती बतायी, मंत्रीजी को पता होगा, जो तुरत-फुरत रिजल्ट देती है सैम्पल का, क्या उस मशीन की व्यवस्था कर ली गयी, इतनी बड़ी महामारी के बाद में भी?

इसलिए मैं सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार की गम्भीर लापरवाही के कारण, मिस्मैनेजमेंट के कारण बड़ी तादाद में स्वाइन फ्लू के कारण से राजस्थान में मौतें हुई हैं, जिसके लिए जिम्मेदार सरकार है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : अब भी सरकार इस महामारी को रोके, ऐसी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि रिपीट नहीं करें तो ठीक रहेगा। जितना उन्होंने बोल दिया, उसके आगे आपके पास जो तथ्य हैं वे रखिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटसरा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर) : डोटासरा साहब, आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा, बड़ी चिंता हो रही है, कहीं मुख्य मंत्री महोदया तो ठीक हैं न? स्वाइन फ्लू तो नहीं हुआ है उन्हें? यह जानकारी आपको होगी?

श्री अध्यक्ष : जानकारी करके आपको सूचित कर दूंगा। मेरे चैम्बर में सूचित कर दूंगा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर) : बहुत चिंता है।

श्री कालूलाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपने चिंता की, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर) : बिलकुल। थैंक यू, सर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आज जो हालात हैं स्वाइन फ्लू को लेकर, उससे पूरे प्रदेश की जनता चिंतित है। पूरे, एक मंत्रीजी को छोड़कर, बाकी सारे जन-प्रतिनिधि चिंतित हैं और मंत्रीजी केवल मात्र गर्मी का मौसम आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती हमारे प्रदेश में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू से मौतें तो हजारों के पार चली गयीं, हजार से भी ऊपर हैं। ये आंकड़े तो वे आंकड़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी हास्पिटल में कोई इलाज कराने आया हो, जागरूक व्यक्ति और वहां पर उसका स्वाइन फ्लू का टैस्ट हुआ हो और वह पाजिटिव आया हो। ऐसे हजारों गरीब लोग हैं जो ढाणी में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, इलाज की उनके पास व्यवस्था नहीं, उनको जानकारी नहीं कि स्वाइन फ्लू क्या होता है। सरकार की तरफ से कोई इलाज नहीं। सरकार इस रूप में भी फेल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मंत्रीजी, किसी भी प्राइवेट हास्पिटल वाले को बुलाकर यह व्यवस्था करने की बात नहीं कही कि आप इसमें सहयोग कीजिए, यह स्वाइन फ्लू रूक सके।

अध्यक्ष महोदय, इससे जानें तो गयी ही गयी हैं, लेकिन इस स्वाइन फ्लू से हमारे प्रदेश में 5,500 करोड़ का पर्यटन का भी नुकसान हुआ है। आज पूरे देश के लोग, विदेश के लोग राजस्थान आने से कतराते हैं।

तो इस प्रकार की फेल्ड गवर्नमेंट, जो ला एण्ड आर्डर के साथ-साथ स्वाइन फ्लू जैसी महामारी को नहीं रोक सकी, इसकी जितनी निन्दा की जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम है।

आज हर व्यक्ति आशंकित है, हर व्यक्ति हाथ मिलाने से घबराता है, हर व्यक्ति किसी के घर जाने से घबराता है; पता नहीं, उसको स्वाइन फ्लू है कि नहीं है; पता नहीं, क्या हो जाएगा। इतना ज्यादा भयंकर आक्रोश जनता में है कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ने की भी नौबत आ सकती है। आज कोई सी यू का डाक्टर, उसके स्वाइन फ्लू; हमारे गृह मंत्री के स्वाइन फ्लू; हमारे पूर्व मुख्य मंत्री के स्वाइन फ्लू; माननीय सदस्या, सूर्यकान्ताजी ने छुट्टी ली विधान सभा से, उनके स्वाइन फ्लू; और मैं समझता हूं कि ये जो सीटें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खाली हैं, इनमें से, हमारे जन-प्रतिनिधियों में से किसी का टैस्ट कराएं तो...। आप तो, अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित हैं, बिलकुल स्वास्थ्य हैं और आंखों का इलाज कराने के बाद में आपके चेहरे की तो रौनक ही 22 साल, 25 साल के से युवा की हो गयी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका मन भी... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, आपको भी स्वाइन फ्लू हुआ है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : स्वाइन फ्लू हो सकता है। हम तो कल मास्क इसीलिए लगाकर आये थे कि यह सरकार चेते तो सही। स्वास्थ्य मंत्रीजी, बाहर घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। कम से कम और जवाब, ऐसा बचकाना जवाब कभी किसी मंत्री का हमने नहीं सुना कि जब अशोकजी गहलोत के स्वाइन फ्लू हो गया तो कहा कि बम्बई से ले आये। तो फिर कटारिया साहब कहां से लाये? यह किसी के भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के बयान देकर एक हास्यापद स्थिति हमारे पूरे प्रदेश में बन गयी।

लोगों में एक इतना बड़ा आक्रोश है, अध्यक्ष महोदय, मैं सही निवेदन कर रहा हूं, किसी भी गांव में जाते हैं तो उस गांव में सैकड़ों लोग बीमार हैं। मेरे, भाई, छोटा-सा भी जुकाम हो गया तो मेरे स्वाइन फ्लू तो नहीं है? मेरा क्या इलाज है, क्या नहीं हैं?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गर्मी का इन्तजार नहीं करें। हमारे प्रमुख शासन सचिव कह चुके, हमारी विशेषज्ञ कह चुके, मंत्रीजी, गर्मी और सर्दी से इसका कोई असर नहीं होता है, इसका अपन मिलकर इलाज करायें, लेकिन पता नहीं, मंत्री महोदय को क्या हो गया कि केवल मात्र बैठे-बैठे देख रहे हैं कि अपने आप गर्मी आये, अपने आप स्वाइन फ्लू से पिण्ड छूट जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा प्रतिपक्ष इस बात के लिए सरकार की निन्दा करता है कि यह स्वाइन फ्लू के मामले में फेल रहे हैं और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। आज भी केवल मात्र जवाब देकर पूरा पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं। केवल जवाब से, मंत्री महोदय को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जवाब

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कार्यवाही करनी पडेगी। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, हर व्यक्ति के चिन्ता रहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, उसके बाद में वह दूसरी क्रिया में भाग लेना चाहता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार इस फेल्योर की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल रही है? मंत्री महोदय स्वयं लेते हैं या किसी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं? प्राइवेट के लोग, यह सहयोग करने को तैयार थे, लेकिन सरकार की तरफ से प्राइवेट हास्पिटलों के लिए पहल नहीं की गयी।

इसलिए इस पूरी की पूरी सरकार, जो स्वाइन फ्लू से, महामारी से पूरे प्रदेश की जनता को नहीं निकाल सकी, उसकी हम निन्दा करते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : डा. राजकुमार शर्मा। स्थगन प्रस्ताव पर अनुपस्थित।

(अनुपस्थित)

श्री रमेश चन्द मीणा।

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान स्वाइन फ्लू बीमारी से ग्रसित है और पूरे भारत वर्ष में प्रथम नम्बर पर है। राजस्थान मे आज तक 243 मौतें और 5 हजार से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। जो लोग गांवों में रहते हैं, वे इस बीमारी के बारे में अब जानने लगे हैं। तो ऐसे सैकड़ों लोग गांवों में मर चुके, जो लोग हास्पिटल नहीं पहुंच पाये। उन्हीं का यह आंकड़ा है।

इस मामले में सरकार विफल रही, क्योंकि इनकी प्रारम्भिक व्यवस्था और प्रारम्भ में समय पर यह सिस्टम को कंट्रोल कर लेते, तो उस व्यवस्था में विफल रहे। दूसरा, मंत्रीजी ने मौसम बदलने का इन्तजार किया। तो यदि इस बार इस बीमारी को नहीं रोका गया और आने वाले वर्ष में यह भयंकर वाइरस इन्फ्लूएंजा पूरे प्रदेश में फैल जाएगा तो इस जनता का क्या होगा।

आज पूरे देश में यह बीमारी फैली हुई है, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में, गुजरात में, लेकिन वहां की सरकारों ने समय पर कंट्रोल किया। दिल्ली में आठ घंटे में टैस्ट की रिपोर्ट मिल रही है। यहां पर हमारे माननीय मंत्रीजी ने सर्वे स्क्रीनिंग टैस्ट करवाएं और लाखों की संख्या में टैस्ट का हवाला दिया तो

(श्री रमेश)

मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी हमारे मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, क्या किसी परिवार का इन्होंने टैस्ट करवाया? क्या इनके प्रति सरकार गम्भीर है? हमारे गृह मंत्री कटारियाजी इस बीमारी से ग्रसित हुए, तब सरकार चेती। हमारी जो सीनियर माननीय सदस्या हैं, सूर्यकान्ता व्यासजी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं।

मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि समय रहते हुए इस बीमारी का इलाज करें। आज राजस्थान प्रदेश में सी एच सी पर, पी एच सी पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है; सब-सेंटरों पर ए एन एम जाती नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो प्रदेश की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? स्वाइन फ्लू, डेंगू, अन्य बीमारियों से कैसे बचा जा सकेगा?

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस भयंकर बीमारी के लिए सरकार विफल रही, इसके लिए माफी मांगे और मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्वाइन फ्लू से जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवारों को, आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए देने की सरकार घोषणा करे। यदि इसमें भी सरकार विफल रहती है तो राज्य के हमारे चिकित्सा मंत्री राठौड़ साहब को त्याग-पत्र देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आपने भी यह विषय उठाया था उस समय। आप भी बोलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : पहले कोई एक-दो और बोलना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, चारों ही स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के एक-दो लोग और बोलना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसमें सब आपके ही बोले हैं ना। फिर आप सबकी तरफ से बोल लें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट आप बोल लीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि केवल मात्र डिविजनल हैडक्वार्टर पर, जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, हमारे वहां जोधपुर में जांच रखी गयी। न

(श्री रमेश)

तो जिला हैडक्वार्टर पर है, न तहसील हैडक्वार्टर पर है। तहसील हैडक्वार्टर पर जो सी एच सी है उसमें एक टेमी फ्लू गोली दी जाती है पांच की, किसी को भी खांसी आती है तो तू यह गोली खा ले। बिना जांच किये गोली दी जा रही है। बच्चों को एक सीरप दी जा रही है 40 एम.एल. की। कुल मिलाकर, 2 हजार गोलियां आई हैं एक सी एच सी पर और 40 सीरप की बोतल आई हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि एक चलती-फिरती लैब तहसील हैडक्वार्टर पर, जिला हैडक्वार्टर पर दे दी जाए ताकि जिसके स्वाइन फ्लू की आशंका है या खतरा है, उनकी जांच की जा सके।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलेंगे एक मिनट। हां, बोलिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने जिले में ऐसे-ऐसे अधिकारियों को लगा रखा है जो कि जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, एक दिन वह पेपर में कहते हैं कि मृत्यु स्वाइन फ्लू से हुई है और उसके तीसरे दिन बाद स्टेटमेंट पेपर में देते हैं कि नहीं, नहीं, वह स्वाइन फ्लू से मौत नहीं हुई। जब आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वे इस तरीके से स्टेमेंट देते हैं, तो मैं तो मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे अधिकारियों की जांच कराएं कि आज कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, चार दिन बाद कुछ और देते हैं।

जिले के अन्दर लोगों में इतना भय व्याप्त हो चुका है, जिसको देखो, कोई नाक से रूमाल लगाकर चल रहा है, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के घर जाने के लिए तैयार नहीं होता है और लोगों से इतनी दूरी बना चुके हैं कि कोई किसी के पास ही बैठना पसंद नहीं करते हैं। (व्यवधान)

मंत्री महोदय, मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी ऐसी बदनामी क्यों कराना चाहते हैं? इस मंत्री पद से ऐसा क्या लालच है आपको? आपको इससे त्याग पत्र दे देना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता है, पूरे प्रदेश की नजर आपके ऊपर है कि आपने कोई व्यवस्था नहीं की। प्रदेश के अन्दर, मैं जानता हूं, कम से कम पांच हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। आपके आंकडे हैं, यह तो कोई 100 के, कोई 200 के, कोई 250 के, यह तो मात्र आपके दिखाने के लिए है।

(श्री गिर्राज सिंह)

आज जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आपका खुद का स्टेटमेंट ऐसा आता है...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। बस हो गया अब। (व्यवधान) नो। नो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : आपका खुद का ही स्टेटमेंट ऐसा आता है कि गर्मी पड़ना चालू हो जाए तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी अपने आप ठीक होती है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके बाद दो आदमी और बोलने को दे दिये। यूं नहीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसा मंत्री पद में क्या रखा है? ऐसा आपको क्या लालच है इस पद से? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सदस्य, सफेद असत्य तो मत बोलो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पांच हजार की बात पर रहे हो, कम से कम सफेद असत्य तो मत बोलो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : सफेद असत्य क्या बोल रहे हो, वह तो पूरा प्रदेश जानता है कि कौन असत्य बोल रहा है।

श्री हीरालाल (निवाई) : सफेद असत्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : आपके जिम्मेदार मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं, वे असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आपकी पिछली सरकार में क्या-क्या हुआ, वह तो मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : +++ शब्द असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आपके पास आंकड़े हैं क्या? सफेद असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : आपके मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं। हम असत्य नहीं बोलते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भटक रही है। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने टीके लगा लिये क्या? चैक करा लिया क्या अपने?

श्री अध्यक्ष: अब आप शांत...(व्यवधान) आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, इनका तो ध्यान रखिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपके नेता की बात भी नहीं मान रहे हों। प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं और बोल रहे हों, चिल्ला रहे हों। कमाल हो गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछना चाह रहे हैं। स्वाइन फ्लू का जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर दिन-प्रतिदिन प्रकोप बढ़ रहा है, आपका सरकार की तरफ से जवाब आयेगा। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि किस तरीके से, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर आज की तारीख में आप आंकड़े देखें तो 850 मौतें पूरे हिन्दुस्तान में हुई हैं और 850 मौतों में से यह आन-द-रिकार्ड 250 से ज्यादा मौतें आपके राजस्थान में हो चुकीं। आफ-द-रिकार्ड अपन बात करें, माननीय मंत्री जी, सरकार ने सिर्फ शहरों के अन्दर, चाहे आप जयपुर शहर ले लो और दूसे जिला हैडक्वार्टरों पर भी कोई व्यवस्था नहीं, शहरों के अन्दर जिस तरीके से इन्होंने जांच की व्यवस्था की है लेकिन गांव और ढाणी के अन्दर, एक ठेठ ढाणी के अन्दर बैठा हुआ जो गरीब परिवार, जो खेतिहर मजदूर है, उसको संभालने का सरकार ने कहीं कोई जिम्मा नहीं ले रखा है।

मतलब वहां, गांवों के अन्दर किस कदर जो हालात अभी पैदा हो रहे हैं इस स्वाइन फ्लू की वजह से, अपन गांवों की जो बात कह रहे हैं, वह बेचारा हास्पिटल नहीं पहुंच सकता। मतलब, हजारों मौतें राजस्थान में हो रही हैं लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ काले कांचों के अन्दर बैठ कर और अपने अधिकारियों को निर्देश देने के अलावा कुछ नहीं। उन निर्देशों की कोई पालना नहीं हो रही और सरकार उस पर कोई चेत नहीं रही। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपने, मुख्य मंत्रीजी ने, आपके मंत्रिमण्डल ने बैठकर यह व्यवस्था कर दी कि आप इस स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल करो, जबकि उनके पास में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए टैमीफ्लू जो दवाई आती है, वह दवाई भी आपने दस लाख गोलियों का आर्डर दिया, उन दस लाख गोलियों को आने में इतनी लेट कर दी। तो वह स्वाइन फ्लू इतना फैल गया राजस्थान के अन्दर।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मतलब, आज जांच की व्यवस्था नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे खुद के रिश्तेदार बीकानेर के हास्पिटल में गये, उनको यह शंका हुई कि मेरे को स्वाइन फ्लू हो सकता है क्योंकि उसके सिमटम जो उनमें पाये गये और वह हास्पिटल में जाकर वहां पूछ रहा है कि भई, यह कहां जांच करेंगे? एक डाक्टर बता रहा है कि उस कमरे में जाओ, उतने में दूसरा कर्मचारी ने बताया कि वहां पर्ची बनाओ और फिर जा कर, दो घंटे घूम कर, उसको वापस घर आना पड़ा और प्राइवेट में जाना पड़ा। मतलब, यह व्यवस्था सरकार की है।

उसमें आप क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं। आप जवाब यही दोगे कि हमने यह व्यवस्था कर दी, हमने जयपुर के अन्दर यह व्यवस्था कर दी, जिला अस्पतालों की यह व्यवस्था कर दी, लेकिन आज की तारीख में आपकी तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो अभी पता है कि यह मंत्री महोदय क्या जवाब देंगे। मंत्री महोदय को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए और तुरन्त त्याग पत्र देना चाहिए। यह हमारे विपक्ष की तरफ से मांग है। इसमें आप नहीं देते हों तो मैं समझता हूं कि यह कोई व्यावहारिक चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपका चेहरा तो चमचमा रहा है, अभी जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन जिस आदमी का चेहरा भी चमचमा रहा है। उसके अन्दर स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। इसलिए आप भी चैक करवा लें। क्योंकि चेहरे से यह पता नहीं होता, माननीय अध्यक्ष महादेय। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि वे इस्तीफा नहीं दें तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : इसलिए हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है। आज सदन के अन्दर हम विपक्ष में बैठे हैं लेकिन पूरे सदन की जिम्मेदारी है। हम भी सरकार के साथ हैं, यदि आप इसमें कोई कठोर कदम उठाएं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : जिसका चेहरा चमकता है, उसी में स्वाइन फ्लू होता है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : जो चेहरा चमकता है, उसी में होता है स्वाइन फ्लू?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : हां, हो सकता है। हो सकता है। आपका भी चेहरा चमक रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपका भी चमक रहा है। माननीय नेता महोदय, आपका भी चमक रहा है। इसलिए लगता है कि आपके भी...(व्यवधान) स्वाइन फ्लू है।

श्री अध्यक्ष : यह गम्भीर विषय है। (व्यवधान) इसको हंसी-मजाक में न लें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि सरकार को इस पर पूरा चेतना चाहिए क्योंकि यह सब की पूरी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय ;अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को चेतना चाहिए और इसमें कठोर कदम उठाना चाहिए। आप गर्मी का इन्तजार मत करिये। यह आपके स्टेटमेंट आये थे। माननीय हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, उनको आपने कह दिया दिल्ली से स्वाइन फ्लू लेकर आ गये। यह कोई आपका अच्छा स्टेटमेंट नहीं।

मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब हैं, हम सब की यह जिम्मेदारी है कि राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो, लोगों को यह दिक्कत नहीं आये और समय रहते इसको अपन ने कंट्रोल नहीं किया और इसमें पूरी मजबूती के साथ में कोई काम नहीं किया तो आने वाले समय में राजस्थान में बहुत महामारी फैल सकती है और यह सबके हाथ से बाहर हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यही करना चाह रहा हूं कि इनका जो जवाब आयेगा, वह अभी मेरे का पता है।

श्री अध्यक्ष : विराजो। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। नहीं, अब नहीं। मंत्रीजी को पुकार लिया मैंने। नो, नो, नो। मैंने मंत्रीजी को पुकार लिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। नहीं, यह व्यवस्था के हिसाब से, नो, नो, नो। विराजिये आप। आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्रीजी को पुकार लिया, मंत्रीजी का वक्तव्य होने दीजिए। मंत्रीजी का वक्तव्य होगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : घोड़ा न छींक नहीं आवै, भूल जाओ इस्तीफो। (व्यवधान) भूल जाओ, इस्तीफा कैसा होता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मुआवजा देना चाहिए। (व्यवधान) मारे गये हैं, उनके मुआवजे की घोषणा करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सेचतक) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप बैठिए। हम यहां जो व्यवस्था करते हैं, वह सारी नियमों के अन्तर्गत करते हैं। आपको मैंने पूरा अकोमोडेट किया है। चार आदमियों के बोलने के बाद भी, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि मेरे यहां से दो-तीन आदमी और बोलेंगे। इन्होंने भी इश्यू उठाया था। आप बैठिए। कृपया बैठिए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : ×××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा तो ध्यान रखिए। आप पुराने सदस्य हैं। उसके बाद जब मैंने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें, तो आपको शांति से वक्तव्य सुनना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू जैसे संवेदनशील विषय पर...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, अपने विधायकों को आप कंट्रोल कीजिए। आखिर व्यवस्था हमको चलानी है। आपकी जिम्मेदारी है। आपके निवेदन पर आपने जितना कहा, उतना हीं किया। (व्यवधान) उसके बाद मंत्रीजी का भी वक्तव्य तो सुनना चाहिए ना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : इस्तीफा दिया था क्या आपने? (व्यवधान) 149 मौतें हुई थीं 2010 में। इस्तीफा दिया था? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) विराजिये। इतना गम्भीर विषय है। प्रतिपक्ष जिस तरह से उसको यहां पर हल्केपन से ले रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं...(व्यवधान) जवाब आ रहा है, गृह मंत्री बोल रहे हैं और मछली बाजार बना दिया आप सब लोगों ने यहां।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आपके बार-बार में स्पिंग लग रही है क्या? आप भी बैठिए। (व्यवधान) दोनों मंत्रीजी का जवाब होगा, उसके बाद आगे हाउस चलेगा। बैठिए। आप बैठिए। आप समझाइए, श्रीमान्।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष : इस विषय को बहुत हल्का बना दिया है। मैं बार-बार कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं कि इस प्रतिपक्ष ने इस गम्भीर विषय को बहुत हल्केपन से लिया है। इसकी मैं निन्दा करता हूं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री रमेश (सपोटरा) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री का अंकित करेंगे आप। इधर का नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इसका बीमार रहा हूं। इस कारण से इस गम्भीर विषय को, जिससे सारा राजस्थान चिंतित है, आप चिंतित हैं, हम सब चिंतित हैं, इस विषय को जिस ढंग से रखकर के आप, सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, सुनने का माद्दा भी रखें। उसके बाद कोई कमी रही है तो आप जरूर आइडेंटिफाई करें कि इसमें यह-यह कमी रही। लेकिन बिना सुने, केवल और केवल बोलते रहने से क्या इस समस्या का समाधान होगा? आप समस्या का समाधान चाहते हों या आपना नाम हाइलाइट करना चाहते हों? (व्यवधान) एक सेकण्ड। मेरी प्रार्थना है कि कहां कमी रही, किस कारण से हुई, डैथ कितने दिन हास्पिटल में रहने के बाद हुई, पेशेंट कब और किस स्थिति में आया। प्रारम्भिक स्थिति में जो लोग आये हैं, वे सब क्योरेबल हैं। मैं स्वयं उसमें से एक खड़ा हूं। समस्या ऐसी नहीं है। पेशेंट स्वयं ही इतना लेट आता है कि उसके लंग्स बिलकुल जाम हो जाते हैं और वेंटिलेटर पर जाने के बाद, आप उसको कितना भी कोशिश करें, 100 में से 90 केस बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, चाहे यहां ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ। हमने उदयपुर से कई केस अहमदाबाद में भेजे। 25-25 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी डैथ ही उसका अंतिम परिणाम हुआ।

वास्तव में समस्या गम्भीर है। सारा प्रदेश इससे चिंतित है। आगे भी चिंतित रहेगा। आप कम से कम सरकार का जवाब सुनिए। उसमें कोई कमी-खामी आपको लगती है कि यह कमी-खामी है, उसमें से कुछ सवाल खड़े आप करें तो उसकी पाजिटिव चर्चा होगी। चर्चा केवल हल्ला करने और आवाज करने के लिए है तो राजस्थान की जनता ना आपको माफ करेगी और ना हमको माफ करेगी। कृपा करो, कम से कम विषय को आने दो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। इनका एक शब्द अंकित नहीं हो। ये मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इनका एक शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : यह भी मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आप बैठिए। (व्यवधान) आप अपने सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सकते? (व्यवधान) हम आपको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आदर देते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? (व्यवधान) बहिर्गमन की घोषणा उसने की है, आपने की है क्या? इसलिए अंकित नहीं होगा, इधर से जो बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : वे ले जा रहे हैं ना आपको। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : वे ले जा रहे हैं ना। (व्यवधान) एक शब्द इधर से अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता का भी नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आपको। मैं नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। (व्यवधान) मैं आपको नहीं दे रहा हूं अनुमति। अंकित नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : चिंता तो आपके स्थगन प्रस्ताव से प्रकट हो रही है, लेकिन आप इसको हल्केपन से ले रहे हैं। आप बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको बोलने के लिए कहा है। उनका वक्तव्य आये बिना मैं एक को नहीं सुनूंगा। माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : जब आपको पता है कि क्या वक्तव्य आएगा तो आप आसन से उठे ही क्यों? अगर आपको पहले से ही पता था, अगर आपको पहले ही पता था कि तो आप यहां पधारे ही क्यों? आपको कैसे पता चला कि ये क्या वक्तव्य दे रहे हैं? यह विधान सभा फिर किसलिए है? उनका वक्तव्य यहां सुनना पड़ेगा आपको। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी नेता, प्रतिपक्ष) : आप हमारी सुनना नहीं चाहते तो हम वाकआउट करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अब आप सब शांति रहए। माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य हो रहा है, बहुत गम्भीर विषय है, आप इसको गम्भीरता से लीजिए। प्रतिपक्ष ने जितने हल्केपन से लिया, वह तो गये। इसलिए आप अपना वक्तव्य पूरी तरह दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रतिपक्ष के नेता सहित चार माननीय सदस्यों ने एक अति संवेदनशील विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आरोप-प्रत्यारोप के नहीं होते हैं और निश्चित तौर पर कुछ विषय ऐसे भी होते हैं और कुछ बीमारियां भी ऐसी होती है, जिस प्रकार यह स्वाइन फ्लू, वाइरस से फैलने वाली बीमारी, हवा में वाइरस आज भी हैं और यह मौसम की अनुकूलता के कारण सक्रिय भी हो जाता है। ऐसे विषय पर अगर यह सबसे बड़ा सदन समग्र रूप से चिंता करे, मैं उम्मीद करता था कि इस विषय को प्रारम्भ करने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाले लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य पेशे से चिकित्सक रहे हैं, कुछ अपने अनुभव के आधार पर मेरा मार्ग प्रदर्शित करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बात ज्यादा यह हुई कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर यह परिपाटी रहती, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 के अन्दर जिस समय राजस्थान के अन्दर इस स्वाइन फ्लू से 149 मौतें हुईं, 2010 के अन्दर 147 मौतें हुईं, 2013 के अन्दर 165 मौतें हुई थीं, तो शायद उसी परिपाटी के अनुसार मुझे भी कोई न कोई कदम उठाने के लिए मेरा नेतृत्व निश्चित तौर पर कहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर सारा सदन चिंतित है। आज आपने जिस उदार मन से, पिछले कई वर्षों से इस सदन में आता हूं, नियम 50 के अन्दर हमारे जो आपने स्थगन के प्रस्तव पर विचार व्यक्त करने की अनुमति देने का प्रावधान भी अंकित है, स्थगन के प्रस्ताव पर एक साथ इतने लोग बोलें, विषय की गम्भीरता को लेकर बोलें और आपने उदार मन से इस विषय की गम्भीरता को समझा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, Influenza A (H_1N_1) virus, यह वाइरस संक्रमित रूप से फैलने वाला रोग है और इसको फैलाने वाला जो वाइरस है, वह अति सूक्ष्म है, 130 नैनो मीटर। इसका नाम है Orthomyxo. इसको H_1N_1 इसलिए कहते हैं कि 'एच' का मतलब है haemagglutinin, इसके भी तीन प्रकार हैं, haemagglutinin नम्बर वन, टू, थ्री और 'एन' का मतलब है neuraminidase, इसके भी तीन प्रकार हैं। अध्यक्ष महोदय, 100 वर्ष पहले यह स्वाइन फ्लू फैलना प्रारम्भ हुआ था। अध्ययन यह बताता है कि उस समय 5 करोड़ लोगों की मृत्यु इससे हुई। यह सूअर से फैलने वाला रोग, प्रारम्भिक रूप से छींकने से, खांसने से और जिस वस्तु पर वाइरस है उस वस्तु के सम्पर्क में आने से यह आगे फैलता है।

राजस्थान में पहला स्वाइन फ्लू का रोगी 24 जुलाई, 2009 को पाया गया। 2009 में संसार के कई देश इसकी चपेट में आये। मेक्सिको, जो हमसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अग्रणी देशों में माना जाता है, उसमें इस स्वाइन फ्लू से 4,000 मौतें हुईं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2009 में इसको महामारी का रूप दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस पूरी बीमारी को मैं अलग-अलग कैटेगिरी में बांटूं तो इसकी तीन कैटेगिरी हैं, कैटेगिरी-ए, इसमें मामूली बुखार, खांसी, हल्की गले में खराश, सिर दर्द, उल्टी, और इसमें चिकित्सक परामर्श देते हैं और दवाई देकर घर में आराम करने के लिए रोगी को कहते हैं; कैटेगिरी-बी, इसमें तेज बुखार के साथ खांसी, उल्टी और दस्त, गले में तेज खराश, इस कैटेगिरी के रोगी ज्यों ही सम्पर्क में आते हैं, चिकित्सक परामर्श देते हैं टेमी फ्लू गोली देने के लिए; और इसके बाद कैटेगिरी-सी है, इसके अन्दर रक्त चाप कम होने लग जाता है, सीने में दर्द हो जाता है, थूक में खून आने लग जाता है, ऐसे मरीजों को चिकित्सालय में भर्ती करने की अनिवार्यता एक तरह से होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू को लेकर डब्ल्यू एच ओ ने एक प्रोटोकाल जारी किया है। उस प्रोटोकाल में सबसे महत्वपूर्ण कोई बात उन्होंने कही तो यह कही कि सबसे पहले इस रोग की मानिटरिंग होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस रोग को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर हमने आइसोलेशन वार्ड और आई सी यू वार्ड डेडिकेट किये कि इस प्रकार के रोगी, क्योंकि कैटेगिरी-सी के अन्दर जो रोगी आ जायेगा, उसका रोग बढ़ जायेगा। अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने सही कहा, मैं आगे बताऊंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने रोगी राजस्थान में आये हैं, स्क्रीनिंग के पश्चात जो रोगी 48 घण्टे बाद आये, टोटल 234 मौतें जो हुई हैं, उनमें 70 फीसदी से ज्यादा मौतें वे हैं जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घण्टों के अन्दर इसलिए हो गईं कि रोगी जब अस्पताल में पहुंचा, उससे पहले संक्रमण ने उसको पूरा अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके लंग्स से लेकर उसके अन्य अवयव उसकी चपेट में आ गये और वेंटिलेटर पर ले जाने के पश्चात भी उसको हम बचा नहीं पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चिकित्सा की व्यवस्था के लिए हमने कुल मिलाकर मेडिकल कालेज सहित 898 बेड आइसोलेशन के लिए सारे जिला चिकित्सालयों में, सी एच सी में व्यवस्था कर रखी है। 209 वेंटिलेटर आज राजस्थान में अलग-अलग मेडिकल कालेज और सब जगह व्यवस्थित हैं। इस रोग के लिए पी एच सी से लेकर सी एच सी, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, मेडिकल काजेज में अलग से आउटडोर, प्रारम्भिक लक्षण अगर किसी में पाए जाएं तो तुरन्त आ जायें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी पहले कहा गया कि हमने कोई चिंता नहीं की इसके लिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर को ही हमने 4 लाख टैमी फ्लू गोयिलां खरीद ली थीं; 17 दिसम्बर को फिर हमने 2 लाख 60 हजार गोलियां खरीद कर बंटवाई। यह नहीं कि हम इन्तजार कर रहे थे कि रोग फैले और उसके बाद व्यवस्था करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हाउस-टू-हाउस सर्वे जो 1 जनवरी से हमने प्रारम्भ किया, उस सर्वे में 31,77,279, पूरे राजस्थान में इस सर्वे के माध्यम से इन लोगों का सर्वे हमने किया और इसमें आई.एल.आई., इन्फ्लूजा-लाइक-इलनेस स्वाइन फ्लू में होती है, उन रोगियों को चिह्नित किया। उनकी संख्या थी 3,88,401 । उन्हें हाथोंहाथ जो टैमीफ्लू दी गई, उसकी संख्या थी 1,04,873 ।

इसके अलावा, राजस्थान के अन्दर, इन्होंने कहा, सरकारी चिकित्सालय में आये नहीं, 10 हजार से ज्यादा मौतें हो गईं। मैं समझता हूं कि सनसनी फैलाने के लिए इस सदन के अन्दर कोई बात कह जाएं और सदन में कही गई बात जब अखबारों के माध्यम से जनता के बीच में जाय, हमारा कर्त्तव्य तो यह होना चाहिए कि हम जनता को सजग करें, हम इस तरह की सनसनी फैलाकर जनता में और भय पैदा कर दें, मैं प्रतिपक्ष की इस हरकत को बचकाना कहता हूं।

राजस्थान के जितने चिकित्सालय हैं, सरकारी चिकित्सालय हैं, उनमें ओ पी डी में 6,90,157 लोग आयें, उसमें से 1,59,776 लोगों को हमने टैमीफ्लू दी। यानी, आई.एल.आई. लाइक जो पेशेंट थे, उन 2,64,649 लोगों को हमने स्क्रीनिंग के माध्यम से या आउटडोर के माध्यम से दवाई देने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, अब तक 4,884 लोग जिनके टैस्ट किये गये, वे पोजिटिव पाये गये। उसमें डेथ निश्चित तौर पर 234 है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और स्वीकार करते हुए मैं कोई गौरवान्वित नहीं हूं। मुझे अफसोस है कि मैं इस राज्य का चिकित्सा मंत्री हूं और इस राज्य के अन्दर इतनी मौतें हुईं।

अध्यक्ष महोदय, हमने इस पूरी चिकित्सा व्यवस्था के लिए मेडिक्ल कालेज में स्वाइन फ्लू की एक डेडिकेटेड अलग से यूनिट बना दी, जिसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर प्रोफेसर स्तर का अधिकारी मेडिसिन का, एक एनेस्थेसिया का, एक चेस्ट एण्ड टी बी का किया।

अगर मैं सारी कैटेगरी को निवेदन करूंगा ताकि कुछ बात स्पष्ट हो जाय, तो जो आई.एल.आई. लाइक पेशेंट थे, जिनकी सक्रीनिंग हमने की, वे थे 7,29,720 । ये तो ए-कैटेगरी के आये, जिनको हमने दवाई दे दी। बी-कैटेगरी के थे 20 हजार और सी-कैटेगरी के 880 थे। टोटल राजस्थान के मेडिकल कालेज और अन्य चिकित्सालयों में 1,356 पेशेंट भर्ती हुए और इनमें से 234 की मौते हुईं, जिनमें से 34 लोगों की मौत निजी चिकित्सालयों में हुई। यानी, जितने रोगी आये और जिनका हमने टैस्ट किया, उनमें 40 परसेंट रोगी स्वाइन फ्लू के टैस्ट में पोजिटिव पाये गये, लेकिन जिनका हमने टैस्ट किया उनमें से मौत हुई है, 4.7 फीसदी की।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि ये मौतें ठीक हुईं, पर मैं अन्य राज्यों से तुला करूं कि स्वाइन फ्लू की गिरफ्त में आज 21 से ज्यादा राज्य हैं, चण्डीगढ़ के अन्दर जितने स्वाइन फ्लू के पोजिटिव केस आयें, उनमें मौतें हुईं 23 प्रतिशत, पंजाब में 23.3 प्रतिशत, हरियाणा में 14.5 प्रतिशत, हिमाचल में 19 प्रतिशत, जम्मू व कश्मीर में 16 प्रतिशत मौंतें हुईं। मैं इन आंकड़ों से यह सिद्ध नहीं करना चाहता कि राजस्थान में 4.7 फीसदी पोजिटिव केसेज की मौतें हुई हैं, एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है, पर यह जरूर कहूंगा, यह बात मैं ही नहीं कह रहा, यहां बात चली, अगर मैं आंकड़ें लेकर बताऊं, 2009 के अन्दर 149 मौतें हुईं, डैथ रेट था 4.9 फीसदी, 2010 में हुईं 147, डैथ रेट था 8.6 फीसदी, 2011 के अन्दर डैथ रेट था 46.15 ।

अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी जब फैली तो हमें भी चिंता हुई। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इसके नियंत्रण के लिए या हमें कोई इस प्रकार का, जिस प्रकार इस पूरे प्रोग्राम को चला रहे हैं उसमें कोई तब्दील की, तरमीम की आवश्यकता हो तो हमें बताओ। अध्यक्ष महोदय, हमने 8 फरवरी को एन सी डी सी, नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल, यह भारत सरकार की बड़ी संस्था है, इसके विशेषज्ञों को बुलाया। डा. भट्टाचार्य, डा. चक्रवर्ती, ये लोग आयें। इन्होंने एस एम एस के अन्दर और सारे चिकित्सालयों में देखकर, हम लोगों से विचार-विमर्श करके कहा कि आज जो इलाज कर रहे हो उसी पद्धति से इस रोग का इलाज है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फिर, अध्यक्ष महोदय, यह बात चली कि यह जो वायरस है यह म्यूटेट तो नहीं हो गया है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं आ गया, टैमीफ्लू के प्रति रेजिस्टेंस तो पैदा नही हो गया। इसकी चिन्ता करते हुए हमने 12 फरवरी को एन आई वी, पुणे, नेशनल, इंस्टीट्यूट आफ विरोलोजी, जो यह तय करती है, वायरस के अन्दर अलग-अलग समय में बदलाव आ जाए तो उसके इलाज की पद्धति को भी बदलना पड़ता है; वहां हमने 26 मरीजों के सैम्पल भेजे। उनका रिजल्ट हमारे पास आया कि टैमीफ्लू के प्रति सेंसिटिव है, काम में आ रही है और म्यूटेशन कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, फिर दुबारा जब यह बात चली तो 15 फरवरी को हमने सफदरजंग चिकित्सालय, दिल्ली की एक टीम को बुलाया, जिसमें डा. साकेत शर्मा, डा. रामनिवास थे। वह टीम 5 दिन यहां रही ओर उस टीम ने भी इस सारी चीज का अध्ययन किया। हमने उनसे भी पूछा कि हमारे इलाज, पद्धति में कोई कमी-बेशी हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपके पूरे प्रदेश में जो उपचार व्यवस्था है, वह ठीक चल रही है।

उसके बाद पुन: हमने नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल को 20 तारीख को फिर सैम्पल भेजे कि कहीं इस वायरस के अन्दर कोई बदलाव तो नहीं आ गया।

अध्यक्ष महोदय, अब कई तरह की बातें चलती हैं। इसी 22 फरवरी को नेशनल सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल, यह भारत सरकार की एक संस्था है, डा. हिमांशु चौहान, डा. राजेश यादव, डा. हरिओम, डा. लोढ़ा, डा. नीरज सिंह, इन सबके नेतृत्व में एक दल आया। वह जहां ज्यादा स्वाइन फ्लू के रोगी थे, वह दल अजमेर भी गया, वह दल जयपुर भी गया, जोधपुर भी गया और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने रिपोर्ट लिखकर दी, राजस्थान के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, जिसमें स्पष्ट था, ''राजस्थान में मृत्यु दर 2015 की पूर्व के वर्षों की तुलना में सबसे कम है जिसका कारण अच्छी स्क्रीनिंग, टैस्टिंग बचाव के लिए किये गये उपाय, क्रिटिकल केयर की उपलब्धता, आमजन की जागरूकता, अच्छी तैयारी, अस्पताल में उपलब्ध संसाधन, टोल फ्री लाइन, नि:शुल्क जांच और यह सारी व्यवस्था है।'' उन्होंने इस बात को कहा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसके अलावा पहली बार एक टेक्नोक्रेट पदमश्री अशोक पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनायी। प्रतिदिन, 4 फरवरी से कोई दिन ऐसा नहीं गया, यह टास्क फोर्स अपनी 4 बजे मीटिंग करता है, पूरे राजस्थान में स्वाइन फ्लू कहां कैसा है, इसमें और क्या कमीबेशी है, इसकी रोकथाम व इसकी दवाइयों की कमी तो नहीं है, इसकी पूरी समीक्षा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 9 जगह पर 6 मेडिकल कालेज, एक डेजर्ट रिसर्च सेंटर, जोधपुर और तीन नेशनल लैब हैं, एस आर एल, बी. लाल और लाल पैथ, इनके अन्दर हमने नि:शुल्क; पहले था कि हाई रिस्क में जो रोगी थे उनके लिए नि:शुल्क व्यवस्था थी, शेष जिसको भी कराना होता था उसको 1,500 रुपये देकर टैस्ट कराना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये, सरकार ने अब तक 4 करोड़ से ज्यादा राशि सिर्फ जांच करने वाली निजी लैबों को दे दी। डाक्टर अगर किसी को प्रेस्क्राइब करे, इसका टैस्ट होना है, तो इसकी नि:शुल्क व्यवस्था की गयी है।

अभी बात चली कि इलाज करने वाले एक चिकित्सक के भी स्वाइन फ्लू हो गया। निश्चित तौर पर, जब हवा के अन्दर वायरस हैं और वायरस में किसी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाय, कब उसको गिरफ्त में ले ले, इसलिए हमने इलाज के लिए जो लोग काम में लगे हुए हैं उनके लिए वैक्सिन की व्यवस्था कर दी। आज भी 2,490 वैक्सिन हैं और कुल मिलाकर 55,192 वैक्सिन हमाने बाजार में भी उपलब्ध कराये हैं जिससे अगर कोई आदमी जिसके परिवार में रोगी है, कोई वैक्सिनेट होना चाहता है तो वैक्सिनेट हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, चूंकि इसकी जांच की व्यवस्था, क्योंकि यह सेंसिटिव टैस्ट है, मध्य प्रदेश और दूसरी जगह पर तो सिर्फ एक-एक जगह ही लैब है, हमारे यहां तो हमने 9 जगह कर रखी हैं। इसमें वी टी एम, वायरल टैस्ट यूनिट है, वी टी एम के माध्यम से हमें जिलों से भी ये टैस्ट मिल रहे हैं, स्पेशल मेसेंजर लेकर आयें। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में, किसी सी एच सी में किसी रोगी के प्रारम्भिक लक्षण आते हैं तो उसका टैस्ट लेकर मेडिकल कालेज में आये। आनलाइन टेस्टिंग है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि 24 घंटे के अन्दर हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसकी रिपोर्ट दे पा रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि इन आवर्स को हम कम कर पायें, पर इन आवर्स को हम कम नहीं कर पाये।

प्रदेश में अब तक 32 लाख टैमीफ्लू कैप्सूल और 65 हजार सीरप का वितरण कर दिया। अभी केरल राज्य से हमारे रिक्वेस्ट आयी कि हमारे पास टैमीफ्लू नहीं है, हमने उनको दी, हमने उत्तर प्रदेश को दी, मध्य प्रदेश को दी।

24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम है, उसका नम्बर 2225624 । उस कंट्रोल रूम में कोई इत्तला आती है तो जहां एक रोगी पाया जाता है तो उसके आसपास के 50 घरों की स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है।

(13.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, अब तक 12,031 सैम्पल लिये गये हैं, जिनमें 4,884 पोजिटिव पाये गये हैं, जिनमें 234 मौतें हुई हैं, जिनका जिक्र मैंने कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, यह ऐसा है, इसमें प्रारम्भिक लक्षण प्राप्त होते ही अगर रोगी चिकित्सालय में चला जाए तो इसका इलाज सम्भव है। उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह जो पूरा आंकड़ा मैं जब देखता हूं तो इस राजस्थान में 42 लोग ऐसे हैं जो हास्पिटल में आयें और हास्पिटल में आने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई; क्योंकि वे ऐसी बिगड़ी हालात में आयें कि हास्पिटल में पहुंचते-पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। 45 लोग ऐसे हैं जिनकी 24 घंटे में मृत्यु हो गईं, 41 लोग ऐसे हैं जिनकी दो दिन में मृत्यु हो गई; और 36 लोग ऐसे हैं जिनकी 72 घंटों में मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, इन सब का जब मैं आंकड़ा जोड़ता हूं तो 76-77 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी 72 घंटें में मृत्यु हो गई।

मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह लाइलाज रोग नहीं है पर आप सब लोग भी अगर इसमें सकार का मार्ग प्रशस्त करें और प्रारम्भिक लक्षण में रोगी आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका इलाज होगा। हमने टी.वी. चैनल के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से कोशिश की है कि इस प्रकार की बात हो।

अध्यक्ष महोदय, निजी चिकित्सालयों के साथ मैं खुद बैठा और हमने उनको भी कहा कि आपको टैमीफ्लू की गोली चाहिए, और चीज चाहिए, तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार देगी और उनको निर्देश भी दिये हैं कि जो 100 बेडेड हास्पिटल हैं उनके अन्दर 10 बेड आइसोलेशन के अलग रखें, 5 वेंटिलेटर डेडिकेट करें। मुझे खुशी भी है कि उन लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज भी 200 मेडिकल स्टोर पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो आयुर्वेद है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गोजिहवादि एक काढ़ा है और इस काढ़े को 15 लाख 60 हजार लोगों को मुफ्त में पिलाया गया। यूनानी में जोशांदा काढ़ा है जिसको भी 6 लाख 33 हजार बच्चों को पिलाया गया। इसके अलावा, होम्योपैथी में आर्सेनिक-30 दवाई आती है जो 6,450 लोगों को पिलाई गई।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात जापनी मशीन के बारे में लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, तो हमने इसका सैंसिटिविटी टैस्ट कराया था। इसको डब्ल्यू.एच.ओ. ने ठीक नहीं माना क्योंकि इसके रिजल्ट पूरे ठीक नहीं आते। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में भी इसका प्रयोग नहीं हो रहा।

जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने पहले से क्रैश प्रोग्राम इसका बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, सैम्पल जिसका भी लेते हैं उसको हाथों हाथ टैमीफ्लू देते हैं।

इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विषय पर इतनी लापरवाही से बात करना और, अध्यक्ष महोदय, लापरवाही इतनी कि आपने कल देखा होगा कि सिर्फ अखबार में फोटो आ जाए, इसलिए मास्क बांधकर आयें। मास्क का भी है कि नाक और मुंह, दोनों को बांधकर आना चाहिए, परन्तु आपने देखा होगा कि सभी नीचे से बांध कर आये थे। तो जितना लापरवाह प्रतिपक्ष मास्क बांधने में है, उतना ही लापरवाह प्रतिपक्ष इस स्वाइन फ्लू के प्रति है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही हो, और मैं सदन को भी कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विषय हैं जो किसी के हाथ की बात नहीं है। जो हवा में वायरस है, वह किसी के वश की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि पिछली बार जब गर्मी बढ़ने लगी तो वायरस मरने लगा और उसका प्रकोप कम हुआ। उसी आधार पर मैंने कहा कि इस बार भी सम्भव है, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस मौसम का पता नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, जब मैं 2009 से बात करता हूं तो 2009 में इसको डब्ल्यू.एच.ओ. ने महामारी घोषित किया है। इससे आज 21 सूबे ग्रस्त हैं। हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी चिंता हो रही है और ऐसे विषय पर अगर हमारा मार्ग प्रदर्शित कर दें तो ठीक है। 2009 से लेकर अब तक जब-जब भी कोई चिकित्सा मंत्री रहे हैं, अगर तीन-चार बार उनका इस्तीफा हुआ होता, और फिर भी, अध्यक्ष महोदय, आप उदारमना हों और मैं आज्ञाकारी हूं, आप आसन से हुक्म कर दें, तो मैं तो इस्तीफा अब दे दूं। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि आप न्यायप्रिय हों और आप न्याय करोगे और उनको सीख दोगे कि इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर इस प्रकार की बात नहीं कहें।

सरकार सजग है, सरकार चिंतित है, सरकार ने इंतजाम कर रखे हैं। अलग-अलग टीम ने, जो भारत सरकार ने भेजी, एन सी डी सी ने भेजी, वैरोलोजी डिपार्टमेंट ने भेजी, इन सब टीम ने हमारे इलाज की पद्धति को ठीक पाया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे चिकित्सक इसके लिए पूरे प्रत्यनशील हैं और मैं बधाई देना चाहूंगा चिकित्सकों को और निवेदन करना चाहूंगा कि और सजगता से काम करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाह रहा था कि राजस्थान में कई निजी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जिन्होंने स्वाइन फ्लू के मामले में काढ़ा पिलाना या और कई काम किये हैं। तो उनको भी आप धन्यवाद दे दें तो ठीक रहेगा। काफी अच्छा काम किया है पूरे राजस्थान में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जिन भी संस्थाओं ने काम किया, कई लोगों ने चौराहों पर खड़े होकर काढ़ा पिलाने का काम किया, कई लोगों ने पर्चे और पैम्फलेट बांटकर जागरूकता का काम किया, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान बेनीवाल। समय का ध्यान रखिये, तीन मिनट हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मैं यहां बैठा रहा हूं, साहब, इतनी देर से चुपचाप।

श्री अध्यक्ष : उसकी एक व्यवस्था है। इनका स्थगन प्रस्ताव है और तीन मिनट का समय दिया है।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि करने का जो जन विरोधी फैसला पिछले सप्ताह किया था, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार जब चुनाव के दौरान जनता के बीच गई थी, तब भी प्रदेश में सस्ती बिजली देने की बात कही थी। आज भी हर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, बजट में एक ही बात सरकारें करती हैं कि बिजली के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा।

अध्यक्ष महोदय, 2000 में जब बिजली बोर्ड को तोड़कर कम्पनियां बनाई गई, तब पूरे राजस्थान के अन्दर बिजली का घाटा 1,700 करोड़ का था और 15 साल के अन्दर बिजली का घाटा बढ़कर 75,000 करोड़ रुपये हो गया। ऐसी जानकारी मिली है कि इस वितीय वर्ष में यह घाटा बढ़कर 90 हजार करोड़ हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल के अन्दर, 2000 से पहले हम देखते थे कि सरकार 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे किसानों को बिजली देती थी और सिंगल फेज बिजली की भी 20 घंटे, 24 घंटे की व्यवस्था होती थी, लेकिन सन् 2000 के बाद किसानों को दी जाने वाली बिजली भी प्रतिवर्ष कम कर दी गई। 2000 से लेकर अब तक जो पूर्ववर्ती दोनों सरकारें रहीं, जिसमें दो बार कांग्रेस की सरकार रही और दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, घोषणा पत्र में सब 8 घंटे किसानों को और 24 घंटे सिंगल फेज बिजली की बात करते हैं लेकिन किसान को 6 घंटे से ज्यादा बिजली राजस्थान में नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में जो स्थिति है वह बहुत भयानक स्थापित राजस्थान में है। लगभग एक रुपया प्रति यूनिट की दर में वृद्धि का सरकार ने फैसला कर लिया कि एक रुपया प्रति यूनिट की दर से बिजली की दरें बढ़ा देंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में उनका खुद का उत्पादन का साधन नहीं है लेकिन फिर भी 50 प्रतिशत बिजली सस्ती की। हमारे यहां पर भी जो वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग हैं, पिछली बार गलती

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से मैं भी इनके साथ चुनकर आ गया था, तब हमेशा एक ही बात यहां कहते थे, यहां वेल के अन्दर आ जाते थे और कहते थे कि किसानों को सरकार बिजली माफ करे ओर यदि हम सत्ता में आये तो बिजली की दर आधी कर देंगे, 75 प्रतिशत माफ कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार से एक ही मांग करना चाहूंगा कि बिजली कम्पनियां 2000 में आईं, फीडर सुधार कार्यक्रम भी चला, 10 हजार करोड़ रुपये का कार्यक्रम चला और उस फीडर सुधार कार्यक्रम के बाद भी आज राजस्थान में छीजत बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई। 10 प्रतिशत तो छीजत मानी जा सकती है लेकिन 16 प्रतिशत जो छीजत हुई है, इस छीजत से साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान इस राजस्थान की सरकार को हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। चार मिनट हो गये हैं, एक मिनट और है आपके लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, यह बिजली का मामला है, साहब।

श्री अध्यक्ष : वह सब है, आप अन्य प्रक्रिया से इसको उठा लीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मैं मांग करना चाहूंगा कि यह घाटा जो 1,700 करोड़ से 90 हजार करोड़ तक का हुआ है, यह घाटा क्यों बढ़ा? आपने तो किसानों को बिजली कम दी, 18 घंटे बिजली देते थे जिसको अब 8 घंटे और 6 घंटे पर आ गये। सिंगल फेज बिजली भी पूरी नहीं मिल रही। अध्यक्ष महोदय, इस घाटे में जो भी इन्वाल्व थे, चाहे वे अधिकारी हों, ठेकेदार हों या सरकार के अन्दर बैठे मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी जांच करके बिजली कम्पनियों का जो घाटा है, वह उन अधिकारियों से या ठेकेदारों से सरकार वसूल करे और प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप रेस्पोंड करेंगे? मंत्री महोदय। आप विराजें। आप विराजो एक मिनट। मंत्री महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मैं राजस्थान की संवेदनशील सरकार से, जो अपने आपको किसानों की हितैषी मानती है...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब नहीं। बिलकुल नहीं। इनका स्थगन प्रस्ताव है। नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। नो, नो, नो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : ...इनसे एक ही मांग करना चाहूंगा कि एक रुपये जो बिजली की दरें बढ़ाई हैं, इन बढ़ी हुई दरों को सरकार वापस ले और सरकार अगर सही ढंग से चले और सरकार...

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : अध्यक्ष महोदय, एक रुपया बिजली की दर बढ़ाई गई है, मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि राजस्थान की सरकार किसानों की बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस ले और एक रुपया और बिजली सस्ती करे राजस्थान की सरकार। तब जाकर जनता में मेसेज जायेगा कि सरकार किसान के बारे में सोच रही है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये। अब आप बैठिये। अब आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : अभी हमारे इलाके के अन्दर आप जाकर देखो, टार्गेट करके जबरदस्ती ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लें।

श्री अध्यक्ष : आपका छठा मिनट चल रहा है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। यह प्रक्रिया नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : यह जो मुद्दा है, यह स्वाइन फ्लू से बडा मुद्दा है। पूरे प्रदेश के किसानों का मुद्दा है यह। 12 लाख किसान... (व्यवधान) एक मिनट का समय चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने इतना समय दिया, एक मिनट का समय चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसको अलग से प्रक्रिया में आप लाइये, मैं इजाजत दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) ऐसे मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं दूंगा। यह प्रथा नहीं बनने दूंगा। यह प्रथा नहीं डालूंगा कि स्थगन प्रस्ताव के समय पूरे माननीय सदस्य बोलें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : यह अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है। मैं एक मिनट का समय किसान के लिए चाहता हूं। आपने इतना समय स्वाइन फ्लू के लिए दिया है और उसके अन्दर इतनी अव्यवस्था हुई है, तो किसान के लिए एक मिनट का समय क्यों नहीं दिया जा सकता है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : ये माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थगन प्रस्ताव लाइये। जितनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप अपना प्रस्ताव लाइये। ऐसे मैं आफ-हैण्ड नहीं दूंगा। मैं आफ-हैण्ड नहीं दूंगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इतनी दरियादिली दिखाई है, आपने बाकी लोगों को समय दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं नियमों और प्रक्रियाओं के अन्दर आने वाले माननीय सदस्यों को ही बोलने दूंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी यह व्यवस्था बनी हुई है। आप विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हों। इनको बोल लेने दो।

श्री अध्यक्ष : आप उनको समझाइये कि किसी भी प्रक्रिया में ले आयें। यह नहीं होगा। किसी भी प्रक्रिया में ये ले आयें। यह नियम बना हुआ है। आपका ही नियम है। बैठिये। आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। फिर क्या बात है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : एक प्रक्रिया होती है धूतकबाजी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, धूतकबाजी नहीं। मैं धूतकबाजी में अलाउ नहीं करूंगा। इस विधान सभा में धूतकबाजी नहीं चल सकती। आप माननीय मंत्री महोदय, बोलिये। बैठिये। हो गया, आपने पूरा बोल लिया। बैठिये, बैठिये, बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे हाउस को बताना चाहूंगा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भी स्थगन प्रस्ताव लगाया हुआ है। इनको एक साथ सबको सुनकर, मंत्रीजी का जवाब आ जाता तो और भी बढ़िया होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी प्रस्ताव था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय चाहूंगा, आपकी आज्ञा हो तो। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट चाहूंगा। मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : ...विद्युत दरों में जो वृद्धि हुई है, पक्ष और विपक्ष को मैं इस हाउस के माध्यम से बताना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब आ रहा है। फिर सुन लूंगा। नहीं, नहीं, फिर सुन लूंगा। जवाब के बाद सुन लूंगा आपको। अभी नहीं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : ...पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि राजस्थान में आज भी हमने जो विद्युत दरें बढ़ाई हैं, हमने आज दिन तक जो दरें बढ़ाई हैं, मात्र 53 प्रतिशत विद्युत दरें बढ़ाई हैं और नियामक आयोग ने अभी जो विद्युत दरें बढ़ाई हैं, वह लगभग 16.80 प्रतिशत है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो उसका एवरेज लगभग 75 प्रतिशत बनता है। प्रत्येक प्रदेश ने अपनी दरें बढ़ाई हैं और उसके औसत में हम मात्र 70 प्रतिशत पर खड़े हैं। ये दरें हमको इसलिए बढ़ानी पड़ीं कि 2011 में जब राजस्थान विद्युत वितरण कम्पनी को बैंकों ने और विभिन्न वितीय संस्थानों ने ऋण लेना बंद कर दिया, जब डिस्काम्स की स्थिति काफी कमजोर थी, उस स्थिति को, वितीय संकट को टालने के लिए और बैंकों से वापस ऋण लेने के लिए राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक हुई। मंत्रिमण्डल की बैठक 19 अक्टूबर, 2011 में आयोजित की गई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : कौन था उस समय? सरकार किसकी थी?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 19 अक्टूबर, 2011 को मंत्रिमण्डल का फैसला हुआ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हमारा हुआ था ना, उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। राजी-राजी हो लो दो-तीन साल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यील्ड कर रहे हैं क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, राजेन्द्र जी कुछ कह रहे हैं। यह तो गलत बात है ना।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : ...और हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी, एस. अहमद के द्वारा, उन्होंने यह कागज साइन करके हमको दिया है। वह कागज हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हों। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। वे यील्ड कर रहे हैं तो हमें एतराज नहीं है। वे यील्ड कर रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह कागज आपके पास है। आप टेबल कर सकते हो?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : ...और उसमें यह 14 बिन्दु दिये हुए हैं जो विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करने हेतु हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप इसको टेबल करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें सबसे पहला बिन्दु उन्होंने यह रखा है कि विद्युत दरों में संशोधन हेतु प्रति वर्ष विद्युत नियामक में आपको याचिका दर्ज करनी होगी। (व्यवधान) विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अर्द्धवार्षिक में ईंधन मूल्य वृद्धि को विद्युत दरों में...

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्षजी, किसान के लिए एक लाख करोड़ रुपये नहीं लेना पड़ेगा, तो लेगा कौन यह?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : ...और आपने यह भी कहा था कि आपके अभी जो लोसेज 28 प्रतिशत हैं, हम उसको आने वाले तीन सालों में 15 प्रतिशत घटा कम कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं ये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह चाहूंगा कि उस समय मंत्रिमण्डल ने जो फैसला लिया है, वह मैं सदन में टेबल करना चाहूंगा ताकि पूरे हाउस को भी मालूम चले किस कि कारण हमने बिजली के भाव बढ़ाये हैं। (व्यवधान)

मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उस समय उन्होंने इस रेवेन्यू गैप को कम करने के लिए और वापस बैंकों से हम किस तरह से ऋण ले सकें, इस रेवेन्यू गैप को कम करना और ऋण लेना, और बैंक ने उस पूर्ववर्ती सरकार को एम ओ यू साइन करके प्रतिबन्धित दिया कि आपको अगर ऋण लेना है तो आपको हमारी शर्तें माननी हैं और ये शर्तें उन्होंने मानीं कि हम हर साल नियामक आयोग में जाकर हमारी रिविजन पीटिशन फाइल करेंगे और प्रत्येक साल आपकी विद्युत दर बढ़ायेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पहले साल ही 2011-12 में लगभग 20 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ाई है। 20 प्रतिशत दर बढ़ाई थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : उस समय मंत्रिमण्डल में निर्णय लिया था, किन्तु किसान के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। आप उन शर्तों में आ गये। किसान के साथ अन्याय कर रहे हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : मैं आपे कहना चाहूंगा, पहले मेरी बात सुन लें, फिर आप अपनी बात कहें।

उस मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद जब बैंक के साथ में आपने समझौता किया, 2011-12 में 20 प्रतिशत वृद्धि आप लाये। उसके बाद 2012-13 में आपने 18.58 प्रतिशत वृद्धि की और 2013-14 में 13.60 प्रतिशत बिजली की दरों में वृद्धि की। उसके बाद में केन्द्र सरकार ने जितने भी डिस्काम, राजस्थान के जितने भी डिस्काम थे, या विभिन्न प्रदेशों की जो-जो डिस्काम थीं, उनकी वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) अधिसूचित की। इस योजना में उन्होंने यह कहा कि अगर आप टैरिफ बढ़ाओगे तो ही हम आपको एफ आर पी के तहत लोन देंगे। 2012 में केन्द्र सरकार ने राजस्थान के जितने भी डिस्काम थे, पूरे प्रदेश के जितने भी डिस्काम थे, पूरे हिन्दुस्तान में विभिन्न प्रदेशों के जितने भी डिस्काम थे, उनको यह लैटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप जब तक टैरिफ नहीं बढ़ाओगे, तब तक हम आपको एफ आर पी के तहत नहीं जोड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह एफ आर पी है। इसमें दस्तखत किये हैं उन्होंने।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : यह 2012 में एफ आर पी आई और उसमें उनके मंत्रिमण्डल ने दस्तखत किये।

श्री अध्यक्ष: आप हस्तक्षेप मत कीजिये। आप दखल मत दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये पालिर्यामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब बीच-बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। अगर हम करते हैं तो आप कहते हैं कि अंकित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने डांट दिया है उनको। मैंने उनको भी डांट दिया है। उनको भी डांट दिया है मैंने। आपके सामने डांटा है। विराजिये। मैंने उनको भी मना कर दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप बोल ही नहीं सकते हैं। यह तो बड़ी अनुचित बात है। अध्यक्ष महोदय, वे मानते हैं, वे सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं। यह तो गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, इनके जिम्मे सदन का डिसिप्लिन मेंटेन करने का दायित्व है। वे स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हैं यहां बैठकर और फिर कान पकड़कर... फिर मतलब क्या है कान पकड़ने से?

श्री अध्यक्ष : वे आपसे माफी मांग रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : राजस्थान डिस्काम...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। नहीं, वे यील्ड करें तो। देखिये, एक तरीका होता है। जब मंत्री महोदय जवाब देते हैं, वे यील्ड करेंगे तो मुझे एतराज नहीं है। अगर यील्ड नहीं करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह पार्लियामेंट में भी है और यहां भी है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : राजस्थान डिस्काम के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक यूनिट औसत क्रय लागत 8.87 रुपये आ रही है, जबकि औसत विक्रय प्रति यूनिट मात्र 5 रुपये 22 पैसे आ रही है और इस पर प्रति यूनिट जो हमारा घाटा है वह 3 रुपये 65 पैसे है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी कीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : राजस्थान में बिजली की प्रति यूनिट लागत जो वसूली है, वह मात्र 60 परसेंट है, जबकि दूसरे राज्य में अगर आप देखें तो गुजरात में 100 परसेंट है, मध्य प्रदेश में 99 परसेंट है और पंजाब में 96 परसेंट है। पिछले दस वर्षों में, आप देखिए, राजस्थान में डी.ए. 250 परसेंट बढ़े हैं, हिडन चार्जेज 190 प्रतिशत बढ़े हैं, सी पी आई 120 परसेंट, डब्ल्यू पी आई 80 परसेंट और विद्युत दरों में वृद्धि, मतलब, राष्ट्रीय औसत में 75 परसेंट लगभग सभी प्रदेशों में बढ़ी है लेकिन राजस्थान में तो, मतलब, मात्र 53 परसेंट ही बिजली की दरें बढ़ाई हैं।

इसी प्रकार, जो राज्य वित्तीय संचित जो घाटा है, 2004 से लेकर 2008-09 तक वह 15 हजार 643 करोड़ था। उसको बढ़ते हुए, मतलब, 2009 से लेकर 2014 तक यह घाटा 400 प्रतिशत बढ़कर 77 हजार 453 करोड़ हो गया। मतलब, मात्र पांच साल में, जब 2008 में हमारी सरकार छोड़कर गई थी उस समय पूरे डिस्काम पर 15 हजार 643 करोड़ का घाटा था और वह बढते हुए, इनके पांच साल के कार्यकाल में 400 प्रतिशत बढ़ाकर उस घाटे को पहुंचा दिया 77 हजार 453 करोड़।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2009 में 2014 तक उन्होंने जो शोर्ट टर्म लोन लिया है, वह 51 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है और वह भी शोर्ट टर्म लोन, जिसका, मतलब, प्रत्येक वर्ष इन विद्युत वितरण कम्पनियों को 7 हजार 774 करोड़ रुपये का ब्याज भरना पड़ रहा है। पांच साल में 51 हजार करोड़ रुपये का लोन लेना और इसकी वजह से इन विद्युत कम्पनियों को प्रत्येक वर्ष 7 हजार 774 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि जो लागत 8 रुपये 87 पैसे की मैंने बताई थी, यह लागत इसलिए है, विद्युत की जो खरीद है वह औसतन 4 रुपये 20 पैसे है, इतना घाटा होने के बाद हमारा जो ओ एन एम चार्ज है वह 78 पैसा है, ब्याज पर प्रति यूनिट 1 रुपया 81 पैसा हमको खर्च करना पड़ रहा है और जो छीजत है वह राजस्थान में आज हमारी लगभग 27 परसेंट है, 1 रुपये 62 पैसा हमको छीजत पर खर्च करना पड़ रहा है। हमारा प्रति यूनिट एवरेज जो चार्ज है, वह 8 रुपये 87 पैसे हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2013-14 में यह वित्तीय घाटा प्रत्येक वर्ष सरकार पर 15 हजार 645 करोड़ का है, जबकि 2008-09 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हमारा जो घाटा था वह 6 हजार 774 करोड़ था। आज यह वार्षिक घाटा बढ़ते हुए 130 परसेंट बढ़ गया है।

मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आज जो हमारा ऋण बकाया है 31.3.2013 तक, इन तीन डिस्काम पर, वह लगभग आपका 64 हजार करोड़ रुपया है और जो हमारा पेमेंट का प्रोसेस था, वह 30.11.2011 तक, मतलब, हम 80 दिन में पेमेंट कर रहे थे। 30.11.2011 तक हमको 80 दिन का टाइम लगता था उसको रि-पेमेंट करने के लिए जिससे हमने विद्युत खरीदी है। कोयले का जो पैसा है, या जो वेंडर्स से हमने खरीदी है, और आज 7,500 करोड़ हमारा ड्यू है, 110 दिन में, मतलब, आज भी हम उसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये सभी कारण रहे हैं जिनसे हमने बिजली के भाव बढ़ाये हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इन सबके उपरांत मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां विद्युत कटौती के मामले में अगर देखें तो आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 21 से 22 घंटा बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमने वादा किया था कि हम साढ़े 6 घंटे एग्रीकल्चर बिजली दिन में देंगे, वह आज भी नियमित रूप से अच्छी बिजली हम दे रहे हैं। शाम को रात के समय में दो ब्लाक चलते हैं, इसमें आज भी हम नियमित रूप से 6 से 7 घंटे बिजली दे रहे हैं। गांवों में आज देखें तो लोड शेडिंग के नाम से विद्युत की कोई कमी भी नहीं है। राजस्थान में, मैं कह सकता हूं, खाली 0.3 परसेंट विद्युत की कमी है। आज भी, इतना घाटा खाते हुए भी, इस रेवेन्यू के गैप को हम कम कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में हम गांवों में 21 से 22 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। किसानों को जो हमने वादा किया था 7 घंटे बिजली देने का, वह हमने विदाउट, बिना ट्रिपिंग के हम देने की कोशिश कर रहे हैं।

वर्ष 2014-15 में विद्युत की दरों में बढ़ोत्तरी होने के बाद में लगभग हमारे पास 26 हजार 632 करोड़ रुपये का हमारा राजस्व संकलित होगा। इसके बाद, जो आने वाला साल है, इसमें लगभग 4 हजार 400 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व वृद्धि होगी। इसमें 16.88 परसेंट जो हमने बढ़ोतरी की है, इस साल, मतलब, 748 करोड़ रुपये की, 2.80 प्रतिशत की बिजली की हमको ज्यादा दर मिलेगी।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 118 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। उनमें से 12 लाख लोग कृषि से जुडे हुए हैं, 22 लाख लोग ग्रामीण और शहरी बी.पी.एल. हैं...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यहां बखान सुनने नहीं आये हैं। हम यह चाह रहे हैं कि राजस्थान की जनता को और किसानों को यह बिजली माफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य पूरा होने दीजिए। आप माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य पूरा होने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष : ये बिना अनुमति के बोल रहे है, अंकित नहीं होगा। हां, मंत्रीजी, आप बोलिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 रुपये बिजली का हमने किसानों को ऊपर नहीं बढ़ाया है, 57 पैसे प्रति यूनिट किसानों के ऊपर बढ़ा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2013-14 में जो क्रोस सब्सिडी किसानों को दी थी वह मात्र 5,200 करोड़ थी और हमने इस साल 6,200 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी है। आप यह नहीं कह सकते हो कि हमने सब्सिडी कम की है। आज भी हमने किानों को 6,200 करोड़ की क्रोस सब्सिडी दी है।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो बी.पी.एल. और छोटे घरेलू कनेक्शन हैं, वे 30 लाख हैं, पचास यूनिट प्रति माह, ये कुल मिलाकर चौंसठ लाख कनेक्शन, जो 54 परसेंट उपभोक्ता हैं, उनको आज भी हम क्रोस सब्सिडी दे रहे हैं। जो पहले थी क्रोस सब्सिडी, वह हम आज भी दे रहे हैं। इसकी लागत अभी हमने 6,200 करोड़ रुपये दिये हैं जो इनकी सरकार की तुलना से एक हजार करोड़ रुपये हमने ज्यादा दिये हैं।

मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में विद्युत दरों की अगर तुलना करें तो घरेलू श्रेणी में पूरे देश में छठे नम्बर पर है, अघरेलू में नवें नम्बर पर है, कृषि में हम आठवें नम्बर पर हैं और लघु उद्योग में आठवें नम्बर पर हैं, मध्यम उद्योग में पांचवें स्थान पर हैं और बड़े उद्योगों में हम छठे स्थान पर हैं।

हमने छीजत को कम करने के लिए यह वादा किया है कि आने वाले चार सालों में पन्द्रह प्रतिशत इस छीजत को कम करेंगे। यह हम आज वादा कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ, जो लम्बित विद्युत कनेक्शन हैं, जो मीटर बंद हैं, उनके हम दो महीने के अन्दर-अन्दर तुरन्त प्रभाव से मीटर लगायेंगे। मार्च, 2015 तक 11 के वी के जो हमारी फीडर्स हैं, उन पर हम मीटरिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि आने वाले समय में विद्युत चोरी रोकने के लिए, छीजत को रोकने के लिए व्यवस्था हो।

इसके अलावा, रीडिंग और बिलिंग तंत्र में भी सुधार और राजस्व संग्रहण में बढोत्तरी, 2015-16 में केन्द्र स्तर पर एक साफ्टवेयर द्वारा बिलिंग काउंटर जांच और मीटर रीडिंग की जांच की व्यवस्था करेंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : उद्योग वाले उपभोक्ताओं के लिए आटोमेटिक रीडिंग की व्यवस्था, राजस्व वसूली शत-प्रतिशत तथा बिलिंग व राजस्व सम्बन्धी विवादों का शीघ्र निस्तारण करेंगे हम।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: जो भी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उनका अंकित नहीं हो।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। ये मेरी अनुमति से बोल रहे हैं, इनका अंकित हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अलाउ कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : हां, कर रहा हूं न।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज हमने भी बहुत बडी संख्या में अपने सिग्नेचर करके आपको स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यहां आपने जवाब दिलवाया मंत्रीजी से, मंत्रीजी ने रेस्पोंड किया, अच्छी बात है, रेस्पांड किया। सवाल एक पैदा होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्टीप हाइक, एकदम दरें बढ़ाई गई हैं। पिछले पांच साल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जमाने में किसान के ऊपर एक पै नहीं बढ़ाया गया। मुख्य मंत्रीजी आये थे, तब उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि आगामी पांच साल तक हम किसान के ऊपर एक पैसा विद्युत की रेट नहीं बढ़ायेंगे। उस पर कायम रही सरकार, चाहे अपने पास से सब्सिडी देनी पड़ी सरकार को।

यहां मंत्री महोदय ने यह कहा, निश्चित है कि बिजली कमपनियों पर कर्जा बढ़ा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि 2013-14 में आपने जब सरकार टेक-ओवर की थी, तो एक साल के अन्दर बिजली कम्पनियों के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा? आपने हमसे तो कहा कि आपने मिस्मैनेजमेंट करके कम्पनियों का दिवाला निकाल दिया, आपके कार्यकाल के अन्दर कितना कर्जा बढ़ा, परसेंटवाइज, उससे पता लग जाएगा। आपने खुद ने कहा कि 5,200 करोड़ रुपये सब्सिडी का आपके राज में दे रहे थे और आपने 6,200 करोड़ का आंकड़ा यहां दिया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सवाल सिर्फ इतना सा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अक्रोस-द-बोर्ड, चाहे एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्रियल हो, कामर्शियल हो, ये तीन श्रेणियां हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, इन तीनों श्रेणियों में इतना स्टीप हाइक राजस्थान के इतिहास में, आजादी के बाद इतना स्टीप हाइक कभी नहीं हुआ है। आपने एकदम बोझा हर श्रेणी के उपभोक्ता पर डाल दिया।

तो मेरा आपसे निवेदन है, यह एक इतना महत्वपूर्ण विषय है, स्थगन के माध्यम से आपने यहां पर अवसर दिया, क्योंकि हमारे सदस्यों ने आज ही दिया था तो इसलिए इसके ऊपर हमको बोलने का अवसर मिला नहीं, हमारी पार्टी को। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब इतना स्टीप हाइक हुआ है। तो क्या आप, जैसे दिल्ली में आडिट कराने की बात चल रही है, क्या आप बिजली कम्पनियों का आडिट कराना चाहते हैं? आज बतायें। वहां पर भी, दिल्ली में भी तो उन्होंने एक मिसाल पेश की है कि वे आडिट चाहते हैं।

अब डिस्काम्स में क्या होता है, आज एतराजात मांगते हैं, कुछ लोग जाते हैं। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है वहां पर। जो डिस्काम्स हैं वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और पब्लिक का कोई आदमी जाता नहीं है वहां पर। तो सुनवाई का जो तरीका है, वह भी सही नहीं है। एक तरफा, जो वहां पर कम्पनियां कहती हैं, उसको रेग्यूलेटरी अथोरिटी मान लेती है।

इस प्रकार का स्टीप हाइक, यह बात सही है कि बिजली कम्पनियों का घाटा बढ़ रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी दे रही है सरकार। तो उस सब्सिडी को कायम रखते हुए, क्या सरकार बिजली की दरें कम करना चाहती है? जो दरें बढ़ाई हैं, उसमें क्या राहत देने जा रही है? उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने यहां कुछ कहा नहीं है।

तो मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर एक विस्तृत चर्चा दो-चार घंटे की करायें। पक्ष और विपक्ष दोनों को, उनके सदस्य जो बोल नहीं पायेंगे यहां सदन में अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन सभी लोग परेशान हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा आप किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में, हमारे जो हमने पेश किया है, उसके ऊपर आप करा दें और माननीय मंत्री महोदय और जानकारी प्राप्त करके आयें। अपने-अपने सुझाव दें। बाकी मानना, न मानना, सरकार के हाथ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में है। सरकार माने और नहीं माने, लेकिन हम अपनी बात को कह सकेंगे। यह मेरा आपसे अनुरोध है और मैं आडिट की बात फिर दोहराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री नवीन जी। मैंने नवीन जी को इजाजत दी है। बैठिये आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात किसान की है और बात यह है कि घरेलू क्षेत्र में जो दर बढ़ाई है, वह तकरीबन 16 प्रतिशत है। इसी के अनुरूप उद्योग में बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो मीटर्ड सप्लाई थी, उसमें आठ प्रतिशत कृषि की दर बढ़ी है और जो फ्लैट रेट थी, जो 85 रुपये पर-हार्स पावर थी, वह 185 रुपये, यानी, 120 प्रतिशत इंक्रीज हुआ है।

जो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, पचास साल के इतिहास में किसानों की दर 120 परसेंट और 60 परसेंट आज दिन तक नहीं बढ़ी है। इसका क्या कारण है? किसान चारों तरफ से मर रहा है। उधर डीजल के दाम कम हुए हैं, भाड़ा कम हुआ है, कोयला कम हो गया है, फिर बिजली की दरें क्यों बढ़ रही हैं? किसान की पहले सब्सिडी काट ली गई, अब आप बिजली महंगी कर रहे हों, 120 प्रतिशत महंगी कर रहे हों।

मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आयोग ने घोषित किया है, 1,750 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की लागत आती है, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से डेढ़ गुना मिलनी चाहिए, 2,625 रुपये मिलने चाहिए। आप देते हों। 1,450 रुपये। किसान मर नहीं जाएगा तो होगा क्या?

मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी कह रहे थे, छीजत 26 परसेंट है। टेक्निकल छीजत आपकी कितनी है? तकरीबन 14 परसेंट तो आपकी टेक्निकल छीजत है। 11 के वी में आपकी कितनी छीजत है, 11 से 12 परसेंट।

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिये। देखिये, मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता और माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी को कि कल आपने जो चर्चा हुई थी, उसमें अपन ने यह तय किया था कि इस पर फुलफ्लेज्ड एक बहस अपन करेंगे और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि इस पर फुलफ्लेज्ड बहस करेंगे। अब स्थिति यह हुई कि स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह एक विषय आ गया, जिसमें हमारे यहां की व्यवस्था में स्थगन

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए हम दो-तीन मिनट बोलने का मौका देते हैं। उसमें से यह सारी बहस निकली।

मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि इस बहस को यहीं खतम कर के, फुलफ्लेज्ड, जैसा अपने तय हुआ, बिजली के ऊपर अपन बहस करेंगे। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं आपको यह सूचना देना चाहूंगा कि 2000 में बिजली की कम्पनियां..

श्री अध्यक्ष : अब यह नहीं है, आप बैठिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : एक मिनट, मैं बहुत कम बोलता हूं, मुझे एक मिनट तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। बिलकुल आप विराजिए। इस पर बाद में बहस होगी। कल तय हुआ था, बाद में इस पर फुलफ्लेज्ड बहस करेंगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) : साहब, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिलकुल नहीं। विराजिए। जब एक बात तय हुई है, उस प्रक्रिया से यह विषय आ गया, उसको आपने इतनी बहस में छेड़ दिया। बाकी आपको मालूम है, एक दिन अपन को तय करना है। आप भी थे। वह अपन तय कर लेंगे। आपका स्थगन प्रस्ताव आयेगा, वह भी कर लेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। आपने मुझे करेक्ट किया था कि यह मुझे उस समय बोला चाहिये था, मैं चूक गया। तो मैं अब आपसे कह रहा हूं कि श्री जोगाराम पटेल जी से मैं बुलवा लेता हूं। फिर आपका पर्ची पर नम्बर आ जायेगा। फिर कार्यवाही चालू करेंगे। मुझे मालूम है, आपका पर्ची में नम्बर है, इसलिए आप चिंतित थे।

श्री जोगाराम पटेल।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : साहब, मेरी पर्ची है। साहब, पर्ची का नम्बर पहले आना चाहिये। बाद में क्यों दे रहे हों? पर्ची खुली है। तो जोगारामजी बाद में बोलेंगे। पर्ची का नम्बर कायदे से पहले आता है। पर्ची पहले होगी, साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले 295 पढ़ लें, फिर उसके बाद...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : पर्ची आज दिन तक पहले हुई है। पर्ची पहले होती है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची हमेशा ही बाद में आती है। यह अभी खतम हो जाता है।

श्री जोगाराम पटेल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

लूणी में पेयजल समस्या

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के तहत अपने विषय को रखने की इजाजत दी, उसके लिए आपका आभार।

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत अति महत्वपूर्ण और विशेष उल्लेख के विषय को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लूणी भौगोलिक दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें नान्दडी, नान्दडा कलां, झालामण्ड, कुड़ी भगतासनी, सांगरिया, तनावड़ा, पाल, बोरानाड़ा, चौखा, इत्यादि ग्राम पंचायतें एक तरह से शहरी क्षेत्र का भाग हैं तो दूसरी तरफ दूर-दराज के अनेक गांव व ग्राम पंचायतें हैं जो शहर से काफी दूर हैं एवं छितराई ढाणियों के रूप में बसी हुई हैं। इन दोनों में ही पानी की भयंकर समस्या है। ये दोनों ही क्षेत्र पेयजल से वंचित हैं। लूणी विधान सभा क्षेत्र पेयजल की दृष्टि से अत्यन्त ही गम्भीर समस्या वाला क्षेत्र है।

पूर्व में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने लूणी विधान सभा क्षेत्र की जनता को यह वचन दिया था कि लूणी को मीठा कर देंगी और अपनी बात पर कायम रहते हुए उन्होंने पेयजल की अनेकों योजनाएं बनाईं और उन्हें लागू भी किया। इस कारण लूणी क्षेत्र की इस समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ व लूणी का पानी मीठा कर दिया गया। तदुपरांत सरकार बदलने के बाद, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा बनाई गई योजनाओं को तहस-नहस कर दिया गया। इस कारण वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लूणी में पेयजल की भारी किल्लत है और इससे जनता में भारी रोष भी है।

(श्री जोगाराम पटेल)

विधान सभा क्षेत्र लूणी के अधिकांश गांव बिखरी हुई ढाणियों के रूप में निवास कर रहे हैं। हालांकि गांव व ढाणियों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 12वीं विधान सभा के दौरान काफी प्रयास किये गये थे, परन्तु तदुपरांत 13वीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान उपरोक्त वर्णानुसर पेयजल की इन योजनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया गया।

इस कारण माननीय मुख्य मंत्री व जलदाय मंत्री महोदया के प्रयासों से इस क्षेत्र के लिए विशेष जल योजनाएं, यानी जलप्रदाय योजना अजीत नगर, विष्णु की ढाणी, परिहारों की ढाणी-अनुमानित लागत 239.63 लाख; (2) जलप्रदाय योजना कानासर, ईमामनगर, सेरानी नगर, मेहराम नगर, चिराई नग राड़ नगर-अनुमानित लागत 270.39 लाख; (3) जलप्रदाय योजना करेली, सुरतानगर, ढाणी विश्नोइयान, डेलुम्बा नाडा-अनुमानित लागत 263.01 लाख; (4) जलप्रदाय योजना ग्राम दुन्दाड़ा की 50 वर्ष पुरानी क्षतिग्रस्त ए सी पाइप लाइन को बदलने की योजना-अनुमानित लागत 573.66 लाख; (5) जलप्रदाय योजना देव नगर, राज नगर, खाराबेरा पुरोहितान-अनुमानित लागत 149.04 लाख; (6) जलप्रदाय योजना भीलों की ढाणी (त्रिलोक भारती मठ) सजाडा-अनुमानित लागत 31 लाख; (7) क्षतिग्रस्त ईएसआर झंवर की जगह नये ई एस आर राजाराज जी की बगीची झंवर में बनाने की योजना मय नई वितरण पाइप लाइन-अनुमानित लागत 89 लाख, इत्यादि बनाई गईं। इन योजनाओं से अनेक बड़े-बड़े गांव व ढाणियों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में, इन जलप्रदाय योजनाओं को, जो सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं, इन्हें तुरन्त प्रभाव से स्वीकार करना अति आवश्यक है, ताकि विधान सभा क्षेत्र लूणी के निवासियों को भयंकर पेयजल संकट से मुक्ति दिलाई जा सके।

जलप्रदाय योजना चौखा, बड़ली, गोलासनी भी एक महत्वपूर्ण जलप्रदाय योजना है और इन गांवों में भी पानी की भयंकर समस्या है। यह योजना सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन थी, परन्तु नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 9.12.2014, यानी, 194वीं बैठक में इस योजना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह योजना पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल के दौरान स्वीकार की गई थी। चूंकि यह योजना अति महत्वपूर्ण है, जनहितार्थ है, ऐसी स्थिति में 194वीं बैठक में लिये गये

(श्री जोगाराम पटेल)

निर्णय को रिव्यू कर जलप्रदाय योजना चौखा, बड़ली, गोलासनी को पुन: स्वीकार कर जनता को राहत पहुंचाया जाना आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में, विचाराधीन पेयजल योजनाओं को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार फरमाया जावें व जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जावे।

(13.46 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री हरिसिंह रावत।

पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों हेतु समुचित स्थानीय विकास कोष व मानदेय का प्रावधान

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत पंचायती राज में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों को मानदेय एवं विकास कार्यों हेतु राशि आबंटित करने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायती राज के अन्तर्गत निर्वाचित जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की स्थिति एक सरोग्रेट मां के समान होती है। जैसे किसी दम्पत्ति के कोई संतान नहीं होने पर सरोग्रेट मां को दम्पत्ति अपनाता है और जब बच्चा उसकी कोख में पलता है तो उक्त दम्पत्ति 9 माह तक उसकी सेवा करता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सरोग्रेट मां को अनुबंध राशि देकर रवाना कर दिया जाता है। वैसे ही हमारे पंचायती राज में इन सदस्यों की हालत हो जाती है। इनका सम्मान भी केवल प्रधानों एवं जिला प्रमुखों के निर्वाचन तक ही किया जाता है एवं उनमें से जैसे ही प्रधान एवं जिला प्रमुख बन गये, बाकी को पांच साल तक कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं।

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनको भी विकास कार्यों में सहभागिता के लिए प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य को कम से कम 25 लाख एवं प्रत्येक जिला परिषद सदस्य को 50 लाख की राशि आबंटित की जायेगा ताकि इनकी भी विकास कार्यों में रुचि बनी रहे, जिससे जनता में भी इनका सम्मान कायम रह सके। यही वजह है

(श्री हरिसिंह रावत)

कि पंचायत चुनावों में हमें जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य हेतु प्रत्याशियों को तैयार करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पंचायत नियमों के अन्तर्गत संशोधन कर जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य को भी विधयकों एवं सांसदों के अनुसार मानदेय, भत्ता एवं विकास कोष का निर्धारण किया जाना चाहिये ताकि जनता में इन्हें सम्मान एवं विकास कार्यों में इनकी भी सहभागिता हो सके।

श्री सभापति : श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर स्थित जीरा मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु निकटवर्ती भूमि का आबंटन

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : सभापति महोदय, जोधपुर में जीरा मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु प्रांगण से सटी 30 बीघा भूमि का हस्तान्तरण मण्डी समिति अनाज, जोधपुर को करवाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आदरणीया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि उत्पादन के विपणन की व्यवस्था को सुदढ़ एवं कारगार बनाने हेतु 'जहां उत्पादन वहां विपणन के उद्देश्य से प्रदेश में जिन्स, विशिष्ट मण्डियों की स्थापना की गई है। माननीया मुख्य मंत्री की राजस्थान विधान सभा में बजट भाषण के दौरान दिनांक 25.3.2005 को जोधपुर में जीरा मण्डी स्थापना की घोषणा की क्रियान्विति में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समति 'अनाज' जोधपुर का मुख्य मण्डी प्रांगण, मण्डोर रोड, जोधपुर में 17 बीघा भूमि में 125 लाख रुपये की लागत से जिन्स विशिष्ट जीरा मण्डी की परियोजना का निर्माण कार्य सम्पूर्ण हुआ, जिसमें 20×60, 1,200 वर्ग फीट साइज के 95 भूखण्ड चिह्नित किये गये। इनमें से वर्ष 2008-09 में इस मण्डी समिति के अनुज्ञाधारी व्यवसायियों को 52 भूखण्ड एवं सामान्य वर्ग की महिला कृषकों को 13 भूखण्ड तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला कृषकों को 6 भूखण्ड तथा जीरे के निर्यातकों, राज्य के बाहर के व्यवसायियों, मूल्य संवर्धन/औद्योगिक इकाई व मूल्य संवर्धन उत्पादों के सीधे निर्यातकों एवं नव-इच्छुक व्यवसायियों हेतु आरक्षित 24 भूखण्डों में 14

(श्री बाबू सिंह)

भूखण्डों का आबंटन किया गया। उक्त सभी आबंटियों के द्वारा दुकानों का निर्माण कर अप्रैल, 2012 से जीरा मण्डी में कृषि जिन्सों की ढेरी कर खुली बोली से जीरा का व्यवसाय प्रारम्भ किया गया।

उक्त जीरा मण्डी प्रांगण में जीरे की आवक एवं व्यापार को देखते हुए जीरा मण्डी परिसर छोटा पड़ने लगा एवं व्यापारियों के द्वारा जीरा मण्डी परिसर से सटी 30 बीघा जमीन में जीरा मण्डी के विस्तार की मांग की जाने लगी। परन्तु पूर्व सरकार के द्वारा उक्त 30 बीघा जमीन फल व सब्जी मण्डी को हस्तान्तरित करवा दी गई, जबकि उक्त जमीन फल व सब्जी मण्डी, भदवासिया के सामने वाली सड़क के उस पार होने के कारण फल व सब्जी मण्डी के विस्तार के लिए उक्त जमीन औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण महत्वहीन ही है। मुख्य मण्डी प्रांगण के सामने की सड़क के उस पार एवं जीरा मण्डी की चारदीवारी से सटी केवल 30 बीघा जमीन फल व सब्जी मण्डी के विस्तार हेतु औचित्यपूर्ण नहीं कही जा सकती है। उक्त जमीन जीरा मण्डी प्रांगण से सटी होने के कारण 30 बीघा जमीन में जीरा मण्डी प्रांगण का विस्तार किया जाता है तो जमीन का औचित्यपूर्ण निर्णय सही साबित होगा।

अत: उक्त वर्णित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए जिन्स विशिष्ट जीरा मण्डी जोधपुर को अन्तरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने हतु जीरा मण्डी प्रांगण में किसानों द्वारा जीरा लाने के रुझान को बनाये रखने एवं जीरा की आवक को चरम सीमा पर ले जाने एवं जीरा के निर्यात में अकल्पनीय वृद्धि होने की पूर्ण सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए जीरा मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु जीरा मण्डी प्रांगण से सटी 30 बीघा जमीन का राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर को जन हित में हस्तान्तरण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली में सड़कों की जर्जर अवस्था

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सड़कों एवं राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

ग्राम चोटिया से बनेठी होते हुए, बसाट देवता होते हुए, हरियाणा सीमा तक तथा ग्राम रघुनाथपुरा से भैंसलाना होते हुए सुजातनगर फार्म सड़क एवं ग्राम गोरधनपुरा से कुजोता होते हुए पवाना अहीर पहाड़ी काले मंदिर तक तथा ग्राम नारेहड़ा से पावटा एवं गाम पावटा टसकोला, द्वारिकापुरा से, नारेहड़ा, नारेहड़ा से बनेठी देवता बनाकर तक की मुख्य सड़क सहित, विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अधिकतर सड़कें बदतर हालत में हैं, जिन पर से आमजन का सही सलामत अवस्था में गुजरना भी दुश्वर हो रहा है। मेरा द्वारा गत सत्रों में राज्य सरकार का बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद विभाग द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु नहीं की गई है, बल्कि रटा-रटाया जवाब भिजवाया जा रहा है कि कार्य की स्वीकृति जारी किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जान-बूझकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू है।

जब मेरे द्वारा गत सत्रों में लगाये गये प्रश्नों के उत्तर में सरकार स्वयं यह मान रही है कि सड़क के आसपास क्षेत्र में बजरी के प्लांट्स एवं स्टोन क्रेशर स्थापित हो गये तथा खनिज पदार्थों एवं धुली हुई बजरी का भारी वाहनों द्वारा इन सड़कों पर परिवहन, एवं डामर सड़क की सतह पर पानी से लगातार रिसाव के कारण सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ, सड़क की क्षमता से अधिक भारी वाहनों के भार के कारण सड़कों की क्रस्ट भी फेल हो गई है। इन सड़कों पर माइनिंग यातायात का दबाव अधिक बढ़ने एवं क्षमता से अधिक भारी होने से सड़कें पूर्ण रूप से टूट गई हैं तथा पेच-मरम्मत करने योग्य भी नहीं हैं। तो फिर पूरा एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण नहीं किया जाना विभागीय अधिकारियों एवं राज्य सरकार की अकर्मण्यता को दर्शाता है। यह सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में पूर्णत: विफल एवं असक्षम है।

ऐसी हालत में मैं सीधे मुख्यमंत्री महोदया से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उपरोक्त वर्णित सडकों के नवीनीकरण एवं सुद्रढ़ीकरण हेतु इसी बजट में पर्याप्त राशि का आबंटन किया जाए; विभागीय अधिकारियों को एक निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु पाबंद किया जाए; लापरवाही

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जाए; एवं आमजन को राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : भंवरसिंह भाटी।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को पुन: प्रारम्भ किया जाना

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : सभापति महोदय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को पूर्ण स्वरूप में स्थापित करने के सम्बन्ध में। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में निवेदन है कि बीकानेर सम्भाग में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यहां की आम जनता ने लम्बा संघर्ष किया था। इसी के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार ने विधान सभा के बजट सत्र 2013-14 में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी विधान सभा सत्र में तकनीकी विश्वविद्यालय का बिल पास नहीं हुआ था। तब फिर बीकानेर में 3 महीने तक छात्रों व आमजन का आंदोलन चला। इसी कारण सरकार ने 21 सितम्बर 2013 को अध्यादेश के माध्यम से बी टी यू की स्थापना की थी। सितम्बर 2013 में इस विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव व वित्त नियंत्रक की नियुक्ति हो गई थी। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर परिसर में 47 बीघा जमीन के आबंटन के साथ 1 करोड़ रुपये का बजट भी आबंटित कर दिया था तथा विश्वविद्यालय ने अपना दिन-प्रतिदिन का कार्य भी शुरू कर दिया था।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बनने से राजस्थान प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का समग्र विकास गुणवत्ता में सुधार तथा छात्रों को समय पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम एवं परीक्षा परिणाम समय पर मिल सकेंगे। प्रदेश के उत्तर-पश्चिम मरुसथलीय भू-भाग में तकनीकी शिक्षा का प्रचार-प्रसार होगा।

बीकानेर सम्भाग के युवा तकनीकी शिक्षा के सपने संजोये थे, हुआ उसके विपरीत, क्योंकि आपकी सरकार ने बी टी यू का विधेयक विधान सभा में रखा ही नहीं तथा यह विश्वविद्यालय 6 माह बाद मार्च, 2014 में कानूनी रूप से स्वत: ही समाप्त हो गया।

बार-बार सरकार के माननीय मंत्रियों ने लोक सभा चुनाव व उसके बाद सार्वजनिक रूप से मीडिया में यह कहा है कि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में ही रहेगा तथा बीकानेर के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। बीकानेर में सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम दिनांक 19 से 30 जून 2014 के

(श्री भंवरसिंह)

दौरान भी माननीय शिक्षा मंत्री ने यही कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में रहेगा। परन्तु अचानक 4 जुलाई, 2014 को सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के आदेश द्वारा इस तकनीकी विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश से बीकानेर सम्भाग के युवाओं एवं आमजन को निराशा हुई है।

यह विश्वविद्यालय उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के समक्ष तकनीकी चुनौतियों का समाधान ढूंढने की दिशा में प्रथम चरण में निम्न चार क्षेत्रों में शोध कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करेगा, सिरेमिक इंजीनियरिंग, सौर ऊर्जा, रिफाइनरी से सम्बन्धित कोर्सेज एवं प्रशिक्षण पश्चिमी कार्य, व कृषि तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में।

राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर सम्भाग कोटा से अत्यधिक दूरी, लगभग 800 किमी. होने से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के छात्रों को आने-जाने में हो रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

यूजीसी के नोटिफिकेशन के अनुसार एक विश्विद्यालय के पास 100 से ज्यादा कालेज नहीं होने चाहिए। वर्तमान में आर टी यू, कोटा के पास 250 कालेज हैं। अत: बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बनने से आर टी यू, कोटा के ऊपर अत्यधिक भार कम होगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

देश के कई राज्यों में एक से ज्यादा तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आदि। अत: सबसे बड़े राज्य राजस्थान में दो तकनीकी विश्वविद्यालय बनने से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ, प्रचार-प्रसार होगा और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध होगी।

अब बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की मांग को लेकर युवा व आमजन आंदोलित हैं। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय आवश्यक है। यह एक बार खुलकर, 6 महीने अस्तित्व में रहकर बंद हो गया है। इसका आमजन में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बीकानेर सम्भाग के सभी विधायकों ने पिछले बजट सत्र में भी मांग की थी कि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर का हक है तथा इस विश्वविद्यालय को बीकानेर से कहीं नहीं जाने दिया जाए।

अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बड़ा विचार कर तकनीकी विश्वविद्यालय को बीकानेर में ही स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बजट सत्र में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री सभापति : श्री भागीरथ चौधरी ।

नसीराबाद से किशनगढ़ तक पेयजल आपूर्ति की राइजिंग लाइन बदलने की शीघ्र वित्तीय स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत 10-15 वर्षों में किशनगढ़ के तीव्र औद्योगिक विकास के कारण यहां पर जनसंख्या का अत्यन्त विस्तार हुआ है। इसी कारण वर्तमान में किशनगढ़ शहरी क्षेत्र की आबादी लगभग 2.25 लाख है। साथ ही, गत वर्षों में सैकड़ों नयी आवासीय कालोनियों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र का फैलाव चारों तरफ हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से किशनगढ़ उपखण्ड का सम्पूर्ण राज्य में 14वां स्थान है। राज्य के 20 जिला मुख्यालयों की आबादी किशनगढ़ की जनसंख्या से कम है।

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में सुलभ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में वर्तमान में जल आपूर्ति मांग लगभग 25 एमएलडी है, किन्तु नसीराबाद से किशनगढ़ आ रही 34.5 किलोमीटर की राइजिंग लाइन का साइज पर्याप्त नहीं होने से एवं आये-दिन अत्यधिक लीकेज होने के कारण शहर को वर्तमान में 14-15 एमएलडी पानी ही प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में 96 से 108 घण्टे एवं इससे भी अधिक अंतराल में जल वितरण किया जा रहा है, जिससे आमजन में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

अत: इस समस्या के स्थायी निदान हेतु मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कराकर नसीराबाद से किशनगढ़ आ रही बीसलपुर योजनान्तर्गत राइजिंग लाइन को बदलने के प्रस्ताव लागत राशि 70 करोड़ 79 लाख रुपये के तैयार कराये गये हैं जिसमें 80 एम.एम.डी.आई. के-9 पाइप लाइन को लिया गया है जिससे बार-बार लीकेज एवं अपर्याप्त जल प्राप्ति की समस्या का समाधान हो सके। साथ ही, इस योजना के तहत 10 वर्ष तक इस राइजिंग लाइन का संधारण कार्य भी सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय एवं विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसर आन-लाइन फाइल स्वीकृति हेतु प्रस्ताव श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर के पास भिजवाये जा चुके हैं तथा इस

(श्री भागीरथ चौधरी)

योजना पर नीति निर्धारण समिति की बैठक 193/2.8.2014 में भी सैद्धातिक स्वीकृति दी जा चुकी है। लेकिन आज तक उक्त कार्य की सक्षम विभागीय स्वीकृति लम्बित पड़ी है।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि नसीराबाद से किशनगढ़ तक बीसलपुर पेयजल आपूर्ति की राइजिंग लाइन बदलने हेतु 70 करोड़ 79 लाख रुपये की विभागीय योजनान्तर्गत सक्षम वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2015-16 में जारी कराने के उचित निर्देश एवं कार्यवाही करा कर, आवश्यक आदेशों की क्रियान्विति करा कर, किशनगढ़ शहरी क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता को राहत प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करावें। आपकी बड़ी महत्ती कृपा होगी।

ज्ञात रहे कि उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग एक वित्तीय वर्ष में नहीं होकर, आगामी 3 वर्षों में किया जाना है। अत: विभागीय योजनान्तर्गत वित्तीय भार ज्यादा नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भवानी सिंह राजावत।

हाड़ौती सम्भाग में क्षतिग्रस्त धनिये की फसल का मुआवजा

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत हाड़ौती सम्भाग में धनिये की फसल चौपट हो जाने के मामले में सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पूरे देश का 75 प्रतिशत धनिया हाड़ौती सम्भाग में पैदा होता है। इस वर्ष 90,000 हैक्टेयर में यहां बुआई हुई है। प्रारम्भ में धनिये की यह फसल पूरे क्षेत्र में लहराती हुई थी लेकिन अचानक इसमें लोंग्या रोग लग गया, जिससे कोटा में 4,350, बारां में 4,930, झालावाड़ में 7,650 कुल 16,930 हैक्टेयर की फसल पूरी खतम हो गयी। यह तो सकारी आंकड़ा है लेकिन वास्तविकता यह है कि लगभग 20-25 हजार हैक्टेयर में धनिये की फसल लोंग्या रोग लगने से नष्ट हो गई और किसानों को सीने पर पत्थर रखकर खेत हांकने पड़े।

माननीय कृषि मंत्रीजी ने सर्वे के निर्देश भी दिये लेकिन आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने तो यह कह कर पल्ला झाड़ा कि रोग से नष्ट हुई फसल का मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

किसानों के घाव पर नमक छिड़कने वाले अधिकारियों के ऐसे बयानों के बाद हाड़ौती में किसानों का सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। यूं भी हाड़ौती में कामर्शियल फसल सरसों में कभी चेटा रोग लगता है, कभी सोयाबीन में इल्ली रोग लगता है, कभी चावल में कोई रोग लगता है। इन रोगों के कारण प्रति वर्ष अरबों की फसल चौपट हो रही है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए, महंगा खाद, बीज, पानी देने के बाद, उसके खून-पसीने की कमाई तबाह हो जाने के कारण वह कर्ज में डूबता जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि वह आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर ले। इससे पहले सरकार सर्वे करवा कर पीड़ित किसानों को मुआवजा देकर राहत प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री पब्बाराम विश्नोई।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन संख्या 5 व 6 पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति

श्री पब्बाराम (फलौदी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जोधपुर शहर सहित 5 शहरों एवं 930 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का निर्माण किया गया है। इस नहर पर कुल 8 पम्पिंग स्टेशन पानी को लिफ्ट करने के लिए निर्मित हैं। पम्पिंग स्टेशन के अपस्ट्रीम पर एस्केप का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य विद्युत आपूर्ति में व्यवधान अथवा पम्पिंग स्टेशन पर मशीनरी में खराबी होने पर कैनाल में क्षमता से अधिक मात्रा में जल के प्रवाह को नहर को बिना क्षतिग्रस्त किये बाहर निकालना है।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन 5 एवं 6 की विद्युत सप्लाई पम्पिंग स्टेशन 5 के निकट स्थित 132 के.वी. जी.एस.एस. से की जाती है। पम्पिंग स्टेशन 5 व 6 पर जब भी 20 मिनट से अधिक समय के लिए विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होता है तो उस समय एस्केप से पानी ओवरफ्लो होना प्रारम्भ हो जाता है तथा पी.एस. 6 के निकट स्थित खेतों में चला जाता है, जिससे किसानों की फसलों को ही नुकसान पहुंचता है। यदि पम्पिंग स्टेशन 5 व 6 पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाए तो उक्त समस्या का एक सीमा तक समाधान सम्भव है।

(श्री पब्बाराम)

पम्पिंग स्टेशन 5 पर 132 के.वी. जी.एस.एस. के सिस्टम को देखने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के लिए जो dedicated feeder है, उस पर विद्युत विभाग द्वारा अन्य ग्रामीण फीडर को जोड़ रखा है, जिससे कई बार ट्रिपिंग आती है। जब भी किसी ग्रामीण फीडर में फाल्ट होता है तो फाल्ट ठीक होने तक सम्पूर्ण सिस्टम बंद रहता है। फलस्वरूप कैनाल से जल ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है।

इस सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पम्पिंग स्टेशन 5 स्थित 132 के.वी. जी.एस.एस. से आर.जी.एल.सी. हेतु फीडर को अन्य ग्रामीण फीडर से पृथक करते हुए या अन्य किसी व्यवस्था के माध्यम से निर्बाध रूप से सुचारु विद्युत आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था हो ताकि जल प्लावन से होने वाले नुकसान से किसान प्रभावित न हों। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मनोज कुमार ।

राजगढ़ बुंगी जलप्रदाय योजना (सादुलपुर) में घरेलू जल कनेक्शन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ बुंगी जलप्रदाय आपणी योजना जो वर्तमान में चल रही है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के 188 गांव लाभान्वित होंगे, लेकिन आपणी योजना की स्कीम जो है, वह गांवों के चौक में पी एस पी लगाने की है। माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि इस योजना का लाभ भविष्य में नहीं मिल पायेगा। आज लोग सुविधा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार के पास पेमेंट का सवाल है तो घरेलू कनेक्शन के लिए राशि निर्धारित कर दे जिससे लोग राशि का भुगतान कर इसका लाभ ले सकें।

राजगढ़ में पानी की भारी किल्लत लोग झेल रहे हैं। पानी कनेक्शन घर-घर करने का प्रावधान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हीरालाल विश्नोई। श्री हीरालाल विश्नोई। (अनुपस्थित)...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई)

निवाई के माध्यमिक विद्यालयों का घोषणा-अनुरूप क्रमोन्नयन

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मेरे नाम के आगे हीरालाल निवाई कर दिया गया है। क्योंकि 3 हीरालाल हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा निवेदन है, वैसे तो संशोधन कर दिया पर इसमें पुन ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप तो हीरा हो।

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं, कोयला हूं मैं तो। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्ष 2014-15 में शिक्षा विभाग द्वारा सभी पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सेकण्डरी स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के ढाणी जुगलपुरा, बिड़ोली, नटवाडा, सुनारा, सेदरिया, लुहारा स्थित सेकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सेकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। ये सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और सीनियर सेकण्डरी विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किये जाने के सभी मानदंड पूरा करते हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निजी सीनियर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं जिसके कारण इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय सेकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सेकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र के इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति व गरीब तबके, पिछडे वर्ग के हैं, जो निजी विद्यालयों की फीस वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

अत: आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि इन सेकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सेकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

टोंक में सड़कों की जर्जर अवस्था

श्री अजीत सिंह (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र टोंक में सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री अजीत सिंह)

निवेदन है कि ग्राम लहन से पालड़ा होते हुए, टोंक से बमोर, बमोर से बनेठा होते हुए, चिरोंज से मण्डावर होते हुए, जिला मुख्यालय पर पटेल सर्किल से गेलोद घाट तक तथा शिवपुरी से अरनियाकेदार तक की मुख्य सड़क सहित, विधान सभा क्षेत्र टोंक की अधिकतर सड़कें बदतर हालत में हैं, जिन पर आम जन का सही सलामत अवस्था में गुजरना भी दुश्वार हो रहा है। मेरे द्वारा विभाग का बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी विभाग द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु नहीं की गई है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजरी का भारी वाहनों द्वारा इन सड़कों पर क्षमता से अधिक आवागमन होता है तथा इन सड़कों पर माइनिंग यातायात का दबाव अधिक बढ़ने एवं क्षमता से अधिक भारी वाहन होने से सड़कें पूर्ण रूप से टूट गई हैं तथा पेच-मरम्मत करने योग्य भी नहीं हैं।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्तुत इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की उपरोक्त क्षतिग्रस्त सभी सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाने की मंजूरी तुरन्त प्रभाव से जारी की जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : सुखराम विश्नोई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सांचौर में 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा केन्द्रों का अनावश्यक स्थान परिवर्तन

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, पर्ची के मार्फत मैं जानना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार दिनों से उपखंड मुख्यालय सांचौर पर दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों का धरना चल रहा है। वह इस बात के लिए चल रहा है कि हर साल के दसवीं और बारहवीं के बोर्ड, स्कूल के स्थान जो हैं, उनको चेंज किया जा रहा है।

मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक मालबाड़ा की जीवन ज्योति हायर सेकण्डरी स्कूल का पहले सेंटर मालबाड़ा था, उस स्थान को हटाकर खिरूडी ग्राम में कर दिया गया। वहां आने-

(श्री सुखराम विश्नोई)

जाने का कोई साधन नहीं है, न कोई पक्की सड़क है। जीव ज्योति ज्योति हायर सेकण्डरी स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इस मालबाड़ा स्कूल का सेंटर या तो सांचौर कर दिया जाए या मालबाड़ा में रखा जाए।

इसके साथ ही एक डाबल की जो स्कूल हैं, सेकण्डरी स्कूल है और दूसरी एक पिंक स्कूल है, उन दोनों ही स्कूलों का पहले सेंटर डाबल में ही था, उसको 20 किलोमीटर दूर सांचौर कर दिया गया है। लड़कियों के आने-जाने में सुविधा नहीं रहेगी सुबह के समय में। न तो कोई साधन होगा।

मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मालबाड़ा की स्कूल का सेंटर और डाबल पर नया बारहवीं का सेंटर खोल कर उन बच्चे-बच्चियों को राहत प्रदान की जाए ताकि वे समय पर परीक्षा दे सकें।

एक ए.डी.ई.ओ. लगे हुए हैं जालौर के अन्दर भैराराम जी, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दो स्कूलें हैं, राजाराम गर्ल्स स्कूल और एक राजाराम आलना स्कूल, उन दोनों स्कूलों का सेंटर पहले हायर सेकण्डरी स्कूल में था, उनका गर्ल्स स्कूल में कर दिया गया, दोनों का। करने का कोई औचित्य नहीं है। केवल-केवल मात्र ए.डी.ई.ओ. के रिश्तेदार होने से दोनों का गर्ल्स स्कूल में कर दिया गया, जबकि पास में ही हायर सेकण्डरी स्कूल थी। दावल के लड़कों को 20 किलोमीटर दूर से लाकर उनका सांचौर में किया गया है।

मैंने कल व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्रीजी से मिलकर मेरी दरख्वास्त दी थी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लड़के हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि लड़कों के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए, वे आज धरने पर बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत आश्वासन चाहूंगा कि डाबल में बारहवीं का बोर्ड कर दिया जाए और जो जीवन ज्योति स्कूल है, उसका खिरूडी न करके मालबाड़ा में कर दिया जाए, या डाबल में कर दिया जाए। जहां पर जो लड़के/विद्यार्थी हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जो जायज मांग है, उन जायज मांगों पर विचार करके उनकी मांगों को माना जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, मननीय विधायक महोदय, सांचौर ने जो मुद्दा उठाया है उसमें साधारणतया परीक्षा केन्द्रों का जो निर्धारण होता है वह परीक्षार्थियों की संख्या, केन्द्र की क्षमता, फर्नीचर, पानी, शौचालय, प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा, आदि ही आधार रहते हैं। उस आधार पर हमने राजस्थान में 5,254 केन्द्र किये हैं, जालौर जिले के अन्दर 108 केन्द्र हैं और सांचौर के अन्दर 6 केन्द्रों पर किया है।

जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया है, उसके जो माध्यमिक परीक्षा का, जो राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, मालबाड़ा है, उसकी क्षमता 250 है। वहां पर हमने 225 पहले से ही परीक्षार्थी आबंटित किये हैं। अब जो नया स्कूल, न्यू पिंक माडल उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मालबाड़ा की जो चर्चा की, इसमें परीक्षार्थी 125 हैं। चूंकि वहां पर आलरैडी 250 के अगेंस्ट में 225 वहां पर हैं, ये 25 विद्यार्थी नहीं आ सकते, इसलिए उनको उसके पास निकटतम जो केन्द्र है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खिरूड़ी, वह केवल आठ किलोमीटर दूर है और वहां पर ग्रेवल रोड भी है, वहां पर इन परीक्षार्थियों का रास्ता किया है। मुझे लगता है कि इससे नजदीक और कोई परीक्षा केन्द्र नहीं है।

लेकिन जहां पर आप कोई कह रहे हैं, यदि वहां पर सुविधा है, तो आप आकर के आपने कहा, मिले; मेरे को आपने ये डिटेल्स नहीं दी हैं। आप डिटेल्स दे दो। जहां पर भी नियमों के अन्तर्गत सुविधा विद्यार्थियों को दी जा सकेगी, वहां पर हम जरूर देंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

आपदा प्रबन्धन में कीड़े से क्षतिग्रसत धनिये की फसल को शामिल किया जाना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, पर्ची के माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हाड़ौती का क्षेत्र, जो कृषि के उत्पादन में अग्रणी है, यहां पर पूरे देश की धनिये की फसल का करीब 75 से 80 प्रतिशत उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में होता आया है। इस फसल में पिछले पांच वर्षों से जो लौंगिया रोग लगने की शिकायत आ रही है, जमीन में फंगस होने से लौंगिया रोग से यह फसल नष्ट हो रही है। इस स्टीम गोल्ड की जो बीमारी इस फसल में लग रही है, लगभग पूरी फसल, जिस भी खेत में यह बीमारी लगती है, वह नष्ट हो जाती है और किसान को उस फसल को ट्रैक्टर

(श्री हीरालाल नागर)

चलाकर, हांकने के अलावा, दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं रहता। जिस भी खेत में यह बीमारी एक बार लग गयी तो उसमें लगभग 4 से 5 साल तक वापस, अगर वह फसल बो देता है तो फिर वही फंगस की जो मौसमी बीमारी है, वह नमी के मौसम में धुंध पड़ती है या कुछ बरसत का मौसम हो गया, उसमें यह बीमारी वापस एक्टिवेट होती है। इसकी वजह से धनिये की जितने भी किसान पैदावार कर रहे हैं, वे सब आजकल लगभग कंगाली के कगार पर पहुंच गये हैं। खेतों की पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है।

अभी जो प्रावधान हैं आपदा प्रबन्धन के, चाहे वह मौसमी बीमारी हो, आपदा में भी इस बीमारी को सम्मिलित नहीं किया गया है। चाहे ओलावृष्टि हो जाए, चाहे वह अतिवृष्टि से फसल नुकसान हो, या मौसमी बीमारी से हो, उसका प्रावधान जो 50 प्रतशत का है, उस 50 प्रतिशत की जगह उसको 25 प्रतिशत किया जाए। किसान की 25 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर या उसकी फसल नष्ट होती है तो तहसील को इकाई माना जाता है। तो तहसील को इकाई न मानकर उस गांव को इकाई माना जाए, रेवेन्यू गांव को। उस गांव में अगर 25 प्रतिशत फसल का खराब है, तो उसके प्रावधान में चेंज किया जाए। यह आपदा प्रबन्धन में इसको शामिल करते हुए, 25 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर किसान के खेत को भी इकाई माना जाए।

गांव को इकाई मानते हुए उसका प्रावधान किया जाता है।

आज किसान इतनी बड़ी रिस्क लेकर और खाद-बीज डालकर, निश्चित रूप से बडा इनवेस्टमेंट करके खेती करता है। वहां हाड़ौती में जहां अधिकतर धनिये की पैदावार होती है, वह बिजली आधारित ट्यूबवेलों से खेती हो रही है और उस आधार पर उसका खर्चा भी अधिक आ रहा है। उसके कारण से किसान को निश्चित रूप से कई आर्थिक हानि हो रही है।

इसके लिए मेरा निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी यह प्रावधान किया जाए। बीमे में भी जो नुकसान होता है, उसका भी लाभ कहीं भी किसान को नहीं मिल रहा है। बीमे के प्रावधानों में भी चेंज करते हुए, या तो इस बीमा कार्ड जिससे हम के.सी.सी. लेते हैं, उनका प्रावधान समाप्त किया जाए और नहीं तो बीमा का जो भी मौसमी बीमा है, उसमें परिवर्तन करके और वास्तव में जो किसान का नुकसान होता है, उसका आकलन करते हुए

(श्री हीरालाल नागर)

वास्तविक नुकसान के अनुसार उसकी भरपाई की जाए, ताकि किसान को आर्थिक हानि होने से, कर्ज के बोझ से दबने से बचाया जा सके।

(14.22 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि धनिये की फसल में, बीज में हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें अभी हाल ही में, कुछ समय पूर्व एक किस्म विकसित की गयी है अजमेर कोरिडोर नाम से, ए सी आर वन की एक किस्म कृषि विभाग ने विकसित की है, उसमें जो यह लोंगिया रोग लगता है, उसकी क्षमता है कि उस बीज में वह रोग नहीं लगता, परन्तु उसके बीज मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं। उसके किट किसानों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराये जाते हैं तो उससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। जो हाड़ौती से इस किसान के धनिये के एक्सपोर्ट के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उसका भी आज हमें भारी नुकसान हो रहा है। उसमें भी हमें लाभ मिलेगा और हाड़ौती के किसानों की जो मेन मुख्य लाइफ-लाइन है धनिया, उसको बचाया जा सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हाल ही में हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्री और कृषि मंत्रीजी के प्रयासों से सूरतगढ़ में एक बड़ा आयोजन करके, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का जो कार्यक्रम हमारे प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान की धरती पर आकर उसका आगाज किया, उसमें भी हमारी हाडौती की जो धरती है, उसका परीक्षण प्राथमिकता से किया जाए। किस जमीन पर धनिया बोने से बीमारी लग सकती है, उसकी किसानों को जानकारी मृदा परीक्षण के द्वारा दी जाए, तो निश्चित रूप से किसानों को उसमें बचाया जा सकता है। इस योजना को बड़े स्तर पर लागू किये जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कृषि मंत्रीजी हाड़ौती से हैं और इसका निश्चित रूप से ध्यान रखते हुए, इसको प्राथमिकता से हाड़ौती में लागू करने का प्रयास करेंगे।

आज हाड़ौती के किसान के पास में एक मात्र जो अभी साधन बचा है खेती में, वह गेहूं बचा है। उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि वह आने वाले समय में अपनी जो लागत है, उसका मूल्य और उसका जो

(श्री हीरालाल नागर)

खर्चा है, उसको निकाल सके। उसके भी केन्द्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर घोषणा की गयी है, 1,450, वह लागत के अनुपात में काफी कम है। उस पर भी हमें बोनस देने की आवश्यकता है ताकि किसान को गेहूं का वास्तविक मूल्य मिल सके और उसके नुकसान की भरपाई की जा सके।

इसके ऊपर मेरा एक और सुझाव है कि आने वाले समय में जब किसान का गेहूं का उत्पादन बम्पर होने वाला है, अभी से ग्राम सेवा सहकारी स्तर पर हमारे खरीद केन्द्र स्थापित किये जायें और वहां अभी से बारदाने की, किसानों की गिरादावरी करवाकर उन्हें कूपन बांटने की व्यवस्था तुरन्त गति से अभी करवाने की आवश्यकता है, ताकि उस समय जब किसान हवां 15-15 दिन तक उन केन्द्रों पर पड़ा रहकर, जिस तरह से उसकी दुर्दशा होती है, उससे उसको बचाया जा सके। वहां छाया और पानी का पर्याप्त प्रबन्ध हो, बारदाने का प्रबन्ध हो, ताकि किसान वहां मारा-मारा नहीं फिरे। हमें मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है, उसको निश्चित रूप से खरीद केन्द्रों पर लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है...

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : माननीय कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं, माननीय मंत्रीजी।

श्री सभापति : आपको एतराज है क्या अगर गृह मंत्रीजी जवाब दे दें तो? आपको कोई एतराज है?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : नहीं।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य ने आपदा प्रबन्धन से जो सहायता के बारे में कहा है कि 50 प्रतिशत से कम खराबे पर आपदा में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, यह बात सच है। हमने अपनी तरफ से प्रयास कर रखा है कि इसको घटाकर 25 प्रतिशत भी करें, लेकिन जब तक केन्द्र से इसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक हम किसान को मदद नहीं कर सकेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपके यहां जो समस्या है और जिस बीमारी का आप नाम ले रहे हों, वह बीमारी आपदा प्रबन्ध में कवर नहीं होती।

मैं यह कह सकता हूं कि इस बार जितने भी स्थान ऐसे थे, खरीफ की फसल में, शायद सरकार ने पहली बार अक्टूबर में ही अपनी गिरदावरी पूर्ण करके किसानों को जो-जो लाभ दिया जा सकता है, 5,841 गांवों को हमने एक ही आदेश से अक्टूबर और नवम्बर में जारी कर दिया और दिसम्बर में तो बाकी 13 जिलों में से जो 11 जिले थे, उन सारे जिलों को हमने आपदा प्रबन्ध की जो सहायता मिलनी है, वह समय पर उपलब्ध करा दी। कहीं से कोई शिकायत, कहीं से कोई पत्र व्यवहार या किसी ने यह कहा हो, विभाग ने अपने स्तर पर ही गिरदावरी भी समय पर कराई और जो राहत पहुंचा सकते हैं, वह हमने पहुंचाई।

आपका इसमें कवर नहीं हो रहा है क्योंकि 50 प्रतिशत से आपका खराबा जो है, और जिस बीमारी का आप नाम ले रहे हो, बीमारी आपदा प्रबन्ध में कवर नहीं है।

श्री सभापति : कृषि मंत्री महोदय। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं कृषि मंत्रीजी को पुकार चुका हूं। उनके बाद में आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री प्रताप सिंह (छबडा) : मैं उसी क्षेत्र से आता हूं।

श्री सभापति : मैं उनके बाद आपको इजाजत दे दूंगा। अगर, कृषि मंत्रीजी, आपकी इजाजत हो तो आसन यह पूछना चाहता है कि माननीय सदस्य को पहले बोलने की इजाजत दे दें?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : हां।

श्री सभापति: बोल लीजिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, हाड़ौती में धनिये की फसल बहुतायत में होती है और यह बात सही है कि इस वर्ष धनिये की फसल करीब-करीब 80-90 प्रतिशत खराब हो गयी है। किसानों की जहां-जहां पर भी धनिये की फसल है, उनका सर्वे करवाया जाए और मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको जितना जल्दी हो सके, मुआवजे का इन्तजाम किया जाए, उनको मुआवजा दिलवाया जाए।

(श्री प्रताप सिंह)

देश की सबसे बड़ी धनिये की मंडी रामगंजमण्डी है, आस-पास की मंडियां हैं। कोटा में धनिया बहुत आता है। हमारे बारां और छबड़ा में भी धनिया बहुतायत में होता है। इसलिए मेरी माननीय मंत्रीजी से और कृषि मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उनको स्वयं को पता है, वे भी बारां जिले से आते हैं, कि हमारे यहां धनिये की फसल किस प्रकार से खराब हुई है।

जिस प्रकार से अभी गृह मंत्रीजी बता रहे थे, कोई बीमारी का जिक्र किया कि यह कवर नहीं होती, उस खेती की जो फसल खराब हुई उसमें तो बीमारी से कवर नहीं होती, पर यह तो आप मानोगे कि फसल खराब हुई है। फसल खराब हुई है तो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। यह बीमारी का बहाना बनाकर किसानों का गला घोटें, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : बहाना नहीं बना रहा हूं मैं। जो लिखा हुआ है अब तक, एक बहाना मेरा कोई औचित्य नहीं कि मैं किसान का नुकसान करूं, लेकिन आपदा में जिन-जिन कारणों से, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, जो-जो मापदण्ड उस आपदा राहत के हैं, वे अभी तक जैसे, मेरे यहां ही नहीं हैं, सम्पूर्ण देश में हैं और वह आपदा प्रबन्धन का पैसा हमको केन्द्र से मिलता है। उसमें जो कवर होता है, उसी में मैं दे सकता हूं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : बीमारी नहीं यह तो, साहब, प्राकृतिक आपदा है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : बाकी किसान देखे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सांगोद से आने वले माननीय सदस्य ने कोटा सम्भाग में धनिये की फसल के नुकसान के बारे में, रोग प्रकोप होने के बारे में, पर्ची के माध्यम से अपना विषय रखा और उसका समर्थन छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और 295 में लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक जी ने भी इसको गम्भीरता से रखा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग में निश्चित रूप से धनिये का प्रोडक्शन सबसे अधिक, लगभग एक लाख 87 हजार हैक्टेयर में धनिये की फसल बोयी जाती है और यदि हम देखें तो निश्चित रूप से कोटा में 47,700, बारां में 48,300 हेक्टेयर, झालावाड़ में 87,500 और बूंदी में 5,630 हेक्टेयर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

के लगभग फसलें बोयी जाती हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच वर्षों का इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो धनिये में प्रति वर्ष स्टेमगाल यानी कि लोंगिया बीमारी से धनिये की फसल को काफी नुकसान होता है। इसमें, माननीय सभापति महोदय, अध्ययन भी कराया और अध्ययन करने पर यह पाया गया कि जो स्टेमगाल की बीमारी होती है, वह तीन प्रकार से फैलती है, वह एयर बोर्न है, हवा से भी जन्म लेती है; सीड बोर्न है, बीज से भी जन्म लेती है; और सोइल बोर्न है, जमीन से भी उसका जन्म होता है। तीन प्रकार के लक्षण इस स्टेमगाल में पाये गये हैं। इसके काफी प्रयास किये गये हैं, माननीय सभापति महोदय, लगभग 50 से 60 हजार हैक्टेयर इस वर्ष किसानों की फसल इससे प्रभावित हुई है।

राज्य सरकार ने, हम लोगों ने प्रयास करके इसको रिमूव करने के लिए किसानों को लगभग 16,237 हेक्टेयर में दवा उपलब्ध करायी है; 50 प्रतिशत अनुदान पर को-आपरेटिव के माध्यम से किसानों को दवा उपलब्ध करायी है और 28,268 हेक्टेयर के लगभग किसानों के द्वारा स्व-उपचारित किया गया है।

जैसा कि सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे केस में कोई ऐसी वैरायटी विकसित होनी चाहिए, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक नयी वैरायटी ए सी आर-वन, जो कि सबसे लेटेस्ट वैरायटी आपके जीरे की विकसित हुई है, उसको शीघ्र इंट्रोड्यूस कर के, उसको मान्यता प्रदान की जायेगी। उसको ट्रायल के बेस पर, अबकी बार बारां जिले में कई किसानों के खेतों पर ट्रायल भी की गयी है और निश्चित रूप से उसके पैरेलल में आने वाले खेतों में स्टैगमाल से प्राब्लम है, प्रभावित हैं, लेकिन उसका प्रभाव भी नहीं हुआ। इसके प्रयास सरकार कर रही है।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आपने मांग की है किसानों को मुआवजा देना चाहिए। माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी ने इसके बारे में आपको पूरा क्लीयर-कट बता दिया लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के 21 जिलों में वैदर बेस्ड इन्श्योरेंस स्कीम हम लोगों ने लागू कर रखी है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना 21 जिलों में प्रभावित है, कोटा सम्भाग में भी। सभी जिलों में मौसम आधारित बीमा वहां पर लागू है। वहां पर मौसम का उतार-चढ़ाव, बेमौसम बारिश, आर्द्रता का बढ़ना, यदि निर्धारित

(श्री प्रभू लाल सैनी)

टारगेट के अनुसार उससे अधिक तापमान गिरता है तो उन किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाता है मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत। इसकी जो अवधि है, वह 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, उसकी एक अवधि दी हुई है, उस अवधि में इसके एक मानक बना रखे हैं और मौसम सन्दर्भ केन्द्रों के माध्यम से उसके पूरे आंकड़े लेकर उसके आधार पर इसकी कार्यवाही की जाती है।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसके दो-तीन प्रकार और भी हैं, क्योंकि राजस्थान में और जगह भी हैं। यदि किसी भी कीट का प्रकोप होता है, यदि किसी भी एक कीट की व्याधि से किसनों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, कोई भी प्रकोप बढ़ता है, चाहे सरसों में हो, चाहे जीरे में हो, चाहे धनिये में हो, चाहे जो भी हो, क्राप का यदि 50 परसेंट के लगभग कीट व्याधि से नुकसान होता है तो वह भी अब पाला और शीत के साथ-साथ में आपदा प्रबन्धन में जुड़ गया है। इससे उसका लाभ भी अब किसानों को मिलेगा।

आपने यह भी बात कही है कि आप किसान की गिरदावरी पटवार सर्किल तक लेकर जाएं, तो हमारी जो मोडिफाइड फसल बीमा योजना राजस्थान में अभी लागू है, उस योजना के अन्तर्गत पंचायत हैडक्वार्टर तक क्राप कटिंग, पहले 16 क्राप कटिंग होती थी, उसको कम कर के अब आठ क्राप कटिंग कर दी है। इससे उस क्षेत्र में पड़ने वाले, एक पंचायत रेडियस में आने वाले किसानों की आठ क्रॉप कटिंग, पंचायत के वहां गिरदावर सर्किल तक इसको लिया गया है और भारत सरकार को प्रस्ताव इसकी तरफ भिजवाये गये हैं कि इसको और कम कर के, छोटे-छोटे क्षेत्रों में चार क्राप कटिंग की ही इसमें रेंडम कटिंग की जावें ताकि किसानों को इसका लाभ मिले।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना में यदि निर्धारित मापदण्ड से तापमान में गिरावट हुई है या फिर आर्द्रता बढ़ी है या बे-मौसम बारिश के कारण से धनिये की फसल में नुकसान हुआ है, तो निर्धारित मापदण्ड पाये जाने पर उनको मुआवजा दिया जायेगा, और कीट प्रबन्धन, कीट व्याधि, कीट प्रकोप भी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन का हिस्सा बन गया है। इसके बारे में अलग से इसको दिखवा लिया जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

जवाई नदी का पुनर्जीवन

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पुराने जमाने से एक परिपाटी रही कि गांव जहां बसे हैं, गांव वहीं बसते हैं जहां नदियां निकलती हैं, कहीं तालाब के किनारे गांव बसते हैं, या नदियों के किनारे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, नदियां पूरी चलती थीं, समय बीतता गया और पानी की आवश्यकता बढ़ती गयी। अब जो नदियां बारह महीने बहती हैं, उसमें अगर कोई बांध बना लिया जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं, उस पानी का उपयोग करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पेयजल के लिए बना लिया जाता है, लेकिन जो मौसमी नदिया हैं, जो बरसात के कारण इधर-उधर से पानी इकट्ठा होकर एक नदी में चलता है और एक नदी 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर गांवों के किनारे चलती है, वहां पर अगर बांध बना दिया जाता है, उस समय कोई आवश्यकता हुई होगी और बांध बना लिया गया, लेकिन उस बांध के बाद में जैसे-जैसे आवश्यकता हुई, कोई मजबूत आदमी है, उसका अगर खेत है, हजार-दो हजार बीघा जमीन है, छोटा-मोटा एनिकट बना दिया, छोटा-मोटा बांध बना दिया और वह उपयोग में हो रहा है, ऐसी स्थिति के कारण ये नदियां फिर डार्क जोन में हो गयीं। अब डार्क जोन की घोषणा के बाद वहां किसान न तो कुआं खोद सकता है, न किसान खेती कर सकता है और जो खोदे हुए कुएं हैं, उनमें पानी नीचे चला जाता है, कुएं सूख जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जवाई बांध एक ऐसा बांध है, राजस्थान में दो-तीन बड़े बांध हैं उनमें से एक बांध है। जवाई बांध जवाई नदी के किनारे पर बनाया गया। उस समय परिस्थितियां ऐसी हुई होंगी कि जोधपुर को पीने के पानी के लिए जवाई बांध बनाया गया, अब जोधपुर में पीने के पानी आ गया। उसके बाद में, साल में एकाध बार, दस दिन, पन्द्रह दिन जवाई नदी चलती थी, बांध ओवरफ्लो होने के बाद नदी चलती थी, लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि उस जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में जैसे-जैसे कोई समृद्ध आदमी, किसी न किसी राजनीतिक पहुंच के कारण से छोटा-मोटा एनिकट बनाने लगा। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस जवाई बांध के कैचमेंट में 250 रुकावटें कर दी गयीं और छोटे-मोटे एनिकट बना दिये गये। उसके कारण यह हुआ कि जवाई बांध में इतना

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

ही पानी आता है कि या तो पेयजल के लिए बड़ी मुश्किल से होता है, थोड़ा-बहुत पानी आया तो वह सिंचाई के लिए, जो भी अपने एरिया तय होते हैं।

सभापति महोदय, मेरे जालौर जिले में यह नदी 250 गांवों को टच करती हुई चलती है। एक समय था, जब जालौर जिले से अनाज एक्सपोर्ट होता था, आज बिलकुल उजड़ गया है। हुआ यह है कि उस नदी के किनारे प्राइवेट तो छोड़ो, पी एच ई डी के 700 ट्यूबवैल हैं। हर साल उन 700 में से 10 से 15 परसेंट टयूबवेल सूख जाते हैं। मतलब, आन-एन-एवरेज 5 करोड़ रुपयों की चपत पी एच ई डी को, सरकार को ही लगती है। सभापति महोदय, पानी तो पिलाना है, कैसे न कैसे एडजस्टमेंट करके पिलाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि किसी भी नेचुरल फ्लो पर रुकावट करना और नदी को रोकना गुनाह है, लेकिन जब बरसात का पानी आता है, बरसात के समय 10-15 दिन नदी चलती है, तो वह भी चलने नहीं दी जाती है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि डार्क जोन में नदियां हो गई हैं। आज हुआ क्या है कि जवाई नदी डार्क जोन में और उसके बाद बजरी का खनन हो गया, नीचे आ गया मड और जो थोड़ा-बहुत पानी आया, वह भी चला गया। मतलब, यह जालौर जिला एकदम उजाड़, रेगिस्तान हो गया।

(14.41 बजे)

(श्री कैलाश मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि कोई न कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि किसी भी बांध में इर्रिगेशन और पी एच ई डी का पानी देने के बाद अगर पानी बचता है तो उसका थोड़ा-बहुत परसेंटेज नेचुरल फ्लो के रूप में छोड़ा जाए, जिससे वह नदी जीवित हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी जालौर जिले की भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ हैं, आपने चुनाव लड़ा, तब तक अनार के बगीचे जालौर जिले में हुआ करते थे। आज वे उजड़ गये। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, इस जवाई नदी को वापस जीवित करने के लिए, अगर इर्रिगेशन और पी एच ई डी के लिए जो पानी है, उसके बाद में जो पानी बचता है, उसको थोड़ा-बहुत

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

नेचुरल फ्लो में छोड़ने की व्यवस्था की जाए। यह पूरे राजस्थान में होना चाहिए। इससे नदियां अगर जीवित रहेंगी तो सही रहेगा। आज आप कह रहे हैं कि सुजलाम-सुफ्लाम गुजरात ने कर दिया। वइ इसीलिए कि जमीन के पानी का जो स्तर है, भू-जल स्तर है, वह ऊंचा कैसे आए। एक तरफ आप नदियां सूखा रहे हों और दूसरी तरफ इसकी चिंता कर रहे हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपका किसान मर जाएगा, गांव के गांव मर जाएंगे तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? शहर कैसे बेढ़ेंगे? विकास कैसे होगा? आज यह स्थिति है कि मेरे जालौर जिले से 60 प्रतिशत लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। उनकी होती हुई खेती उजड़ गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज यह जो चिन्ता बार-बार खाये जा रही है, यह जो जवाई पुनर्भरण का विषय आया है, इस विषय में भी आप संवेदनशील बनें। यह बहुत बड़ा विषय है। यह कम से कम 4 जिलों, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली, इनको अगर आप जीवित देखना चाहते हैं तो इस जवाई नदी को जीवित कर दीजिए। इसके लिए आप एक कमेटी बनाएं और इसके लिए कहीं न कहीं एक रास्ता ढूंढें, जिससे यहां पर रहने वाले किसान और नदी के किनारे रहने वाले गांवों को हम सुखी जिंदगी दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक और निवेदन करूंगा कि यह डार्क जोन का भूत तो आपने दे दिया, उसके बाद अपने खेत पर किसान का ट्यूबवेल है, वह अगर ट्यूबवेल की सफाई करना चाहे, या बेरे की सफाई करना चाहे, तो भी डार्क जोन होने के कारण तहसीलदार और कलक्टर के नोटिस पहुंच जाते हैं। कम से कम उस किसान को दो रोटी कमाने के लिए कुछ तो इलाज करिए। कहीं न कहीं नियमों में संशोधन करके यह जो डार्क जोन का भूत है, इसको निकालें।

मंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि यह पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर, इन चारों जिलों की जनता आपको भगवान मानेगी; अगर आप यह जवाई पुनर्भरण वाला विषय लाकर इस जवाई नदी को पुनर्जीवित करोगे तो मैं यह कह रहा हूं कि हमारे चारों जिलों के लिए आप देवता के रूप में पूजे जाओगे।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड कर रहा है कोई?

श्री विजय बंसल।

भरतपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों के बारे मेंमैं स्वायत शासन मंत्रीजी और पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की महारानी श्री जया कालेज से आगरा जाने वाली सड़क, चिकसाना होकर, पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सन 2005 में इसका नवीनीकरण हुआ था लेकिन संवेदक और विभाग की लापरवाही की वजह से यह पूर्णतया टूट चुकी है। पिछले कार्यकाल 2008-13 के बीच भी मैंने इस बात को बार-बार उठाया था, आश्वासन मिले लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फरवरी माह में भरतपुर सम्भाग के दौरे पर जब राजस्थान की मुख्य मंत्री वहां पहुंची थीं तो माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब के सामने भी मैंने इस बात को उठाया था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इसके वर्क आर्डर बहुत जल्दी करा दिए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 22 मार्च को आदरणीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जब वहां पधारे थे और उन्हांने उसी रोड पर नगर सेवा समिति का दौरा किया था, इस टूटी हुई सड़क के बारे में उन्होंने काफी नाराजगी प्रकट की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ ही, भरतपुर से चिकसाना होते हुए यू पी बार्डर तक, चिकसाना से हेतमपुर तक और पंचायत समिति मरौली के गांव नंगला माना में, जो कि 2007 से ही राजस्व ग्राम बन चुका है, वहां आज तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान या किसी बीमार को अस्पताल जाने के लिए या किसी की मौत हो जाने पर वहां कोई भी रास्ता बरसात के दिनों में नहीं रह पाता है। मेरा पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस गांव के रास्ते बनवाने के लिए जमीन

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

अधिग्रहित करने की आवश्यकता है। इस काम को मैंने पिछले पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर भरत सिंह जी के सामने भी उठाया था, तब उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी ही कार्यवाही होगी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से भरतपुर से हिण्डौन वाया बयाना सड़क भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर से आगरा वाली रोड एन एच-11 बनने से पहले यही एकमात्र रोड थी। भरतपुर में घना पक्षी विहार होने के नाते अनेक देशी-विदेशी पर्यटक भरतपुर आते रहते हैं। वहां बड़ी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब वे इन रोडों से गुजरते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से हिण्डौन वाली जो सड़क है, वहां प्रसिद्ध कैला देवी के मेले में लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां विभिन्न संगठन पिछले एक वर्ष से इस क्षतिग्रस्त मार्ग को सही कराने के लिए धरना, आंदोलन, प्रदर्शन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा साथ-साथ स्वायत्त शासन मंत्रीजी से भी निवेदन है कि भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर कालोनियों के सारे कन्वर्जन हो चुके हैं। साथ-साथ भरतपुर शहर में सीवरेज लाइन, चम्बल पाइपलाइन एवं भूमिगत बिजली की केबल डलने के कारण सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अनेक व्यापारिक संगठन इस बारे में आंदोलनरत हैं। इन पर आप विशेष ध्यान देकर इनका कार्य चालू करायें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी रेस्पोंड करेंगे? माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर-अचनेरा सड़क का जिक्र किया है। यह 18 किलोमीटर लंबी है। यह बात सही है कि वह सड़क नॉन-पैचेबल है, फिर भी हमने उसके कुछ पैचवर्क करवाये हैं, उस सड़क को मोटरेबल किया है। 0 से 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह यू डी एच डिपार्टमेंट का है, वहां यू आई टी उसको मेनटेन करती है। चूंकि वहां आर यू आई डी पी का भी सीवरेज का काम चल रहा है, सीवरेज का काम पूर्ण होने पर जो शेष कार्य उसका रह गया है, वह हो जाएगा।

जहां तक शेष 15 किलोमीटर सड़क है, जो हमने अभी एस्टिमेट बनाया है, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि भरतपुर सम्भाग के दौर

(श्री युनुस खान)

पर भी मुझे वह सड़क दिखाई थी और वह नोन-पैचेबल सड़क है। उन नोन-पैचेबल सड़कों का निर्माण अब हम करेंगे अगले वित्तीय वर्ष में। इस पर 18 करोड़ के लगभग लागत आएगी। तो प्राथमिकता के आधार पर और वित्तीय व्यवस्था होन पर इसका काम भी हम करेंगे।

मैं आपकी नालेज के लिए बता दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में 11 सड़कें जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, अनपैचेबल हैं, 18.20 किलोमीटर के लिए हमने टेण्डर दिया है 3 करोड़ 64 लाख का, वह कल खुलेगा। तो कुछ सड़कें तो इनकी हम रिपेयर कर देंगे, उनका तो अच्छा काम, पुनर्निर्माण कर देंगे, लेकिन यह सड़क 2008 में बनी थी, 2008 से लेकर अभी तक इसका नवीनीकरण नहीं हुआ। यह क्षत-विक्षत हालत में है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर हम लेंगे और इस काम को करेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजथान लोक सेवा आयोग का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35

(श्री युनुस खान)

(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभू लाल सैनी।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 क्लाज 2 के अन्तर्गत राजथान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

आयुक्तालय, विशेष योग्य जन, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा 65 के अन्तर्गत आयुक्तालय, विशेष योग्य जन, राजथान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहाकार समिति का प्रतिवेदन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 10)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 12.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 26 फरवरी, 2015 से 9 मार्च, 2015 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015 शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2015	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 28 फरवरी, 2015 रविवार, दिनांक 1 मार्च, 2015	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2015	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 2015	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2015 गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2015 शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2015 शनिवार, दिनांक 7 मार्च, 2015 रविवार, दिनांक 8 मार्च, 2015	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 2015	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 का उपस्थापन।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव कीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रवर समिति

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 2015। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री प्रभारी मंत्री।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज, (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

(1)	भारतीय जनता पार्टी	12 घण्टे 45 मिनट
(2)	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	1 घण्टा 56 मिनट
(3)	नेशनल पीपुल्स पार्टी	20 मिनट
(4)	बहुजन समाज पार्टी	15 मिनट
(5)	नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
(6)	निर्दलीय	34 मिनट
	कुल समय	16 घण्टे

(श्री अध्यक्ष)

मैं सभी माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय कार्य सलाहकार समिति में चर्चा हो रही थी, उस समय यह एक सम्मति उभरकर आई कि हमेशा सदन को 6 बजे तक चलाया जाए। 6 बजे तक चलाया जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे सभी सदस्यों की, पक्ष की, प्रतिपक्ष की, सदन के नेता की इसमें सहमति हो और इसके लिए आवश्यक है कि वे यहां पर बोलने के लिए नाम देते समय अपने विधायकों का और समय का, विधायकों का और समय का ध्यान रखते हुए यहां पर नाम दें। हम चाहते हैं कि हमेशा 6 बजे सदन को एडजोर्न कर दिया जाए। उसके बाद अपन लगातार इसी क्रम में चलते रहेंगे। यह एक राय आई थी, मैं आप सबके सामने कार्य सलाहकार समिति में आई इस राय को रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस हिसाब से चलेंगे।

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रारम्भ होता है। श्री जोगाराम पटेल, विभाजन संख्या 67, सदस्य, विधान सभा, धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जाए :-

'इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।'

(15.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राजयपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक के रूप में अपनी बात कहने का अवसर दिया।

राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की परम्पराओं और राजस्थान के इस पवित्र सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष की ओर से अनेक माननीय सदस्यों ने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह पवित्र सदन है जहां पर माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत सरीखे, इतने व्यक्तित्व

(श्री जोगाराम पटेल)

के धनी ने भी इसी स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कही थी, इसी पवित्र सदन में अपनी बात कही थी। अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव मेरे द्वारा इस गरिमामय पवित्र सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके समर्थन में चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा हूं।

राजस्थान की जनता ने करीब 13-14 महीने पूर्व एक ऐतिहासिक फैसला लिया। शायद राजस्थान के इतिहास में वह एक ऐसा ऐतिहासिक पहला फैसला था और इस ऐतिहासिक फैसले के तहत राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, परम आदरणीया वसुन्धरा राजे जी को और उनके साथ 162 विधायकों को सेवा का अवसर दिया। परमपिता परमेश्वर और जनता की कृपा से 13-14 महीने पूर्व राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान के ऐतिहासिक भवन के सामने अपना कार्यकाल प्रारम्भ किया और उस कार्यकाल के 13-14 महीने के दौरान उन्होंने सेवा भाव से, विनम्रता से, बिना किसी भेदभाव के, समग्र जनता का कैसे विकास किया जा सकता है, सेवा कैसे की जा सकती है, इस भाव को लेकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास का एक विजन दिया।

परम सम्माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की नीति और सपनों को लेकर आगे बढ़ रही राजस्थान की सरकार ने रोजगार के अवसर सृजित करने, आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण करने, कानून-व्यवस्था में सुधार करने के संकल्पों को पूरा करने के पूरे मनोयोग से अपना कार्य प्रारम्भ किया। राजस्थान एक खुशहाल प्रदेश हो, विकसित प्रदेश हो और यहां की जनता के हर प्रकार के दु:ख-दर्द में सरकार उनकी साथी बने।

मैं इस अवसर पर इतना भी निवेदन करना चाहूंगा, इस पवित्र सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य एक मत अवश्य होंगे कि हम सब राजस्थान की जनता की सेवा के लिए आये हैं, राजस्थान की जनता ने हमें सेवा के लिए यहां भेजा है। भले ही हम दिखावे के लिए पक्ष और विपक्ष की आलोचना करें, लेकिन सेवा भाव सबके मन में है। हम सेवा भाव के आधार पर ही राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए..., इस सदन में मैं यह निवेदन भी करूंगा माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से कि वे वरिष्ठ भी हैं, जानकार भी हैं, उनके में भी सेवा भाव है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री राजस्थान की जनता के साथ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की सहभागिता से भी सेवा करना चाहती है, ऐसी अपेक्षा भी रखती है। हम उन

(श्री जोगाराम पटेल)

सबके उन सकारात्मक सुझावों को सहर्ष स्वीकार करते हैं जो राजस्थान की जनता की सेवा के लिए जरूरी हैं, उपयोगी हैं, काम आने वाले हैं, स्यूटेबल हैं।

मैं यह भी आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर उन सब विषयों पर गहनता से विचार करें, एक ऐतिहासिक निर्णय भी लें, जिससे राजस्थान की जनता को ऐसा लगे कि हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है। इतना ही नहीं, हम सबका यह दायित्व भी है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो मुद्दे जनता की सेवा के लिए जरूरी हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम अनावश्यक आलोचना नहीं करें, समालोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें, ताकि सरकार उनकी गंभीरता पर विचार, आत्मावलोकन कर जनता की सेवा में और चार चांद लगा सके। हम सब बैठकर पक्ष और विपक्ष उन सब विषयों पर चर्चा करें जो जनता के हित के लिए आवश्यक हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करूंगा कि वे ऐसे ठोस और सकारात्मक मुद्दे या सुझाव रखें जो राजस्थान की सात करोड़ जनता के हित में हों। उनके आत्मावलोकन से ही हम जनता की सेवा में जा सकते हैं, हम जनता के बीच में जा सकते हैं। हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम सेवा के लिए सेवा भाव से आये हैं।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री इस मंत्रणा के साथ, इस भाव के साथ जनता की सेवा कर रही है और वह भाव है ''नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना:। शुष्क वृक्षाय मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन।'' उनका भाव नम्रता के साथ सेवा का है, विश्वास के साथ सेवा का है, सेवा भाव के साथ सेवा है और वह सेवा भाव है जिसकी परिकल्पना आपको नहीं हो सकती, पर राजस्थान की सात करोड़ जनता को है। इसीलिए उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया है।

राजस्थान एक विचित्र भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है। राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में जाएं तो अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से कम घनत्व का क्षेत्र है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे राजस्थान में 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र, आप पश्चिम में जाएंगे सूखा कहेंगे, लेकिन आजकल सूखा कम है; आप पूर्व में जाएंगे, नदियों वाला प्रदेश कहेंगे;

(श्री जोगाराम पटेल)

आप दक्षिण में जाएंगे तो सरसब्ज कहेंगे, लेकिन लगता है कि राजस्थान का यह प्रदेश विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है।

यह प्रदेश एक ऐसा भी प्रदेश है जो इटली के समान अगर गिनें तो भौगोलिक दृष्टि से उससे बड़ा है, यू.के., यूनाइटेड किंगडम से छोटा है। इन भौगोलिक परिस्थितियों में कई तरह की जातियां और बोलियां भी हैं। 12 कोस से यहां बोली बदलती है, 12 कोस से प्रवास बदलता है, 12 कोस बाद आदमी का विचार बदल जाता है। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है।

राजस्थान शक्ति और समर की भूमि है। राजस्थान वीरांगनाओं और भामाशाहों की भूमि है। हमें गर्व है, हम उस देश और उस मिट्टी के वासी हैं, हमने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, हमने इस प्रदेश की मिट्टी में जन्म लिया है।

मैं इस मौके पर यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान की सेवा कैसी हो, किस तरह से की जाए, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की जनता ने क्यों लिया, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। करीब 13-14 महीने पूर्व तपती धूप में, माह अप्रैल और मई की तपती धूप में, गांव की टूटी सड़क पर, शहर की तंग गलियों में, घनत्व आबादी वाली जनता के बीच में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने 14 हजार किलोमीटर की सुराज संकल्प यात्रा की। हर गांव और हर ढाणी को उन्होंने देखा, वहां की समस्या को समझा। वहां की पानी की, स्कूल की, सड़क की, बिजली की समस्या को देखा और समझा। एक-एक जगह जाकर, जनता के बीच में जाकर, उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि मेरे राजस्थान की क्या हालत है। जब उन्होंने नजदीक से देखा, समझा और लाखों की भीड़ के दुख को देखा तो उनको यह दर्द समझ में आया कि वाकई राजस्थान की जनता के बीच में दर्द है। पूर्ववर्ती सरकार ने यह दर्द दिया है। उन्हें मौका मिलेगा तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।

इतना ही नहीं, सुराज संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हर चीज को नजदीक से देखा था, हर व्यक्ति के दुख और दर्द को समझा था, हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को गिना था और उनके मन में एक तमन्ना थी कि ईश्वर और जनता अगर सेवा का मौका देगी तो हम सेवा का प्रयास करेंगे। सुराज संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसी पवित्र ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमने 13 दिसम्बर, 2013 को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री के सानिध्य में, उनके साथ रहकर एक सरकार बनायी। एक अवसर मिलने के साथ ही सुराज संकल्प की नीतियों को स्वीकार किया गया। इसी के आधार पर हमने राज्य की विकास नीतियां, कल्याणकारी नीतियां बनाने का फैसला किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के नव-निर्माण की परिकल्पना के साथ सरकार ने राजस्थान विजन, 2020 को तैयार किया है और इस दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। यह जो विजन दिया गया है, इस विजन के आधार पर उन्होंने हर क्षेत्र में आधारभूत कार्ययोजना तैयार की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, विकास ही सरकार का मूल मंत्र है। सरकार प्रदेश की 36 कौमों के विकास के लिए वचनबद्ध है। एक वर्ष के दौरान पिछड़े एवं कमजोर वर्गों, युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एस.सी. और एस.टी. के भाइयों, किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को नया मोड़ दिया गया है। आधुनिक और प्रगतिशील राजस्थान के नवनिर्माण की दिशा में राजस्थान की वर्तमान सरकार प्राणप्रण से जुटी हुई है और इसी के आधार पर वह आगे बढ़ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सेवा करे, लेकिन सेवा किस भाव से करे, यह भी बहुत बड़ा है। महात्मा गांधीजी को उद्धृत करते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को जब पार्लियामेंट में अभिभाषण दिया था, उसमें जो भाव था उस भाव को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री अपने ध्यान में रखते हुए सेवा के भाव से काम कर रही हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, ''The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye, that may be beyond us. But as long as there are tears, that is, suffering, our work will not be over." राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री भी यह मानती हैं कि जब तक मैं राजस्थान की सात करोड़ जनता के प्रत्येक व्यक्ति का आंसू नहीं पोंछ दूं, जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है उसकी सेवा नहीं करूं, उसका उत्थान नहीं करूं, तब तक कुछ नहीं। अन्त्योदय के रूप में जो आदरणीय भैरोंसिंह जी ने योजना शुरू की थी, उसमें जो भाव था, उस भाव के रूप में जाकर हर व्यक्ति की सेवा न हो जाए, उसी के आधार को मानकर यह सेवाभाव का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की लोकप्रियता नापने के कई पैमाने हो सकते हैं। सरकार की लोकप्रियता किस तरह की व कैसी है, यह कई बार जनता नापती है; कई बार सदन में भी विचार-विमर्श होता है; कहीं विश्लेषण भी आते हैं; कोई आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से कई विशेषज्ञ होते हैं वे भी नापते हैं, लेकिन इसको पैमाने पर नापने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान यहां जो मेरे साथी भाई, जो उधर बैठे हैं, वे पिछली बार इधर बैठे थे और उन्होंने जो बात सदन में कही थी, वह सदन के रिकार्ड पर है। सदन के रिकार्ड पर जो बात हुई, आज जिस तरह से मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रख रहा हूं, उसी तरह का प्रस्ताव तत्कालीन केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था। उस वक्त भी वहीं परिस्थितियां थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय एक ऐसी विचित्र चीज है, परिस्थितियां और संयोग ऐसी विचित्र चीज हैं कि वे उसी स्थान पर खड़ी हैं। वह 23 तारीख थी पर जिस दिन जवाब हुआ था उस दिन 26 तारीख थी, यही महीना था, ऐसे ही करीब 13 महीने हुए थे। उस वक्त माननीय सदस्य ने इस विधान सभा के पवित्र सदन में जो बात कही थी उसको मैं कोट करना चाहूंगा और उसके उपरांत मैं मेरी बात कहूंगा।

''दिसम्बर, 2008 में जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला वो पूरा जनादेश नहीं था। उसके बावजूद सरकार की कार्यशैली, सरकार के द्वारा जो फैसले किये गये, गरीब को केन्द्र बिन्दु मानकर जो नीतियां बनायी गयीं, चार महीने बाद जो लोक सभा के चुनाव हुए, अध्यक्ष महोदय, उसमें पच्चीस में से बीस स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को संसद में भेज कर राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार के निर्णयों पर मोहर लगायी।'' मैं अभी निवेदन करूंगा, आगे और कोट करने के बाद। ''इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि स्थानीय निकायों और हमारा कब्जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में हमारी पकड़ ज्यादा है, उसके कुछ समय बाद 2009 के अन्दर जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उनमें भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया राजस्थान की जनता ने।'' अभी मैं निवेदन करूंगा कि किसका सूपड़ा साफ हुआ। जिन नगर निगमों में बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल तक कांग्रेस पार्टी अपनी जगह नहीं बना पायी, वहां पर ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की। अभी हाल ही में जो पंचायत राज

(श्री जोगाराम पटेल)

संस्थाओं के चुनाव हुए, उनमें राजस्थान की तैंतीस जिला परिषदों में से छब्बीस जिला परिषदों पर कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया। यह अलग बात है कि हमारी चौबीस जिला परिषदें कांग्रेस पार्टी की बनीं। पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया। अब सवाल यह है कि विपक्ष के लोग किस बात को सरकार की लोकप्रियता का पैमाना मानते हैं।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने भी इसी आज की तारीख, 26 फरवरी को इसी बात पर अपना वक्तव्य दिया था, वाद-विवाद के उपरांत सरकार के मुखिया के नाते उन्होंने जवाब दिया ओर उनका जो जवाब था, वह भी इस पवित्र सदन में रिकार्डेड है। उन्होंने जो कहा था, उसको कोट करने के बाद में मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं उनके वक्तव्य को कोट कर रहा हूं-

''पिछले एक वर्ष से आपने ठीक कहा कि हर चुनाव जीते हैं, कड़ी से कड़ी जुडी है, जनता ने हमें साथ दिया, बहुमत मिला। तारानगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कल कह थे, एक परसेंट का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए कांग्रेस को इतराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी फितरत में है इस प्रकार से बोलना, कि कौन वहां पर खण्डन करेगा, कौन कागज देखेगा और मेरा काम चल जाएगा। इनकी फितरत में है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोक सभा चुनाव जीते तो 49 परसेंट से 2004 में जीते थे आप लोग उस वक्त और अब 36.47 पर आ गये हैं। 13 प्रतिशत का घाटा हुआ, 13 प्रतिशत कम वोट आये आपके और कांग्रेस को 6 परसेंट की बढ़त मिली। विधान सभा में भी 39 परसेंट से आप 34 परसेंट पर आ गये और अभी जो लोक सभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की जो 96 सीटें जीतकर आये थे हम लोग, इसका सेगमेंटवाइज हम लोग देखें तो हम 96 के बजाय 143 पर आ गये, आप 78 जीतकर आये हैं, आप 43 पर आ गये। तो इसलिए इस प्रकार से जो आंकडे दिये गये, म्यूनिसिपल इलेक्शन के अन्दर भी हम लोग कामयाब हुए, 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई हमारे वोटों में, पंचायतों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, और आप 43 से 41 पर आ गये। तो यह जो आपने कहा कि कांग्रेस को इतराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतराते तो आप लोग थे जब सत्ता में थे। तो इतराये, इसलिए आपकी यह दुर्गति हुई। क्योंकि आपको अवसर मिला, आपने कोई चिन्तन नहीं किया।''

(श्री जोगाराम पटेल)

अब मैं इन दोनों वक्तव्यों को कोट करने के बाद आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार की लोकप्रियता नापने का पैमाना क्या है। जो पैमाना उस वक्त के माननीय सदस्यों ने या माननीय सदन के नेता ने दिया, वह है, तो मैं उसी पैमाने को साधारण मानकर आज आपके सामने कहूंगी कि सरकार की लोकप्रियता नापने का क्या आधार है और किस आधार पर आप इस सदन में कहेंगे कि इस सरकार की लोकप्रियता घट गई है, या सरकार लोकप्रिय नहीं है, या लोकप्रियता के कार्य नहीं कर रही है, यह राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री सरकार की या जनता की सेवा नहीं कर रही है। उसमें पहला जो है, वह है, राजस्थान विधान सभा के चुनाव और उसके परिणाम। शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई विधान सभा नहीं होगी जिसमें इतना बड़ा जनादेश जो राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, वैसा जनादेश नहीं दिया कि 163 बी.जे.पी. के एम.एल.ए. जीतकर आयें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : दिल्ली में लोकप्रियता का पता नहीं चला क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : सूपड़ा साफ हो गया, एक भी नहीं है दिल्ली में आपका। गिनती में ही नहीं हो। कांग्रेस-मुक्त दिल्ली। डोटासरा साहब, कांग्रेस-मुक्त दिल्ली। मैं निवेदन यह कर रहा था, मेरी देखो, उससे पहले खुद की देखो; दीया तले अंधेरा है।

मैं निवेदन कर रहा था कि फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन आये, इसी तरह से जैसे आज बोल रहे हैं वैसे ही, ''पार्लियामेंट में आपको देखकर बता देंगे, आप बहुत इतराते हो'', ''पार्लियामेंट इलेक्शन आया, हम जनता के बीच में गये। हमने जनता से निवेदन किया कि कौन सेवा करने वाला है, कौन सेवा करने वाला नहीं है; कौन किस तरह की बातें करता है; कौन बैठे-बैठे इधर-उधर की बातें करता है। तो राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सेवा में दीं और नरेन्द्र जी मोदी को पहली बार ऐतिहासिक बहुमत से हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बनाया।

यह दो के बाद तीसरा मौका आया नगरपालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव का। ये हमको हमेशा कहते थे कि नगरपालिकाओं में और नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी आपके सामने पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मुख्य मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा, उस वक्त केकड़ी से आने वाले

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय विधायक का आपके सामने वक्तव्य पढ़ा, लेकिन नगरपालिकाओं और नगर निगमों में इनकी क्या हालत हुई, कि राजस्थान में टोटल 6 निगम हैं और पूरे के पूरे 6 निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गये। एक भी निगम में एक भी मेयर कांग्रेस का नहीं बना। एक भी निगम में इनको बहुमत नहीं मिला। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 46 निकाय हैं, जिनमें से 40 पर बी जे पी का बहुमत है, 40 में बी जे पी के मेयर, बी जे पी के सभाध्यक्ष या सभापति बने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इनको आंकड़ों के लिहाज से गिनेंगे तो कांग्रेस को सिर्फ छह, वह भी छोटी-मोटी, कोई निकायों मे सेवा करने का मौका मिला।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों से, जो मेरे से वरिष्ठ हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका वक्तव्य इस विधान सभा के पवित्र सदन में दिया गया है कि आपका सूपड़ा साफ हो गया, अब आप यहां खडे होकर बताना कि सूपड़ा साफ किसका हुआ। हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपके ही शब्द प्रयोग किये हुए हैं जिनको हम आपको याद दिला रहे हैं। मैं यह भी नहीं कहना चाहूंगा, आपके ही शब्द कहे हैं कि जनता ने आपको नकार दिया, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप खड़े होकर यह बताना कि जनता ने किसको नकारा है। मैं यह भी कहूंगा, तत्कालीन सदन के नेता ने यह कहा था कि आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, अब आप यह भी कहना कि आत्मावलोकन करने का किसका अवसर है।

इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और हम यह आज तक सुनते आये हैं, 30-40 साल से सुनते आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की इतनी गहरी जड़ें हैं कि उसको कोई हिला नहीं सकता, वटवृक्ष की तरह है और आज तक हमारा ही क्षेत्र रहा है ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे को और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री आदरणीय गुलाबचन्द जी कटारिया को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। शायद ही कोई कांग्रेस ने कभी, जितना भी उनका शासनकाल रहा हो, कोई ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया हो। सबसे पहले माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने, उस समय आप भी इस राजस्थान की विधान सभा में सरकार के हिस्से के रूप में बिराजते थे, एक

(श्री जोगाराम पटेल)

ऐतिहासिक निर्णय लिया था और पंचायतों का पुनर्गठन करवाया था। उसके 30 साल बाद फिर पंचायतों के पुनर्गठन का अगर कोई निर्णय लिया है और मात्र तीन माह की अवधि के अन्दर-अन्दर पंचायतों का पुनर्गठन का अगर कोई ऐतिहासिक निर्णय लेकर, कार्य योजना बनाकर, उसको सम्पूर्ण किया है तो वह राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस पंचायती राज के पुनर्गठन से बहुत बडे लाभ हैं। सारी योजनाएं मिलती हैं, विकास के पैसे भी मिलते हैं। छोटी-छोटी पंचायत होने पर पंचायतों तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, यह विकास के विजन को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी था। 2011 की जनसंख्या आ चुकी थी। पहले ही पंचायतें बहुत पुरानी, 2001 की जनसंख्या और उससे पुरानी पंचायतें बनी हुई थीं। इस विजन को आगे रखते हुए, इस विजन के आधार पर जब यह पंचायतों का पुनर्गठन हुआ तो इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए 47 पंचायतें नई बनाई गईं; 64 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, पुनर्सीमांकन किया गया; 723 नई ग्राम पंचायतें बनाई गईं; और 1,423 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। इन सबका कार्य, निर्धारित अवधि के अन्दर, सबको तीन-तीन बार की सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त, अधिकारियों को, जनता को तीन-तीन बार का अवसर देने के उपरान्त, सभी कानूनी प्रावधानों को देखने के उपरान्त विधिवत इनका गठन किया गया है। यह पहला एक ऐतिहासिक निर्णय था और ऐतिहासिक निर्णय को बड़ी दृढ़ता से, जनता के विश्वास के साथ में इसको पूरा किया गया।

इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि राजस्थान की जनता में तत्कालीन समय में, 1993 से पहले एक ओर सरपंच पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते थे, पंचायत समिति के प्रधान पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते थे। मेरे उन वर्ग के भाइयों को, उन वर्गों के भाइयों को मौका नहीं मिलता था जो गांव में गरीब के रूप में हैं, एस टी वर्ग से आने वाला है या एस सी वर्ग में आने वाला है। तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नया पंचायती राज एक्ट बनाया, जिसका नाम राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 दिया गया। सन् 1992 में बनना प्रारम्भ और 1994 में जाकर पूरा हुआ और पहली बार राजस्थान में उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से आरक्षण दिया गया, जो मठाधीशों की वजह से आ नहीं पा रहे थे।

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरी बार ऐतिहासिक निर्णय लिया राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने और आदरणीय गुलाबचन्द जी कटारिया ने कि उन लोगों को, जो भी, उसके बाद भी कई ऐसे लोग हो गये थे, जो अपनी एक जाजम जमाये हुए बैठे थे, दूसरे लोगों को मौका दिया। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। आज का जमाना युवाओं का जमाना है। आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी की निगाह में वह जो युवा वर्ग है, वह देश की शान और आन है, उसको मौका मिलना चाहिए। 4,000 से भी अधिक संख्या में, मुझसे गलती हो सकती है, अधिक अनपढ़ता के कारण विभिन्न सरपंचों और पंचों पर मुकदमे हो गये थे। प्रधान काम नहीं कर पा रहे थे, ग्राम सेवक एक जगह जमे हुए थे।

तीन ऐतिहासिक निर्णय लिये राजस्थान की सरकार ने और वे ऐतिहासिक निर्णय इसलिए भी जरूरी थे, क्योंकि आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी ने स्वच्छ राष्ट्र की परिकल्पना की थी कि हमारा देश एकदम साफ-सुथरा और स्वच्छ राष्ट्र होना चाहिए। उस परिकल्पना के तहत, सबसे पहले आज आपके सामने संशोधन का बिल आया है, संशोधन का एक्ट आया है कि जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा पंचायती राज चुनावों में, उनके घर पर शौचालय होगा और वह पूरे परिवार के लिए काम आने वाला होगा। ऐसे ही शौचालय नाम का नहीं होगा। पहली बार इतिहास में निर्णय लेने के उपरान्त हर घर में शौचालय बनें। करीब छह लाख से ऊपर वह इन दो-तीन-पांच-छह महीनों के अन्दर-अन्दर शौचालय बनकर तैयार हो गये।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक योग्यता का जो निर्णय लिया गया, इस शैक्षणिक योग्यता के निर्णय के आधार पर, अभी जो आपके सामने आंकड़े आये हैं और पंचायती राज मंत्री पूरे विस्तार में आपको आंकड़े बतायेंगे, पढ़े-लिखे, एम.टेक, एम.ए., बी.ए., बी.एड. और इससे भी बड़ी-बड़ी पढ़ाई किये हुए लोग पंच-सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बने हैं और वह जो वर्ग है, वह अंदाजन 21-22 साल से लगाकर 30-35 वर्ष के बीच का वर्ग आया है। इनका बहुत बड़ा लम्बा भविष्य है और इनका बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य भी है कि आज वह पढ़ा-लिखा एक सरपंच बना है। एक पढ़-लिखा व्यक्ति 40 और 50 और 60 साल की उम्र तक जब वह आयेगा तो इस विधान सभा या पार्लियामेंट का हिस्सा भी हो सकता है। उसके बहुत उज्जवल भविष्य की परिकल्पना है। एक युवा वर्ग को पहली बार, एक पढ़े-लिखे युवा वर्ग को पहली बार राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में जनता की सेवा

(श्री जोगाराम पटेल)

करने का मौका दिया है। जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का पैसा आता है, राजस्थान की योजनाओं का जो पैसा आता है, वह पैसा सही रूप में सही स्थान पर लगे, सरकारी अधिकारी उस जन-प्रतिनिधि को भ्रमित नहीं कर दें, जन-प्रतिनिधि को ध्यान में नहीं होकर कोई पैसा खर्च कर दें, जिसकी शिकायतें आये-दिन मिलती रहती हैं, वह नहीं हो, इसको आधार बनाकर यह ऐतिहासिक निर्णय एजुकेशन का लिया गया।

इसकी आलोचना भी की गई। मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों ने पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दिये, इसके अध्यक्ष महोदय ने स्टेटमेंट दिये कि ऐन-टाइम पर लाया, इसलिए हम इसको कर नहीं सके। लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। कोई भी जगह खाली नहीं हुई। सब जगह पर प्रधान, जिला प्रमुख, सरपंच निर्वाचित हुए। हाइली एजुकेटेड परर्सन्स नौजवान आपके सामने आयें, बहनें और भाई दोनों आयें। इससे लगता है कि राजस्थान सरकार का जो निर्णय था, वह बिलकुल सही निर्णय था, समय पर लिया गया निर्णय था और आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी की जो भारत की युवाओं की फौज की एक परिकल्पना है, उसके अनुरूप निर्णय था।

ये जो तीन निर्णय लिये गये थे, ऐतिहासिक निर्णय थे। इनके लिए मैं पुन: बधाई दूंगा और राजस्थान की जनता बार-बार बधाई दे रही है। इसी का परिणाम हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय इसी का परिणाम देखें, कभी कल्पना भी की होगी कि एक जिला परिषद में पूरी 25 की 25 सीट एक ही पार्टी को मिल जायें और इनका खाता भी नहीं खुले? और फिर भी हमारे ऊपर ये हंसे। जनका खाता नहीं खुले, कांग्रेस-मुक्त जो जिला हो जाये, उसके बावजूद भी ये ऊपर ये हंसे, तो हम उसके लिए इनको धन्यवाद ही दे सकते हैं, और तो कुछ कह ही नहीं सकते।

इतना ही नहीं, 33 जिला परिषदों में से कितनी जिला परिषदें इनके पास रहीं? मैं इन आंकड़ों में जाने से पहले तीन-चार बातें आपके सामने और रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की जब से स्थापना हुई, उसके बाद कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, जैसा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी ने लिया कि सभी पंचायतों में हर शुक्रवार को एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंचायत दिवस मनाया जायेगा। उस पंचायत दिवस में 9,000 ग्राम पंचायतों का जो रिकार्ड था, वह कहीं 10 साल से, कहीं

(श्री जोगाराम पटेल)

15 साल से, कहीं 20 साल से ऐसे ही पड़ा था, वह अपग्रेड हो गया, सारा रिकार्ड अप-टू-डेट हो गया। रिकार्ड एक जगह हो गया, रिकार्ड ही लिस्ट बन गई, रिकार्ड व्यवस्थित हो गया। रिकार्ड में किसका कायदे में आ रहा है, किसका कायदे में नहीं आ रहा है, इसकी व्यवस्था हो गई। विकास के जो कार्य हुए थे, जिन कार्यों का कोई लेखा-जोखा नहीं था, जिनको कभी कोई देखने वाला नहीं था, उन सबका भौतिक सत्यापन हुआ। जितनी भी विकास की निजी योजनाएं थीं, उन सबकी हाथों-हाथ उसी पंचायती राज दिवस के ऊपर स्वीकृतियां जारी हुई। इतना ही नहीं, मेरे एस.सी. भाइयों के लिए 1 हजार 400, एस.टी. भाइयों के लिए 7 हजार 528 पुराने भवनों के आधार पर उनके पट्टे जारी किये गये व 16 हजार 731 परिवारों को नि:शुल्क रियायती दर पर पट्टे जारी किये गये।

तीन वर्ष से पुराने एक स्थान पर जमे अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया। वे पन्द्रह साल से, बीस साल से, चाहे वह ग्राम सेवक हो, या कोई अन्य हो, कई साल से जमे हुए थे और किसी से हिलते भी नहीं थे। सरपंच साहब तो उनके आगे-पीछे फिरते थे। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि एक हमारे सरपंच साहब थे, मजाक के लिहाज में एक ग्राम सेवक जी गये और बोले, सरपंच साहब, आपकी ट्रांसफर हो गई; आपकी ट्रांसफर अमुख ग्राम पंचायत में हो गई; मैं आर्डर लेकर आया हूं। वे सरपंच साहब थोड़े बुजुर्ग थे, एकदम पसीना-पसीना हा गये और बोले, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, वहां मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो यही रहूंगा। उस लिहाज से आप विचार करें। इन अधिकारियों को समय पर परिवर्तित करना, एजुकेशन के सिस्टम को लाना और लगे कि पंचायती राज, वास्तव में जिस भावना से सन् 1952 में नेहरू जी ने नागौर में इसकी स्थापना की थी, उसका सही वास्तविक लाभ मिले।

इतना ही नहीं, आज तक जो काम होते थे पंचायती राज में, उससे आप सब परिचित हैं कि सरपंच साहब जो कहते वह जो जाता था, एम.एल.ए. साहब कहते वह हो जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय गुलाब जी कटारिया को, इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, आपको जो कार्य करवाना है, एक साल की कार्ययोजना आम ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर के वह बनाएंगे, उसमें से काम होगा। सबसे पहले ग्राम सभा बुलाएंगे, ग्राम सभा में एक साल में उस ग्राम में कौन-कौन से विकास के कार्य करवाने हैं, वह बनेंगे; वही विकास के

(श्री जोगाराम पटेल)

कार्य पंचायत समिति में जाएंगे। उस पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के वह कार्य आ जाएंगे, वह पंचायत समिति उस प्रस्ताव को पास करेगी और वे सारे के सारे कार्य जिला परिषद में जाएंगे। जिला परिषद उसको पास करेगी, वह सरकार को भेजेगी और सरकार उसी के अनुरूप बजट पारित करेगी। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय बिना कोई सोच-समझकर के नहीं लिया जा सकता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो ऐतिहासिक फैसले लिये गये, इसका प्रभाव भी मिला है और इसका प्रभाव क्या मिला, आप कृपया थोड़ा-सा देखें, 2005 में जहां बी जे पी के 13 जिला प्रमुख थे, कांगेस पार्टी के 16 थे और 3 निर्दलीय थे और जो मत प्रतिशत था वह 43.41 परसेंट था बी जे पी का, वर्ष 2010 में बी जे पी के सिर्फ 8 जिला प्रमुख रह गये, कांग्रेस के 24 हो गये व 1 निर्दलीय हो गया, लेकिन आप देखें, इन सारी योजनाओं का लाभ देखें, गवर्नमेंट की कार्य प्रणाली का असर देखें, गवर्नमेंट के 2020 के विजन का असर देखें, आदरणीय तत्कालीन पंचायती राज मंत्री द्वारा लिये गये निर्णयों का असर देखें, 2015 में जब चुनाव हुए तो 33 में से 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि जिला प्रमुख 21 बनें। लेकिन जब दूसरे दिन जब उप जिला प्रमुखों के चुनाव हुए तो 23 की जगह 24 जो उप जिला प्रमुख हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। इतना ही नहीं, कुल जिला परिषद के सदस्य 1014 हैं, उनमें से 590 जिला परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत कर के आये हैं, कांग्रेस पार्टी के मात्र 395 आये हैं, 8 सी.पी.एम. के आये, 15 निर्दलीय आयें और 6 बी एस पी के आयें। इसके उपरांत जब पंचायत समितियों के चुनाव हुए और पंचायत समितियों के चुनाव में भी आप देखें, वर्ष 2005 में जब चुनाव हुए तो बी जे पी के 124, कांग्रेस के 90 और 22 निर्दलीय और 1 सी.पी.एम. का था और जब 2010 में चुनाव हुए तो 72 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के, 159 प्रधान कांग्रेस के, 16 निर्दलीय और 1 सी.पी.एम. का जीत कर आया, लेकिन आप अभी का जो पैमाना देखें सरकार को नापने का, सरकार की योजनाओं को नापने का, सरकार की लोकप्रियता को नापने का, जब 2015 में पंचायत समितियों के चुनाव हुए तो 72 के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान 163 हो गये। 163 ही एम.एल.ए. जीत करके आये थे और 163 ही प्रधान जीत करके आये हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : प्रधान 300 हैं और एम.एल.ए. 200 हैं। इसमें गिरावट आई हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : इस भ्रम में आराम से जीते रहो। कांग्रेस के हो गए 159 से घटकर के 118, 12 निर्दलीय और 1 हो गया सी पी एम। इससे स्पष्ट है कि...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपके लिए तो, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सचेतक महोदय, बाबू भ्रष्ट हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : आपके कितने कम हुए, वह तो देख लें आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आप लोगों ने किया था उनको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है और जिस भ्रम में जी रहे हों, भगवान आपको उसी में जीता रखे।

पंचायत समितियों के कुल सदस्य जो हैं वे 6 हजार 236 हैं, उनमें से बी जे पी के 3,018 हैं और कांग्रेस के 2,534 हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 22 जिला परिषदों में जो निर्वाचित हुए हैं, उनमें 13 बी.ए., 8 एम.एम., 8 सीनियर सेकण्डरी और 4 सेकण्डरी थे। 37 प्रतिशत संख्या जो थी प्रधानों और जिला प्रमुखों की, वह 30 वर्ष के आसपास थी।

राजस्थान में कई बार आरोप लगाये जा रहे हैं हमारे ऊपर कि एक साल, या तेरह महीने हो गये, कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार की लोकप्रियता कैसे मापे, सरकार की लोकप्रियता मापने का पैमाना क्या है? इसलिए पहला पैमाना जो मैंने आपके सामने रखा, वह पैमाना इनके द्वारा दिया हुआ पैमाना रखा है। इन्होंने जो पवित्र सदन में पैमाना दिया, उसी को मैंने आपके सामने रखा है। अब आ तौल लें। अगर यह 72 आने के बाद भी या 163 आने के बाद भी उस पैमाने को रखें और उससे हम कई गुना अधिक आ जावें तो हमारी लोकप्रियता कम कैसे आंक सकते हैं? इनसे कई गुना अधिक मत हमारे फेवर में आये, प्रधान और जिला प्रमुख जीत करके आयें; पंच और सरपंच जो भी हैं, जो हमारे विचाराधारा के हैं, वे जीत करके आये हैं। ऐसी स्थिति में, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्श्न हो, चाहे नगरपालिका और नगर निगमों के चुनाव

(श्री जोगाराम पटेल)

हों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, इन तीनों ही चुनावों में अपेक्षाकृत दिन-प्रतिदिन हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, जन-प्रतिनिधि अधिक निर्वाचित होकर के आये हैं, हमारा जो पूर्व का कार्यकाल रहा, उससे कई गुना हमारे जन-प्रतिनिधि, प्रधान और जिला प्रमुख बने हैं। इसलिए मेरा पहला आकलन, जो इन्होंने फार्मूला दिया है, उस फार्मूले के आधार पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि राजस्थान की मौजूदा सरकार की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ रही है।

मान्यवर, इन तेरह-चौदह महीनों में चार बार आचार संहिता लगी। पहली बार पार्लियामेंट में इलेक्शन के दौरान, दूसरी बार उप चुनाव के दौरान, तीसरी बार नगरपालिका और नगर निगमों के चुनाव के दौरान और चौथी बार पंचायती राज के चुनावों के दौरान। तो कार्य करने हेतु 160 और 167 दिन के आसपास ही मिले हैं।

इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु पूरी तत्परता और मनोयोग से कार्य कर रही है। उसके ऐतिहासिक जो निर्णय लिये गये हैं, वे निर्णय भी मैं आपके सामने रखूंगा। राजस्थान की प्राथमिकताओं में राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देना, बिजली में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना हैं।

राजस्थान की मौजूदा सरकार को जो ऐतिहासिक जनादेश मिला है और राजस्थान की जनता ने माननीया वसुंधरा राजे जी को और सरकार को जो जिम्मेदारी सौंपी हैं, उस जिम्मेदारी का सरकार को पूरा अहसास है और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सरकार कानून-व्यवस्था को सुधारने, रोजगार के प्रयास सृजित करने, प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे मनोयोग से जुड़ गई है।

अंत में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति के विश्वास से शीघ्र ही राजस्थान विकास की दृष्टि से हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश के रूप में आएगा, शामिल हो जाएगा। यह आने वाला है। यह एक विशिष्ट परिस्थिति वाला प्रदेश हमको मिला है।

पिछले साल दिसम्बर में राजस्थान की सरकार में जब परिवर्तन हुआ, ऐतिहासिक जनादेश मिला और उस जनादेश के दौरान राजस्थान की जो

(श्री जोगाराम पटेल)

आर्थिक स्थिति थी, पिछली सरकार का जो कुप्रबंधन था, उसको जब भुगतना पड़ रहा था, उसकी एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले यह जनता देख रही है कि हमारा विधायक बोलने की जगह नहीं बोलता है, नहीं बोलने की जगह बोलता है। यह आपकी जनता और आप सब देख रहे हैं। (व्यवधान) आपका बोलने का अवसर आयें, तब आप जरूर कहें कि कुप्रबन्ध कैसा है, लेकिन बीच में तो दो साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, वह भी नहीं बोलता है। उसको भी इतना ज्ञान होता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपका भाषण मैडम सुन रही हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : मेरा भाषण मैडम भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं और राजस्थान की सात करोड़ जनता भी सुन रही है। इतना ज्ञान भी आपको होना चाहिए।

अब जो मैं निवेदन कर रहा था, वह यह कि हमारे ध्येय अन्त्योदय का है। हम विकास, यानी जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं।

पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण जो आय आ रही है, उसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूं। 2003-04 में राजस्व घाटा 3,424 करोड़ था और यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। बजट भाषण में भी यह बात आयी थी और जब 2003-04 में राजस्व घाटा 3,424 करोड़ का था जब आप सत्ता छोड़ कर गये और जब 2007-08 में जो अंतिम बजट पेश हुआ, उसमें 1,653 करोड़ का सरप्लस आपको देकर गये। 1,653 का जो सरल्पस आपको देकर गये। 1,653 का जो सरल्पस बजट आपको देकर आये, 2013-14 में जब सत्ता छोड़ कर गये तो 2,560 करोड़ का आप राजस्व घाटा देकर गये। दुगने से भी अधिक हो गया। तो मेरा निवेदन यह है कि सरलपस आपको मिला था, वह भी गया और इतना 2,560 करोड़ का घाटा आप दे कर गये।

इस लिहाज से बजट के जो दो पैरा हैं, वे कोट करना चाहूंगा जिससे स्थिति पता लगेगी कि यह कुप्रबन्धन कहां तक है। मेरा निवेदन यह था कि जो बजट पेश हुआ, वह एक ऐतिहासिक बजट पेश हुआ, जिसकी सराहना न केवल राजस्थान की जनता ने की, बल्कि जिसकी सराहना आर्थिक विशेषज्ञों ने भी की, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी की। उसके जो दो पैरा हैं, वे मैं स्पेसिफिक रूप से पढ़ना चाहूंगा, 'मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में जब

(श्री जोगाराम पटेल)

हमने कार्य संभाला था तब राजस्व घाटा 3,424 करोड़ रुपये का था। वर्ष 2007-08 तक हमने इस घाटे को बदल कर 1,653 करोड़ रुपये का सरप्लस कर दिया, लेकिन पिछले पांच वर्षों के अकुशल गवर्नेंस ने राज्य को फिर राजस्व घाटे में ला दिया। 2013-14 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार यह राजस्व घाटा 2,560 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, वर्ष 2003-04 में जब हमने बागडोर संभाली थी तब फिस्कल डेफिसिट 6 प्रतिशत से अधिक था, इसको घटा कर हमने वर्ष 2007-08 में 1.75 कर दिया था।' 6 का 1.75, ''लेकिन पिछली सरकार इसको फिर 3 प्रतिशत से अधिक छोड़ कर गयी है।' और अंत में, ''इससे राज्य के ऊपर कर्ज का भार पहाड़ बन गया है। मार्च 2000 के अंत में कर्ज तथा अन्य लायबिलिटी का कुल भार 77,138 करोड़ रुपये था मार्च 2014 में ये 53,502 करोड़ रुपये से बढ कर 1,30,640 करोड़ रुपये का होना संभावित है। यही नहीं, हर परिवार रेन डेज के लिए बचत करता है। जिम्मेदार मुखिया होने के नाते मैंने भी ऐसे दिनों के लिए एफ आर बी एम एक्ट के माध्यम से राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन की नीति स्थापित की थी। इस कोष में हम लगभग 850 करोड़ रुपये जमा छोड़ कर गये थे लेकिन पिछली सरकार ने राजस्थान की गरीब जनता की इस बचत को भी खतम कर दिया। अफसोस की बात तो यह है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इतना कर्ज लेकर भी इसको प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडीचर पर नहीं लगाया गया, बल्कि परिवार के एक लापरवाह मुखिया की तरह केवल राजस्व खर्चे बढ़ाने के उपयोग में लिया गया। वर्ष 2003-04 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी, तब अतिरिक्त लिये गये कर्ज का केवल 42 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था। इसको बढ़ा कर वर्ष 2007-08 में 109 प्रतिशत तक ले गये, जो कि जी एस डी पी का 3.4 प्रतिशत था। राजस्व आधिक्य एंश्योर करने के कारण हम इतना अधिक पूंजीगत व्यय कर पाये। लेकिन एक बार पुन: गैर जिम्मेदाराना दौर आया और पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय घट कर जी एस डी पी का 2.9 प्रतिशत ही रह गया। यहां तक की 2010-11 में तो यह नेट बोरोइंग्स का केवल 67 प्रतिशत ही था। ऐसा लगता है कि जैसे पांच वर्ष से कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी कि वर्ष 2008-09 तक जब हमने सरकार छोडी, तब बिजली कम्पनियों का घाटा भी आपके सामने उद्धृत किया गया है।

''तो मैं बजट स्पीच के आधार पर निवेदन करना चाहता था कि किस तरह से कुप्रबंधन की वजह से राजस्थान को उस जगह पर लाकर खड़ा कर

(श्री जोगाराम पटेल)

दिया गया था कि विकास के काम एकदम सारे रुके हुए थे। फिर भी राजस्थान की सरकार ने एक कुशल मुखिया के नाते, परिवार को जिस तरह से मां व्यवस्थित करती है, परिवार में जिस तरह से मुखिया व्यवस्थित करता है, उसी रूप में वापस व्यवस्थित करने का प्रयास किया।

आज आपके सामने बिजली की व्यवस्था की एक बात आई। राजस्थान में सबसे अहम कोई विषय है तो बिजली वाला भी है। आरोप लगाया गया कि हमने पांच साल में बिजली का कोई दाम नहीं बढ़ाया, कृषि कनेक्शन नहीं बढ़ाया, घरेलू कनेक्शन नहीं बढ़ाया, बी पी एल पर नहीं बढ़ाया और आपने कई गुना अधिक बढ़ाया, लेकिन कभी भी इस बात पर गहनता से विचार नहीं किया अगर आप इस स्टेज पर होते तो शायद बिजली की राजस्थान की तीनों ही कम्पनियां डेफिसिट डिक्लेयर हो जातीं और बंद ही हो जातीं। उसका थोड़ा-सा आप अध्ययन करें, बिजली कम्पनियों की क्या हालत है, किस तरह से बिजली कम्पनियां चल रही हैं और किस तरह से आपने मिस्मैनेज कर के सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक योजना होती है डवलपमेंट की, जो राजस्थान के डवलपमेंट को ध्यान में रख करके बनाई जाती है और एक योजना होती है वोट-ओरियंटेड-योजना? जो वोट-ओरियंटेड-योजना होती है, वह लंबे टाइम नहीं चलती, सिर्फ वोट देने के लिए होती है। वोट लेने के लिए, मैं आ गया तो ठीक है और मैं नहीं आया तो ठीक है। इसीलिए वोट-ओरियंटेड-योजना का परिणाम यह है कि आज राजस्थान की तीनों बिजली कम्पनियों की हालत क्या हुई है।

जो राजस्व घाटा माननीय मंत्रीजी बता रहे थे, कांग्रेस के पांच वर्ष के शासन काल के दौरान 138 परसेंट बढ़ा; जब कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार प्रभाव में आयी तो वह राजस्व घाटा 6,774 रुपये था, वह बढ़कर के 15,645 करोड़ हो गया, meaning thereby 138 परसेंट राजस्व घाटा बढ़ गया। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उसके लिए कोई काम नहीं किया, उसके लिए कोई विचार नहीं किया और वह ही व्यक्ति, या वह ही समुदाय, या वह ही पार्टी, एक पवित्र सदन में आकर यह अगर बहस करती है तो यह राजस्थान की जनता के लिए विचार करने का विषय है कि आप एक तो पांच साल के अन्दर 138 परसेंट राजस्व घाटे को बढ़ा रहे हों और फिर आरोप लगा रहे हों कि बिजली की दरें बढ़ा दी।

(श्री जोगाराम पटेल)

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संचित घाटा होता है, जिसके ऊपर सबसे जयादा निगरानी रखी जाती है, बढ़ते राजस्व घाटे के कारण संचित घाटा चार सौ परसेंट बढ़ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमजोर आदमी तो सुन भी नहीं सकता इसको। चार सौ परसेंट, यानी करीब 62 हजार करोड़ का घाटा, संचित घाटा बढ़ गया है। क्या हालत हो गयी इन बिजली कम्पनियों की। कैसे चलेंगी वे बिजली कम्पनियां? कैसे हम बिजली दे पाएंगे जनता को?

इससे आगे देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना करें, मैं उन सारे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आप कहें तो सारे आंकड़ें मेरे पास हैं, उन आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि दूसरे राज्यों से कई गुना अधिक हमारा राजस्व घाटा है, हमारा संचित घाटा है। इन सबका कारण क्या था? इन सबका कारण था, इनका मिस्मैनेजमेंट। इन्होंने कभी विचार भी नहीं किया कि इसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को हम बिजली कैसे देंगे।

एक झलक अगर आप देखें, तो राजस्थान का जो घाटा इन्होंने 15,645 करोड़ किया था, जबकि उसकी अपेक्षा कोई भी स्टेट ले लें हिन्दुस्तान का, फोर-एग्जाम्पल, सबसे अधिक बिजली घाटे में तमिलनाडु बताया जा रहा है राजस्थान के बाद, उसका भी सिर्फ 13,985 ही है। उसके बाद यू पी का बताया जा रहा है, उस यू पी का 9,561 ही है। उसके बाद हरियाणा का बताया जा रहा है, उसका तो सिर्फ 2,916 ही है। उसके बाद एम पी का बताया जा रहा है, वह 2,759 ही है और उसके बाद आन्ध्र प्रदेश है जो 1,249 है। दूसरे और पांच-सात प्रदेश हैं जो सरल्प्ल में हैं, जैसे गुजरात 1,100 करोड़ का सरप्लस है, पंजाब में 257 का सरप्लस है। तो इस स्थिति को समझना पड़ेगा। हमको एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते अपनी बात को सदन मे रखना पड़ेगा। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं, या अखबार की सुर्खिया बनने के लिए नहीं, हमको एक जिम्मेदारी के साथ बात सदन में कहनी पड़ेगी कि कौन सी परिस्थिति है, कौनी सी परिस्थिति नहीं है और इन परिस्थितियों में हम कैसे कम्पनियों को चलायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, प्रति कनेक्शन अगर राजस्व घाटे को आप अन्य राज्यों की तुलना में देखें, तो हमारे यहां 1 रुपये 81 पैसे

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रति कनेक्शन घाटा है। अगर आप दूसरें राज्यों की तुलना में देखें, तो उसका कहीं माप ही नहीं है, हमारे यहां 15 हजार, वहां पर 6 हजार। तमिलनाडु में 6,662 है, उत्तर प्रदेश में 6,232 है, हरियाणा में 6,400 है। इस हिसाब से आप नापेंगे तो प्रति कनेक्शन भी बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। 15 हजार करोड़ उपभोक्ता को अगर आप साथ करेंगे, राजस्व घाटे का आप सही आंकड़ा लें तो 61,810 करोड़ का है और लम्सम लेवें तो 62 हजार करोड़ का घाटा इन्होंने पांच साल में कर दिया। एक हजार नहीं, दो हजार नहीं, 62 हजार करोड़ का घाटा इन्होंने कर दिया। इस राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए कई बार मजबूरी हो जाती है...

श्री अध्यक्ष : कितना समय और लेंगे आप?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : बस, पांच-सात मिनट और। मजबूरी हो जाती है।

मैं निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि उसके उपरान्त भी राजस्थान में जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, उस पर बिजली की दर कम है; जो घरेलू बी पी एल कनेक्शन है, उस पर बिजली की दर कम है। (व्यवधान)

हमारे यहां मुख्य कारण कोयला, विद्युत उत्पादन केन्द्र दूर होना, इसकी परिवहन लागत ज्यादा आना, 1.15 प्रति यूनिट पड़ती है। इन सबके आधार पर जो विद्युत दरें हैं, उन दरों का भी आप अवलोकन करेंगे तो यह पायेंगे कि कई बार सरकार के सामने विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। उस विषय परिस्थिति में सरकार की मजबूरी हो जाती है और डिटेल में माननीय मंत्री महोदय ने आपके सामने बताया, उस आधार पर वृद्धि किस तरह से, अपरिहार्य कारणों से, मजबूरी में थोड़ी बहुत बढ़ानी जरूरी होती है, ताकि कम्पनियों जीवित रह सकें। आज भी राजस्थान से अधिक जो घरेलू विद्युत दर है, वह पांच स्टेट में है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट है, केरल है, पश्चिमी बंगाल है। अघरेलू में भी राजस्थान से अधिक सात-आठ स्टेट हैं, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल। कृषि में भी राजस्थान से अधिक दर पंजाब, आसाम, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान अकेला ही प्रदेश है, इससे कहीं अधिक दरों वाले प्रदेश भी हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

तीसरा मेरा निवेदन है कि बिजली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लियाहै, जिसकी आवश्यकता थी, मजबूरी थी और जो जनता के हित में है।

अब मेरा निवेदन यह भी है कि इन सब के अलावा भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, जिन निर्णयों के आधार पर सरकार की प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही हो रही है। निगाहों का फर्क है, किसी की निगाहें कहां हैं; किसी को पीला ही दिखता है, भले ही वह सफेद हो; किसी को हरा ही दिखता है, भले ही वह काला हो। तो निगाहों का फर्क तो होगा ही। वह आयेगी भी नहीं, क्योंकि निगाहें बदल जाती हैं और जब निगाहें बदल जाती हैं तो भले ही उनको पांच कहोगे, तो भी वह कहेगा कि नहीं, यह तो तीन ही हैं। उसको पांच नजर ही नहीं आता है। उसको दीवार कह देंगे तो उसको दीवार नजर नहीं आयेगी, भले ही नजदीक जाने पर थोड़ी ठोकर भी लग जाये, लेकिन वह दीवार उसको नजर नहीं आयेगी। ऐसे कई मेरे साथी हैं, हालांकि वे विद्वान हैं पर उनकी निगाहें बदल गई हैं। इसलिए उनको सही स्थिति नजर नहीं आयेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, इस सरकार ने सुशासन देने की पूरी व्यवस्था की है और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय भी लिये हैं। सरकार की सादगी और मितव्ययता देखिए आप। हमारे ऊपर पहले आरोप लगता था कि सरकार सादगी से नहीं, मितव्ययता से नहीं चलती है। 1 जनवरी, 2014 से मुख्य मंत्री की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा-कर्मियों की संख्या आधी कर दी गई। इतना ही नहीं, मुख्य मंत्री की क्षेत्रीय यात्रा के दौरान जब भी किसी भी शहर में जाये तो आम आदमी के जैसे ट्रैफिक नियम हैं, वैसा ही ट्रैफिक नियम चलेगा। एक मेसेज देने का प्रयास किया गया है कि हम भी एक आम आदमी है। ठीक है, जनता ने हमको सेवा करने का मौका दिया है, हम सेवा करेंगे पूरे मन से, पूरी लगन से पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नीयती से, पूरी अनेस्टी से। इतना ही नहीं, मंत्रियों के दौरे में विभाग की काफी गाडियां चलती थीं, उनको भी कम कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर के, माननीया मुख्य मंत्रीजी कहीं पर भी जायेंगी तो वह जो साधारण विमान चलते हैं, उसी में जायेंगी। इतना ही नहीं, दौरे के दौरान जो तीन-चार एस्कोर्ट चलती थीं, उन सबको कम कर दिया गया है। ये सभी निर्णय क्यों लिये गये हैं, एक मितव्ययता बतलाने के लिए, जनता का सेवक होने के नाते; सिर्फ दिखावे के

(श्री जोगाराम पटेल)

लिए नहीं। कार्ययोजना के रूप में, वास्तविक रूप में बताने के लिए, ये निर्णय लिये गये हैं। इतना ही नहीं, मुख्य मंत्री महोदया जो 13 नम्बर बंगले में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में रहती थीं, उसी बंगले में रहने का निर्णय क्यों किया, ताकि सरकार की मितव्ययता रहे। बंगला भले ही छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे बंगले में...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : इस चक्कर में दो बंगले कब्जे में कर लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : मैंने कहा कि आपकी नजर में दूसरा दिखेगा ही नहीं। आपको तो वही दिखेगा। आपकी नजर का फर्क है।

तो उस छोटे बंगले में रहना भी मंजूर कर लिया क्योंकि उनका दिल और उनकी आंखें, दिल बड़ा है राजस्थान के विकास के लिए और उनकी आंखें जनता की सेवा के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा होटलों में होने वाले खर्चे, फाइव स्टार होटलों में होने वाले खर्च, वे सारे के सारे कम कर दिये गये।

सुराज संकल्प मात्रा में जो दस्तावेज बनया गया, उसको नीतिगत निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया। आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए जन सुनवाई (संशोधन) विधेयक, 2013 को लागू करने का निर्णय किया गया; राजस्थान सेवा में गारंटी कानून को लागू किया गया; भामाशाह योजना को लागू किया गया, कम्प्यूटरीकृत किया गया; सरकार-आपके-द्वार नाम से जो योजना शुरू की गई, दो मिनट, सरकार-आपके-द्वार नाम से जो योजना शुरू की गई, तीन सम्भागों में की गई, उसकी समस्याओं को कम्प्यूटराइज्ड किया गया, उन पर निर्णय किया गया। भरतपुर में आईं 31 हजार, बीकानेर में आईं 90 हजार और उदयपुर में आईं 1 लाख 90 हजार, इन सबको विधिवत कम्प्यूटराइज्ड कर के एक-एक का निराकरण किया जायेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार यों ही छोड़ देगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सबके आधार पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, 2015 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया। उसके लिए हमारे परिवहन मंत्रीजी को भी धन्यवाद है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में अगले साल से आन लाइन आवेदन किया गया। भामाशाह योजना में कार्यवाही का स्वास्थ्य बीमा योजना में तीन लाख तक का बीमा

(श्री जोगाराम पटेल)

किया गया और जो सड़कों से सड़कों को जोड़ने की योजना थी, उसका राजस्थान की सरकार ने पहली बार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सम्बल परियोजना मुख्य नहर की सुदृढ़ीकरण पर 75 करोड़ खर्च किया गया है। पटवारियों के जो 14 हजार पद खाली थे, उन पर भर्ती शुरू की। सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास....(व्यवधान) की गई। आप देखिए, गरीब की कैसे सहायता कर सकते हैं, अन्तिम स्तर पर खड़े आदमी की कैसे सहायता कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी में अगले साल 15 हजार नये मकान... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : पटवारियों की भर्ती कब कर दी? बताओ तो सही। 1,420 पटवारियों की भर्ती कब कर दी?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : ...(व्यवधान) कमजोर वर्ग को आबंटित किये जायेंगे। राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य प्रारम्भ हो गया है।

आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये राजस्थान का विकास करना चाहते थे, पंचायती राज और नगरपालिकाओं को मजबूत करना चाहते थे, पांच साल में एक भी कार्य नहीं किया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और जो सरकार के निकायों के बजट के अधिकार थे, उनको बढ़ाकर कई गुणा कर दिया, चाहे वह महापौर है, चाहे वह सभापति है, चाहे वह अध्यक्ष है। नगर निगम महापौर को एक करोड़ के अधिकार दे दिये गये; नगरपरिषद और सभापतियों को 10 लाख तक के अधिकार दिये गये, नगरपालिका अध्यक्ष को 1 लाख तक के, जबकि ये पूरे पांच साल तक कुंडली मार कर बैठे रहे, अखबारों में खूब कहा, परन्तु ऐसा किया नहीं।

अंत में, मैं एक निवेदन करूंगा, हमारी आधारभूत सड़कें होना भी बहुत जरूरी है। बजट भाषण में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कहा था और वास्तविकता भी है, क्योंकि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जोन केनेडी ने कहा था, ''America does not have great roads because it is a great country, It is a great country because it has great roads.” तो हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में, जो हमारी 9 हजार पंचायतें हैं, उनमें आने वाले तीन साल में हर पंचायत में गौरव पथ बनेगा, एक शानदार, वजनदार सी सी रोड बनेगी और आप चलेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप अपने खुद के गांव में गये हो, कि दूसरे गांव में गये हो।

(श्री जोगाराम पटेल)

इतना ही नहीं, जो ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर है, उनको प्रमुख मार्गों से जोड़ा जायेगा। इतना ही नहीं, राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी बनाई गई है और 2015 तक 799 तक की जनसंख्या के जितने भी आबादी वाले गांव हैं, उन 530 गांवों को सड़क से जोड़ने और 509 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना भी है। मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा, स्टेट हाइवे, एम डी आर, आर, ट्यूरिस्ट रोड, धर्मिक महत्व के रोड, 20 हजार किलोमीटर की रोड, वे आने वाले तीन साल में पी पी पी माडल में बनकर तैयार होंगी। आप भूल जाओगे, अपने क्षेत्र में जाओगे, आप विचार करोगे कि कौनसी रोड से जाऊं, यह सब किस लिए किया गया है, कि राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि जनता का चहुंमुखी विकास हो और चहुंमुखी विकास करना राजस्थान की जनता की पहली प्राथमिकता है।

(16.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि आलोचना और समालोचना में फर्क है। यह जो डाक्यूमेंट दिया गया है, यह अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस पवित्र सदन में पढ़ा है और रखा है यह एक पवित्र डाक्यूमेंट है। इसमें सरकार का विजन है, सरकार की आने वाली कार्ययोजना है, सरकार की मंशा परिलक्षित होती है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि इसको सहर्ष स्वीकार किया जाए, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए।

अंत में, महात्मा गांधी के इन शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करूंगा, ''व्यक्ति को अपने विचार, शब्द और कर्म में हमेशा पूरा तालमेल बनाने का ध्यान रखना चाहिए। अपने विचारों को सदैव निर्मल रखने का ध्येय रखना चाहिए। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। विचारों से अन्य दूसरी कोई चीज मजबूत नहीं होती है। जब आपके विचार मजबूत और निर्मल होंगे तो नतीजे भी हमेशा मजबूत और निर्मल होंगे।'' इसी भावना के साथ राजस्थान सरकार कार्य कर रही है।

मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन है कि कोई एक ठोस बात कहो। पूरे 13 महीने बीत गये, एक शब्द नहीं बोल पाये इस विधान सभा में। आपकी नगर निकायों में क्या हालत हुई, नगरपालिकाओं में क्या हुई, नगर निगमों में क्या हालत हुई, आपकी पंचायती राज में क्या हालत हुई, आपकी विधान सभा में क्या हालत हुई। आपका दिल्ली में नाम लेने वाला कौन है? कौन कहेगा कि

(श्री जोगाराम पटेल)

दिल्ली में शीला दीक्षित जी तीन कार्यकाल तक मुख्य मंत्री रहीं? यह कहने वाला कौन है? राजस्थान में क्या हालत है। ऐसी स्थिति में आप अपने आपको सम्भालो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपकी किरण बेदी कहां गईं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : आत्मावलोकन करो, विचार करो कि हम कहां जा रहे हैं, कहां बैठे हैं। (व्यवधान)

मैं, अंत में, आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा इस पवित्र सदन से कि महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख समर्थन करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

महामहिम राज्यपाल ने इस पवित्र सदन में जो अभिभाषण पढ़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इरादे क्या हैं, यह हमने जनता को बता दिया है। हमने क्या किया और आगामी चार वर्षों में हम क्या करने वाले हैं, हमने साफ-साफ जाहिर कर दिया कि जो जनादेश हमें जनता ने दिया और जनादेश के साथ-साथ जो अपेक्षाएं हमसे उन्होंने कीं, हम मात्र उन अपेक्षाओं को ही पूरा नहीं करेंगे, उससे भी बढ़कर, क्योंकि हमें भी कल्पना नहीं थी कि इतना जनादेश मिलेगा; कई बार जनता को भी कल्पना नहीं होती कि कहां तक अपेक्षाएं पूरी होंगी; जितनी अपेक्षाएं जनता की हैं और जैसी हमने शुरूआत की है, हम उससे बढ़कर काम करके इस राजस्थान की जनता के समर्पित करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक चार चुनाव राजस्थान में हुए और चारों के परिणाम ऐतिहासिक। लोक सभा चुनाव का तो आप परिणाम देखो, जो हार-जीत का अंतर रहा, वह संदेश देता है पूर्ववर्ती सरकार के सदस्यों को कि हम उन्हें नकार चुके हैं। इतना ही नहीं, लोक सभा चुनाव के बाद में देश के चार राज्यों में चुनाव हुए, उसका परिणाम देख लीजिए। दिल्ली, पांचवां,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

छोड़ दो, बाकी चार के देख लो। चारों राज्यों में कांग्रेस चौथे नम्बर आकर अटकी है। वहां तो पांच पार्टी नहीं थीं, वरना तो पांचवां या छठा नम्बर आता।

यहां बड़ी-बड़ी बात करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, आज भी बिजली की दरों की बढ़ोत्तरी के आरोप लगे। यह किसका कारनामा है? 2011 में जब आपकी बिजली कम्पनियां बंद होने के कगार पर थीं तो आपने फाइनेंस कम्पनियों के सामने घुटने टेक दिए थे और जैसा चाहा, वैसा आपको एग्रीमेंट करना पड़ा था। आपने खुद ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 11 परसेंट बढ़ोत्तरी करेंगे। यह आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करने के बाद में आप फिसल गये और उसी का परिणाम कि कम्पनियों का घाटा बढ़ता चला गया। जो घाटा, जब हमने सरकार छोड़ी थी, 15 हजार करोड़ का था और जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो वह घाटा बढ़कर 65 हजार करोड़ पहुंच गया था। बिजली कम्पनियों के पास कुछ नहीं बचा था। आज हम वापस चाहते हैं कि हमारी बिजली कम्पनियां अपने पैरों पर खड़ी जो जाएं। 2001 के बाद यदि कुछ दरें बढ़ जाती हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। 2001 के बाद, यानी 14 साल बाद कुछ दरें बढ़ाने की मजबूरी हो तो जनता स्वीकार करती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रयास नहीं किया जनता के बीच आंदोलन खड़ा करने का, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया। अगर जनता को लगता कि हमारा यह कदम, हमारे निर्णय ठीक नहीं हैं तो आजकल तो जनता कुछ ही दिनों में सड़कों पर आ जाती है, पर जनता जानती है कि नहीं, इन्होंने दरें बढ़ाई हैं तो इनकी मजबूरी होगी, या हमारे अच्छे के लिए बढ़ाई होगी। हमने बिजली के क्षेत्र में काम कितना किया, उसका भी आंकलन कर दो। हमारी सरकार के आते ही पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 22 हजार करोड़ राशि की स्वीकृति की 22 हजार करोड़ की, उसमें 100 से ज्यादा आबादी की 54 हजार ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाएगा। पहली बार इतना बड़ा काम बिजली कम्पनियों ने, एक साथ हमारी सरकार ने लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का गवाह हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो गैर-आबादी भूमि पर मकान बसे थे, वहां नये बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी थी; कहीं ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं थी, तो वहां पर भी नये बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी थी; शहर में कृषि भूमि पर जो मकान बने थे, उनके बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी थी। यह मुद्दा मैं पिछली बार सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष लाया। ज्यों ही सरकार की जानकारी में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

यह आया, तो सरकार ने वह रोक हटाई कि यदि सर्विस लाइन से भी गैर-आबादी भूमि पर विद्युत कनेक्शन होता है तो उसको उसी दर पर विद्युत कनेक्शन दो, और हजारों लोगों को नये कनेक्शन मिले। ट्रांसफार्मर में यदि क्षमता नहीं है और कोई व्यक्ति अगर नया विद्युत कनेक्शन चाहता है तो ट्रांसफार्मर सरकार अपने खर्चे से बदलेगी, पर उस व्यक्ति को कनेक्शन देगी। यह आदेश भी इन्होंने जारी किये। शहर में कृषि भूमि पर रोक लगी हुई थी, हो सकता है, गवर्नमेंट ने प्रोरेटा पर उसका समाधान निकाला, पर उसको विद्युत देने का एक रास्ता सरकार ने निकाल दिया। कुछ दर ज्यादा हो सकती है, पर वह अंधेरे में नहीं रहेगा। उस बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई भी विभाग उठाकर देख लीजिए, ईमानदारी से देख लें, ईमानदारी से एहसास कर लें। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षा मंत्रीजी के सामने ज्ञापन लेकर गिड़गिड़ाना पड़ता था कि मेरे क्षेत्र की जनता मांग कर रही है, मेरे क्षेत्र की छात्राएं मांग कर रही हैं, उनकी शिक्षा बीच में अधूरी छूट रही है, आप मेरे इस माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक कर दो। एक जोड़ी जूते फाड़ते थे न। या तो पहले शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने दी थी, या उसके बाद यह सौगात हमारी सरकार ने। कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं, एक आदेश कि जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जितने भी, राजस्थान में, वहां हम सब जगह उच्च माध्यमिक स्कूल देंगे, एक ही आदेश में। आजादी के 67 सालों तक जितने उच्च माध्यमिक विद्यालय थे न, उतने ही उच्च माध्यमिक विद्यालय हमने अपने पहले साल ही में प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिये। इससे बड़ा काम हो नहीं सकता।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामपुरा ग्राम पंचायत अभी वंचित है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : वह पूरा एक ही आदेश है। और ऐसा एक वंचित न...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : हमारे तो वंचित हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : आपको मिलीं कितनी? आपको मिलीं कितनी, यह तो बताओ आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : सबके लिए भेदभाव नहीं, तो फिर वंचित क्यों हैं? सबके लिए भेदभाव नहीं, तो वंचित क्यों हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : आपको मिली कितनी, थोड़ा वह भी आप सदन को बता दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ में किस विषय में विद्यालय खुलना चाहिए, वह भी वहां के छात्रों की इच्छा पर। अगर वहां के छात्र चाहते हैं कि विज्ञान विषय में उच्च माध्यमिक हो तो वहां विज्ञान मिलेगा। अगर वह कामर्स चाहता है, आर्टस चाहता है तो वह भी उसकी इच्छा पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : बिना टीचर के?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : इससे बड़ी सौगात कोई भी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिना टीचर की बात ये कह रहे हैं, वैसे माननीय शिक्षा मंत्रीजी इसका पूरा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि पिछले छह महीनों में शिक्षण व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। मेरा भी चौथा कार्यकाल है। जितने विषय-अध्यापक इन छह महीनों में राजस्थान की सरकार ने लगाये हैं, छह महीनों में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज एक भी विद्यालय में एक भी विषय-अध्यापक की कमी नहीं है। इस बात को मैं सदन में दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : एक-एक स्कूल में 12-12 अध्यापकों की कमी है, सेकण्डरी स्कूलों में, सीनियर सैकण्डरी में। आप दावा भी कर रहे हैं तो मैं आपको साथ चलकर दिखा सकता हूं कि कितना बुरा हाल है। लोग शर्म के मारे मर रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : यह बुरा हाल किसने किया?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : आप जो बात कर रहे हैं ना, वह तथ्य से परे है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : इस बुरे हाल के जिम्मेवार कौन हैं? थोड़ा आपका गिरेहबान झांक कर देख लें आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : गिरीबान झांक कर देखेंगे, जो गलत करेंगे। गिरीबान झांको अब आप। आप कर रहें सब लोग।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : हम ठीक कर रहे हैं उसको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : जो हालात इस समय हो रहे हैं ना...

एक माननीय सदस्य : आपने किये हैं पहले।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : आपने किया कि 'ऐसा पहली बार हुआ,' 'ऐसा पहली बार हुआ', राजस्थान में भी ऐसा पहली बार हुआ कि 21 जीत कर आये थे। ये भी कर्म आपके थे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : एक बात सुन लो, 35 आप भी आये थे। याद नहीं हो तो आपको...(व्यवधान) अबकी बार एक मिनी बस की सवारी आएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : 35 आयें तो हमने अपना भुगतान किया था। (व्यवधान) 35 आये थे तो हमने भुगतान किया था। अब आपने कर लिया ना, अब तो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ) : एक मिनी बस की सवारी, आप भी लोग आओगे। हालात यही हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : चलते-चलते रेवड़ियां जो बांटी हैं ना...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : आप सुन लो, हमारे वालों को भी मैंने कह दिया था और आपको भी कह रहा हूं, 23 ही आओगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : हां, हां, 23 आएंगे। यह तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, 23 आएंगे। आप ही कहोगे, 23 लाने वाले...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : शिक्षा की व्यवस्था आपने कितनी चौपट की, यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है; पूरे प्रदेश की जनता। इतना ही नहीं, गांव के बच्चे को भी बेहतर शिक्षा मिल जाए, उसकी शुरुआत भी हमारी सरकार के पहले साल से; बेहतर शिक्षा मिल जाए, उसके लिए शैक्षणिक दृष्टि से 146 ब्लाक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल की तैयारी हमने पहले ही वर्ष में कर दी और 66 में हमने शुरुआत कर दी। अब ऐसा नहीं होगा कि आठवीं पास बच्चा भी 'अ', 'आ', 'इ', 'ई' नहीं जानता होगा। हम आठवीं पास बच्चे को भी शहर के जो अच्छे स्कूल हैं, उनके समकक्ष लाकर खडा करने के लिए कृत संकल्प हैं। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है।

क्या हालत की थी प्रदेश की! यह सब काम हमने तब किया, जब आप शासन छोड़ कर गये ना, तो खजाने की आप 'ऐसी की तैसी' करके गये थे, अगली सरकार के लिए कुछ बचा नहीं था, लेकिन हमारी मजबूत इच्छा–

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

शक्ति, हमारी जिम्मेवारी, और उसी का परिणाम है कि हमने इस बात की परवाह नहीं की कि खजाने में कितना पैसा है। खजाने में पैसा हम लाएंगे लेकिन प्रदेश की जनता जो हमसे अपेक्षा रखती है, उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। यह संदेश हमने दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : खजाना गढ़ा हुआ है, खुदवाया जा रहा है यह तो। (व्यवधान) चिंता मत करो। छोड़ा भी नहीं था, यह तो छुड़वाया जाता है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, 'ऐसी की तैसी' असंसदीय शब्द है। यह कार्यवाही से निकलवाने का कष्ट करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार टोक रहे हैं। इनका नम्बर आए, तब बोल लें। हर बात को करने में इनकी आदत है। (व्यवधान) जरा आप इनको समझाएं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : सच्चाई को सुनने की ताकत रखो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : थोड़ा-सा इनको ज्ञान दें। (व्यवधान) ये जाते-जाते कहते थे ना, 'ऐसा पहली बार हुआ', 264 बार अखबारों में छपा कि 'राजस्थान की सरकार ने ऐसा पहली बार किया'। पूरे देश में कब से राज करने लग रहे थे। (व्यवधान) तो इनको समझा दें कि बीच-बीच में टोकें नहीं। अपना नम्बर आये, तब बोल लेना। (व्यवधान) आपका नम्बर आये, तब बोल लेना ना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : आपका संसदीय सचिव में नम्बर आयेगा, दो साल बचेंगे तब।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : मैं कोई संसदीय सचिव बनूं ना। कुछ भी नहीं बनूं। मैं तो बन गया एम.एल.ए.। (व्यवधान) आप बन गये, ठीक है, बढ़िया काम है।

श्री अध्यक्ष : आपसी चर्चा नहीं। माननीय पारख साहब। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : सच्चाई को सुनने और स्वीकार करने की हिम्मत रखो आप थोड़ी, मेहरबानी करके। (व्यवधान) सुनो आप। क्या था, वर्ष 2013-14 में 40,500 करोड़ की आपकी वार्षिक योजना थी और हमारे काल में, 2014-15 के परिवर्तित बजट में हमने प्रावधान किया 69,820 करोड़

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

का। आपसे 29 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान, घाटे में होने के बावजूद भी। मात्र इसलिए कि जो जन-अपेक्षाएं हमसे जुडी हुई हैं, हम पूरी करेंगे उनको। उसके लिए बजट में जितना प्रावधान हमको करना है, हम करेंगे।

हम 163 ऐसे ही नहीं आये हैं। 2003 से लेकर 2008 तक का कार्यकाल देखा था, राजस्थान की जनता ने हमारा। 2008 के बाद 2013 तक का कार्यकाल देखा आपका। तो फिर जनता ने यह हश्र किया आपका। 2003 से 2008 तक क्या चमत्कार हुआ था, इस राजस्थान की धरती पर कितना नाम हुआ था और वापस 2008 से लेकर 2013 में राजस्थान कितना पिछड़ गया। तब जनता ने आपको सबक सिखाया था और इस दुर्दशा में लाकर आपको खड़ा किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता, कि जब तक गांव का किसान सम्पन्न नहीं होगा, तब तक प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। जितनी सिंचाई की परियोजनाएं थीं, हमने प्राथमिकता से उनको लागू करने का प्रयास किया और पहले ही साल हमने परिणाम दिये। उस परिणाम में 2014-15 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2014 तक हमने 621 करोड़ रुपये से ज्यादा व्यय किये। करीब 9 हजार हैक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की हमने व्यवस्था की है। एक ही मंशा, कि अगर खेत में पानी मिल जाए तो खुशहाली राजस्थान में लाने से कोई रोक नहीं सकता। हमने उसकी व्यवस्था की।

क्या हालत थी! हमारी सिंचाई की नहरें हैं, वे क्षतिग्रस्त हैं, पूरी टूटी पड़ी हुई हैं, पानी व्यर्थ जा रहा है। खाले हैं तो वे कच्चे पड़े हैं। उनका निर्माण ही नहीं। जो कीमती पानी सोना उपजा सकता है, उसका उपयोग खेती में हो जाए, तो उसके लिए भी हमने कच्ची नहरों को पक्की करने में, क्षतिग्रस्त नहरों के जीर्णोद्धार में और नहरों के सुदृढ़ीकरण में दिसम्बर, 2014 तक 180 करोड़ की राशि हमने व्यय की है। यह मामूली काम नहीं होता। एक दर्द होता है किसान के प्रति जो हमारी यशस्वी मंत्रीजी के दिल में है, कि ये काम प्राथमिकता से होने चाहिए और वह हमने यहां पर करके दिखाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की स्थिति जो हमने ठीक की थीं 2003 से 2008 के बीच में, अभी मेरे से पूर्व लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की थी कि उस समय तो बहुत काम हुआ,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पर बाद में रख-रखाव भी प्रोपर नहीं हुआ। होता कैसे? उनके मंत्री तो कहीं और जगह उलझे हुए थे, पूरे के पूरे। जनता को पानी मिले, उसकी परवाह ही नहीं थी। उनकी खुद की गर्दन अटकी हुई थी कहीं पर। उसका परिणाम हुआ कि हमारी बहुत सारी पेयजल योजनाएं हैं न, जो होते हुए भी जनता को राहत नहीं दे पायीं।

इतना ही नहीं, यूरोपियन कमीशन से जो हमको, जो हमारी योजना स्वीकृत हो गयी थी, पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता और लापरवाही की वजह से और एक जो मामूली हिस्सा राशि देनी होती है, वह नहीं देने की वजह से और एग्रीमेंट की शर्तें पूरी नहीं करने की वजह से जो राशि हमको मिल जानी चाहिए थी, उस राशि से इस प्रदेश की जनता को वंचित रहना पड़ा। कुछ नहीं करना था आपको तो, आपने जो एग्रीमेंट किया, उसी को पूर्ण करना था। हमने तो किया नहीं वह। नहीं कर सकते थे तो एग्रीमेंट करना नहीं चाहिए था आपको, पर प्रदेश की जनता का कितना नुकसान आपने कर दिया?

हमने आते ही दीर्घकालीन विचार किया कि हमेशा-हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो जाए और 25 हजार करोड़ की 67 वृहत् पेयजल योजनाओं की हमने शुरुआत की, जिनका काम चल रहा है, 25 हजार करोड़ की। आपको तो 'जायका' भी पैसा देने वाली थी, जापान की कम्पनी, पर वहां पर भी यही हुआ। आपने प्रोजेक्ट में देरी कर दी, उससे लागत बढ़ गयी, कम्पनी ने अपने हाथ खींच लिये और जनता प्यासी रह गयी। समय पर आप प्रोजेक्ट को पूरा करते न, तो आज कई इलाकों की जनता को पीने का पानी मिल जाता, लेकिन आपकी गैर-जिम्मेदारी की वजह से यह कम्पनी भी बैक हो गयी।

पर हमारी सरकार ने आते ही 26 हजार करोड़ की 67 पेयजल योजनाएं कोई मामूली नहीं, हो सकता है कि इसका परिणाम आज नहीं दिख रहा हो लेकिन एक, दो, तीन साल के बाद में, जो लोग पानी के लिए तरसते थे, जो खारा पानी पीते थे, फ्लोराइडयुक्त पानी पीते थे, उन सबको मीठा पानी मिलेगा। यह आप खुद देखेंगे। तत्काल राहत के लिए भी प्रयास किया, कहीं पर जमीन में खारा पानी है, पीने लायक नहीं है, तो तत्काल राहत दो। आर.ओ. प्लांट लगाकर खारे पानी को मीठे पानी में बदल दो। वह काम भी चालू किया और हमने 657 गांवों में ऐसी व्यवस्था अब तक कर दी एक साल के कार्यकाल के दौरान और लगातार इस दिशा में हमारा काम चल रहा है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एक साल का कार्यकाल इस बात का प्रमाण देता है कि चार साल आगे इस प्रदेश की जनता को कितना कुछ मिलने वाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो हमारे तकनीकी विद्यालय हैं, उस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पर हमारी सरकार ने आते ही पहले साल में इस बात के लिए भी पूरा ध्यान दिया कि हमारे प्रदेश का छात्र मजबूरीवश निजी विद्यालय में नहीं पढ़े, उसको वहीं सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने की सुविधा मिल जाए। पहले ही बजट में हमने आठ नये राजकीय महाविद्यालय प्रदेश की जनता को समर्पित किये। इतना ही नहीं, दस राजकीय महाविद्यालयों का पुनर्गठन करके 13 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हमने की। मैं हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे इन महाविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले कई छात्र प्रवेश से वंचित रह रहे थे, जब सत्र चालू हुआ तो एक ही आदेश में प्रत्येक महाविद्यालय के प्रत्येक विषय में 25 परसेंट सीट्स की बढ़ोत्तरी उन्होंने कर दी, जिससे प्रदेश के हजारों छात्रों को सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश मिल गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वाइन फ्लू को लेकर बहुत चिंतित थे। कल तो ऐसा लग रहा था कि इन सबको स्वाइन फ्लू है, पूरा का पूरा। यह जो चिकित्सा व्यवस्था की दुर्दशा हुई न, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यह पूर्ववर्ती सरकार है। कितने पद खाली छोड़ गये थे आप? कितने पद? और हमने आते ही शुरुआत की कि जितने भी पद हमारे रिक्त पड़े हैं, हम धीरे-धीरे उनको भरने का प्रयास करेंगे। जहां से, जैसा भी डाक्टर आया, हमने उसको सरकारी नौकरी देने का प्रयास किया और लगभग 1,200 नये डाक्टर्स की हमने इस पहले ही साल में भर्ती दी।

साथ में हमने यह भी किया कि चिकित्सकों की भर्ती या खाली पद, इसका स्थायी समाधान तब ही है जब हमारे प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खुलेंगे और वहां से नये डाक्टर्स निकलेंगे। पहला बजट हमारा इस बात के लिए गवाह है कि हमने पहले ही बजट में प्रदेश को सात नये मेडिकल कालेज दिये। सात सात पहले भी थे, पर एक साथ सात! जितने उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले नहीं, उतने एक साल में; जितने मेडिकल कालेज पहले नहीं,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उतने भी एक साल में, और सात में से छह मेडिकल कालेजों के लिए भूमि आबंटित कर दी गयी। बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : चालू हो गया क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : चालू भी हो जाएगा, आप खुद देखेंगे उसको और जरूरत पड़ेगी तो नए महाविद्यालय में आपका इलाज करवाएंगे हम, मेडिकल कालेज में। आप चिंता क्यों करते हो? दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। कहीं प्राइवेट भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। जब जमीन चिह्नित हो गयी, आबंटित हो गयी और बजट प्रावधान कर दिया, तो चालू भी होंगे।

आज जो स्वाइन फ्लू की चिंता कर रहे हो न, या दोष दे रहे हो हमारे ऊपर, पर साथ में यह भी देखो आप कि हमारी वजह से कितने लोगों की जानें बचीं? हो सकता है कि हम सबको नहीं बचा पाये, पर हमारे चिकित्सकों ने, हमारी सरकार ने जितना प्रयास किया, उसमें हम कइयों को मौत के मुंह से बाहर खींच कर भी लाये हैं। अगर हमारी चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती न, तो जिस तरीके से यह महामारी फैली थी, उसमें आंकड़ा बहुत कुछ बढ़ता। हमारे पार्ट पर हमने कोई लापरवाही नहीं की। यदि कोई स्वाइन फ्लू का रोगी हमारे सरकारी चिकित्सालय में इलाज करवाने आया तो इलाज की कमी से कोई भी मौत इस दौरान नहीं हुई है। इलाज की कमी से नहीं हुई। इलाज की कमी से कोई मरता तो निश्चित रूप से हम गुनहगार होते, पर इलाज की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जितने भी काम किये, वे आज दिख रहे हैं, वे महसूस हो रहे हैं। बिना राजनीतिक भेदभाव के, पहले ही बजट में, गांव में अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया, गांव में अगर पानी की योजना दी, गांव में अगर ढाणियों का विद्युतीकरण किया, तो गांव में सीमेंट का गौरव पथ, गांव की जनता को मिलना चाहिए, वह भी सौगात हमने दी। वरना शहर में तो सड़कें बहुत सुंदर और गांव में जाओ तो कच्ची सड़कें पड़ीं, कीचड़ पड़ा। हमने 'ग्रामीण गौरव पथ' योजना की शुरुआत पहले ही बजट में की, जिसकी स्वीकृति निकल गयी, जिसके टेंडर हो गये, जिसके काम चालू हो गये। आज गांव की मुख्य सड़क भी शहर की सड़क से होड़ करेगी और गांव के व्यक्ति को भी लगेगा कि नहीं, विकास इस काल में, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के काल में इस गांव में आया है और उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं। तीन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चरणों में काम, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय की सड़क पहले वर्ष तक तिहाई, दूसरे वर्ष एक तिहाई, तीसरे वर्ष एक तिहाई, मतलब, हर ग्राम पंचायत को यह मिलेगी। चाहे वह किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी विधायक या जन-प्रतिनिधि हो, पर वह मिलेगी।

इतना ही नहीं, 20 हजार किलोमीटर नवीन सड़कें, वरना आप तो पैच के पैसे पर भी कुण्डली मारकर बैठ गये थे। सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, मरम्मत के लिए निवेदन करते थे, यहां चिल्लाते भी थे। पर आपके पास वह पैसा भी नहीं था कि पैच हो जाएं। हमने पहले ही साल में नवीनीकरण का पैसा भी दिया और प्रदेश की जनता को संदेश दिया कि हम अपने कार्यकाल में 20 हजार किलोमीटर नई सड़कें देंगे और इसकी शुरुआत भी हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इरादे बहुत अच्छे हैं, हमारी इच्छा शक्ति अच्छी, हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, और जब हमारी नीति और नीयत दोनों अच्छे हैं, तो आने वाले वर्षों में परिणाम निश्चित रूप से बहुत सुखद और अच्छे आएंगे। माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर दिया ना मैंने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वह रोजगार की है। गांव में पानी नहीं, तो खेती नहीं, इसलिए बेरोजगार बैठे हैं। शहर में भी काम-धंधे ज्यादा नहीं, इसलिए बेरोजगार बैठे हैं। इसके चलते हर सरकार के सामने यह संकट आता है कि रोजगार की समस्या का समाधान कैसे हो? हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनते ही यह निश्चित कर दिया कि हम रोजगार के इतने अवसर, जो रोजगार चाहता है, उसको दे देंगे और उसके लिए एक आधारभूत ढांचे का निर्माण इस प्रदेश में हो जाए, उसके लिए प्रयास चालू हो गये।

इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि जब तक औद्योगिक विकास इस प्रदेश में नहीं होगा, तब तक रोजगार की समस्या का समाधान होना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार दिया नहीं जा सकता, सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती। हमने प्रयास किया और उसके परिणाम भी आये कि आज बड़ी-बड़ी कम्पनियां हमारे यहां अपने उद्योग लगाने के लिए आतुर बैठी हैं। वे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमारी ओर आ रही हैं और हम जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनको देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पहले ही वर्ष में क्या हुआ, पहले ही वर्ष में तीन हजार करोड़ के निवेश की शुरुआत हो गयी। (व्यवधान) होने वाली है। वह तो बहुत है, हजारों करोड़ की होगी, पर जिनके उद्घाटन हो गये, जिनके शिलान्यास हो गये, जिनका काम चालू हो गया, तीन हजार करोड़ के निवेश की शुरुआत और इसमें लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में हमने निवेश का ऐसा अनुकूल वातावरण बना दिया कि मात्र देशी ही नहीं, विदेशी कम्पनियां भी आज अपना उद्योग यहां खड़ा करने के लिए बिलकुल तैयार बैठी हैं, क्योंकि हमने उनको एक ऐसा अनुकूल वातावरण दे दिया। कल भी सिंगापुर से वहां की सरकार के मंत्री, वगैरह आये थे और इसी वजह से जो कि एम.ओ.यू. हुआ था। माननीया मुख्य मंत्रीजी और सिंगापुर सरकार के बीच में, वह यहां की धरती पर लागू हो जाए।

हमारी सरकार की योजनाएं दीर्घकालीन जरूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनके परिणाम इस प्रदेश की जनता को देखने को मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माफी चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : विपक्ष आसन की उपेक्षा बरदाश्त नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय हैं तो माननीय अध्यक्ष हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : मैंने अपनी गलती मान ली और मुझे पता है, अध्यक्ष महोदय इतने उदार हैं, इतने उदार हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : आपसे भी ज्यादा उधर उदार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा शहर पाली, वह भी औद्योगिक नगरी है और आज मैं इस सदन के माध्यम से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को मेरी ओर से और पाली की पूरी इंडस्ट्री की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जो-जो समस्या माननीया मुख्य मंत्रीजी को बताई, एक-एक का समाधान उन्होंने करवाया और आज हमारी पाली के जो उद्यम हैं, वे निर्बाध गति से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो एक समस्या खड़ी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

होती है उद्योग की वजह से प्रदूषण की, उसमें भी हमारी सरकार ने सकारात्मक सहयोग दिया है। हमारे उद्योग पनपवाएं और प्रदूषण नहीं फैले, उसके लिए जो भी सरकारी मशीनरी है, उसको भी पाबन्द किया। आज पहले की तुलना में प्रदूषण भी कम हो गया और उत्पादन बहुत गुना बढ़ गया है।

इस सदन के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह भी इस बात के लिए रहेगा कि पाली में बहुत ज्यादा संभावानाएं हैं उद्योगों के विस्तार की, पर प्रदूषण की समस्या इसमें रोड़े अटकाती है। अगर सरकार प्रदूषण की समस्या के समाधान में कुछ सहयोग दे दे, बाकी सहयोग भारत सरकार दे, हम पाली के उद्यमी दें, तो पाली का टैक्सटाइल उद्योग बहुत तेजी से और ऊंचाई की ओर जा सकता है। उसके लिए आवश्यकता है जेड एल डी की, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। क्योंकि जो इकाई से पानी निकलता है, वह खेतों को नुकसान भी करता है और जिसके कारण यह समस्या बन जाती है। किसान और उद्यमी आमने-सामने हैं। उसका एक ही समाधान है कि जो भी प्रदूषित पानी है, वह पूरा उपचारित होकर वापस उसी काम में आ जाए। खर्चा भले ज्यादा आए। इसके लिए सरकार की मदद की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी उदार मना मुख्य मंत्रीजी प्रदूषण की रोकथाम के लिए और उद्योगों के बढ़ावा के लिए निश्चित रूप से, पहले भी बहुत कुछ दिया, और भी बहुत कुछ देंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जब किसान की फसल खराब होती थी, उस समय मैं सदन में था, हम चीखते थे, फसल खराब हो गयी। पता नहीं, कैसा फार्मूला तय किया था कि कम्पनी को तो बीमा का पैसा मिल जाता और जिस किसान को फसल का नुकसान हुआ है, बीमा होने के बावजूद भी वह वंचित रह जाता था, उसके नुकसान की भरपाई की राशि वसूल करने में। हमारी सरकार ने इस ओर भी पूरा ध्यान दिया और फसल बीमा योजना में 425 करोड़ 40 लाख का मुआवजा हमने इस वर्ष 19 लाख किसानों को दिया है। यह मामूली बात नहीं होती। मन में दर्द होता है किसान के प्रति, उसकी फसल के प्रति, तब सरकार ऐसी नीति बनाती है कि उसको पैसा मिल जाए। वरना बीमा कम्पनी तो लाखों के नफे में है और किसान को फसल का नुकसान होने के बाद में भी कुछ नहीं मिले। पर हमने बहुत कुछ दिया। इसके साथ-साथ संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में करीब साढ़े 85 करोड़ की मुआवजा राशि भी हमने दी ढाई लाख से ज्यादा किसानों को।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना करना था, उतना हमने किया और जितनी अपेक्षा है, उससे ज्यादा हम करेंगे और उसी का परिणाम है कि हमको एक के बाद एक ऐतिहासिक सफलता मिलती जा रही है। वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बदनाम करने की।

लोक सभा चुनाव में मुद्दा लाये थे बजरी रायल्टी का। इनका कारनामा हमारे गले में डालने का इन्होंने प्रयास किया था। ठेकेदारों से मिलीभगत इन्होंने की और जो ठीकरा होता है, वह हमारे सर फोड़ने का प्रयास किया।

डोडा पोस्त को लेकर भी बहुत भ्रांतियां फैलायीं कि यह सरकार तो डोडा पोस्त बंद कर देगी, हजारों लोगों को मार देगी, लेकिन उसका जनता के ऊपर कोई असर नहीं हुआ।

इतना ही नहीं, जो यह सामाजिक कल्याण की पेंशन योजना है, उसके बारे में भी जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने कोई कम प्रयास नहीं किये। चुनाव के दौरान सब जगह ढिंढोरा कि बी.जे.पी. ने आते ही तुम्हारी पेंशनें बंद कर दी हैं, तुम्हारी बंद कर देगी। हमने सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन राशि में भी काफी बढ़ोत्तरी की है। इनके कार्यकाल में तो ये जाते-जाते इस योजना को लागू कर गये थे, जितनी पेंशन इनके कार्यकाल में स्वीकृत नहीं हुई, उससे ज्यादा पेंशन हमारे इस सवा साल के कार्यकाल में हुई हैं और हमने सब को राशि भी दी है।

इन्होंने तो यह भी भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि हमारी सरकार नि:शुल्क दवा योजना बंद कर देगी। कहां बंद हो गयी, भाई? आपने चुनाव में कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि यह सरकार वह बंद कर देगी, वह बंद कर देगी; हमने यह किया था, हमने वह किया था; हमने तो ये-ये योजनाएं चालू कीं, यह सरकार सब कुछ बंद करने वाली है। हमने बंद नहीं कीं, हमने उसको और बढ़ाया भी, और मात्र बढ़ाया ही नहीं, चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था कर के उसको सरकारी अस्पताल में इलाज का अवसर भी दिया। वरना हालत यह भी कि सरकारी अस्पताल में जब डाक्टर मिलता ही नहीं, तो नि:शुल्क दवा कहां से मिलेगी? डाक्टर लिखेगा तो मिलेगी न, पर लिखने वाले डाक्टर भी हमने दिये हैं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के जो इरादे हैं, वे निश्चित रूप से जो जन अपेक्षाएं हैं उनसे बढ़ कर काम करने के हैं और हमने जो अपने पहले साल में परिणाम दिये हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि हम जन अपेक्षाओं पर खरे ही नहीं उतरेंगे, उससे भी बढ़ कर जनता का आशीर्वाद लेंगे।

माननीय महामहिम राज्यपाल ने जिस अभिभाषण का यहां वाचन किया, मैं महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद दूंगा और इसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको, काफी देर तक पूरे सदन को दो माननीय सदस्यों के संतों जैसे प्रवचन सुनने को मिले। जो महामहिम के द्वारा संतों जैसे प्रवचन...(व्यवधान)... संतों जैसे प्रवचन।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : नहीं, तो आप कैसे दोगे? (व्यवधान) आप कैसे दोगे, यह बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : संतों जैसे प्रवचन। मैंने किसी संत का नाम नहीं लिया और आपके लिए, संतों जैसे प्रवचन सुनने को मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान मत डालिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो महामहिम राज्यपाल से अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जिस प्रकार की बातें कहलवायीं, उसमें जो इन्होंने अंकित किया, उसमें केवल मात्र महामहिम से यह कहलवाया गया है- हम करने का विचार रखते हैं, करने का हमारे पास प्रस्ताव है, हम करने जा रहे हैं और हम मौका पड़ा तो जरूर करेंगे। हमने यह कर दिया, कहीं भी नहीं है। इसमें एक शब्द भी नहीं है कि हमने तो इन 14-15 महीनों में यह कर दिया। एक काम इन्होंने किया था कि जो हमने राजीव गांधी भवन बनाये थे, उनका अटल सेवा केन्द्र नाम किया था। लेकिन गलती से, मिस्टेक से वह कहलवाना भूल गये कि हमने 15 महीने में यह काम कर दिया। हालांकि ऊपर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रंग-पुताई हुई है लेकिन अन्दर जो उद्‌घाटन के पांच-पांच हजार के जो ग्रेनाइट के पत्थर लगे हैं, उनमें अभी भी राजीव गांधी भवन ही हैं। वे उनको चेंज नहीं कर पाये।

अब मैं निवेदन करता हूं, एक सरकार के लिए कानून-व्यवस्था, देखी इनकी कानून-व्यवस्था ? अध्यक्ष महोदय, एक मासूम बच्ची मदरसे में पढ़ने जाती है, बलात्कार हो जाता है; चलती बस में महिला का बलात्कार हो जाता है; हास्पिटल में दिखाने जाती है, बलात्कार हो जाता है। अब एक-एक बात को मैं क्या निवेदन करूं? आफिस में, कार्यालय में जाती है अपनी नौकरी करने, वहां बलात्कार हो जाता है। न बच्ची सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न वृद्ध महिला सुरक्षित है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : एक मिनट। आपके कार्यालय में मंत्री के बंगले में बलात्कार हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान मत डालिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : आपके शासन में क्या हुआ था? अध्यक्ष महोदय, नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। इनके शासन में क्या हुआ था, यह तो इनको याद ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान मत डालिये।

एक माननीय सदस्य : वह भूल गये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : दो-दो मंत्री इनके जेल में बैठे हैं। वह तो इनको पता ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आप सचेतक हैं, कम से कम इतना तो माद्दा रखें, क्या बोल रहे हैं हम। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बलात्कार की, चोरी की, नकबजनी की, लूट की जितनी वारदातें इस सरकार के 14-15 महीनों में हुई हैं, राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, इनके गृह मंत्री यह कहते हैं कि यह बात सही है कि मेरे को गृह मंत्रालय दिया गया है लेकिन पिछले बारह महीने में मुख्य मंत्री जी गृह मंत्री रहते अपराध का ग्राफ पूरे प्रदेश में बढ़ा है। यह इनके गृह मंत्री कहते हैं। ए.टी.एम. टूट रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, कोई इस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और उसके बाद में भी यह कहते हैं, हम बहुत बढ़िया करने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके एक साल के अन्दर, जनवरी, 2014 से 30 नवम्बर तक 2,578 मुकदमे हुए, जिनमें से 1,081 का तो ये चालान ही नहीं कर पाये। इनकी स्थिति बड़ी विचित्र है।

मैं निवेदन करूं, अब कहते हैं, हम गुड गवर्नेंस देंगे। मुख्य मंत्रीजी का बहुत बड़ा नारा है कि हम तो गुड गनर्वेंस देंगे। इनकी गुड गवर्नेंस का नमूना मैं थोड़ा-सा निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इनके चीफ सैक्रेटरी की रिपोर्ट है, 16 कलक्टरों की परफोर्मेंस रिपोर्ट जीरो है, जीरो। 16 कलक्टर तो इनके चीफ सैक्रेटरी के, सरकार के निर्देश नहीं मानते हैं; न गांव में जाते हैं और न नाइट स्टे करते हैं। और तो और, अध्यक्ष महोदय, वे तीन सम्भाग जिनमें सरकार दौरा करके आयी है, वहां के कलक्टर भी चीफ सैक्रेटरी के आदेश को नहीं मानते हैं, उनकी परफोर्मेंस रिपोर्ट भी जीरो है। जो आवेदन आयें, वह आज भी पौने दो लाख से ज्यादा के आवेदन लम्बित हैं। लोगों को न्याय नहीं मिला।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप भाग-भाग के जा रहे थे, गांव-गांव में जा रहे थे, पता नहीं, हम क्या-क्या कर देंगे। गुड गवर्नेंस का नमूना मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मुख्य सचेतक महोदया कहते हैं कि बाबू भ्रष्ट हैं, पैसे के लिए फाइलें अटकाते हैं। हमारे शिक्षा मंत्रीजी देवनानीजी, देवनानीजी, ज्ञानीजी नहीं, सारी, देवनानीजी गौ-पालकों की, गौर की रक्षा के लिए सिर मुंडवा रहे हैं। भाई, क्या हो गया सरकार को? शर्म करो। क्या हो गया? जब आप सरकार में हों, आप गौ-पालन के लिए सर मुंडवा रहे हों, बाल कटवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : नाम तो बोलो नाम। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देवनानीजी हैं, देवनानीजी।

किरण माहेश्वरीजी हमारी जलदाय मंत्री हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे कहती हैं, ठेकेदार-अफसर का गठजोड़ है, टंकी बनाते हैं पाइप नहीं डालते हैं और काम समय पर नहीं करने वाले ठेकेदार को पैसे लेकर के अफसर भुगतान कर देते हैं। यह इनका नमूना है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अरुण चतुर्वेदीजी हमारे मंत्री हैं, इनकी मौजूदगी में इन्हीं के विधायक हुडलाजी, माननीय सदस्य हैं, कहते हैं, यहां का कलक्टर भ्रष्ट है, यहां का ए.डी.एम. भ्रष्ट है, यहां का डी.एस.ओ. भ्रष्ट है। अध्यक्ष महोदय, यह गुड गवर्नेंस है?

राजपाल सिंहजी शेखावत, स्वायत्त शासन मंत्री हैं, वे कहते हैं, तुम कुछ ठीक नहीं कर पाओगे, यह चौराहे हटाने से जयपुर का विकास नहीं होगा। आपने कुछ नहीं किया जयपुर में। भाई, आप मंत्री बन गये, मुख्य मंत्रीजी बन गयीं, 159 का बहुमत अब मिल गया, 163 का तो कम हो गया, वरना तो पता नहीं, चश्मा कहां रहता। आंख पर रहता, कि चोटी पर रहता, कि गुद्दी पर जाता, लेकिन सरकार का चश्मा वापस थोड़ा ठिकाने आया है, इस उप चुनाव के कारण से।

हाई कोर्ट कहता है कि आप कन्वर्जन को, भूमि रूपान्तरण को पेशा मत बनाइये, ठीक काम करिये। यह व्यवसाय नहीं है। सरकार सेवा करने के लिए बनी होती है।

प्रहलादजी गुंजल साहब माननीय सदस्य बी.जे.पी. के थे, बोल आपने सुने ही हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

भवानी सिंहजी राजावत साहब के बोल आप सुन ही रहे हों। 700 मकानों को खाली करवा दूंगा, अगर वोट फूल पर नहीं दिया तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गुड गवर्नेंस के छोटे-छोटे नमूने हैं।

हमारी मुख्य मंत्री, सदन की नेता, सीकर में गयीं, कुछ महिलाओं ने खंडेला में पानी मांगा। पानी तो दूर, 5 अफसरों को ए पी ओ करके और पता नहीं, किस-किस को सस्पेंड करके आईं। यह इनका गुड गवर्नेंस का नमूना है। इसलिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में माननीय मंत्री महोदय स्वाइन फ्लू के लिए कह रहे हैं कि गर्मी आएगी तो स्वाइन फ्लू चला जाएगा। तब तक प्रदेश की जनता मरती रहे, भोगती रहे। हम हमारा मस्ती से काम करेंगे, जो करना है। हमें 5 साल का मौका मिला है। इनका तो यह है उत्तर कि अब मेरी बारी है, अब हम आ गये। अब कांग्रेस का राज आने वाला है, इसलिए जो करना है, वह इस 4 साल में, 3 साल में कर लो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कितने डाक्टर लगाये, कितनी नर्सें लगाईं? कितना क्लिनिकल स्टाफ लगाया? हमने 7 दफे इनके स्टेटमेंट पढ़े हैं, उसमें लिखा है, 80 हजार की वह हाई कोर्ट वाली, सुप्रीम कोर्ट वाली हम एस एल पी वापस ले रहे हैं, आपको नौकरी दे देंगे, दिवाली पर तोहफा दे देंगे, अब होली पर दे देंगे, गणगौर पर दे देंगे। पता नहीं, कब तोहफा देंगे। तोहफा देते-देते कहीं 5 साल पूरे नहीं हो जाएं।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था कि 15 लाख को राजगार देंगे। दे दिया 15 लाख को रोजगार? करा दी थर्ड ग्रेड की भर्ती? संविदा-कर्मियों को कर दिया नियमित? विद्यार्थी मित्रों को वापस नौकरी पर ले लिया? हालत यह है कि एक आदमी को नौकरी नहीं। विद्यार्थी मित्र योजना हमें फोन करते हैं, मेसेज करते हैं कि अरे, इस गूंगी-बहरी सरकार को चेताओं तो सही, डोटासराजी। मैंने कहा कि जब तक राजेन्द्रजी राठौड़ साहब के नहीं जचेगी, तब तक मुख्य मंत्रीजी से यह भर्तियों का रास्ता तो खुलने वाला नहीं है। इसलिए आप उनके घर जाकर के धरना दे दो। तभी जाकर के यह काम हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क दवा, कह रहे हैं हमने बंद कर दी क्या? आपने बाकी क्या छोड़ा है? जो 600 दवाइयां हम देते थे, वह 100 दवाइयां आप नहीं दे रहे हों। जो जांच के इक्विपमेंट हमने उपलब्ध कराये थे, वे जांच के इक्विपमेंट आज खराब हो गये। आपने केवल कचरा साफ करने का काम किया है। कर दिया ना? मोदीजी ने झाड़ू ली थी, कर दिया ना दिल्ली में? वह झाड़ू ही ध्यान में रह गई जनता के। आपने 6 महीनों में किया क्या? झाड़ू लेकर के फोटुएं खिंचवाई थी। (व्यवधान) आप विराजें। आप तो... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाय, 6 बजे तक।

श्री अध्यक्ष : 6 बजे तक ही चलेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): तय नहीं हुआ लेकिन।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सही है।

प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज, सुबह से कान पका दिये हमारे। यह यू पी ए की गवर्नमेंट लेकर के आई थी 7 मेडिकल कालेज। कहां थे आपके पास 7 मेडिकल कालेज? एक सीकर में था, वह आप चूरू ले गए। यह आपकी उपलब्धि हो सकती है। 1,250 करोड़ रुपए केन्द्र ने स्वीकृत कर रखे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह 1,250 करोड़ रुपए जो 7 मेडिकल कालेजों के लिए यू पी ए गवर्नमेंट सैंक्शन करके गई थी, आपने 1 रुपया लाने का काम नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के तो बहुत बड़े हितैषी हैं, बिजली में तो पाटिया ही साफ कर दिया इन्होंने। सारे मेजें बजा रहे हैं माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के। अरे, साहब, 18 परसेंट ही तो बढ़ाया है। हम तो 159 हैं, 159 परसेंट बढ़ायेंगे, तब तक हमें कोई कहने वाला नहीं है। 18 परसेंट क्या होता है? कैसे होता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान परेशान है। किसान के साथ जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार यह सरकार कर रही है, 9 योजनाएं थीं हमारी सरकार में, जब हमारी सरकार हुआ करती थी, पशुओं के लिए बीमा कराने की। इस सरकार ने 9 की 9 योजनाओं को बंद करने का काम किया है।

कहते हैं, नि:शुल्क दवा योजना को हम जारी रख रहे हैं। क्या करोगे आप? मत करो। आपके जे.पी. चड्डाजी हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री, वे यह कहते हैं कि देश में यह एक मिसाल है राजस्थान, जिसमें नि:शुल्क दवा जैसी योजना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चालू हुई है। अब कर लो बंद। जब आपके केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्रीजी यह कहें तो आप बंद कर नहीं सकते। वरना जनता के गले पर छुरी चलाने की तो आपको आदत-सी पड़ी हुई है। पहले भी चलाई थी, तभी आप नहीं आयें। यह 15 लाख रोजगारों के चक्कर में एक हवा ऐसी चली कि आज बार-बार आप कह रहे हों, कि आप 21 रह गये, हम 163 हो गये। आप 163 नहीं हों; 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के अन्दर-अन्दर आप 163 से 159 तो हो गये और 5 साल का गणित लगा लो कि कितने पर जाओगे। महीने के महीने कम करते जाओ। हम 21 से एक साथ जम्प मारकर के 24 हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें ना किसानों की चिंता है, इमसें लिखा है, महामहिम से कहलवाया है कि राजस्थान में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर किसानों के थानों में डंडे क्यों पड़वाये? लट्ठ क्यों बजवाये? किसी किसान का सिर फोड़ दिया। यूरिया मांगने वाले व्यक्ति को, किसान को इन्होंने इतना प्रताड़ित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, थानेदार बैठता था, अपना टोल अलग लेता था, व्यापारी अलग लेता था, बिचौलिया अलग लेता था। किसानों के साथ जिस प्रकार की यूरिया में लूटपाट की गई, जिस प्रकार से किसान को परेशान किया गया, समय आने दीजिए, आपको वह नहीं भूलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत कितने कितना बड़ा घोटाला। 4-4 कम्पनियों को पी पी पी मोड पर। यह पी पी पी मोड कौनसा होता है, हमें तो आज तक पता नहीं चला। 'पी' का मतलब 'पीना' तो सुना था और एक पीपी होती थी, जो हम पहले 5 किलो, 10 किलो घी लाते थे, वह भी पीपी होती थी। 4 कम्पनियों को, 4 शहरों को आप प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। जयपुर लाभ में चल रहा, अजमेर लाभ में चल रहा, उदयपुर लाभ में चल रहा, जोधपुर लाभ में चल रहा, उनको देंगे ये पी पी पी मोड पर। बाकी किसी जगह को देने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान का पैस बढ़ाया है, सबका कम होना चाहिए। वरना हम आंदोलन करेंगे और आपको मजबूर करेंगे। किसान के साथ अन्याय हम किसी रूप में बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। यह पी पी पी मोड का छोड़ो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडवेज के कर्मचारियों की हालत देखो, उनको न पेंशन मिल रही है; जो रिटायर हो गये, उनको ना पैसा मिल रहा है; ना रोडवेज को बसें मिल रही हैं। यही बिजली का हाल होगा। आज आप एक जिले में जाकर के पूछ लीजिए, एक जगह मीटर नहीं है, एक जगह केबल नहीं है। केवल पोल लिये, लट्ठ लिये घूम रहे हैं। इसके अलावा ना इनके पास कोई काम करने को है, सर्किट बैक्रेट कुछ भी नहीं है।

मेरे पूरे जिले की हालत यह है कि ''मुख्यमंत्री-सबके-लिए-विद्युत-योजना'' माननीय अशोकजी गहलोत लेकर आये थे। उनकी मंशा थी कि ढाणियों में बैठे किसानों को बिजली मिलनी चाहिए, घरेलू बिजली भी मिलनी चाहिए। क्या किया आपने? पहले फेज के कनेक्शन नहीं किये। डिमांड नोट जारी करने के बाद में आपने नहीं किये। यह, ईमानदारी से, हकीकत है। अगर आपके कान ठीक हैं तो सुन लीजिए, ठीक कर लोगे तो पता नहीं, विपक्ष थोड़ा ढंग का आ जाएगा। नहीं तो हमसे भी बुरी हालत आपकी होने वाली है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बुरी हुई है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : बुरी ही है तो। जब हम 24 ही हैं, 200 में से 24 हैं, तो इससे बुरी क्या हो सकती है? हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आप जितने कारनामे कर रहे हैं ना 15 महीनों में, वह तो हमने 10 साल में, पहले वाले राज में और अब, दोनों में ही नहीं किये। आपने तो, पता नहीं, कितने घोटाले कर दिये, कितनी गड़बड़ कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, इनका एक नमूना बताता हूं मैं, मेरे यहां सीकर में 239 ऐसे ट्यूबवैल हैं सिंगल फेज और थ्री फेज, 15 महीनों से एक के कनेक्शन नहीं हुआ है। 1 रुपया इन्होंने जमा नहीं कराया। 15 करोड़ रुपए का बजट आज भी मुंह बाये तरस रहा है कि कब 15 करोड़ रुपए का सीकर जिले को बजट मिले। पूरे प्रदेश के ये हालात बने हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यह गौरव ग्रामीण, गौरव पथ, जब से हम आये थे इस सदन में, तब से माननीय यूनुस खां, मंत्री महोदय नहीं हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि यह 5 साल में तो कोई आ जाएगा कि ग्रामीण गौरव पथ योजना, किसी तरह की कोई आएगी क्या, 500 मीटर से 2 किलोमीटर? आ जाएगी क्या? (व्यवधान) आपने बनाया ना, आपने देखा ना। पहले कहा कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पंचायत समिति को गौरव पथ से जोड़ेंगे, फिर बोलें कि 500 मीटर से 2 किलोमीटर जोड़ेंगे। मेरा दावा है कि 1 किलोमीटर सड़क गांव में नयी बनाई आपने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : काम चालू हो गया। काम चालू हो गया। देख लेना, काम चालू हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : बाबू भ्रष्ट हैं। आप उसको सुधार नहीं सकते। बीच में काहे के लिए बोल रहे हो?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : हमने तो आपको ही सुधार दिया तो फिर ये बाबू लोग कहां टिकेंगे? वे सब सुधर जाएंगे। आप चिंता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोल माफिया को पनपाने का काम आपने किया। आज हमारे मंत्रीजी को टोल माफिया जाने नहीं दे रहा है। फिर जब अखबार वाले आ जाते हैं, प्रेस आ जाती है, तो कहते हैं कि मैं तो निरीक्षण करने आया था।

(17.00 बजे)

कोई निरीक्षण करने नहीं गये थे। बाबूजी गांव जा रहे थे, मंत्री महोदय, और उन्होंने कहा कि नीचे पड़ा, पैसा दे, और गाड़ी एक तरफ खड़ी कर, प्राइवेट गाड़ी से गये थे। आज दुर्गति, हमारे प्रदेश का नाम शर्म से झुक गया कि जो सरकार पी पी पी मोड की बात करती है, उसका पी डब्ल्यू डी मंत्री, उसको टोल माफिया नहीं जाने दे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है?

पानी, कहां है पानी? कहां हैं आर ओ? तीस-तीस हैण्डपम्प हर विधायक को देंगे, दे दिये क्या? (व्यवधान) बी जे पी को, केवल बी जे पी को। पानी पर राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए। डूब कर मरे ऐसी सरकार पानी में। कांग्रेस और दूसरे विधायकों को हम हैण्ड पम्प नहीं देंगे और केवल बी जे पी के लोगों को देंगे और बी जे पी में भी जो सरकार का पक्ष ले, उसी को देंगे, बाकी को नहीं देंगे। (व्यवधान) घनश्यामजी को नहीं देंगे। उनको कैसे देंगे? राव राजेन्द्र साहब को नहीं देंगे, राजवी साहब को नहीं देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, कितनी विचित्र बात है कि मुख्य मंत्री और गृह मंत्री यह बात कहें कि देखो, मंत्रियों को सदन में गाली

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मत निकाल लेना, अफसरों को निकालो धाप-धाप के। यह कौनसा सुशासन है, मेरे तो समझ में नहीं आया। अफसरों को भी क्यों निकालो और आपको भी कोई क्यों निकाले?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास का इनका जो एजेण्डा है, वह बिलकुल फेल है, औद्योगिक विकास हो नहीं रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज शिक्षा, क्या हुआ, शिक्षा में बीस हजार स्कूलें बंद कीं। हमने यहां कहा था सदन में। कालीचरणजी सराफ साहब जो शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, पहले दिन तो कह दिया, सब सही बंद हो गईं। दूसे दिन कहा, गलती हो गई, थोडी गलत हो गईं। आज भी वह सिलसिला कम नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि केवल मेरे जिले में, केवल मेरे जिले में सत्रह हजार बच्चे ड्रोप-आउट हो गये स्कूलों के एकीकरण से और 193 स्कूलें बंद हो गईं। केवल 100 स्कूलें वापस खोलीं 193 में से। एक आदेश निकाला इनकी सरकार ने, हमारी सरकार ने, सबकी सरकार ने; माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो आपकी भी है, हमारी भी है; सरकार ने निकाला है कि चाहे स्कूल कितनी भी दूर हो जिसमें समायोजन कर दिया और वैकल्पिक बैठने की व्यवस्था विद्यालय में की है, तो वहां पहले हाजिरी भरोगे आदर्श स्कूल में और शाम को एक दफा हाजिरी भरोगे। पांच किलोमीटर दूर स्कूल है, महिला अध्यापिका, पहले तो जाएगी, पहले तो जाएगी। (व्यवधान) आपको नहीं बनाया है मंत्री। पांच किलोमीटर, गारंटी के साथ, सदन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, टेबल कर सकता हूं वह जगह। उन स्कूलों के नाम मैं टेबल कर सकता हूं। आप चिंता मत करो। (व्यवधान) पहले तो वह जाएगी हाजिरी भरने, फिर जाएगी बच्चों को सम्भालने, फिर चार बजे भागी-भागी वापस आएगी। अगर प्रधानाध्यापक जी थोडे लेट आयें और थोड़ी जल्दी चले गये तो उसकी हाजिरी और मारी जाएगी। यह व्यवस्था आपने स्कूलों की कर रखी है।

एक थर्ड ग्रेड का टीचर नहीं। 2012 में टीचर लगे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, दो साल में नियमित होने चाहिए; आज दो साल से ज्यादा समय हो गया, उनको नियमित नहीं किया। यह सरकार 300 करोड़ रुपये का घोटाला कर रही है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उन सब शिक्षकों के साथ में, शिक्षक प्रोबेशन पर लगे हुए हैं, उनका नियमितीकरण करना चाहिए था, नियमित वेतन श्रृंखला देनी चाहिए थी, उनको कोई नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दे रहे हैं और आज उस पैसे से मजा कर रहे हैं। उनको 28-30 हजार रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, वे 11 हजार में अपना काम निकाल रहे हैं। इस सरकार को बैठे-बैठे कोस रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वायत्त शासन। आप देखिए, स्वायत्त शासन में मंत्रीजी रोजाना अफसरों को सुधारने में लगे हुए हैं। शहर इनसे सुधर नहीं रहा है। केवल जयपुर नगर निगम में, 400 करोड़ का बजट था, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 86 करोड़ रुपये इनसे खर्च हुए हैं। यह तो इनकी नगरीय विकास की जो स्थिति है, वह बयान कर रही है। कभी अफसर चौराहे हटा रहे हैं, कभी मंत्री वापस चौराहे बनवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी सरकार की तरफ से हो नहीं रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2,300 करोड़ रुपये के 32 सीवरेज प्रोजेक्ट मंजूर किये थे, जिनमें मेरा लक्ष्मणगढ़ भी एक था। इसी सदन में गुलाबचन्दजी कटारिया साहब ने जवाब दिया था, माननीय मंत्री महोदय आपको याद होना चाहिए, कि आठ तो हम कर रहे थे, बत्तीस में से आठ कर रहे हैं, उसमें आपका लक्ष्मणगढ़ है। आज तक तो कहीं उन कागजों का बुरबुडा ही नहीं बोला। पता नहीं, कहां चल रहे हैं, कहां नहीं चल रहे हैं। हम अफसरों को बूझते हैं तो कहते हैं कि केन्द्र से पैसा आ गया, सरकार जीम गई, टेण्डर प्रक्रिया में चल रहा है। जैसी भारतीय जनता पार्टी की आदत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 'करने का प्रस्ताव है', 'करने का विचार है', 'करने जा रहे हैं', 'करने का प्रयास कर रहे हैं', इसके अलावा कुछ भी करने का नाम नहीं है।

डीजल पर वैट, कहां 160 रुपए क्रूड आयल था, आज 60 रुपये से नीचे आ गया, उसके बावजूद भी वैट लगा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेण्डर सस्ता किया, सब्सिडी, 25 रुपये प्रति सिलेण्डर के 2011 में हमने जो घटाये थे, वह वापस उन उपभोक्ताओं के लागू करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।

राशन डीलरों की क्या व्यवस्था है, पहले कहते हैं, नहीं, 60 साल का होना चाहिए, पढ़ा-लिखा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और पांच दिन की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हड़ताल के बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार का मंत्री, पता नहीं, क्या घालमेल हुआ, वापस लिख कर दे रहा है, नहीं, आप ही काम करेंगे और आप ही बहुत सही आदमी हो और कोई नियम लागू नहीं करेंगे। राशन डीलरों की वापस हड़ताल तुडवाने का काम किया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस के समय के ज्यादा हैं। अच्छा फायदा मिला।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हटा रहे हों क्या उनको, कांग्रेस के समय वालों की ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : वहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : चलो, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

एक भामाशाह कार्ड का, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा फिड़का लायें। पता नहीं, भामाशाह कार्ड, मुख्य मंत्रीजी की फोटो, सदन की नेता की फोटो। में पूछना चाहता हूं कि यह चार साल के लिए ही, और है क्या भामाशाह कार्ड? ये हमेशा के लिए बनायें? क्यों पैसे खराब कर रहे हो? सरकार सो रही है। उस मुख्य मंत्री की फोटो को कोई देखेगा नहीं चार साल बाद में। चार साल बाद में, जैसे हमारी जो ट्यूबलाइटें थीं न, उनकी हालत आपने की है, उससे भी बुरी हालत इन भामाशाह कार्डों की होने वाली है, माननीय राठौड़ साहब। कोई नहीं, इस भामाशाह कार्ड को फेकेंगे; जल्दी फेंक, नहीं कांग्रेस वाला नाराज हो जाएगा। सरकार इनकी आ गई, काहे के लिए इस भामाशाह कार्ड को लिये हुए घूम रहे हो? एक रुपया किसी को देने का काम नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मीठी-मीठी बातें ही कर रहा हुं, कोइ गड़बड़ बात तो कर नहीं रहा हुं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वापस सरकार बी जे पी की ही बनेगी। आप चिंता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : दिल्ली में बन गई न। किरण बेदी जी को लाये थे किराये पर।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) :दिल्ली में तो पहले ही नहीं थी। यहां सरकार है और आगे भी रहेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : + + +और आप बोली बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : आप तो जीरो हो गये। आपका सफाया हो गया। ये तो जीरो हैं जीरो, फिर भी बोल रहे हैं। आपने तो 15 साल तक राज किया दिल्ली में, एक ही नहीं आई। फिर भी बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप ज्ञानवर्धन कर लो, आपके काम आएगा। हम बोल रहें हैं, यही आपको अगली बार बोलना पड़ेगा।

एक बात बहुत जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि हमने पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया। पता नहीं, क्या गढ़ जीत लिया। कटारिया साहब का नाम जोगारामजी ने बीसेक बार ले लिया। मुख्य मंत्रीजी ने भी कोई सहमति दी होगी, या केवल कटारिया साहब ने ही कर दिया सब कुछ? चलो, हम तो मान लेते हैं कि कटारिया साहब फुल पावर में हैं, उन्होंने कर दिया। क्या किया आपने? क्या किया? एक पंचायत भवन नहीं, एक बाबू नहीं, एक ग्राम सेवक नहीं, बैठने को टेबल-कुर्सी नहीं। एक काम जरूर किया आपने। इस पुनर्गठन के बाद जो संशोधन किया, एक काम किया कि साहब, दसवीं पास होना चाहिए, आठवीं पास होना चाहिए, सरपंच। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दसवीं पास और आठवीं पास नहीं, इस सरकार के इस फैसले से हमारे प्रदेश का शर्म से सिर झुक गया है। पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में इतने फर्जी, इतने फर्जी जन-प्रतिनिधि। हजारों के केस हो गये। क्या बना दिया उनको? लाट साहब बना दिया? सरपंच आप फर्जी हो या सही हो, प्रधान आप सही हो या फर्जी हो...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : यह सब फर्जी टी सी कांग्रेस वालों की ही है। केवल कांग्रेस वाले ही पकड़े गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : यह सब सोची-समझी आपकी सकार की चाल थी, पहले से आपको पता था कि इनको वंचित करना है और हमारे लोगों को फर्जी टी सी और मार्क शीट दिलवाकर फर्जी जन-प्रतिनिधि बनाने हैं। क्योंकि आपती तो आदत रही हुई है।

इसलिए आज पूरे देश में यह चर्चा का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा का विषय है कि फर्जी जन-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रतिनिधि, कितने हमने भी सवाल लगाये हैं, जवाब आएगा कि सही कितने और फर्जी कितने....

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी टी सी जो आप बता रहे हों, न कोई भी अगर फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी टी सी लाकर के जन-प्रतिनिधि बना है तो उनके खिलाफ कानून है। कानून से बियोण्ड जाकर कोई बड़ा आदमी नहीं है। कानून राष्ट्रपति के लिए, प्रधान मंत्री के लिए, चाहे मुख्य मंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे सरपंच है, चाहे वार्ड पंच है, सबके लिए बराबर है। इसलिए न तो वह कांग्रेस का है और न वह बी जे पी का है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और जो भी फर्जी पेश किया है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किये जाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : नियम क्या है, यह भी बता दो, मंत्री महोदय। मैं निवेदन करूं, मंत्रीजी, आप साधारण-सा जवाब देकर अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, पंचायती राज में कानून यह है कि कोर्ट में जाइए, रिट पिटिशन कीजिए और उसके बाद में 5 साल तक कोई फैसला नहीं होगा। इनके 90 से 95 परसेंट भारतीय जनता पार्टी के जन-प्रतिनिधि बने हैं, वे फर्जी टी सी से बने हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, इनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : आपके पास क्या प्रूफ है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मेरे पास प्रूफ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मेरे पास प्रूफ है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के चिह्न के ऊपर जीते हुए लोगों के खिलाफ पुलिस में केस चले रहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपस में नहीं। (व्यवधान) बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मैं निवेदन करूं, चलो, इस विषय को छोड़ दीजिए। कल-परसों दिल्ली गया तो किसी ने कहा कि आपके जन-प्रतिनिधि फर्जी कितने आयें, तो वास्तव में हमारा सिर नीचे हो गया कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह इस तरह की गवर्नमेंट है जिसने किस तरह का निर्णय कर दिया कि आज हमें फर्जी जन-प्रतिनिधियों के प्रदेश का जन-प्रतिनिधि बता रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, भड़ाना साहब ने कहा कि टास्क फोर्स गठित कर दी गयी है, निर्णय सात दिन में आने वाला है। वह 7 दिन तो आज तक, भड़ाना साहब, आया नहीं। न आपकी महंगाई कम हुई, न डीजल कम हुआ, न पेटोल कम हुआ। यह आपकी कोई देन ही नहीं है, यह अन्तरराष्ट्रीय बाजार का काम है। आप अगर वैटर नहीं लगाते, उसमें से कुछ घटाते, कोई अनुदान देते, तो आपकी वाहवाही है। वह टास्क फोर्स यों की यों बनी हुई है।

एक बहुत बड़ा अन्याय जो प्रदेश की जनता के साथ हुआ है, 69 प्रतिशत लोगों के साथ होने जा रहा है, उसके लिए आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ऐसा किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। संख्या में कम दिखते हैं, लेकिन तीर चाहे छोटा हो लेकिन घाव बड़ा गम्भीर करता है, इसलिए यह कांग्रेस पार्टी, हमारा पूरा प्रतिपक्ष ईंट से ईंट बजाकर आपको मनवाएगा। आज इन्होंने आदेश दे रखे हैं, थाने में प्रमाण-पत्र बंटेंगे। थाने वाला कहेगा कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम का गेहूं लेने के लिए पात्र है तब तो उसे गेहूं मिलेगा, नहीं तो उसे गेहूं नहीं मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा मंत्रीजी के दो मिनट और ले लूं, आपकी अनुमति हो, तो? आप महान ह्रदय के धनी है।

श्री अध्यक्ष : आपका समय, आपकी पार्टी का। आप देख लीजिए कि आपको कितना बोलना है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ) : मैं दो मिनट और निवेदन करूं?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए, आपका समय है। आप तो सचेतक हैं ना। पार्टियों का अपना समय है, उस समय में आप जितना चाहें, बोलें। आपकी पार्टी के दूसरे नहीं बोलेंगे। समय वही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब मेरे पड़ौसी जिले के हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे पर बहुत असीम कृपा रखते हैं, इसलिए इनके डिपार्टमेंट के बारे में दो मिनट और निवेदन करना चाहता

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हूं। इनके जितने एन आर एच एम में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, राठौड साहब, आप जांच कराइए, आपकी पकड़ में आयें या नहीं। ये एन आर एच एम वाले अपने आपको लाट साहब समझते हैं, पूरे घोटाले करते हैं, कमीशनखोरी का खेल चलता है। इनका एक्स ईएन, एस ई किसी के बस में नहीं आता है, न हमारे आया। मैं उम्मीद करता हूं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आप लिखकर दे दें पर्टिकुलरली, मैं यहां से चीफ इंजीनियर को भेजकर जांच करवा लूंगा। आप लिखकर दे दो, कौन-कौनसी जगह पर घोटाला है, कौनसी जगह पर अच्छा काम नहीं हो रहा है। आप लिखकर दे दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात है 21 फरवरी की; हमारे सांसद महोदय ने एक मीटिंग ली थी, उनकी अध्यक्षता थी, हम सब सीकर के जन-प्रतिनिधि थे। इनका एक नमूना देता हूं। 11 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने एस के हास्पिटल, सीकर को सुधारने के लिए पास कराये थे। हम सब जन-प्रतिनिधि निर्णय लेकर गये थे, खर्रा साहब भी थे, बजिया साहब भी थे, गोवर्धनजी वर्मा भी थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : मैंने उसकी जांच के आदेश दे दिये। जांच करने वाला आपसे भी मिलेगा, आपको साथ मौके पर लेकर आएगा। उसमें जिसने भी कमी की होगी, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैंने चीफ इंजीयिनर को जांच के आदेश दे दिये। मैंने अखबार में पढ़ते ही दे दिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपकी बड़ी मेहरबानी। वहां घटिया सामग्री काम में ली जा रही थी, सीमेंट पर पानी का कोई छिड़काव नहीं था, चूने के ऊपर कर रहे थे। वहां मीटिंग में आपका सी एम एच ओ और पी एम ओ यह कह रहा है कि मेरे कर्मचारी बस में नहीं हैं, मुझे हटा दो, मुझे छुट्टी दे दो। यह आलम क्यों हुआ, जब गुड गवर्नेंस है? आप 159 के प्रवाह में आये हों तो आपकी यह हालत क्यों हो रही है कि आपको सी एम एच ओ और पी एम ओ की आपका बाबू नहीं माने, आपका डाक्टर नहीं माने? पी एम ओ यह कहता है कि एक डाक्टर को मैं कह दूं, छुट्टी नहीं लेनी है, तो वह मेडिकल देकर चला जाएगा। अगर उसका मेडिकल बोर्ड से भी कराऊं तो वही डाक्टर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मेडिकल करने वाला है। इसलिए तीन को बिठा दो, चाहे सात को, एक-दूसरे के काम पड़ता रहता है। इस व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल एक लास्ट में निवेदन करना चाहता हूं, 20 हजार किलोमीटर सड़कें बन गयीं क्या? पूछना चाहता हूं, कितनी बनीं? एक किलोमीटर सड़क बनी, एक नई रोडवेज बस नहीं ली, एक आदमी को सही पेंशन नहीं मिली, एक आदमी को सही दवाई नहीं मिल रही है, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। कर क्या रहे हो? फिर थपथपा रहे हैं, मेजें बजा रहे हैं। जोगारामजी ने पता नहीं, कौनसा चालीसा पढ़ा, सी एम चालीसा पढ़ा, क्या पढ़ा, भगवान जाने, इतनी दफा माननीया मुख्य मंत्रीजी, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी। बात तो ठीक है, यशस्वी हों, अच्छी मुख्य मंत्री साबित हों, प्रदेश का भला करें, आपका इतना बड़ा संख्या बल आपके साथ में है, लेकिन कुछ काम करके तो दिखाओ। एक श्लोक मैंने पढ़ा, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल (निवाई) : सवा साल में कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जनाधार कैसे दे रहे हैं? यह कैसे भूल रहे हो? कुछ नहीं हुआ, इस तरह की असत्य बात बोलते हो। सत्य तो बोलो, सचेतक महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा चुप करा लो दो मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : आप चुप रहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : एक श्लोक कहलवाया गया है 213 पर, उसका अर्थ है, यह थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक हो गयी, इसलिए मैं इसे ठीक कर देता हूं। इस श्लोक का अर्थ है, ''अर्थात, हे प्रभु, हमको एक-दूसरे से रक्षा करने की सामर्ध्य दें। हम परस्पर मिलकर अपने समाज, भाषा व संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हम किसी शत्रु से नहीं, अपनों से भयभीत हैं। हमारी शिक्षा हमें एकता के सूत्र में बांधने व बुराइयों से मुक्त करने की सीख नहीं देती है। हे प्रभु, हम एक-दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।'' यह श्लोक जो महामहिम से कहलवाया, उसका अर्थ यह होना चाहिए। आपके लिए बिलकुल मैं एक्यूरेट ढंग से छांटकर लेकर आया हूं। मैंने भी कहीं पढ़ा है, मैं बनाना थोड़े ही जानता हूं। (व्यवधान) मैं दुबारा पढ़ दूं, यदि आपके समझ में नहीं आया तो?

इसलिए इनकी जो स्थिति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल (निवाई) : स्लोक नहीं, श्लोक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपसे ज्ञानी कोई हो सकता है इस सदन में? लेकिन इसको शुद्ध कर लेना। जो मैंने बताया, वही अर्थ है। आपके लिए वही अर्थ होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सड़क बनाइए।

एक और निर्णय किया कि डार्क जोन, कुएं नहीं खुदेंगे, कलक्टर की अनुमति के बगैर नहीं खुदेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक जिला कलक्टर ने कुएं खोदने की स्वीकृति नहीं दी है। चाहे किसान का कुआं फेल हो गया, चाहे वह पीने के पानी के लिए नया सिंगल फेज का टयूबवेल करना चाहता है, एक ट्यूबवेल की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। जब मंत्री महोदया, माननीया किरण माहेश्वरीजी गई थीं, हमने कहा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। व्यवधान नहीं, आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हमने कहा तो आनन-फानन में हमारे कलक्टर साहब तडक-भडक जवाब देते हैं कि यह थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा, फिर चालू हो जाएगा यह सिस्टम, इसलिए, मंत्री महोदया, इसकी हां मत भर लेना। तो इन्होंने कहा कि ठीक। आपने कहा कि यह डार्क जोन हो गया इसलिए कुआं नहीं खुदेगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौनसी संवेदनशील सरकार है? इनसे पूछना चाहता हूं कि दिया क्या पानी? जवाबदेही, गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट; हो गयी क्या मिनिमम गवर्नमेंट? यह गवर्नमेंट ऐसी बनी है कि जो मंत्री बनने वाले थे, वे तो उधर बैठे हैं और उधर बैठे वाले इधर बैठे हैं। यह गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। कई को बड़ी चालाकी से निपटा दिया गया। ईमानदार खनन मंत्री को तो खान विभाग से हटाकर उच्च पद पर बिठा दिया गया कि आप तो यहां आराम कीजिए, हम अपने आप खानों का काम कर लेंगे। यह सरकार ऐसे ही जनता के साथ करेगी। (व्यवधान) ठीक है, साहब, आपका आदेश।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सोचें, काम करें, लोगों की भलाई करें। केवल भामाशाह कार्ड बनाने से गरीब का भला नहीं होगा। गरीब को अन्न दीजिए, पीने का पानी दीजिए, बीमार को दवाई दीजिए, चलने के लिए सड़क दीजिए और युवाओं को रोजगार दीजिए, तब तो आपकी सरकार और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

159 का फायदा है, नहीं तो बंटाढार होने वाला है। डेढ़ गया, साढ़े तीन साल हैं। आप में से कई कहते हैं, अब तो थोडा तेज-तेज चलो।

इसलिए मैं विरोध करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय से जो कहलवाया गया है, वह असत्य का पुलिंदा है, असत्य बातें कहलवायी गई हैं। एक भी बात ऐसी नहीं कहलवायी गई जिससे इनकी गुड गवर्नेंस झलकती हो, गरीब के प्रति हमदर्दी झलकती हो, इनकी कुछ करने की इच्छाशक्ति झलकती हो।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री केसारामजी चौधरी।

श्री शैतानसिंह (पोकरण) : माननीय गोविन्द सिंहजी, आप यहां खडे होकर इस पवित्र सदन में असत्य नहीं कहें। हम 160 हैं, आपने दो बार 159 कहा है। इसलिए आप इस पवित्र सदन में असत्य नहीं बोलें। आप असत्य बोलने का ही काम कर रहे हैं और 160 को बार-बार 159 बोल रहे हैं। इतना तो ध्यान रखें कि इस पवित्र सदन में असत्य नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी। आप चालू कीजिये न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : बरबाद गुलिस्तां करने को हर शाख पर उल्लू बैठा है, यह कहानी हो रही है। ये जबरदस्ती दु:ख पा रहे थे। सारे काम ही गड़बड़ हो रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, मैं उसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान वह प्रदेश है जिसने गौरव प्राप्त किया था पंचायत राज को सबसे पहले देश में लागू करने का। उस पंचायत राज को लागू करने के बाद में यह कल्पना थी, गांधीजी का सपना था कि गांवों का विकास किया जाए, मगर आज दिन तक जिस स्थिति में, जो कल्पना करके इस पंचायत राज को बनाया था, उसकी सच्ची अगर कोई प्रिफरेंस अगर कोई दी है, तो देश में पहली बार इस पंचायत राज में जन-प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा को लागू करके जो सरकार ने अपनी मंशा व्यक्त की, इससे साफ जाहिर होता है कि पढ़े-लिखे पंचायत के प्रतिनिधि आएंगे।

(श्री केसाराम चौधरी)

आज जो प्रतिनिधि आये हैं, वे एम.काम., एम.ए., बी.ए. और इतने पढ़े-लिखे हैं। कल्पना भी नहीं थी कि ऐसे पढ़े-लिखे लोग आ जाएंगे, ऐसी कल्पना से भी परे हमारी सरकार ने जो सोचा था उसकी परिणति हुई है।

इसके साथ ही, प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छ राष्ट्र की परिकलपना को साकार करने के लिए पंचायत राज चुनावों में शौचालयों की जो व्यवस्था लागू की, उससे साफ जाहिर होता है कि जो देश का प्रधान मंत्री इस राष्ट्र को स्वच्छ करने के लिए कल्पना कर रहा है, उसी की परिणति में राजस्थान सरकार ने जन-प्रतिनिधियों पर, प्रत्येक पर, यह लागू करके यह साबित कर दिया है कि यह राष्ट्र स्वच्छ हो और स्वच्छ राष्ट्र में प्रत्येक के घर में शौचालय होना चाहिए और वह परिणति के रूप में दिखाई दे रहा है।

पंचायतों का पुनर्गठन तीन माह की अवधि में माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने करके पंचायत समितियों को बढ़ाया, ग्राम पंचायतों की बढ़ोत्तरी की है, उससे केन्द्र की सरकार से और भी ज्यादा पैसा मिलेगा और राजस्थान का चहुंमुखी विकास होगा।

राज्य की वार्षिक योजना जो 2013-14 में 40,500 करोड़ की थी, उस योजना के आकार को 2014-15 में बढ़ाकर 69,820 करोड़ किया गया है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज पंचायत राज में देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायतों के अन्दर आज भी काफी पंचायतों में 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपये पंचायतों के खातों में जमा बोल रहे हैं। यह इसी वार्षिक योजना का आकार बढ़ने की वजह से पंचायतों को ज्यादा पैसा मिल रहा है।

भामाशाह योजना वर्ष 2008 में चालू की गई थी, कांग्रेस ने उसे बन्द कर दिया था मगर इस सरकार ने 15 अगस्त, 2014 से इस भामाशाह योजना को वापस शुरू करके इस योजना में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को नामांकित किया। उनके आधार पर नम्बर भामाशाह आई डी कार्ड एवं बैंक खातों को इंटरलिंक किया जा रहा है, जिससे इन कार्डधारकों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आउटडोर में 30 हजार रुपये तक की दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी तथा इन्डोर मरीजों को तीन लाख रुपये का कवर प्रदान किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पी.डब्ल्यू.डी. में हमारे मंत्रीजी ने जो ग्रामीण गौरव पथ की घोषणा की है, उसमें मेरे क्षेत्र में 16.35 किलोमीटर सड़कों के लिए 817.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करके एक आदर्श

(श्री केसाराम चौधरी)

प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही, तेरहवें वित्त आयोग, टी एफ सी में डायलाना कल्ला से केसूली, साढ़े चार किलोमीटर की सड़क के लिए 49.50 लाख रुपये की स्वीकृति भी जारी की है। इसी तरह, पी एम जी एस वाई में गुढा पदमसिंह, नाथों की ढाणी, पूनवों का गुढा, निचली नीमड़ी और एन.एच. 14 से गूजरों की ढाणी, ये 5 सड़कें पी एम जी एस वाई में स्वीकृत हुई हैं। नाबार्ड, आर आई डी एफ 20 में नान-पैचेबल सड़कें, जो बहुत ही खराब हालत में थीं, उनके भी टेण्डर जारी किये गये हैं जिससे ये सड़कें बनकर मेरे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा।

मेरे क्षेत्र में 14 विधान सभाओं के चुनाव हुए, उनमें 10 बार कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय ने जीते, जिससे कांग्रेस वालों ने इस विधान सभा को सबसे पीछे रखा, इसका विकास करने में ध्यान नहीं दिया और सड़कें इस हालत में पहुंचा दीं कि वे सड़कें आज चलने लायक नहीं हैं। मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप दूसरा सारा बजट रोक दो, एक बार गांवों में सड़कों की, ऐसी हालत हो गई है, नान-पैचेबल हैं, 10-10, 20-20 साल से उन सड़कों पर एक बार भी पैच भी नहीं किया गया, ऐसे मेरे क्षेत्र की इस कांग्रेस सरकार ने दशा की है। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़कें स्वीकृत करें ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। (व्यवधान) ठेठ तक कांग्रेस ही है। सारे काम जो खराब किये गये हैं, वे आपके द्वारा ही किये गये हैं। (व्यवधान)

डांग-मगरा-मेवात योजना के अन्तर्गत 900 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इन लोगों ने मगरा विकास बोर्ड को बिलकुल बंद ही कर दिया, एक रुपये का भी खर्चा नहीं किया। माननीय मंत्रीजी ने इस मगरा विकास के लिए, जिन गांवों में एक भी काम नहीं हुआ था, उन गांवों की स्वीकृति देकर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए भी मैं इस सरकार की सराहना करता हूं।

श्री योजना में पांच घटक हैं, श्री योजना हमारी सरकार ने नई चालू की है, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आंतरिक सम्पर्क सड़क, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी, इन पांच कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। समग्र विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए पांच हजार की आबादी वाले गांव एवं पंचायत मुख्यालयों पर समस्त आधारभूत सुविधा देने की जो सरकार ने घोषणा की है, उसके कारण से गांवों का विकास होगा और जो बिलकुल ही

(श्री केसाराम चौधरी)

पिछड़े हुए गांव थे, उनमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण जनता का पलायन भी रुकेगा और गांवों का विकास भी होगा।

महिला स्वयं सहायता समूह 24 हजार बनाये जा चुके हैं, तीन लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना और गरीबी शमन परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन चारों के कारण इन महिला समूहों को लाभ देकर, उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए, जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, उसमें मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन योजनाओं में सुधार किया जाये। ये जो स्वयं सहायता समूह बनाये जा रहे हैं, वास्तविकता में, धरातल पर काम जिस तरह से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसके लिए कड़ा कानून बनाकर, वास्तव में उन ग्रामीण महिलाओं को अपने समूह में काम करने के लिए अब इतना पैसा उपलब्ध कराया जाये ताकि वे महिलाएं अपने आपको स्वावलम्बी बना सकें और अपने खुद के हाथ से रोजगार पैदा करके खुद जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए सार्थक हो सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरस्त करना। मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक, डेढ़ वर्ष तक इस सरकार ने काला कारनामा किया है। मंत्रीजी विराजमान हैं, खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सरकार ने ए पी एल के लिए आटा बांटा और एक व्यक्ति को आटा नहीं बांटा। मिल मालिकों और डीलरों ने मिलकर पूरा आटा, डेढ़ साल तक गरीब जनता को, ए पी एल को पांच रुपये किलो आटा देने की इन्होंने घोषणा की थी, एक बार बांटकर देखा, बंट नहीं रहा है। तो मिल वालों ने डाइरेक्ट डीलर से मिलकर यह सीधा कहा कि आपको कितने क्विंटल आटा लेना है, 50 क्विंटल। आप जांच करवाइये। मैं दावे से कहता हूं, मैंने पूरी जांच की है और मेरे पास सबूत है कि उन्होंने एक क्विंटल भी आटा नहीं बांटा और 50-50 क्विंटल आटा बांटकर एक महीने का बताया। डेढ़ साल तक इस कांग्रेस सरकार ने आटा बांटा और आटा खा-खाकर के इतने मोटे हुए हैं। यह बात करते हैं ईमानदारी की। मैं दावे से कहता हूं कि कहीं आटा बंट गया हो, मिल मालिकों ने मिलकर के, पांच रुपये किलो ए पी एल को देना था, मिल मालिकों ने, सीधा ट्रक गया, दस्तखत करो और उसको पांच रुपये किलो...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : इतना हो गया है इनके घाटा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : पांच रुपये किलो उस व्यक्ति को दिया जो राशन डीलर था। 50 क्विंटल के 25,000 रुपये उस राशन डीलर को दे दिये और उसको रजिस्टर में झूठे ही इन्द्राज करके...। उन रजिस्टरों की, कापियों की जांच की जाये। यहां खाद्य मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करने की घोषणा करें। यह जरूर कांग्रेस का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : पूर्व खाद्य मंत्रीजी जेल में हैं। जांच करवाओगे क्या?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : मंत्रीजी डालेंगे, जांच करवायेंगे। आपका पता निकल जायेगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : वे कहते हैं, उनका क्या होगा? ये आटा खा गये और मोटे हो गये, उनका क्या होगा? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : नहीं, वह जेल के बाद की बात है। मार्च 2012 से सितम्बर 2013 तक की बात है, डेढ़ साल तक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने राशन कार्ड छपवाने के लिए कार्य किया। राशन कार्ड में जितनी त्रुटियां थीं, क्या इनको कोई यहां राजस्थान में राशन कार्ड प्रिंट करने वाला नहीं मिला। इन्होंने टेण्डर गुजरात में दिया और उसमें भारी घोटाला। राशन कार्ड छपाई में भी घोटाला। राशन कार्ड सारे के सारे, वे गुजराती लोग हिन्दी भाषा समझें नहीं, तो कुछ का कुछ डाल दिया, किसी के कुछ लिख दिया। सारे के सारे राशन कार्ड खोटे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : प्रधान मंत्रीजी के लिए कह रहे हैं कि गुजराती लोग कुछ समझते नहीं हैं। ऐसे नहीं होगा। प्रधान मंत्रीजी के लिए नहीं सुनेंगे। वे सबके प्रधान मंत्री हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : हमारी सरकार ने एक सबसे अच्छा कार्य किया है, वह व्यसन-मुक्त राजस्थान की घोषणा की, उसकी सराहना करता हूं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि डोडा पोस्त जो मिल रहा है, वह लोगों को सही नहीं मिल रहा है। उसमें चूरा, मिक्स और पता नहीं,

(श्री केसाराम चौधरी)

कुछ कर रहे हैं। इसके लिए उनकी जांच करवाई जाये। डोडा पोस्त जो 60 और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हो गये हैं, उनके लिए परमिट जारी किये जायें; नहीं तो वे छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने कैम्प लगाकर छुड़ाने के लिए जो काम किया है, उसकी मैं बहुत-बहुत तारीफ करता हूं, सरहाना करता हूं कि आपने यह व्यसन-मुक्ति के लिए राजस्थान को चुना है।

इस नशामुक्ति के साथ ही शराबबन्दी भी की जाये और शराबबन्दी नहीं की जाये तो आपने जितनी दुकानें स्वीकृत की हैं, उनसे अगर एक भी ज्यादा चलती है तो सरकार की रायल्टी भी जाती है और वे लोग अवैध रूप से जगह-जगह पर ब्रांच खोल लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : शराबबन्दी अगर हो तो ऊपर से होनी चाहिए, ऊपर से।

श्री अध्यक्ष : 'ऊपर से' से आपका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : तो मैं नीचे से थोड़े ही कह रहा हूं। मैं भी वही कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं। वही ठीक है।

जितने भी अवैध काम और लड़ाई-झगड़े, टंटे, मुकदमे, फसाद, जो भी होते हैं, वे शराब से होते हैं। इसलिए राजस्थान में शराबबन्दी यदि नहीं की जाये, तो कम से कम इस पर ऐसी लगाम लगाई जाये कि लोग इसमें, जितनी स्वीकृत दुकानें हैं, उनसे एक भी ज्यादा चल रही है तो उसमे पेनल्टी और जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाये ताकि यह व्यवस्था भी ठीक हो सके।

भारत सरकार की खरीद योजना के तहत गेहूं की रिकार्ड खरीद की गई और उसमें किसानों को 150 रुपये क्विंटल का बोनस भी भुगतान किया गया। इसकी तो मैं सराहना करता हूं कि किसानों के लिए कम से कम बोनस तो दिया है। मगर आज की तारीख में, वास्तविकता में, अगर कोई देखा जाये, पहले क्रोप कटिंग होती थी और क्रोप कटिंग में उसका एवरेज निकाला जाता है कि गेहूं कितना पैदा हुआ और उसका लागत मूल्य भी निकाला जाये। किसान को घर में आज खेती पड़ता नहीं खा रही है, किसी सूरत में। ये जंगली जानवर, वन विभाग के रोजड़े, ग्रामीण सूअर और जंगली सूअर, इन तीनों से पाली जिले का किसान बहुत परेशान है और उसके खेत की निगरानी रखना

(श्री केसाराम चौधरी)

भी मुश्किल हो गया है। इसलिए गेहूं बोना भी बंद करना पड़ रहा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन जंगली जानवरों को आप अपने सुरक्षित करें, नहीं तो किसान को अपनी फसल की सुरक्षा करने का कोई न कोई अधिकार दिया जाये ताकि किसान अपनी फसल की सुरक्षा कर सके। ऐसा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय कैसे करेंगे जंगली जानवरों से? अध्यक्ष महोदय कैसे करेंगे, बताओ। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : अध्यक्ष महोदय नहीं, अध्यक्ष महोदय के मार्फत मैं मंत्रीजी से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे खेत में मैंने बाड़ बना ली है। मेरे खेत के मैंने बाड़ बना ली है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों हेतु राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन किया गया है जिससे हमारे पुरानी जो भी व्यवस्था है, चीजें हैं, मंदिर हैं, ऐतिहासिक जो भी चीजें हैं, उनकी सुरक्षा होगी और हमारे इतिहास को कायम रखा जा सकेगा। इसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिये। अब स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : इसके लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

(श्री हीरालाल)

राजस्थान में चुनाव हुए। राजस्थान की जनता ने हिन्दुस्तान में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार 163 सीटें हमारी वसुन्धरा जी, माननीया मुख्य मंत्रीजी को दीं और पहली बार माननीय मोदीजी के हाथ मजबूत करने के लिए राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 25 सीटें लोक सभा की दीं। (व्यवधान) दिल्ली में तो कांग्रेस जीरो हो गई। दिल्ली तो कांग्रेस-मुक्त हो गई। (व्यवधान) अभी हाल ही में नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाओं के निष्पक्ष चुनाव हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी तरह की लॉ एण्ड आर्डर की पोजिशन नहीं आई और पुनर्मतदान की पोजिशन नहीं आई। यह माननीया वसुन्धराजी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है।

पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए राजस्थान देश में अग्रणी है। सबसे पहले 1959 में पंचायती राज की व्यवस्थाएं राजस्थान में लागू हुई। माननीय नरेन्द्रजी मोदी जो देश के प्रधान मंत्री हैं, स्वच्छ राष्ट्र की परिकल्पना उन्होंने की, जिससे जो पंचायत का चुनाव लड़ें, उन सभी को जन-प्रतिनिधि बनने के लिए शौचालय बनाने पड़े। पहले घर में अपने शौचालय नहीं थे, खुले में शौच जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि शौच खुले में नहीं जाने के लिए एक तरह से प्रेरणा जनता को मिली।

पंचायतों का पुनर्गठन माननीय भैरोसिंहजी शेखावत साहब के टाइम पर हुआ और उसके बाद माननीय वसुंधराजी के नेतृत्व में, आदरणीय गुलाब जी, तत्कालीन पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी ने पुनर्सीमांकन किया। उसके आधार पर चुनाव हुए और राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। चाहे पंचायतों के चुनाव हों, नगर परिषद के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख, प्रधान और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष बनें।

राजस्थान की वार्षिक योजना 2013-14 में 40 हजार 500 करोड़ की थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014-15 में 69 हजार 820 करोड़ की योजना स्वीकृत कर राजस्थान की जनता का विकास करने में योगदान दिया।

माननीय नरेन्द्रजी मोदी ने देश के समन्वित विकास की दृष्टि से नये दृष्टिकोण के साथ नीति आयोग का गठन किया जिससे देश का समुचित विकास होगा। उसी तर्ज पर राजस्थान में मुख्य मंत्री सलाहकार परिषद का

(श्री हीरालाल)

गठन किया गया, जिससे राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सार्वजनिक-निजी-सहभागिता योजनाओं के लिए आधारभूत विकास परिषद का गठन किया गया।

2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भामाशाह योजना चलाई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आने पर उस योजना को बंद कर दिया गया। पुन: 15 अगस्त, 2014 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को प्रारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख लोगों को नामांकित किया गया है। इसमें आधार नम्बर, आई डी, बैंक खाते, इनको जोड़ा गया। इस योजना का प्रसार करते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना से इसको जोड़ा गया। इस योजना के तहत आउट-डोर में 30 हजार और इन-डोर में बीमार होने पर 3 लाख रुपये तक के बीमा से कवर किया गया।

नरेगा के तहत पंचायतों में एक-एक तालाब का निर्माण किया जाएगा जिससे तालाबों का पुनरुद्धार होगा।

सड़क विकास की दृष्टि से सड़कें शहर और गांव की धमनियां हैं। पी पी पी आधार पर राज्य में 20 हजार किलोमीटर की सड़कें निर्माण की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : आपस में चर्चा नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई) : राज्य को मुख्य जिला सड़कों से विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में 8 हजार 910 किलोमीटर सड़कें विकसित करने की योजना है। राज्य में सामान्य क्षेत्र में 250 से 500 तक की आबादी के शेष रहे 1 हजार 400 गांवों को नाबार्ड व आर आर एस एम पी योजना के तहत 2015 तक सड़कों से जोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 3 हजार 225 करोड़ की लागत से 11 हजार 499 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में निर्मित की जाएंगी जिसमें 3 हजार 786 ढाणी एवं मजरों को जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें 1 हजार 898 ढाणी और मजरों को 6 हजार 130 किलोमीटर से सड़कों से जोड़ा जा चुका है। राज्य में पंचायत मुख्यालयों पर 0.50 से 2 किलोमीटर की आर.सी.सी., सीमेंट कंक्रीट सड़कें, सी.सी. बनाई जाएंगी और इन सड़कों के साथ नालियां भी बनाई जाएंगी।

(श्री हीरालाल)

सुराज संकल्प के तहत 15 लाख युवकों को रोजगार दिया जाएगा। इस दृष्टि से विभिन्न विभागों में लम्बित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में अवरोध दूर कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में 47 पंचायत समितियां नव-सृजित कर गठित की गई हैं और राज्य में 723 ग्राम पंचायतें नव-सृजित की गई हैं।

पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के लिए पंचायत समिति, जिला परिषद में शिक्षा की दृष्टि से सरपंच को 8वीं और जिला परिषद के सदस्य ओर पंचायत समिति के सदस्य हेतु 10वीं की योग्यता निर्धारित कर राजस्थान की जनता को शिक्षा की ओर अग्रेषित करने की एक योजना राजस्थान सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस वर्ष 28 लाख 98 हजार शौचालय बनाने के लक्ष्य के विपरीत अब तक 31 लाख शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिनमें 7 लाख 28 हजार शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिससे 772 गांवों को खुले में शौच जाने से मुक्त किया गया।

प्रदेश में गो-पालन मंत्रालय की अलग से व्यवस्था की गई और गो-सेवा निदेशालय को निदेशालय गो-पालन राजस्थान के नाम से परिवर्तित किया गया।

सभी पंचायतों को टेलीफोन और कम्प्यूटर से जोड़ा गया।

माननीय, मेरे पूर्व में आदरणीय मुख्य सचेतक, कांग्रेस के बोल रहे थे कि एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान की जनता इस कार्यवाही को देखती है और कम से कम इस तरह से कहना, इतने वरिष्ठ सदस्य के लिए और जो मुख्य सचेतक के पद पर विराजमान हैं, उनको शोभा नहीं देता है।

मैं माननीय वसुंधराजी की शान में एक शेर कहूंगा :-

फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शमा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत खुदा करे।

जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वह करती है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है;

(श्री हीरालाल)

कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। साठ साल तक राज किया, दिल्ली में आप जीरो हो गये और फिर बढ़-बढ़कर के बातें कर रहे हैं, यह कर लिया और वह कुछ नहीं किया। पन्द्रह साल तक आपका मुख्य मंत्री दिल्ली में रहा था और आप जीरो हो गये। एक सीट भी नहीं ला पाये! और बढ़-बढ कर बातें कर रहे हैं कि हमने यह कर दिया और इन्होंने यह नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को दो बार में...(व्यवधान) भाई साहब, श्रवण कुमारजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप बाद में बोलना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। आप बोलो मत बीच में। मैं हाथ जोड़ता हूं। आप बड़े भाई हों, क्योंकि पच्चीस साल से आप विधान सभा में आ रहे हों। कल आपकी टी वी पर भी बाइट देखी है, आप महामहिम गवर्नर के लिए भी कुछ भी बोल देते हों। तो आप तो बहुत बड़े लोग हैं।

आप लोगों से यह कहूंगा कि 'अगर उस पार जाना है तो तूफां भी मिलेगा, अरे डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते?'

जय हिन्द। जय भारत। वन्दे मातरम।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में माननीय राज्यपालजी के इस अभिभाषण पर धन्यवाद हेतु बोलने का जो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र राज्य राजस्थान की इस पवित्र राजनीति के इस पवित्र मंदिर से एक बात कहना चाहता हूं-

'न गन्दगी पसंद है, न बंदगी पसन्द है।
दूध सी धुली-धुली है,
फूल सी खिली-खिली,
प्यार में घुली-घुली,
जिन्दगी पसन्द है।
न गन्दगी पसंद है, न बंदगी पसंद है।'

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे।

श्री रामचन्द्र (डग) : मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों ही प्रतिभावान और बहुत ही विवेकशील और बुद्धिलब्ध धनी साथियों के आचार-विचार के आदान-प्रदान से, क्योंकि नये-नये हैं, देख रहे हैं, कोई पूरी पोथी पढ़ रहा है और कोई पिछली सरकार के सारे घटक। यूं निचोड़ निकालें तो एक अट्टहास-सा होता है इस बात पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : 6 बजने वाले हैं। 6 बजते ही बंद कर देंगे अध्यक्षजी।

श्री रामचन्द्र (डग) : मैं बात वही शुरू करूंगा, गोविन्द सिंहजी, क्योंकि किसी चीज में कमी निकालना बहुत आसान है। आपने सरकार की जिस तरीके से कमियां निकाली हैं न, अगर ये साठ साल का ऐसा फंदा आपके गले में पड़ा होता न, तो आज तक फांसी लगी होती है इस कांग्रेस को, और इसका परिचय राजस्थान की जनता ने भी आपको दिया था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सरकार आपकी क्या कर गयी, यह सरकार क्या करेगी, कल फिर क्या होना है। जो होना है, वह तय है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, किसी को नहीं मिला। इसलिए तय है कि सत्ता भी भाजपा की है और इस सदन की नेता माननीय वसुन्धराजी हैं, और मरुधरा में वसुन्धरा का नाता, ऐसा लगता है, कुछ दे, न दे, यह धरा जरूर सबको देती है। यह धीरों की, पीरों की और वीरों की धरती है। यहां जिस प्रकार से लड़ाई-झगड़े, व्यंग्य बाण शब्दों के चलते हैं, कोई किसान की बात करता है, कोई व्यापारी की बात करता है और इतने लम्बे समय से, 67 साल से हम जिन चीजों में आज मजबूत होने चाहिए, वह नहीं हुए हैं। पहले भी आपने कहा था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष में, 13 दिसम्बर के बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदया की वर्षगांठ हुई थी तो राजस्थान की जनता को कोई बुलाना नहीं पड़ा था। जनता इसी राजमार्ग पर, पूरी शानो-शौकत के साथ, बिलकुल उत्साहित और आनन्द के साथ, इस सरकार का एक वर्ष मना रही थी।

मैं पूरे राजस्थान की तस्वीर पेश करना नहीं चाहता हूं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की तस्वीर पेश करना चाहता हूं। इसी सदन में एक दिन मैं बोला था और इस पूरे एक वर्ष में, चाहे वह विधान सभा के चुनाव हों, चाहे लोक सभा के हों, चाहे पंचायत के हों, चाहे नगरपालिका के चुनाव रहे हों, सबने अपने-अपने तरीके से कह दिया कि भा ज पा जीतेगी, किसी ने कह दिया कि कांग्रेस, लेकिन यह तय है कि जनता बहुत समझदार है। जिस तरीके से नेता

(श्री रामचन्द्र)

आकलन करता है और मीडिया जिस तरीके से पहले से प्रिडिक्शंस करती है, उसके विपरीत जनता आजकल वोट डालती है, हमें अपनी करतूतों को बिलकुल अपने समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि कल न हम ही जनता के बीच जाएंगे और जो आपकी गई कारगुजारियां हैं, वह जनता सब देखती है। इसका रिजल्ट अपने सामने था।

भारत के प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस भारत को स्वच्छ बनाने की बात की थी। यह कदाचित सोचने का विषय है, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लाल किले की प्राचीर से जिस चीज को संबोधित प्रधान मंत्रीजी कर रहे थे, पूरा विश्व देख रहा था। पिछले 67 साल से कांग्रेस राज करती आयी है। यह कचरा क्या है? यह कोई गली-मोहल्ले की गन्दगी साफ करने का थोड़े ही था; हमारी पूरी विरासत में कचरा है, हमारे विकास के ढांचे में कचरा है, हमारे जिस काम को हम इतने सालों पहले कर चुके होते थे उस पूरे विभाग में कचरा है, उसको साफ करने की बात भी थी। हमारे शासन, सत्ता और व्यवस्था में इस कचरे को साफ करने की बात थी। हम आज भी मठाधीश और सत्ताधीश बनकर और इस जनता पर राज करने की कोशिश करते हैं। हम उनके विचारों से तालमेल बैठा कर परस्पर उनसे समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम पीछे हैं दूसरे देशों से।

यह आवश्यक है कि हम प्रदेश के चहुंमुखी और सर्वांगीण विकास, और इस पूरे विकास की जो एक बात है वह होनी चाहिए। माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, जैसा कि 2003-2008 की सरकार में, यह राजस्थान प्रदेश पूरा जानता है कि उस समय विकास के एक नये आयाम स्थापित हुए थे और इस आयाम में झालावाड़ और पूरे राजस्थान को एक नयी दिशा मिली थी। राजस्थान कृषि के क्षेत्र में उन्नत हो सकता है लेकिन कृषि की दृष्टि से यहां पानी की कमी है। क्षेत्र में कई जगह मरुस्थल हैं। बावजूद इसके कि पानी खेत तक पहुंचे; हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं एक बहुत बड़ी बधाई वाली बात कहता हूं। अभी माननीय गोविन्द सिंहजी कह रहे थे कि किसानों को खाद नहीं मिला, थाने में खाद बंटी, वह सब ठीक है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान के सूरतगढ़ शहर में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड का अभी आयोजन किया था। माननीय कृषि मंत्रीजी यहां बैठे हैं...(व्यवधान) सुनो-सुनो। गोविन्द सिंहजी, एक मिनट। आप बहुत पुराने आदमी हैं, सुनो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : वह तो हमारी सरकार ने किया था। आप तो थोथी वाहवाही ले रहे हों।

श्री रामचन्द्र (डग) : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वह मृदा परीक्षण जो कार्ड है प्रत्येक खेत का, उस भूमि में कितना यूरिया चाहिए, कितना फास्फेट चाहिए, कितना क्या चाहिए, ऐसी जो योजनाएं हैं, ये आपको लगती बहुत बेकार हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ये मृदा है या मुरदा है?

श्री रामचन्द्र (डग) : मृदा। इसकी एक बात है... मुझे हिन्दी का अच्छा ज्ञान है, साहित्य से हूं मैं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं, वह सही बोल रहा हूं। (व्यवधान) आप भूमि स्वास्थ्य कार्ड समझे लीजिये, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर ये छोटी-छोटी चीजें हम पहले ही कर चुके होते, तो आज हमारा किसान उन्नत और समृद्ध होता। इस दिशा में माननीय प्रधान मंत्रीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी, ये सब कर रहे हैं और किसानों को समृद्ध करने के लिए जो नयी-नयी फसल लानी चाहिए, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, सोयाबीन हो, जो हो, ग्वार हो, ये हों लेकिन हम ऐसी फसलें जहां पानी की उपलब्धता है, वहां पर तीन-तीन, चार-चार फसलें ले सकते हैं। ऐसे प्रयोजन जो छोटे-छोटे लग रहे हैं, जिनको आप बहुत छोटा मान रहे हों, यह कल देश के लिए बहुत बड़ी चीज होने वाली है।

मैं इस कन्सेप्ट में यह बात कहना चाहता हूं, दूसरी बात पर आकर, कि पंचायतों का पुनर्गठन 1981 में पहली बार भैरोंसिंहजी शेखावत सरकार के समय में हुआ था, उसके बाद में आपके यहां हुआ, माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री घनश्याम तिवाडी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन करा दें, भैरोंसिंह जी 1981 में नहीं थे।

श्री रामचन्द्र (डग) : 1981 की बात कह रहा हूं, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हां, 1981 में नहीं थे भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, वे 1991 में थे। इसका संशोधन करा दें।

श्री रामचन्द्र (डग) : वह प्रिन्टिंग मिस्टेक हो गई होगी। जो हमने पढ़ा, वह ही बता रहे हैं, साहब। मैं राजस्थान की यशस्वी, मुख्य मंत्री महोदया को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1994 में हुआ था।

श्री अध्यक्ष : करेक्ट कर लिया जाएगा। प्रिन्टिंग मिस्टेक हुई है।

श्री रामचन्द्र (डग) : धन्यवाद, तिवाड़ी साहब। यह इतना बड़ा काम, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पंचायत पुनर्गठन को और यह जो सारा पंचायतों का नया चुनाव हुआ है, इसमें जो शिक्षा की दृष्टि से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। आपका भाषण अधूरा रहेगा। कल का वाद-विवाद आपके भाषण से प्रारम्भ होगा।

सदन की बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्य मंत्री निःशुल्क पशु चिकित्सा योजना में व्यय राशि

2. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री नि:शुल्क पशु चिकित्सा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2015 तक कितनी राशि आबंटित हुई तथा 31 जनवरी, 2015 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में मुफ्त बांटी जा रही दवाइयों से पशुओं व उनके दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2015 तक किस-किस पशु चिकित्सालय/केन्द्र पर कितनी-कितनी राशि की दवाइयां वितरित की गईं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3008.87 लाख का बजट आबंटित किया गया जिसके विरुद्ध माह जनवरी 2015 तक 2577.79 लाख का व्यय किया गया ।

(2) योजना अन्तर्गत मुफ्त बांटी जा रही दवाइयों से पशुओं में बांझपन एवं प्रजनन सम्बन्धी व्याधियों का उपचार किये जाने से प्रजनन योग्यं पशुओं की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है, जिसका प्रभाव आगामी पशु गणना वर्ष 2017 में परिलक्षित होना सम्भावित है।

पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढने में पशुधन की नस्ल, संतुलित आहार, उचित पशु प्रबन्धन एवं पशु स्वास्थ्य सहयोगी होते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं पशुओं के उपचार पर पशुपालकों द्वारा किये जाने वाले व्यय में कमी लाना व धन के अभाव में कोई पशु उपचार से वंचित ना रहे, रहा है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत योजना प्रारम्भ होने के उपरान्त पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा में सुधार तथा बीमारी के कारण पशुओं की अनुत्पादकता की अवधि में कमी आनी स्वाभाविक है। जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित होना अपेक्षित है।

(पशुपालन मंत्री)

अत: योजनान्तर्गत नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध करवाये जाने के कारण पशुओं में दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, का पृथक से आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक पशु चिकित्सा संस्थाओं को वितरित की गई दवाइयों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक पशु चिकित्सा केन्द्रों को वितरित करवाई गई दवाइयों का विवरण

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्था का नाम	वितरित करवाई गई दवाइयों की राशि रुपयों में
1	2	3
1	पशुधन आरोग्य चल इकाई	47024.54
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, जमवारामगढ़	182536.47
3	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आंधी	121351.00
4	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय,चावण्यिां	149297.00
5	पशु चिकित्सालय, रायसर	89721.00
6	पशु चिकित्सालय, ताला	115525.00
7	पशु चिकित्सालय, खवारानी	146402.00
8	पशु चिकित्सालय, बोबाडी	148206.00
9	पशु चिकित्सालय, भानपुरकलां	180217.91
10	पशु चिकित्सालय, नायला	102224.00
11	पशु चिकित्सालय, बिलोद	112246.00
12	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पापड	9798.32
13	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सायपुरा	12746.82

1	2	3
14	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, डांगरवाड़ा	15104.33
15	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, थोलाई	15191.82
16	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, धुलारावजी	12360.24
17	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, देवर	6865.54
18	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, माथासुला	13049.50
19	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, चिलपडी	3259.87
20	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, गठवाडी	13981.97
21	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, जयचंदपुरा	25410.04
22	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बासना	25183.94
23	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, भावपुरा	2205.24
24	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, टोडामीणा	34986.73
25	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, साईवाड़	11080.67
कुल योग		**1595975.95**

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

झुन्झुनूं के विद्यालयों में मिड-डे मील वितरण में अनियमितता

5. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुन्झुनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में गत 5 वर्षों से राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील वितरित किया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के किन-किन विद्यालयों में कब-कब से व कितनी-कितनी मात्रा व किन-किन विद्यार्थियों को वितरित किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में वितरित मिड-डे मील की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई व इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के किन-किन विद्यालयों में रसोई घर व मिड-डे मील हेतु भण्डार का निर्माण नहीं हुआ है व इनका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कई विद्यालयों में समय पर राशि व खाद्य सामग्री का आबंटन नहीं होने के कारण बच्चे पोषाहार से वंचित रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में व कितने विद्यार्थियों को इससे वंचित रखा गया व इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट-अ पर स्थित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के विद्यालयों में मिड-डे मील की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) झुन्झुनूं विधान सभा क्षेत्र के 22 विद्यालयों में (स्थानाभाव/स्वयं का भवन नहीं होना/पर्याप्त कमरे नहीं होना आदि के कारण) रसोई घर भण्डार का निर्माण नहीं हुआ है। सूची परिशिष्ट-ब पर स्थित है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) झुन्झुनूं विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चे पोषाहार से वंचित नहीं रहे हैं। पोषाहार की कमी वाले विद्यालयों में निकटतम विद्यालयों/राशन डीलर आदि से उधार लेकर बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाया गया है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

निवाई में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

6. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न कस्बों/गांवों में गत तीन वर्ष में पेयजल की कितनी योजनाएं स्वीकृत कर कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र निवाई के अनेक कस्बों/गांवों में पेयजल की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बों/गांवों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के कस्बा निवाई एवं ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि में 156 हैण्डपम्प, 60 सिंगल फेज नलकूप एवं 22 पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 1118.96 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई। स्वीकृति अनुरूप पेयजल सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्षवार स्वीकृत एवं कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील निवाई के समस्त ग्रामों को बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 24.8.2012 को राशि रुपये 112.88 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 25.3.2013 को राशि रुपये 118.00 करोड़ का कार्यादेश दिया गया तथा परियोजना पर अब तक रुपये 34.49 करोड़ की राशि व्यय की गई है। परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा दिनांक 3.10.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित है। परियोजना की प्रगति सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई के कस्बा निवाई एवं वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल सम्मिलित 322 ग्रामों में भू-जल/सतही स्रोत आधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है। पेयजल की कमी वाले दो ग्राम क्रमश: हिंगोनिया बुजुर्ग एवं बाढ़ रामपुरा हेतु पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को जारी की जाकर योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील निवाई के समस्त ग्रामों को बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल की स्वीकृत परियोजना से लाभान्वित करने हेतु परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट, करौली द्वारा अन्य के नाम दर्ज भूमि पर कब्जा

7. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट, करौली के नाम कितनी भूमि एवं भवन किस-किस खसरा नं. में किस-किस स्थान पर कब से दर्ज हैं? राजस्व रिकार्ड की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट, करौली का उसके नाम दर्ज भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों पर भी कब्जा है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किस आधार पर?

(3) क्या यह सही है कि ट्रस्ट द्वारा चमर खोहरा बस्ती की भूमि को भी स्वयं की बताकर मकानों के आगे दुकानों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या यह राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है? राजस्व रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चमर खोहरा बस्ती के निवासी वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक ट्रस्ट के कब्जे को हटाने का विचार रखती है एवं नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि ट्रस्ट द्वारा गौशाला, हास्पिटल, कार पार्किंग, होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर, कैलादेवी शिक्षण संस्थान हायर सैकण्डरी विद्यालय

(श्री रमेश)

एवं छात्रावास सहित अनेक लाभकारी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इन सभी स्थानों की भूमि एवं भवन ट्रस्ट के नाम दर्ज हैं? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो किस आधार पर ट्रस्ट ने इसे अपनी सम्पति घोषित किया है?

(6) उक्त में से कितनी धर्मशालाएं एवं भवन ऐसे हैं जो दानदाताओं द्वारा निर्मित हैं? क्या यह सही है कि भूमि भी अन्य के नाम दर्ज है? यदि हां, तो ट्रस्ट द्वारा किस आधार पर कब्जा एवं संचालन कर आय प्राप्त की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि ट्रस्ट ने काली सिल नदी के दूसरी ओर खोहरी गांव की राजस्व सीमा से खसरा नं 991 तक चारदीवारी बनाकर कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(8) क्या यह सही है कि ट्रस्ट के नाम काफी कम भूमि एवं भवन सहित अन्य निर्माण दर्ज हैं, किन्तु उसका उससे कहीं अधिक भूमि एवं निर्माणों पर कब्जा है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(9) क्या यह सही है कि धर्मशाला, पार्किंग सहित अनेक स्थानों का वर्तमान में विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रस्ट से उक्त स्थानों में देय छूट की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ट्रस्ट श्री कैलादेवी के नाम ग्राम कैलादेवी में 9.04 बीघा व ग्राम खोहरी में 31.10 बीघा भूमि दर्ज है। मूर्ति मंदिर श्री कैलादेवी के नाम 22.15 बीघा भूमि ग्राम कैलादेवी में स्थित है, जिसकी जमाबंदी की नकल परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है। राजस्व रिकार्ड में भवनों का इन्द्राज दर्ज नहीं किया जाता है।

(2) जी हां। यह सही है कि कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट, करौली का उसके नाम दर्ज भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कब्जा है जिसमें ग्राम कैलादेवी के खसरा नं. 2861/1, 2865/1, 2858 किस्म ऊसर सिवायचक (ट्रस्ट कार्यालय, धर्मशाला व चबूतरों) पर निर्माण कर कब्जा है, खसरा नम्बर

(राजस्व मंत्री)

2862 किस्म मंदिर (मंदिर कैलादेवी स्थित है) खसरा नम्बर 2859 किस्म चाह, खसरा नम्बर 2583 किस्म कुण्ड शामिल हैं, जिन पर मंदिर ट्रस्ट का कब्जा है। खसरा नम्बर 2856, 2852/1 किस्म ऊसर सिवायचक भूमि पर दुकानें निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। आबादी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2860, 2863 में धर्मशाला, चबूतरा आदि निर्माण कर कब्जा है। वर्तमान रिकार्ड के अनुसार उक्त राजकीय भूमियों पर जो कब्जा किया हुआ है, वह अनाधिकृत है। उक्त वर्णित राजकीय/आबादी भूमि होने के कारण मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज नहीं हैं। कैलादेवी के खसरा नम्बर 2559 जो कि श्रीमती लक्ष्मी मंगल जोजे अमरनाथ मंगल अग्रवाल निवासी आगरा वगैहरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और इस पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा अमर कुंज नाम से होटल बना हुआ है, जिसका संचालन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नकल जमाबंदी परिशिष्ट 3 व 4 संलग्न हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि ग्राम कैलादेवी के खसरा नम्बर 2865/1, 2861/1 किस्म ऊसर सिवायचक व खसरा नम्बर 2863 किस्म आबादी में चमर खोहरा नाम की बस्ती स्थित है, में ट्रस्ट द्वारा चबूतरों का निर्माण किया हुआ है तथा इन खसरा नम्बरों में स्थित मकानों में आने जाने के लिए रास्ता छोडा हुआ है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त वर्णित खसरा नम्बर सिवायचक व आबादी होने से राजस्व रिकार्ड के अनुसार अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। नकल जमाबन्दी परिशिष्ट 3 व 4 संलग्न हैं।

(4) जी हां। चमर खोहरा बस्ती के निवासी वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। चमर खोहरा बस्ती खसरा नं. 2865/1 किस्म ऊसर सिवायचक में दर्ज रिकार्ड है। इस बस्ती में यहां के निवासियों एवं कैलादेवी ट्रस्ट द्वारा वर्षों से भूमि को प्रयोग में लिया जा रहा है। यह खसरा नं. 2865/1 करौली से करणपुर रोड पर स्थित है। उक्त भूमि पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. करौली का ताफैसला स्थगन है।

(5) जी हां। ट्रस्ट के द्वारा गौशाला, हास्पिटल, कार पार्किंग, होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर, कैलादेवी शिक्षण संस्थान, हायर सैकण्डरी विद्यालय एवं छात्रावास सहित अनेक लाभकारी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर खसरा नम्बर 2545, 2546, 2547, 2548 में स्थित है जो जरिए माननीय न्यायालय की डिक्री से दिनांक 5.1.2002, हायर

(राजस्व मंत्री)

सेकण्डरी स्कूल एवं छात्रावास खसरा नम्बर 2523 व 2524 में निर्मित हैं, माननीय न्यायालय की डिक्री से जो मूर्ति मंदिर श्री कैलादेवी (देवताओं से सम्बन्धित जोत) के नाम दिनांक 13.3.2006 से दर्ज हैं। खसरा नम्बर 2533 व 2540 जिसमें गौशाला स्थित है जो विरासत से ट्रस्ट श्री कैलादेवी जिसके ट्रस्टी श्री गणेशपाल, करौली के स्थान पर वर्तमान ट्रस्टी श्री कृष्णचन्द्रपाल सिंह के नाम दिनांक 13.10.1988 को जरिए नामान्तरकरण दर्ज हुई है। नकल परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(6) कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट, कैलादेवी का शक्ति निवास, कोठी, राजभवन, धर्मशाला एवं कुण्ड आदि कोई भी भवन ऐसा नहीं है, जिसे किसी अन्य के द्वारा बनवाया गया हो। और उस पर कब्जा मंदिर ट्रस्ट का हो, मंदिर ट्रस्ट का केवल उन्हीं भवनों पर कब्जा है, जो ट्रस्टं द्वारा निर्मित हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मंगल जोजे अमरनाथ मंगल अग्रवाल निवासी आगरा वगैहरा की भूमि पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा अमर कुंज नाम से होटल बनाया हुआ है, जिसका संचालन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

(7) कस्बा कैलादेवी के खसरा नं. 985 में से 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज है, जिस पर ट्रस्ट द्वारा चारदीवारी बनाकर काबिज है। यह भूमि खसरा 991 की सीमा तक लगी हुई है। ख.नं. 991 पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

(8) जी हां। ट्रस्ट द्वारा स्वयं के नाम दर्ज भूमि के अलावा सिवायचक भूमि पर कब्जा है जिनके खसरा नं. 2865/1, 2858, 2861/1, 2859, 2583, 2856, 2852/1 हैं। उक्त खसरा नं. मुख्य सड़क पर स्थित हैं, जिनका विवाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. करौली में ताफैसला स्थगन है। स्थगन आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

(9) धर्मशाला, कार पार्किग का उपयोग जन हित में किया जाता है और ठहरने वालों से केवल बिजली, पानी, सफाई एवं रख-रखाव हेतु न्यूनतम राशि ली जाती है। इनका उपयोग कोई आय अर्जित करने के लिए नहीं किया जाता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-8

(स्थगित)

जैसलमेर जिले में उत्पादित बीजों की गुणवत्ता की जांच

9. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ व रबी की फसलों के लिए किस-किस प्रकार के बीज उत्पादित किये जाते हैं तथा उक्त बीजों का वर्तमान में जिला जैसलमेर के किस-किस क्षेत्र में उत्पादन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर जिले में विगत 5 वर्षों में निगम द्वारा बीज उत्पादक किसानों से कौन-कौन सा बीज किस-किस किसान से किस दर पर कितनी मात्रा में लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बीजों की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा कब-कब की जाती है तथा उसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ में प्रमुखतया बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, कपास, ग्वार, अरहर, मूंग, उड़द, मोठ, चंवला, मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, धनिया, मैथी, सौंफ, जीरा, जई, बरसीम, रिजका के बीजों का उत्पादन लिया जाता है। जैसलमेर जिले में मुख्यतया मोहनगढ़, नाचना, रामगढ़ व चांदन क्षेत्रों में बीज उत्पादन लिया जाता है। गत 5 वर्षों में जैसलमेर जिले में लिये गये विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन का गांव वार/चक वार विवरण परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में विगत 5 वर्षों में निगम द्वारा बीज उत्पादक किसानों से क्रय किये गये बीजों का फसल-वार, किस्म-वार, किसान-वार विवरण परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(3) उक्त बीजों की खेतों में खड़ी फसल की गुणवत्ता जांच का कार्य राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिये गये मापदंडों के अनुसार किया जाता है। बीज उत्पादकों से प्राप्त रा-बीज का राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी की उपस्थिति में विधायन करवाकर उनके द्वारा लिये गये बीज नमूनों की गुणवत्ता जांच का कार्य राज्य सरकार

(कृषि मंत्री)

द्वारा अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिय गये मापदंडों के अनुसार किया जाता है। विभिन्न बीजों की गुणवत्ता जांच के मानदण्ड परिशिष्ट 6 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बोरानाड़ा (जोधपुर) के औद्योगिक क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

10. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा, जोधपुर में ब्रह्मगुप्त अनुसंधान केन्द्र का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो उक्त अनुसंधान केन्द्र सम्बन्धी समस्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनुसंधान केन्द्र अब तक चालू नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो उक्त अनुसंधान केन्द्र की वर्तमान में कार्य प्रगति क्या है और इसे अब कब तक चालू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि ब्रह्मगुप्त अनुसंधान केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाड़ा का शिलान्यास दिनांक 14.8.2007 को किया गया था।

वर्ष 2007 में विधान सभा क्षेत्र में हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वारगम के लिए जोधपुर में एक R&D Cum Skill Upgradation Institute की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क उपयुक्त भूमि और एक भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी, जिसका संचालन स्थानीय उद्योग संस्थानों के माध्यम से अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था। उक्त घोषणा की पालना में रीको द्वारा दिनांक 8.8.2007 को बोरानाड़ा, जोधपुर में 5 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया।

चूंकि घोषणा के अनुसार इन्टीट्यूट का संचालन औद्योगिक संस्थानों अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था, अत: उक्त केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया। घोषणा की मूल भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि का

(उद्योग मंत्री)

आबंटन कर दिया गया है तथा इस भूमि पर 24.15 लाख रुपये की लागत से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी करा दिया गया। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति से परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया ताकि परियोजना की आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सके लेकिन समिति द्वारा प्रस्तावित परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भवन निर्माण एवं परियोजना से सम्बन्धित आगामी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो पाई है।

ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन की अब तक की प्रगति के अनुसार समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित रुचि नहीं ली गयी है जिसके कारण प्रोजेक्ट की स्थापना में विलम्ब हो रहा है। अत: जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र लिखा गया था कि अन्य कोई उपयुक्त समिति जो यह कार्य करने की इच्छुक हो, उसका चयन कर प्रस्ताव प्रेषित करायें ताकि ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना का कार्य सुचारू रूप से हो सके। परन्तु अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) हां। यह सही है कि उक्त अनुसंधान केन्द्र अब तक चालू नहीं हुआ है। घोषणा के अनुसार इन्स्टीट्यूट का संचालन निजी सहभागिता से किया जाना है। अत: उपयुक्त समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त इन्स्टीट्यूट के बेसिक भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कें

11. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विगत एक वर्ष में कितनी व किन-किन सड़कों का डामरीकरण/नवीनीकरण/पेचवर्क का कार्य किया गया? सड़क व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय होने के कारण अनेकों दुर्घटनाओं में मृत्युएं हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार अब क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन: निर्माण/डामरीकरण/पेचवर्क का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विगत एक वर्ष में डामरीकरण की गई सड़कों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर, नवीनीकरण की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर एवं पेचवर्क की गई सड़कों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की अधिकतर सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। कुछ सड़कों के कुछ हिस्से ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण नान-पैचेबल हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। नान-पैचेबल सड़कों में से दो सड़कों का पुन: डामरीकरण आर.आई.डी.एफ.-20 योजना के तहत किया जाना प्रस्तावित है एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। शेष नान-पेचेबल सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। पैचेबल सड़कों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार पैच मरम्मत कार्य करवाया जाकर रख-रखाव किया जाता है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

मुख्य मंत्री के ग्रामीण क्षेत्र बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास

12. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आवास हेतु मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 में इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और कितने फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया गये हैं? जिलेवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 तक तीन वर्षों में 6,80,000 आवास निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना बनाई गयी थी। यह योजना वर्ष 2011-12 में राज्य के सीकर व झुन्झुनूं जिलों को छोड़कर शेष 31 जिलों में, वर्ष 2012-13

(ग्रामीण विकास मंत्री)

में राज्य के अलवर, भरतपुर, चूरू, धौलपुर, नागौर, सीकर व झुन्झुनूं जिलों को छोड़कर शेष 26 जिलों में एवं वर्ष 2013-14 में राज्य के अलवर, भरतपुर, चुरू, धौलपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, जैसलमेर एवं जयपुर जिलों को छोड़कर शेष 23 जिलों में योजना लागू की गई।

योजना के अन्तर्गत निर्धारित वर्षवार एवं जिलेवार लक्ष्यों एवं उनके विरुद्ध की गई स्वीकृतियों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) योजना के वर्ष 2011-12 में 98.38 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 100.13 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 में 96.86 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये गये हैं। वर्ष 2011-12 व वर्ष 2013-14 में नियमानुसार पात्र परिवार उपलब्ध नहीं होने के कारण लक्ष्य अर्जन में कमी रही है।

परिशिष्ट-अ

मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य का वर्ष वार एवं जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले	लक्ष्य			स्वीकृति			प्राप्त लक्ष्य (प्रतिशत)		
		वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	अजमेर	3545	1491	1588	3547	1650	1452	100.06	110.66	91.44
2	अलवर	10967	0	0	7603	0	0	69.33	0.00	0.00
3	बांसवाड़ा	22931	26297	25422	22978	26297	25351	100.20	100.00	99.72
4	बारां	6052	6091	5530	6049	6094	5519	99.95	100.05	99.80
5	बाड़मेर	18033	8724	5154	18010	8724	5154	99.87	100.00	100.00
6	भरतपुर	7870	0	0	7604	16	0	99.62	0.00	0.00
7	भीलवाड़ा	12065	10043	9383	12064	10048	9388	99.99	100.05	100.05
8	बीकानेर	11414	6313	4457	11413	6314	4459	99.99	100.02	100.04
9	बूंदी	3612	2193	3610	3612	2195	3503	100.00	100.09	97.04
10	चित्तौड़गढ़	5798	7476	7086	5742	7476	7081	99.03	100.00	99.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	चूरू	2975	0	0	2980	0	0	100.17	0.00	0.00
12	दौसा	3363	1633	0	3379	1633	0	100.48	100.00	0.00
13	धौलपुर	2282	0	0	2271	0	0	99.52	0.00	0.00
14	डूंगरपुर	21907	24996	24427	21735	25001	26872	99.21	100.02	110.01
15	हनुमानगढ़	6830	2888	1137	6801	2888	1142	99.58	100.00	100.44
16	जयपुर	2794	2209	0	2232	2209	0	79.89	100.00	0.00
17	जैसलमेर	7798	755	0	7798	755	0	100.00	100.00	0.00
18	जालौर	11856	9301	8168	11850	9301	8169	99.95	100.00	100.01
19	झालावाड़	5521	5404	4985	5506	5404	4660	99.73	100.00	93.48
20	जोधपुर	8952	4991	8009	8953	4991	8011	100.01	100.00	100.02
21	करौली	6846	3463	6063	6850	3493	6191	100.06	100.87	102.11
22	कोटा	3977	2672	4955	3972	2672	4606	99.87	100.00	92.96
23	नागौर	3608	0	0	3415	0	0	94.65	0.00	0.00
24	पाली	10629	5086	4365	10582	5086	3605	99.56	100.00	82.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	प्रतापगढ़	3161	13514	12995	3157	13514	12993	99.87	100.00	99.98
26	राजसमन्द	7203	5557	5250	7174	5603	5255	99.60	100.83	100.10
27	सवाईमाधोपुर	7047	3211	5619	6951	3211	5623	98.64	100.00	100.07
28	सिरोही	4428	3309	6170	4408	3309	3978	99.55	100.00	64.47
29	श्रीगंगानगर	10398	2576	2924	10398	2576	2083	100.00	100.00	71.24
30	टोंक	4099	3871	7594	4088	3878	5792	99.73	100.18	76.27
31	उदयपुर	42039	35936	35109	42338	35919	32828	100.71	99.95	93.50
	योग	**280000**	**200000**	**200000**	**275460**	**200257**	**193715**	**98.38**	**100.13**	**96.86**

नवलगढ़ में पेयजल हेतु कार्य योजना

13. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश के कुल 3,173 नये गांव-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया था? यदि हां, तो इनमें से कुल कितने गांव, ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया और इस पर कितनी राशि व्यय की गयी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव-ढाणियों की संख्या सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में किन-किन नये गांव-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी तथा उस पर कितनी राशि व्यय कर पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के नवलगढ़ व मुकुंदगढ़ शहर सहित अनेक गांव व ढाणियां पेयजल की गम्भीर समस्या से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में पर्याप्त व गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान व आगामी वर्षों में पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या योजनाएं व कार्य कितनी राशि व्यय कर स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश में कुल 3 हजार 173 नये गांव-ढाणियों, जिसमें 570 अनुसूचित जाति बहुल, 390 अनुसूचित जनजाति बहुल तथा 100 अल्पसंख्या बहुल गांव-ढाणियां सम्मिलित हैं, में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया । उक्त 3,173 गांव-ढाणियों में से 1,906 गांव-ढाणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बहुल की क्रमश: 165, 111 एवं 230 गांव-ढाणियों सहित) को स्वच्छ पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया है। वर्ष 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्र (राज्य आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना) में कुल रुपये 3,652.26 करोड़ के प्रावधान के विपरीत जनवरी, 2015 तक रुपये 2,530.07 करोड़ व्यय किये गये हैं। जिलेवार लाभान्वित गांव-ढाणियों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में आंशिक रूप से लाभान्वित 20 ग्राम/ढाणियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 18 ग्राम/ढाणियों को पेयजल सुविधा से पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जाकर इन पर रुपये 108.50 लाख की राशि व्यय की गई है। शेष 2 ग्रामों की योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। पेयजल सम्बन्धी पूर्ण किये गये कार्यो के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में 77 तथा मुकुन्दगढ़ शहर में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ शहर में क्रियाशील क्रमश: 49 एवं 34 हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र में कुल सम्मिलित 109 ग्राम एवं 95 चिह्नित ढाणियों में भू-जल स्रोत आधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है । क्षेत्र के कुल 109 राजस्व ग्रामों में से 39 ग्रामों में 100 प्रतिशत, 32 ग्रामों में 75 से 100 प्रतिशत एवं 38 ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत के जल सेवा स्तर से पेयजल आपूर्ति किये जाने के कारण क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या नहीं है।

उक्त क्षेत्र हेतु स्वीकृत दो पेयजल योजनाओं क्रमश: संवर्धन शहरी, नवलगढ़ योजना तथा पम्प एवं टैंक से परिवर्तित पाइप योजना, ग्राम कोलसिया में से कोलसिया की योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा नवलगढ़ शहर की योजना के क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट-अ

वित्तीय वर्ष 2014-15 में घोषणा अनुरूप राज्य में पेयजल आपूर्ति से जिलेवार लाभान्वित किये गये ग्राम/ढाणियों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	पेयजल से लाभान्वित गांव-ढाणियां							
		कुल		अनुसूचित जाति बाहुल्य		अनुसूचित जनजाति बाहुल्य		अल्पसंख्यक बाहुल्य	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अजमेर	194	124	10	2	0	11	0	0
2	अलवर	44	58	17	6	14	4	10	25
3	बांसवाड़ा	35	16	1	0	20	8	0	0
4	बारां	19	1	11	0	15	1	0	0
5	बाडमेर	146	97	42	15	21	1	25	9
6	भरतपुर	237	86	58	8	31	1	14	31
7	भीलवाड़ा	42	40	4	1	8	1	0	0
8	बीकानेर	40	5	17	2	0	0	0	0
9	बूंदी	16	16	3	0	8	6	0	0
10	चित्तौड़गढ़	34	10	3	0	6	0	0	0
11	चूरू	84	9	26	0	0	0	0	0
12	दौसा	29	22	10	4	16	3	0	0
13	धौलपुर	11	9	4	1	3	0	0	0
14	डूंगरपुर	40	12	1	0	35	10	0	0
15	गंगानगर	27	22	12	7	0	0	7	7
16	हनुमानगढ़	15	11	6	4	0	0	4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	जयपुर	132	135	22	18	31	9	0	0
18	जैसलमेर	155	160	16	19	5	5	40	151
19	जालौर	124	44	13	0	9	0	0	0
20	झालावाड़	80	63	13	4	5	5	0	0
21	झुंझुनूं	186	178	16	9	4	0	0	0
22	जोधपुर	618	233	116	28	40	1	0	0
23	करौली	86	58	12	4	19	16	0	0
24	कोटा	26	11	6	2	4	4	0	0
25	नागौर	235	133	58	11	0	0	0	0
26	पाली	150	18	22	1	7	1	0	0
27	प्रतापगढ़	0	6	0	0	0	0	0	0
28	राजसमन्द	69	46	9	2	44	5	0	0
29	सवाईमाधोपुर	65	26	13	5	18	10	0	0
30	सीकर	101	66	8	3	1	0	0	0
31	सिरोही	4	0	1	0	3	0	0	0
32	टोंक	113	183	18	9	12	2	0	0
33	उदयपुर	16	8	2	0	11	2	0	0
	योग	**3173**	**1906**	**570**	**165**	**390**	**111**	**100**	**230**

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में लाभान्वित गांव एवं ढाणियों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत माह/वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	योजना में स्वीकृत कार्य का विवरण	योजना की वर्तमान स्थिति	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	बड़वासी	कुल्हडियों का बास	5/2013	7.60	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.80
2	बाय	बाय	5/2013	7.60	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.50
3	जेजूसर	जेजूसर	6/2013	6.81	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.25
4	कानका की ढाणी	कानका की ढाणी	6/2013	6.81	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	5.50
5	टोडपुरा	मीणा बस्ती	6/2013	0.90	हैण्डपम्प	कार्य पूर्ण	0.80
6	घोड़ीवारा कला	हरिजन बस्ती	6/2013	7.82	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.50
7	बसावा	धोली डूंगरी	9/2013	6.50	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.30
8	देवगांव गोठड़ा	मीणा बस्ती	9/2013	6.50	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.15

1	2	3	4	5	6	7	8
9	जाट वाली	गांव में	9/2013	18.00	नलकूप, भूतल जलाशय चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	13.50
10	मोहब्बतसर	मोहब्बतसर	9/2013	9.00	नलकूप, भूतल जलाशय चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	7.20
11	जोहड़ की ढाणी	जोहड़ की ढाणी	9/2013	9.00	नलकूप, भूतल जलाशय चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.50
12	केसवा की ढाणी	केसवा की ढाणी	9/2013	9.00	नलकूप, भूतल जलाशय चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	7.50
13	मांडासी	हरिजन बस्ती	9/2013	7.48	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	6.50
14	कोलसिया	मीणा बस्ती	9/2013	3.00	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	2.80
15	गोठड़ा	गोठड़ा	9/2013	6.50	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	5.20
16	डूमरा	हरिजन बस्ती	9/2013	6.50	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	4.50
17	देवगांव नुआं	देवगांव नुआं	9/2013	6.50	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	5.50
18	घोड़ीवारा खुर्द	घोड़ीवारा खुर्द	9/2013	6.50	नलकूप चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य पूर्ण	4.50
19	सैनी नगर	सैनी नगर	9/2013	17.17	नलकूप, भूतल जलाशय चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य प्रगतिरत एवं माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	0.00
20	कुमावास	कुमावास	9/2013	10.36	नलकूप, भूतल जलाशय चालू करना एवं पाइप लाइन	कार्य प्रगतिरत एवं माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	0.00
							108.50

चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के गांवों की गौ-चरनोट भूमि पर अतिक्रमण

14. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में विजयपुर-अमरपुरा मार्ग के मध्य आने वाली गौ-चरनोट भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा एवं निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे एवं निर्माण को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ में विजयपुर-अमरपुरा मार्ग के मध्य आने वाली गौ-चरनोट भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा एवं निर्माण किया गया था। विजयपुर-अमरपुरा मार्ग के मध्य आने वाली गौ-चरनोट भूमि से संलग्न सूची (परिशिष्ट "क") अनुसार 14 व्यक्तियों के अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये गये हैं। उक्त 14 व्यक्तियों द्वारा अवैध मकान एवं पक्की चारदीवारी का निर्माण कर अवैध कब्जे किये गये थे, जिनको दिनांक 13.2.2015 को हटाया जा चुका है। उक्त कब्जे नायब तहसीलदार, बस्सी के न्यायालय में प्रकरण सं. 76/14-15, 77/14-15, 78/14-15, 82/14-15, 83/14-15, 84/14-15 दर्ज कर बाद निर्णय दिनांक 13.2.2015 को अतिक्रमण को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं

15. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण एवं हितार्थ की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं?

(2) उक्त योजनाओं में किस-किस प्रकार के श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है?

(3) जिला पाली में किस-किस स्थान के कितने-कितने श्रमिकों को उक्त योजनाओं हेतु पंजीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्षों में उक्त जिले के किस-किस स्थान के किस-किस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

श्रमिक को किस-किस योजना में, कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) किस-किस श्रमिक का, किस-किस योजना में लाभान्वित होने का प्रकरण कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित है एवं किस-किस प्रकरण का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जायेगा?

(6) क्या यह सही है कि अनेकों श्रमिक कल्याण योजनाएं संचालित होने के बाद भी श्रमिक इन योजनाओं से जुडने से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अभियान चलाकर वंचित श्रमिकों को भी इन योजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की योजनाओं में, मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नरेगा श्रमिक (वर्ष में कम से कम 15 दिन कार्य करने वाले), बीडी श्रमिक तथा निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

(3) पाली जिले में विभिन्न स्थानों के 7,729 भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पाली जिले में विभिन्न स्थानों के 91,618 श्रमिकों को नामांकित किया गया। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(4) पाली जिले में 723 पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित हिताधिकारियों, सम्बन्धित योजनाओं व प्रदत्त सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-4 संलग्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पाली जिले में 134 नामांकित श्रमिकों द्वारा नि:शुल्क इलाज का लाभ प्राप्ति किया गया।

(श्रम राज्य मंत्री)

लाभान्वित हिताधिकारियों व बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित अस्पतालों को भुगतान की गई क्लेम राशि का विवरण परिशिष्ट-5 संलग्न है।

(5) पाली जिले में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के 18 आवेदन पत्र लम्बित हैं। योजनाओं के लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-6 संलग्न है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण अधिकतम एक माह की अवधि में कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्लेम राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सीधे सम्बन्धित अस्पताल को किया जाता है। अत: किसी हिताधिकारी का योजना में लाभान्वित होने का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(6) जी हां। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीयन करने के लिए दिनांक 23 फरवरी से 31 मार्च, 2015 तक पंजीयन अभियान चलाया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की गौशालाओं को अनुदान

16. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 में गौशालाओं को अनुदान दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन गौशालाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गौशालाओं को दिये जा रहे अनुदान को अब समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बंद किये गये अनुदान को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश की जिन गौशालाओं को अनुदान दिया गया था, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की ओर से गौशालाओं को आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धतानुसार अनुदान दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

17. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एक भी रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा छितौली में मूर्तिकला उद्योग केन्द्र विकसित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्तमान में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है। इस विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु ग्राम छितौली एवं सूरजपुरा की 86.91 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति एवं 105.57 हैक्टेयर राजकीय भूमि आबंटित कराने का प्रस्ताव एवं मुख्य सडक से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग हेतु भूमि चिह्नित कर अवाप्त/आबंटन की जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(2) जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर विराटनगर तहसील के ग्राम छितौली में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां यथा स्किल बढ़ाने का प्रशिक्षण, डिजाइन विकसित करने का प्रशिक्षण, देश के अन्य भागों में मूर्तिकला के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के अनुभव हेतु एक्सपोजर विजिट तथा दस्तकारों के माल की मार्केटिंग हेतु विभिन्न मेलों-प्रदर्शनियों में भाग लेने, आदि गतिविधियां आयोजित की गईं। छितौली ग्राम के सभी दस्तकारों को भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय से परिचय पत्र जारी करवाये गये।

मकराना पंचायत समिति के गांवों में सी.सी. सड़क के निर्माण में अनियमितता

18. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सरकार द्वारा सीसी सड़क/सीसी ब्लाक का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो नागौर जिले की पंचायत समिति मकराना के किन-किन

(श्री श्रीराम भींचर)

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सीसी सड़क/सीसी ब्लाक का निर्माण कहां-कहां करवाया गया? ग्राम पंचायतवार, कार्यवार स्वीकृत व व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए व शेष कार्य अधूरे रहने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों में निर्माण सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन कार्यों की जांच में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गत पांच वर्षों में नागौर जिले की मकराना पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा नवीन सड़कों, नवीनीकरण एवं अन्य कार्यों के तहत विभिन्न गांवों के आबादी क्षेत्रों में सी.सी. सड़क/सी.सी. ब्लाक का निर्माण करवाया गया। इन कार्यों का ग्राम पंचायतवार, कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

(3) जी नहीं। उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों के निर्माण में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत भुगतान में अनियमितता

19. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में मनरेगा योजना में स्वीकृत बजट राशि से 155 करोड़ रुपये का गलत तरीके से भुगतान किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए किसकी जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की गई? मदवार गलत व्यय व स्वीकृत मद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मनरेगा योजना के नियमों में प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत क्या है? क्या जिला कलक्टर व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा

(श्री हनुमान बेनीवाल)
स्वीकृत प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्यय किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई तथा सरकार द्वारा अतिरिक्ति व्यय राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा श्रम एवं सामग्री मद में कुल व्यय की 6 प्रतिशत राशि प्रशासनिक मद में अनुमत की गयी है। कुछ जिलों में अनुमत सीमा से अधिक व्यय प्रशासनिक मद में हुआ है, जिसका मुख्य कारण विभाग में योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को देय मानदेय/वेतन भत्ते हैं। इनमें एक मुख्य कारण ग्राम पंचायतों में नियमित आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को देय संवेतन है। प्रशासनिक मद व्यय को निर्धारित सीमा तक रखने के सम्बन्ध में सभी जिलों को विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिये गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 19.2.2015 की रिपोर्ट के अनुसार जिलों द्वारा प्रशासनिक मद में व्यय कुल राशि रु. 180.39 करोड़ का है, जिसमें से राशि रु. 152.85 करोड़ का व्यय संवेतन मद में है। चूंकि प्रशासनिक मद के लिए उपलब्ध राशि वित्तीय वर्ष के दौरान योजनान्तर्गत कुल व्यय पर निर्भर करती है एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है, अत: प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि का सही आंकलन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही सम्भव हो पाता है। योजनान्तर्गत संवेतन पर व्यय निर्धारित कार्मिकों के आधार पर होने से स्थायी प्रकृति का है।

कुशलगढ़ में माही बांध से पेयजल की आपूर्ति

20. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु कौन-कौनसी परियोजनाएं विचाराधीन हैं?

(2) सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त परियोजनाएं कब तक क्रियान्वित कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार माही बांध से पाइप लाइन के माध्यम से उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सम्मिलित कुल 399 ग्रामों में सतही जल स्रोत माही बांध से पेयजल आपूर्ति द्वारा स्थायी समाधान के अन्तर्गत परियोजना निर्माण बाबत आवश्यक सर्वे, अनुसंधान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा प्रपत्र, इत्यादि तैयार करने हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 223.84 लाख की स्वीकृति दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को जारी की गई। उक्त कार्य हेतु मैसर्स पीडीकोर, जयपुर को राशि रुपये 197.16 लाख का कार्यादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को जारी किया जाकर कार्य प्रगति पर है तथा कार्यादेश अनुसार यह कार्य माह मई, 2015 तक पूर्ण करना लक्षित है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-अ

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (SPECIAL PROJECTS)
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, RAJASTHAN

No. F 569/CE(SP)/PHED/DPRs/Consultancy/2014-15/92-103 Dated 24-12-14

Chief Executive Officer,
PDCOR Limited,
First Floor, LIC Jeevan Nidhi Building,
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road,
Jaipur, Rajasthan

Sub: Work order for survey and preparation of DPR/tender document for sustainable surface source based drinking water supply project for 401 villages of Block Kushalgarh & Sajjangarh, District Banswara from Mahi Dam

Ref : 1. Your offer submitted to this office vide letter no. PDCOR/Water/494 dated 17.11.2014
2. Summary Record of decision taken in PPC 194/9.12.2014, issued by Secretary RWSSMB vide no. 3226-76 dated 22.12.2014

Dear Sir,

This is with reference to your Techno-Commercial proposal. Submitted to this office vide above communication, for carrying out survey and preparation of DPR/tender document for sustainable surface source based drinking water supply project for 401 villages of Block Kushalgarh & Sajjangarh, District Banswara from Mahi Dam.

On approval of your referred proposal by PPC in its 194th meeting held on 9.12.2004, assignment for carrying out survey and preparation of DPR/

tender document for sustainable surface source based drinking water supply project for 401 villages of Block Kushalgarh & Sajjangarh, District Banswara from Mahi Dam is hereby awarded to you for a lump sum fee of Rs. 197.16 lac, including service tax, on the following terms and conditions.

A. Scope of Services to be provided by PDCOR includes :

The broad outlines of the scope of work for the DPR preparation are given below :

1. Collection and Study of Secondary Data
2. Topographical Surveys and geotechnical Investigations
3. Detailed Engineering of the project
4. Preparation of A & F and TS reports
5. Preparation of Tender Documents
6. Any other relevant data, reports, documents, maps, drawings etc.

Detailed scope of work is enclosed at Annexure-I

B. Time frame and Deliverables :

The total duration of the assignment will be four (4) months calculated from the commencement date which is 10th day after issuance of this order. Details of payment schedule and timeline for deliverables for the assignment shall be as under :

S. No.	Deliverables (Milestones)	Payment Schedule	Timelines
1	Submission of Inception Report	10% of the contract value	Within a week's time after award of work
2	Submission of Draft Report based on GT sheet/ maginary	40% of the contract value	Within 2.5 months of award of work
3	Submission of Final Report based on actual surveys and investigations (Submission in A & F Format)	20% of the contract value	Within 3.0 months of award of work
4	Submission in TS Format	20% of the contract value	Within 3.5 months of award of work
5	Submission of Tender Documents	10% of the contract value	Within 15 days after approval of TS report

C. Compensation for deley :

In case of delay in completion of services beyond stipulated time frame, compensation for delay note exceeding an amount equal to 0.1% of the agreement value per day, subject to a maximum of 10% of the agreement value will be imposed on the milestone payments. However in case deley due to reasons beyond the control of Consultant, extension of time shall be granted suitably.

You are requested to proceed for signing the Agreement with Superintending Engineer, PHED Project Circle, Banswara within 10 days from issue of this order and subsequently mobilize your team for the proposed assignment :

Expenditure on the above work shall be charged on NRDWP-Support Fund

Please acknowledge the receipt of work order and attend the office of EIC for signing the agreement.

Encl. : As above

Banai Singh
Chief Engineer (SP)
P.H.E.D. Rajasthan, Jaipur

चौमूं में नये राजस्व गांव

21. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाने के क्या-क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम मौरीजा, कालाडेरा, घिनोई व गोविन्दगढ़ आदि ग्राम पंचायतों की आबादी 10,000 से अधिक होने के उपरान्त भी इनमें सम्मिलित ढाणियों को राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के समक्ष उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.8.2009 की प्रति (परिशिष्ट-अ) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने बाबत जिला जयपुर का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य स्तर पर लम्बित नहीं है।

नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जिला कलक्टर जयपुर के प्रस्ताव राजस्व मण्डल राज., अजमेर के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जा सकेंगे।

(3) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी के माडा योजना में चयनित गांव

1. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर के कौन-कौन से गांव, ढाणी, वार्ड एवं कालोनी, माडा, टाडा, सहरिया एवं बिखरी जाति में चयनित हैं और उक्त जातियां कौन-कौन से क्षेत्र में बसती हैं? ग्राम, ढाणी, कालोनी एवं वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त माडा, टाडा, सहरिया एवं बिखरी चयनित गांव, ढाणियां, वार्ड एवं कालोनी शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं तथा सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त जातियों की प्रत्येक समस्या के समाधान का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र मे टाड़ा (अनुसूचित क्षेत्र) एवं सहरिया क्षेत्र नहीं आता है। माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर के चयनित ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। अधिकांश क्षेत्र जनजाति के हैं, जो सम्पूर्ण जिले में हैं। इस सूची के अतिरिक्त शेष अधिकांश अधिवास बिखरी जनजाति के अन्तर्गत आते है।

(2) बस्सी के उक्त क्षेत्र शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर से तुलनात्मक रूप से पिछड़े नहीं है, एवं मूलभूत सुविधाओं से पूर्णत: वंचित भी नहीं हैं।

(3) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है एवं संचालित योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-अ

माडा में आने वाले ग्राम

Village Name
Abhay Pura
Akhaipura
Akhaipura
Anatpura
Apreta
Baori Ka Bas
Barh Mahadeopura
Barh Ramrakhpura
Barhcharanwas
Baseri
Beelwa Rhurd
Bhankri
Bhateri
Bhatesari
Bhonyawala
Bhudarpura
Biharipura
Bimalpura
Birajpura
Boorthal
Chainpura
Chak Deori
Chak Dhedpura
Chak Ghati
Chak Lawan
Chak Madhogarh
Chak Shyampura
Chak Toonga
Chakpotli
Chandpura

Village Name
Chapriya
Charanwas
Chatarpura
Chatarpura
Chitori
Chorwara
Dayarampura
Deogaon
Devapura
Dhedpura
Dheegar Ka Bas
Dhindhol
Dopur
Dudawala
Gangarampura
Ghata
Gurha Meena
Gwalni
Harchandpura @ Balyawala
Hardhyanpura
Hardi
Himmatpura
Jairam Ka Bas
Jhajhwar
Jhar
Kanarwas
Kaneta

Village Name
Kaneti
Kanpuriya
Karangarh
Kashipura
Kelyawala
Keshopura
Khatepura
Khijooriya Ahiran
Khijooriya Brahman
Kho Ghati
Kho Rajyawala
Khori
Kishanpura
Lalgarh
Lalpura
Lalpura
Lasariya Goojran
Madhayawala
Maharajpura
Mandrooppura
Manoharpura
Moondli
Morandi
Nangal Karna
Nimora
Patan
Peepla Bai
Philsan Biharipura

Village Name
Rampura @ Chandaliya
Rampurawas Deogaon
Ramrakhpura
Ramsinghpura
Ramsinghpura
Ratanpura
Rooppura
Rooppura
Sankh Shyopuri
Sawalyawala
Shankarpura
Shyampura
Sindoli
Siya Ka Was
Tiddiwala
Todabhata
Trilokpura
Ugawas
Vijai Mukundpura @ Hirawala
Vishansinghpura

भीलवाड़ा जिले में माडा/बिखरी योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्य

2. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माडा/बिखरी योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में भीलवाड़ा जिले में बिखरी योजना के अन्तर्गत किन-किन निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटन धनराशि के विरुद्ध पूर्ण कराये गये सभी निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि नहीं, तो किस-किस के? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि माडा, बिखरी योजनान्तर्गत निर्माण हेतु विभाग द्वारा विकास कार्यों के लिये धनराशि स्वीकृत की जाती है। गत 5 वर्षों में भीलवाड़ा जिले में बिखरी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में माडा योजनान्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति

3. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में माडा योजनान्तर्गत गत 4 वर्षों में किन-किन कार्यों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए?

(2) उक्त कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? तहसीलवार व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं तथा शेष कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जावेंगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर माडा योजनान्तर्गत चयनित नहीं है, जिसके कारण माडा योजनान्तर्गत कोई कार्य नहीं करवाये गए तथा विभाग के पास भी उक्त क्षेत्र के लिए कोई भी प्रस्ताव सीधे प्राप्त नहीं हुए है इसलिए सूचना शून्य है।

(2) सूचना शून्य है।

(3) सूचना शून्य है।

उदयपुर सम्भाग के विद्यालयों में पोषाहार वितरण

4. डा. विश्वनाथ (खाजूवाला) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर सम्भाग में विद्यालयों एवं आवासीय जनजाति छात्रावासों में कार्यरत पोषाहार कर्मियों, रसोइयों, सफाई कर्मियों एवं चौकीदारों को समय पर मानदेय का वितरण नहीं होने के कारण कई बार पोषाहार वितरण नहीं होने से लाभार्थियों को भूखा रहना पड़ा है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 में मानदेय वितरण का तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कारण विद्यालय/आवासीय छात्रावास पोषाहार कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन भी दिये गये और धरना आदि देकर प्रदर्शन भी किया गया? यदि हां, तो तसम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तरह की अनियमितताओं व अव्यवस्थाओं का दायित्व किसका था और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में विद्यालयों एवं आवासीय जनजाति छात्रावासों में कार्यरत पोषाहार कर्मियों, रसोइयों, सफाईकर्मियों एवं चौकीदारों को समय पर मानदेय का वितरण उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार समय-समय पर किया जा रहा है। लाभार्थियों के भूखा रहने के सम्बन्ध में कोई मामला नहीं बना है।

(2) विद्यालय/आवासीय छात्रावास पोषाहार कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन दिनांक 29.12.2014 प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में विभागीय स्तर से समस्त परियोजना अधिकारी कार्यालयो को पत्रांक 486-90 दिनांक 7.1.2015 से शीघ्र भुगतान हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इस कारण धरना आदि देकर कोई प्रदर्शन नही किया गया है। प्राप्त ज्ञापन एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) इस तरह की अनियमितताओं व अव्यवस्थाओं का कोई दायित्वाधीन प्रकरण अभी तक नहीं बना है। अत: कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें

5. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण कराने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में सरकार द्वारा कौन-कौनसी सड़कें बनाई गईं व कितनी सड़कों की स्वीकृतियां जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों में किसी भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण के मापदण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हैं। वर्ष 2013-14 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास कोष (एम.डी.एफ.) के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में 302 सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, जिसमें 241 सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट के कार्य पूर्ण किये गये। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास कोष (एम.डी.एफ.) के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में 298 सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट एवं मिसिंग लिंक बी.टी. सड़क कार्यों की स्वीकृति जारी की गई। विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक मण्डी फण्ड के अन्तर्गत 133 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली में सरस डेयरी प्लांट का पुनः संचालन

6. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कोटपूतली (जयपुर) का सरस डेयरी प्लांट पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। दुग्ध अवशीतन केन्द्र, कोटपूतली हेतु तीन बल्क मिल्क कूलर 5,000 लीटर क्षमता के मय जनरेटर क्रय किये जा चुके हैं तथा उनकी स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अवशीतन केन्द्र आगामी एक माह के अन्दर प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

आर्गेनिक खेती के लिये देय प्रोत्साहन राशि

7. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार आर्गेनिक खेती के लिए किसानों को किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा आर्गेनिक खेती (जैविक खेती) को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जा रहा है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रदत्त सहायता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

कृषि विभाग के माध्यम से —

1. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत कृषकों को रु. 8000/- प्रति हैक्टर (खरीफ फसल हेतु 2000 रु. रबी फसल हेतु 3000 रु. तथा शेष 3000 रु. पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रति हेक्टेयर) अनुदान दिया जा रहा है। एक कृषक को अधिकतम 2 हैक्टर क्षेत्र हेतु अनुदान देय है।
2. फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति प्रदर्शन (0.4 हेक्टेयर क्षेत्र), जैविक आदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 2000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है।
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली आधारित जैविक खेती कार्यक्रम को प्रोत्साहन हेतु जैविक खेती करने वाले किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन पर आदान सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 7000/- प्रति कृषक प्रति हैक्टेयर प्रथम व द्वितीय वर्ष (3000 रु. खरीफ व रु. 4000 रबी फसल हेतु) व रु. 6000/- तृतीय वर्ष (खरीफ एवं रबी दोनों हेतु) के लिए देय है। इस प्रकार 3 वर्ष हेतु कुल रु. 20000/- प्रति हैक्टेयर सहायता का प्रावधान है।

उद्यान विभाग के माध्यम से-

1. जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 10000/- प्रति हैक्टेयर, जो तीन वर्षो में प्रथम वर्ष 4000/- दूसरे वर्ष में 3000/- तथा तृतीय वर्ष में 3000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। एक कृषक को अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान देय है। यह कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़ा है।
2. जैविक फसल प्रमाणीकरण हेतु 50 हैक्टर कलस्टर क्षेत्र के लिए राशि रु.5.00 लाख जो प्रथम व दूसरे वर्ष में राशि रु. 1.50-1.50 लाख तथा तृतीय वर्ष में 2.00 लाख की सहायता देय है।
3. वर्मीकम्पोस्ट इकाई (पक्का निर्माण) के निर्माण हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 50000/- प्रति इकाई सहायता देय है।
   (इकाई का आकार 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट)
4. एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई के निर्माण हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 8000/- प्रति इकाई सहायता देय है।
   (इकाई का आकार 12 फीट x 4 फीट x 2 फीट)

कुक्कुट पालन हेतु भू-खण्ड आबंटन के मानदण्ड

8. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुक्कुट पालन हेतु भूखण्ड आबंटन के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1978 में रावतभाटा रोड, कोटा में भूखण्ड संख्या 53 कुक्कुट पालन कार्य हेतु लीज पर आबंटित किया गया था? यदि हां, तो कितने वर्ष की लीज पर किसको आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार भूखण्ड बेरोजगारों को ही आबंटित किया जा सकता है? यदि हां, तो क्या उक्त आबंटी द्वारा आबंटन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने पर भी भूखण्ड विभाग को नहीं लौटाकर एवं तथ्यों को छुपाकर धोखाधड़ी की गयी है? क्या सरकार आबंटित भूखण्डधारी के विरुद्ध धोखाधड़ी के लिए एफ.आई.आर. दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण भूखण्डधारी का प्रकरण वर्षों से न्यायालय में लम्बित चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु वर्तमान विभागीय प्रभारी अधिकारी को हटाकर न्यायालय में पैरवी हेतु अन्य अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि भूखण्डधारी के राजकीय सेवारत रहने का तथ्य ध्यान में लाये जाने के बाद भी आज तक भूखण्डधारी के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार गलत तथ्यों के आधार पर आबंटित उक्त भूखण्ड का आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कुक्कुट पालन हेतु भूखण्ड आबंटन के निर्धारित नियम/मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 25.2.1978 को रावतभाटा रोड, कोटा में भूखण्ड संख्या 53 कुक्कुट पालन कार्य हेतु 25 वर्ष की लीज पर श्री आबिद हुसैन को आबंटित किया गया था।

(3) जी नहीं। कुक्कुट पालन कार्य हेतु भूखण्ड ऐसे व्यक्तियों को आबंटित किये जा सकते थे जो-

1. कुक्कुट पालन सहकारी समिति जयपुर एवं कोटा के सदस्य हैं;

2. हाफ-ए-मिलियन जाब प्रोग्राम या एमप्लायमेंट प्रमोशन प्रोग्राम या कुक्कुट पालन में प्रशिक्षित हों;

3. भूतपूर्व सैनिक अथवा सेवानिवृत व्यक्तियों; एवं

4. कुक्कुट व्यवसायी जो कि 500 मुर्गियां संधारित करता हो; एवं

भूखण्ड प्राप्त करने के पश्चाजत् श्री आबिद हुसैन के सरकारी सेवा में नियुक्ति की जानकारी पशुपालन विभाग को नही है ।

दिनांक 12.10.2009 से श्री आबिद हुसैन को भूखण्ड की लीज अवधि नही बढ़ाते हुए, 15 दिवस में भूखण्ड का कब्जा पशुपालन विभाग को संभलवाने हेतु लिखा गया, जिस पर श्री आबिद हुसैन ने विभाग के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की है, जिस पर निर्णय लम्बित है ।

(4) प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, जिस पर विभागीय जांच नहीं करवाई जा रही है।

पशुपालन विभाग की ओर से दिनांक 24.5.2010 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। रिट पीटिशन के शीघ्र निष्पादन के लिए अतिरिक्त एडवोकेट जनरल को नियुक्त करवाया गया है।

(5) भूखण्ड प्राप्त करने के पश्चात श्री आबिद हुसैन के सरकारी सेवा में नियुक्ति की जानकारी पशुपालन विभाग को नहीं है। भूखण्ड की लीज अवधि समाप्त की जा चुकी है तथा प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है।

(6) भूखण्ड की लीज अवधि समाप्त की जा चुकी है तथा प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बांदीकुई में औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

9. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 10 वर्षों में किस-किस स्थान पर एवं कब-कब औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए तथा उनमें से किस-किस प्रकार के कौन-कौन से उद्योग वर्तमान में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु सरकार की क्या-क्या योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उक्त क्षेत्र में किस-किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय की जायेगी एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रीको द्वारा ग्राम कोलना, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा में 71.33 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र कोलाना (बांदीकुई) की स्थापना वर्ष 1992-93 में की गई है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 132 भूखण्ड नियोजित कर 116 भूखण्डों का आबंटन विभिन्न उद्यमियों को किया जा चुका है। क्षेत्र में मुख्यत: फेब्रिकेशन, पत्थर सम्बन्धी, सीमेंट जाली एवं सामान्य श्रेणी की 90 लघु औद्योगिक इकाइयां वर्तमान में उत्पादनरत हैं।

(2) राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 जारी की गई है। निवेशक द्वारा राज्य में किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सहायता/सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सम्पूर्ण राज्य की तरह विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में भी मैन्यूफेक्चिरंग एन्टरप्राइजेज एवं सर्विस एन्टरप्राइजेज को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के अन्तर्गत विलासिता कर में शत-प्रतिशत छूट तथा विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर, मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत छूट, अनुदान 50 प्रतिशत (इन्वेस्टमेंट अनुदान वैट अदायगी का 30 प्रतिशत एवं नियोजन अनुदान वैट अदायगी का 20 प्रतिशत की सीमा तक) 7 वर्ष की अवधि के लिए तथा भूमि खरीद, लीज और निर्माण पर स्टाम्प ड्यूटी, भू-उपयोग परिवर्तन पर 50 प्रतिशत छूट, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा इक्यिपमेंट की खरीद पर चुकाये गए वैट के 50 प्रतिशत पुनर्भरण की सुविधा जो भी लागू हो, उपलब्ध है।

(उद्योग मंत्री)

औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें उद्योग स्थापना हेतु स्थान विशेष पर उपलब्ध संसाधन, दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता तथा मांग का विश्लेषण कर उद्योग विशेष की सम्भाव्यता की जानकारी एवं मार्गदर्शन भावी उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र में गठित औद्योगिक मार्गदर्शन ब्यूरों द्वारा वर्ष पर्यन्त उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की जानकारी यथा भूमि चयन, कच्चा माल मशीन सप्लायर्स, वित्तीय सुविधाएं/संस्थाओं, उपलब्ध संसाधन, दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता, आदि की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाती है। दौसा जिले में राज्य के अन्य जिलों की तरह (जिसमें विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई स्वत: ही शामिल है) उद्योगों की स्थापना के लिए जिले में उपलब्ध कच्चा माल व अन्य संसाधन, उत्पादित माल की खपत, कृषि उपज व औद्योगिक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण तैयार किया गया है। जिसमें जिले में लग सकने वाले सम्भावित उद्योगों का विवरण है। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आयल मिल, स्टील फर्नीचर, वुडन फर्निचर, एग्रीकल्चर इक्विकपमेंट्स, सीमेंट पाइप, आटोमोबाइल रिपेयर्स, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आदि उद्योगों के स्थापित होने की सम्भावनाएं हैं।

प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को देय प्रोत्साहन राशि

10. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के कितने खिलाड़ियों द्वारा विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता कितने खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि एवं अन्य पुरस्कार कब-कब से बकाया चल रहे हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा एशियाई खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों का राज्य में आगमन पर स्वागत भी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रमेश)

(4) क्या यह भी सही है कि एशियाई खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अभी तक प्रोत्साहन राशि की घोषणा एवं भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि कामनवैल्थ खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार द्वारा आगमन पर ही पुरस्कार राशि का भुगतान कर दिया गया था? यदि हां, तो एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं?

(6) क्या सरकार अब एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को बकाया प्रोत्साहन राशि और अन्य भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित करने और समयबद्ध रूप से निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्रोत्साहन राशि और अन्य पुरस्कार देने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षो में निम्नलिखित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किये हैं-

वर्ष	राष्ट्रीय स्तर	अन्तरराष्ट्रीय स्तर
2011-12	52	15
2012-13	84	22
2013-14	114	19

(2) खेल अनुदान नियम के अन्तर्गत प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाडियों में से 1,340 खिलाड़ियों को राशि लगभग राशि रुपये 11.82 करोड़ स्वीकृत किये जा चुकी है। खिलाड़ियों को राशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। जिन एशियाई पदक प्राप्त खिलाड़ियों के आने की सूचना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को प्राप्त हुई थी, उनके आगमन पर परिषद द्वारा स्वागत किया गया था।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(4) जी हां। एशियाई खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को बढ़ाकर प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान ओलम्पिक संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

(5) जी हां। एशियाई खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को बढ़ाकर प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान ओलम्पिक संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

(6) जी हां। एशियाई खेलों में पदक प्राप्ति खिलाड़ियों को बढ़ाकर प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान ओलम्पिक संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

(7) जी नहीं। खेल अनुदान नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण को क्रीड़ा परिषद में गठित समिति के समक्ष वर्ष में 2 बार प्रस्तुत किये जाते हैं। समिति की अभिशंसा पश्चात विभाग में प्राप्त प्रकरणों की नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाती है तथा क्रीड़ा परिषद के माध्यम से भुगतान किया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को समय समय पर समारोह आयोजित कर अथवा राज्य स्तरीय समारोह पर सम्मानित किया जाता रहा है।

झोटवाड़ा (जयपुर) औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भूखण्ड

11. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु भूखण्ड आबंटित किये गये थे? यदि हां, तो कब व किन-किन शर्तों पर? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार जिन भूखण्डधारियों द्वारा शर्तों की पालना नहीं की गई, उनके भूखण्ड निरस्त कर पुन: आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा आबंटित अनेक भूखण्डों पर अब तक कोई औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से भूखण्डों पर? भूखण्डधारियों के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों पर आबंटन के पश्चात् अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं लिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन भूखण्डधारियों द्वारा? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त भूखण्डधारियों द्वारा औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं करने के कारण उनके भूखण्ड निरस्त कर अन्य को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आबंटन उद्योग विभाग द्वारा राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1959 के अन्तर्गत एवं रीको भू-निपटान नियम, 1979 के तहत किये गये हैं। वर्तमान में इन आबंटियों पर रीको भू-निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) लागू हैं। सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट-"अ" एवं अ-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि भूखण्डधारियों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने पर उनके खिलाफ रीको भू-निपटान नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूखण्ड निरस्तीकरण के पश्चात् निगम द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर उसे नीलामी के माध्यम से आबंटित एवं पीपी एक्ट के तहत प्राप्त भूखण्ड को पुन: आबंटित किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। यह सही है कि झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कुछ भूखण्डधारियों द्वारा औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गई हैं। ऐसे भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 132 केवी की लाइन के लिए मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण नये कनेक्शन में परेशानी हो रही है। मार्ग के लिए सेना अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुमति के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। यह सही है कि भूखण्डधारियों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने पर उनके खिलाफ रीको भू-निपटान नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूखण्ड निरस्तीकरण के पश्चात् निगम द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर उसे नीलामी के माध्यम से आबंटित एवं पीपी एक्ट के तहत प्राप्त भूखण्ड को पुन: आबंटित किये जाने का प्रावधान है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एकल खिड़की योजना

12. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में गुजरात माडल को आधार बनाकर विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजनानुसार गत एक वर्ष में सरकार द्वारा उद्योग के क्षेत्र के विकास हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गुजरात राज्य में उद्योग क्षेत्र में संचालित एकल खिड़की योजना, जिसमें नवीन उद्योग स्थापित करने से सम्बन्धित सभी कार्य एक ही स्थान पर पूर्ण किये जाते हैं, को भी प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) • राज्य सरकार द्वारा नई राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम (RIPS) - 2014 की घोषणा की गई।

• इसके अतिरिक्त, वर्तमान एकल खिड़की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया।

• नवम्बर, 2015 में राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए रिसर्जेन्टर राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 का आयोजन किया जा रहा है।

• इस आयोजन के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

• ईज-आफ-डूइंग बिजनेस हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(2) राज्य में एकल खिड़की योजना का आरम्भ 27 मार्च, 2011 को एक्ट पारित करके किया जा चुका है।

शाहपुरा (जयपुर) से रामपुरा-छापुड़ा के लिए नवीन बाइपास का निर्माण

13. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा (जयपुर) से रामपुरा-छापुड़ा जाने के लिए शाहपुरा कस्बे की कालोनियों में से गुजरना पड़ता है?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या सरकार शाहपुरा से रामपुरा-छापुड़ा जाने के लिए शाहपुरा-अजीतगढ़ रोड पर पावर हाउस के पास से नया बाइपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शाहपुरा (जयपुर) से रामपुरा-छापुड़ा जाने वाली सड़क ग्रामीण सड़क संख्या-3439 है। यह सड़क 600 मीटर लम्बाई (चैनेज 0/0 से 0/600) में शाहपुरा कस्बे की कालोनियों में से गुजरती है।

(2) जी नहीं। शाहपुरा से रामपुरा-छापुड़ा जाने के लिए शाहपुरा-अजीतगढ़ रोड पर पावर हाउस के पास से नया बाई-पास बनाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में उक्त बाइपास बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संचालित टोल बूथ

14. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आर.एस.आर.डी.सी. की ओर से कौन-कौन से टोल बूथ कब-कब से संचालित किये जा रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार टोल बूथों की दरों में दो वर्ष से पूर्व कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में टोल की दरों में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन आधारों पर एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा वर्तमान में 20 सड़कों पर 59 टोल बूथों के माध्यम से टोल वसूली की जा रही है, जिनकी टोल बूथवार संचालित होने की दिनांक तथा जिले की सूचना परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, रिडकोर एवं आर.एस.आर.डी.सी. की परियोजनाएं जो राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के तहत संचालित हैं, उन पर टोल दरों में प्रति दो वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पी.पी.पी. (डी.बी.एफ.ओ.टी.) के आधार पर जिन दो परियोजनाओं, जयपुर-भीलवाड़ा एवं जोधपुर-पाली पर अभी हाल ही में टोल वसूली प्रारम्भ की गई है, उनमें योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुबन्ध के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइस इन्डेक्स) में बढ़ोतरी के अनुसार प्रतियां वर्ष टोल दरों में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। सम्बन्धित नियमों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-3 एवं 4 पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। परिशिष्ट-2, 3, 4 पर संलग्न नियमों के अनुसार टोल दरों में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

(सूचना व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फतेहपुर में क्षतिग्रस्त सड़कें

15. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में जिला सीकर में सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किन-किन कार्यों की गुणवत्ता की जांच कब से विचाराधीन है? सम्बन्धित कार्य, तकनीकी अधिकारी, फर्म, कार्य का तखमीना, माप पुस्तिका में इंद्राज की प्रति व दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा प्रस्तावित कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले में वर्तमान में चल रहे कार्य स्थालों पर संवेदकों द्वारा कार्य के प्रारम्भ किये जाने तक कार्य का नाम, लागत, संवेदक का नाम एवं अन्य तकनीकी मानदण्डों के प्रदर्शन हेतु बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य पहलुओं की जानकारी से क्षेत्र के निवासी अनभिज्ञ रहते हैं और कार्य की गुणवत्ता संवेदक मनमर्जी से न्यूनतम स्तर की करते हैं? यदि हां, तो इसके पर्यवेक्षण हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? भविष्य में सरकार की तकनीकी बिन्दुओं के प्रदर्शन एवं संवेदकों की चल रही मनमर्जी पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्ययोजना है?

(4) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिला सीकर में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड फतेहपुर में टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत किये गये नवलगढ़ से कल्याणपुरा सड़क के नवीनीकरण कार्य की गुणवत्ता बाबत एक शिकायत दर्ज हुई थी। प्रति परिशिष्ट-3 (अ) पर प्रस्तुत है। स्टेट क्वालिटी मानिटर, सीकर द्वारा जांच करने पर कार्य की गुणवत्ता सही पाई गई। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-3 (ब) पर प्रस्तुत है।

शिकायतकर्ता भी किये गये कार्य से संतुष्ट है, जिसकी लिखित में संतुष्टि का पत्र परिशिष्ट-3 (स) पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। सीकर जिले में सभी निर्माणाधीन कार्यों पर कार्य शुरू करने से पूर्व संवेदकों द्वारा कार्य का नाम, कार्य को प्रारम्भ कराये जाने की दिनांक, लागत, संवेदक का नाम एवं अन्य तकनीकी मापदण्डों का विवरण प्रदर्शन करने वाले बोर्ड लगवा दिये जाते हैं तथा कार्य की गुणवत्ता में संवेदक द्वारा कोई मनमर्जी नहीं की जाती है और कार्य विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार ही सम्पादित करवाये जा रहे हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। पैच मरम्मत योग्य सड़कों की लम्बाई 26.50 कि.मी. है। इन सड़कों की मरम्मत हेतु निविदाएं दिनांक 19.2.2015 को प्राप्त कर ली गई हैं। शीघ्र कार्यादेश देकर मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है। 53.00 कि.मी. लम्बाई की 16 सड़कें नान-पैचेबल श्रेणी में हैं, जिनमें से 20.00 कि.मी. लम्बाई की 8 सड़कों का नवीनीकरण आर.आई.डी.एफ.-20 (नाबार्ड) योजनान्तर्गत प्रस्तावित है एवं निविदा प्रकियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है। शेष 33.00 कि.मी. की 8 सड़कों (परिशिष्ट-7) का नवीनीकरण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

नवलगढ़ में सड़क निर्माण के कार्य

16. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. राजकुमार शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य किस-किस योजना में कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यो में से कौन-कौन से कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण कर दिये गये और कौन-कौन से कार्य अब तक अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को पूर्ण नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक उक्त कार्यों को पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत सम्बन्धी क्या-क्या प्रस्ताव लम्बित हैं? लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान व आगामी वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़क निर्माण व मरम्मत सम्बन्धी क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक स्वीकृत सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सभी पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का व्यय तथा उनमें से 3 कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण व पूर्ण होने की सम्भावित तिथि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्तमान में सड़क निर्माण व मरम्मत हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में वर्तमान व आगामी वर्ष में सड़क निर्माण व मरम्मत हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

सांगोद की सड़कों के घटिया निर्माण की जांच

17. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में गत पांच वर्षों में किन-किन सड़कों का निर्माण किस-किस योजना के अन्तर्गत कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत पर गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कतिपय सड़कों के घटिया निर्माण की जांच भी कराई गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की किस अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में क्या तथ्य उजागर हुए? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जांच में किन-किन संवेदकों को घटिया निर्माण करने एवं किन-किन अधिकारियों को मानिटरिंग नहीं करने का दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है1

(2) उक्त सभी सड़कें गारण्टी अवधि में होने से इनकी मरम्मत/रखरखाव पर व्यय सम्बन्धित संवेदक द्वारा ही किया गया है। दीगोद देवली वाया देवपुरा ढाबा रेलगांव चारचौमा सड़क की गारण्टी अवधि में मरम्मत न करने के कारण संवेदक की सुरक्षा राशि जब्त कर, राशि रुपये 30.02 लाख का मरम्मत कार्य संवेदक के हर्जे-खर्चे पर करवाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) उपरोक्तानुसार सरकार द्वारा घटिया निर्माण सम्बन्धी कोई जांच नहीं करवाई गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में फोर लेन सड़क के निर्माण की कार्य योजना

18. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीश नारायण)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम सड़वा से जमवारामगढ़ बांध तक की सड़क की चौड़ाई फोरलेन किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन हित में शीघ्रातिशीघ्र उक्त योजना के कार्य की निविदा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त सड़क का पी.पी.पी. परियोजना में दो लेन हेतु फीजिबिलिटी स्टडी का कार्य प्रगति पर है। सड़क के 2-लेन के फीजिबिलिटी अध्ययन पश्चात् उक्त सड़क को फीजिबल होने पर ही पी.पी.पी. योजना में टेण्डर किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में बी.पी.एल. का पुनः सर्वे

19. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रदेश में गत 3 वर्षों में बी.पी.एल. सूची में कई पात्र व्यक्तियों के स्थान पर अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने तथा कई अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में पुन: बी.पी.एल. सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रदेश में गत 3 वर्षो में बी पी एल सूची में कई प्राप्त व्यक्तियों के स्थान पर अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने तथा कई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

प्रत्येक 5 वर्ष में भारत सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान मे सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के ड्राफ्ट पब्लिकेशन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिला	गत 3 वर्षों में बीपीएल सूची-2002 (ग्रामीण) में कई पात्र व्यक्तियों के स्थान पर अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने तथा अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की संख्या	निस्तारित अपीलों की संख्या	निस्तारण होने से शेष रही अपील
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अजमेर	शून्य		
2	अलवर	शून्य		
3	बांसवाड़ा	शून्य		
4	बारां	शून्य		
5	बाडमेर	3	3	—
6	भरतपुर	45	45	—
7	भीलवाड़ा	शून्य		
8	बीकानेर	शून्य		
9	बूंदी	शून्य		
10	चित्तौड़गढ़	शून्य		
11	चूरू	शून्य		
12	दौसा	3517	2730	787
13	धौलपुर	शून्य		
14	डूंगरपुर	शून्य		
15	हनुमानगढ़	शून्य		
16	जयपुर	6	6	—
17	जैसलमेर	शून्य		
18	जालौर	शून्य		

1	2	3	4	5
19	झालावाड़	शून्य		
20	झुंझुनूं	शून्य		
21	जोधपुर	शून्य		
22	करौली	शून्य		
23	कोटा	शून्य		
24	नागौर	शून्य		
25	पाली	1	1	—
26	राजसमन्द	शून्य		
27	सवाईमाधोपुर	शून्य		
28	सीकर	22	22	—
29	सिरोही	1	1	—
30	गंगानगर	शून्य		
31	टोंक	शून्य		
32	उदयपुर	14	8	6
33	प्रतापगढ़	शून्य		
	कुल योग	**3609**	**2816**	**793**

भीलवाड़ा जिले में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण योजना में कराये गये कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

20. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के अन्तर्गत संचालित प्रोजेक्ट में भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विकास खण्ड एवं बनेडा विकास खण्ड में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गयी थीं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी परियोजनाएं किस-किस उद्देश्य हेतु स्वीकृत की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं के विभिन्न मदों में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और उनसे किन-किन परिसम्पत्तियों का विनिर्माण किया गया?

(3) क्या उक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रमाण पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विकास खण्ड एवं बनेड़ा विकास खण्ड में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (WMP) की परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई थीं। गत पांच वर्षो में शाहपुरा विकास खण्ड में 3 एवं बनेड़ा विकास खण्ड में 3 परियोजनाएं जल संरक्षण, भूमि कटाव को रोकने, स्थानीय लोगों का रोजगार सृजन तथा जीविकोपार्जन का संवर्धन एवं कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य हेतु स्वीकृत की गई। शाहपुरा विकास खण्ड की परियोजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1(अ) एवं बनेड़ा विकास खण्ड की परियोजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1(ब) पर संलग्न है।

(2) इन परियोजनाओं में विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का विस्तृत विवरण, खण्ड शाहपुरा का परिशिष्ट 1(अ) एवं खण्ड बनेड़ा का परिशिष्ट 1(ब) के कालम संख्या 7 से 17 पर अंकित है।

स्वीकृत धन राशि से सृजित परिसम्पत्तियों का विस्तृत विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1(स) एवं परिशिष्ट 1(द) पर संलग्नि है।

(3) जी हां। इन परिसम्पतियों के निर्माण की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से कराये जाने के उपरान्त ही

(पंचायती राज मंत्री)

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतियां विकास खण्ड शाहपुरा की परिशिष्ट 1(क) (1 से 42) एवं बनेड़ा की परिशिष्ट 1 (ख) (1 से 45) पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

ग्राम पंचायतों को देय अनुदान राशि में वृद्धि

21. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को विकास कार्य हेतु एक वित्तीय वर्ष में किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायतों को देय अनुदान में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों को विकास कार्य हेतु निम्न मदों में अनुदान दिया जाता है :—

1. राज्य वित्त आयोग चतुर्थ;
2. तेरहवां वित्त आयोग;
3. निर्बन्ध राशि योजना (पंचायती राज संस्थाओं हेतु); एवं
4. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि।

राज्य वित्त आयोग चतुर्थ, तेरहवां वित्त आयोग, निर्बन्ध राशि योजना के अन्तर्गत, राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को प्रस्तुत अंतरिम/अंतिम प्रतिवेदन की सिफारिशों के अन्तर्गत निर्देशित जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को जनसंख्या के अनुपात में अनुदान राशि हस्तान्तरित की जाती है। वर्तमान में यह राशि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर हस्तान्तरित की जा रही है जिसमें से जिला परिषदों को 3 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 12 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत के अनुपात में राशि आबंटित की जा रही है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत सन् 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीलिंग के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि में से जिला परिषदों को 10 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 15 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत के अनुपात में राशि आबंटित की जा रही है।

(पंचायती राज मंत्री)

उपरोक्त योजनाओं में वर्ष 2014-15 में दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों की निजी आय भिन्न-भिन्न होती है। सरकार ग्राम पंचायतों को देय अनुदान में बढ़ोतरी करने का विचार नहीं रखती है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2014-15 में राज्य का कुल अनुदान

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2014-15 हेतु प्रावधान	माह फरवरी तक कुल आबंटित राशि
1	राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ	207375.00	207375.00
2	तेरहवां वित्त आयोग	134994.69	68311.68
3	निर्बन्ध राशि योजना	77754.00	77754.00
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	32283.00	21100.00

अलवर जिले में मेवात विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

22. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेवात विकास योजना के अन्तर्गत जिला अलवर में गत वित्तीय वर्ष में कितनी–कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई? कार्य का नाम व स्वीकृत राशि का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

(3) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने में देरी के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिला अलवर में गत एक वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किये गये कार्यों व स्वीकृत राशि का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत 160 कार्यों में से 133 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष 27 कार्य प्रगतिरत हैं, जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिये जायेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत 27 कार्यो को पूर्ण कराने में लोक सभा/विधान सभा चुनाव आचार संहिता लगे रहने के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मीटर निरीक्षकों को राजस्व सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति

23. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मीटर निरीक्षक के पद की पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा राजस्व सुपरवाइजर के पद सृजित किये गये थे? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2015 तक कितने मीटर निरीक्षकों को राजस्व सुपरवाइजर बनाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या 9/1989 के अधिनिर्णय दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 में तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा सरकार की ओर से एक शपथ-पत्र के जरिये न्यायालय को यह अवगत कराया था कि राजस्व सुपरवाइजर का पद खोल दिया है, जबकि उक्त पद पर आज दिनांक तक कोई मीटर निरीक्षक को स्थायी पदोन्नति न देकर तदर्थ राजस्व सुपरवाइजर बनाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार मीटर निरीक्षकों को राजस्व सुपरवाइजर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु नियम बनाकर मीटर निरीक्षक को राजस्व सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । 31 जनवरी, 2015 तक 14 मीटर निरीक्षकों को राजस्व सुपरवाइजर के पद पर तदर्थ रूप से पदस्थापित किया गया था।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) श्रम न्यायालय, जोधपुर के वाद संख्या 9/89 में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत जवाब दरख्वास्त में उल्लिखित किया गया था कि "मीटर निरीक्षक के पद की पदोन्नाति के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्व सुपरवाइजर के पद सृजित किये गये हैं तथा कारपेंटर द्वितीय लोहार द्वितीय के पदों के लिये विभागीय प्रावधान उपलब्ध हैं"।

मीटर निरीक्षकों को राजस्व सुपरवाइजर बनाने का प्रकरण राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

सांगानेर (जयपुर) में पेयजल योजना

24. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगानेर क्षेत्र में टोल टैक्स के आसपास की घनी आबादी क्षेत्र की किन-किन कालोनियों में पेयजल योजना संचालित नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सांगानेर के उक्त क्षेत्र में पेयजल योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सांगानेर क्षेत्र में टोल टैक्स के आस-पास कृषि भूमि पर बसी लगभग 12 कालोनियों (बम्बाला पुलिया से रेलवे लाइन के मध्य का क्षेत्र) में विभाग द्वारा स्थापित एवं क्रियाशील 22 हैण्डपम्पों एवं 10 सिंगल फेज नलकूपों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। कालोनीवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) क्रम संख्या 1 में वर्णित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार पेयजल व्यवस्था विद्यमान है तथा कोई अन्य योजना इस क्षेत्र हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

सांगानेर क्षेत्र में टोल टैक्स के आस-पास कृषि भूमि पर बसी निम्न वर्णित 12 कालोनियों में विभाग द्वारा हैण्डपम्प एवं सिंगल फेज नलकूपों के माध्यम से की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण

क्र. सं.	कालोनी का नाम	वर्तमान अनुमानित जनसंख्या	क्रियाशील जल स्रोतों की संख्या	
			हैण्डपम्प	सिंगल फेज नलकूप
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	शताब्दी नगर	1640	1	1
2	महावीर नगर	870	1	1
3	रामनगर-ए	1480	2	2
4	कृषि नगर	5500	3	2
5	गिर्राज विहार	450	2	1
6	विमान विहार	465	1	1
7	गोवर्धन नगर	12700	4	2
8	गोमती नगर	423	2	—
9	श्यामनगर	650	2	—
10	श्रीजीनगर	536	2	—
11	गोवर्धन विहार	380	1	—
12	सोनिया नगर	480	1	—
	योग	**25574**	**22**	**10**

अलवर शहर में नियमित जल आपूर्ति की योजना

25. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में 24 घण्टे जलापूर्ति हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? इस योजना हेतु अनुमानित बजट एवं कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में अलवर शहर की जलापूर्ति अनियमित है एवं अनेक स्थानों पर पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं कब तक आपूर्ति सुचारु किये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अलवर शहर में जलापूर्ति के बहाने प्रतिदिन प्रात:काल विद्युत कटौती की जा रही है? ऐसे में जलापूर्ति का समय कभी कटौती से पूर्व एवं कभी कटौती के बाद एवं अधिकांशत: जलापूर्ति ही नहीं की जा रही है? क्या सरकार नियत समय निर्धारित कर जलापूर्ति का समय सार्वजनिक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 24 घण्टे पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। अलवर शहर में विभागीय पेयजल वितरण प्रणाली से जुडे समस्त क्षेत्रों में औसतन 45 मिनट से 1.5 घण्टे की अवधि में 98 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में क्रियाशील 70 हैण्डपम्प तथा 178 सिंगल फेज नलकूपों से शहर के कम जल दबाव वाले अन्तिम छोर पर स्थित क्षेत्रों, कच्ची बस्तियों, कृषि भूमि पर विकसित आबादी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं। अलवर शहर के मात्र शिवाजी पार्क वितरण क्षेत्र में उचित दबाव से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में प्रात: 6.15 से 6.45 बजे तक (कुल अवधि 30 मिनट) विद्युत कटौती की जा रही है। शहर के शेष क्षेत्रों में जलापूर्ति के समय विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। अलवर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति समयावधि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

शहरी जल योजना, अलवर अन्तर्गत क्षेत्रवार पेयजल आपूर्ति समयावधि का विवरण

क्र. सं.	वितरण क्षेत्र	जलापूर्ति समय
1	2	3
1	स्कीम 1	7.00 से 7.45 प्रात:
2	स्कीम 2	7.00 से 7.45 प्रात:
3	स्कीम 3	7.00 से 7.45 प्रात:
4	स्कीम 4	6.00 से 6.45 प्रात:
5	स्कीम 10ए	7.00 से 7.45 प्रात:
6	स्कीम 10बी	7.00 से 7.45 प्रात:
7	शिवाजी पार्क	5.45 से 7.00 प्रात:
8	बुद्ध विहार	5.30 से 6.15 प्रात:
9	जनाना अस्पताल	5.45 से 6.30 प्रात:
10	मुंशी बाग	6.00 से 6.45 प्रात:
11	गणेश गुवाडी	5.30 से 6.15 प्रात:
12	एन.ई.बी. सुभाषनगर	5.30 से 6.30 प्रात:
13	एन.ई.बी. विस्तार	6.00 से 7.00 प्रात:
14	एन.ई.बी. सैक्टर 4	6.30 से 7.30 प्रात:
15	रणजीत नगर	6.00 से 7.00 प्रात:
16	कालाकुआ	7.00 से 8.00 प्रात:
17	साउथवेस्ट ब्लाक	6.00 से 7.00 प्रात:
18	प्रताप स्कूल	7.00 से 8.00 प्रात:
19	चमेली बाग	6.00 से 7.00 प्रात:
20	स्कीम 5	6.15 से 7.00 प्रात:

1	2	3
21	स्कीम 8	5.30 से 7.00 प्रात:
22	स्कीम 8 विस्तार	4.30 से 5.30 प्रात:
23	मनुमार्ग	5.15 से 6.15 प्रात:
24	मालवीय नगर	5.30 से 7.00 प्रात:
25	शान्ती कुंज	5.30 से 7.00 प्रात:
26	बैंक कालोनी	5.45 से 6.45 प्रात:
27	अम्बेडकर नगर	6.00 से 7.00 प्रात:
28	वैशाली नगर	6.00 से 7.00 प्रात:
29	सागर (लादिया ऊपर)	7.00 से 7.45 प्रात:
30	मंशा माता	5.30 से 8.00 प्रात:
31	अखैपुरा	6.00 से 7.00 प्रात:
32	सोनावा डूंगरी	11.00 से 11.45 प्रात:
33	कर्मचारी कालोनी	5.45 से 6.30 प्रात:
34	विजयनगर	5.30 से 6.30 प्रात:
35	मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड	5.30 से 6.15 प्रात:
36	तेज मण्डी	6.00 से 7.00 प्रात:

जालौर जिले में हैल्पर/कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

26. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालौर जिले में हेल्पर व कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हेल्पर (सहायक) के 12 तथा कनिष्ठ अभियन्ता के 20 पद वर्तमान में रिक्त हैं। कार्यालयवार/पदवार रिक्त पदों सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग में हेल्पर के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नियमों में संशोधन की प्रक्रिया उपरान्त प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त 824 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया माह मई, 2015 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है ।

परिशिष्ट-अ

जालौर जिले में हेल्पर एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	उपखण्ड का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता मुख्यालय	पदों की संख्या	कब से रिक्त है।
1	2	3	4	5	6
1.	जालौर	नगर उपखण्ड जालौर	जलौर	1	दिनांक 1.8.09 से
2.	जालौर	नगर उपखण्ड जालौर	जालौर राजस्व	1	दिनांक 18.12.09 से
3.	जालौर	नगर उपखण्ड जालौर	जालौर ग्रामीण	1	दिनांक 26.2.14 से

1	2	3	4	5	6
4.	जालौर	नगर उपखण्ड जालौर	बिशनगढ़	1	दिनांक 31.8.14 से
5.	जालौर	नगर उपखण्ड जालौर	मीठडी	1	दिनांक 6.6.14 से
6.	जालौर	नगर उपखण्ड जालौर	सियाणा	1	दिनांक 10.12.09 से
7.	जालौर	उपखण्ड आहोर	आहोर	1	दिनांक 26.2.14 से
8.	जालौर	उपखण्ड आहोर	गुडा बालोतान	1	दिनांक 26.2.14 से
9.	जालौर	उपखण्ड आहोर	भाद्राजून	1	दिनांक 30.4.12 से
10.	जालौर	उपखण्ड सायला	माण्डवला	1	दिनांक 4.3.14 से
11.	जालौर	उपखण्ड सायला	मेघलवा	1	दिनांक 1.6.12 से
12.	भीनमाल	नगर उपखण्ड भीनमाल	नगर भीनमाल नगर भीनमाल	1 1	दिनांक 24.02.2014 से दिनांक 30.09.2010 से
13.	भीनमाल	उपखण्ड जसवंतपुरा	जसवंतपुरा जसवंतपुरा	1 1	दिनांक 17.07.2014 से दिनांक 26.02.2014 से
14.	भीनमाल	उपखण्ड रानीवाड़ा	रानीवाड़ा	1	दिनांक 20.02.2010 से
15.	सांचौर	उपखण्ड सांचौर प्रथम	केरिया	1	दिनांक 01.10.2010 से

1	2	3	4	5	6
16.	सांचौर	उपखण्ड सांचौर प्रथम	सांकड	1	दिनांक 01.10.2010 से
17.	सांचौर	उपखण्ड सांचौर द्वितीय	सूरावा	1	दिनांक 01.10.2010 से
18.	सांचौर	उपखण्ड सांचौर तृतीय	देवड़ा	1	दिनांक 28.10.2010 से
			कुल योग	**20**	

हेल्पर के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	**खण्ड का नाम**	**उपखण्ड का नाम**	**योजना का नाम**	**पदों की संख्या**	**कब से रिक्त है**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	जालौर	नगर जालौर	कनिष्ठ अभियन्ता शहरी जालौर	3	दिनांक 6.9.10 से 3 (तीनों) रिक्त
2.	भीनमाल	नगर भीनमाल	शहरी जलयोजना भीनमाल	9	9 पद रिक्त है दिनांक 04.07.2007 से
3.	सांचौर	नगर सांचौर	शहरी जलयोजना सांचौर	0	
			कुल योग	**12**	

अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
वृत्त, जालौर

जयपुर चौकड़ी हवाली शहर की मंदिर माफी की भूमि का बेचान

27. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नकल खसरा किस्तवार मौजा (ग्राम) हथरोई तहसील सवाई जयपुर सन् 1910 ईस्वी के अनुसार खसरा नंबर 48 एवं 49 में मंदिर श्री रामदेवजी के नाम ऊदक दर्ज थी? यदि हां, तो उक्त मन्दिर के नाम से तत्समय कितनी भूमि दर्ज की हुई थी एवं वर्तमान में उक्त भूमि की क्या स्थिति है?

(2) क्या यह भी सही है कि मंदिर की भूमि को ठाकुरजी को शाश्वत नाबालिग मानते हुए तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में हुए निर्णयानुसार मंदिर माफी की भूमि को न तो किसी को बेचा जा सकता है और न ही किसी के द्वारा मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया जा सकता है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त भूमि के खसरा नंबर क्या-क्या हैं तथा वर्तमान में उक्त भूमि की भौतिक स्थिति क्या है? पुराने खसरा नंबर के नक्शे की प्रति सहित वर्तमान खसरा नंबर के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि जो कि वाके शहर जयपुर चौकड़ी हवाली शहर एम.आई. रोड की दक्षिणी लाइन के उत्तर मुखी बिल्डिंग श्री हंसराजजी (दुर्लभ भवन) (कमल मैन्शन) के पीछे स्थित है, का अज्ञात व्यक्तियों ने बेचान कर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है? क्या सरकार उक्त मंदिर माफी की भूमि को खुर्द बुर्द करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर मंदिर माफी की भूमि को खाली करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नकल खसरा किस्तवार सन् 1910 के अनुसार ख.न. 48 रकबा 16 बिस्वा, ख.न. 49 रकबा 71 बिस्वा क्रमश: मंदिर रामदेवजी उदक व उदक मंदिर मय आबादी दर्ज थी। वर्तमान में उक्त भूमि पर मंदिर व आबादी विस्तार है। मंदिर 60-65 वर्गगज में बना हुआ है।

(2) जी हां। यह सही है कि मंदिर माफी की भूमि को शास्वत नाबालिग मानते हुए न तो किसी को बेचा जा सकता है और न ही किसी के द्वारा अतिक्रमण ही किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त भूमि के ख.न. 373 व 374 हैं। वर्तमान में मौके पर आबादी विस्तार व मंदिर स्थित है। सन् 1910 के नक्शे की प्रति परिशिष्ट-1 पर है एवं वर्तमान नक्शे की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(3) जिला कलक्टर जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर, यह सही है कि उक्त भूमि कमल मैन्शन के पीछे स्थित है तथा उस पर रहने वाले व्यक्तिगण किस प्रकार इस भूमि पर काबिज हैं, का रिकार्ड में कोई उल्लेख नही है। वैसे रिकार्ड अनुसार स्थिति यह पाई गई है कि सन् 1910 का सर्वे जयपुर रियासत द्वारा करवाया गया था। इस सर्वे का जमा रिकार्ड तैयार किया गया था, वह भू-प्रबंध विभाग द्वारा पश्चातवर्ती किये गये सर्वे का आधार नहीं है। वर्तमान में तहसील जयपुर के राजस्व रिकार्ड का आधार खतौनी बन्दोबस्त सं. 2015-34 है। संख्या 2015-34 के रिकार्ड का आधार मिसल हकीयत सम्वत् 1987 है। मिसल हकीयत सम्वत् 1987 व खाता संख्या 37 में दर्ज ख.न. 937, 938, 939 के कैफियत में अंकित नोट के अनुसार 10 बिस्वा भूमि मंदिर चाह मीनारा व खामघर की रखी हुई है तथा शेष भूमि 1 बीघा 17 बिस्वाच खालसा की गई है। उक्त 10 बिस्वा भूमि का वर्तमान ख.न. 374 है जो गत ख.न. 938 में से 4 बिस्वा, 939 रकबा 2 बिस्वा, 940 में से रकबा 4 बिस्वा से बनाया गया है।

मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सं. 2015-34 में ख.न. 374 किस्म गैमु. सिवायाचक बिला लगानी दर्ज है। मंदिर माफी की भूमि नहीं अंकित की गई है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

करौली कस्बे की तरमीम शीट

28. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा करौली के आराजी खसरा नम्बर 4810 लगायत 4850 आबादी से घिरी हुए हैं तथा नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं?

(2) उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम शीट जिसमें उक्त आराजी खसरा नम्बरान का अंकन है, के गत वर्षो में हुये सेटलमेंट के समय के खसरा नम्बर और वर्तमान समय के खसरा नम्बरों की तरमीम शीट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) कस्बा करौली के उक्त खसरा नम्बर की खाता चौसाला सम्वत् 1986 तथा सम्वत् 2000 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा करौली के आराजी खसरा नम्बर 4810 लगायत 4850 के अधिकांश भाग में भवन निर्माण हो रहे हैं तथा कुछ क्षेत्र निर्माण से

(राजस्व राज्य मंत्री)

खाली है। उक्त खसरा नम्बर आबादी के निकट है तथा नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं।

(2) कस्बा करौली का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। साबिक हाल मिलान नम्बर अंदाजी व शीट पुख्ता होने का कार्य शेष है। उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही गत सेटलमेंट के समय के खसरा नं. और वर्तमान समय के खसरा नं. की तरमीम शीट उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) कस्बा करौली के आराजी खसरा नम्बर 4810 लगायत 4850 की खाता चौसाला सम्वत् 1986 तथा सम्वत् 2000 की खाता चौसाला रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं।

धाउवास ग्राम (जयपुर) के खसरों का नामान्तरण

29. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धाउवास (धाबास) तहसील एवं जिला जयपुर के खसरा नम्बर 34/263, 35/263, 36/265,58,60, 68, 69 व 70 से 74, 148 से 153 व अन्य लगायत खसरों का नामान्तरण संख्या 116 दिनांक 2-2-1998 से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त खसरों का नामान्तरण किनके नाम दर्ज है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सीलिंग प्रकरण में अपील तहसीलदार, जयपुर को करनी थी? यदि हां, तो तहसीलदार द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस हेतु दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नामान्तरण में परिवर्तन से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का पक्ष नहीं सुना गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम धाउवास (धाबास) तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 34/263, 35/263, 36/265, 58, 60, 68, 69, 70 से 74, 148 से 153 व अन्य लगायत खसरों का नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 2.2.1998 से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया था। वर्तमान में इन खसरों का नामान्तरकरण निम्नानुसार है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

1. ख.नं 237/271, 239/272, 240, 241/273 किता 4 रकबा 39.12 बीघा की खातेदारी सूरज करण, कालूराम, कल्याण, हनुमान पि. भूरा जाति गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज है;

2. ख.नं. 58, 60, 71, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 148, 149, 150, 151, 152, 153 किता 15 रकबा 46.12 बीघा की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज है; एवं

3. ख.नं. 34/263, 35/264, 36/265 किता 3 रकबा 10.18 बीघा की खातेदारी सिटी वण्डर कोलोनाइजर्स प्रा. लि., 8-ए, गोविन्दी हाउस, कानोता बाग, तख्तेशाही रोड, जयपुर के नाम दर्ज है।

(2) न्यायालय अति. कलक्टर (चतुर्थ) के निर्णय दिनांक 31.8.2001 एवं न्यायालय उपखण्डा अधिकारी, जयपुर (प्रथम) के निर्णय दिनांक 7.6.2008 की पालना के लिये तहसील कार्यालय जयपुर में आवेदन प्रस्तुत होने पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से मार्ग दर्शन चाहे जाने पर उक्त अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वारिसों को सुनकर विधिक स्थिति अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे।

इस पर तहसीलदार द्वारा वारिसान की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) को प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) के आदेश दिनांक 20.4.2013 से श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र गुल्ला गुर्जर के वारिसों के नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने के आदेश होने पर नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 30.5.2013 को दर्ज कर स्वीकार किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) के प्रकरण संख्या 09/1993 के निर्णय दिनांक 8.7.2013 से सीलिंग की कार्यवाही ड्राप की गई। इस प्रकार प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन होने से कोई दोषी नहीं है।

(3) जी नहीं। तहसीलदार जयपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 4754 दिनांक 5.10.2012 से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पत्र लिखकर कोई आपत्ति हो, तो प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया था, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 17.10.2012 को कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

30. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना की शुरूआत की गई है? यदि हां, तो कब व इसके क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत गत दो वर्षो में कितने व्यक्तियों को किन-किन तीर्थस्थलों की कब-कब यात्रा कराई गई और उसमें सरकार द्वारा कितनी धन राशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त योजना में बदलाव किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब इस हेतु आवेदन लेना कब से प्रारम्भ किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ-यात्रा योजना 2013 की शुरुआत दिनांक 3.8.2013 से की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2013 का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम-निर्दिष्ट तीर्थस्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान कराना है।

(2) उक्त योजना के तहत दिनांक 3.8.2013 से 17.1.2014 तक प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थस्थलों की कराई गई यात्रा एवं उस पर व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त योजना में किये गये बदलाव का विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

आवेदन दिनांक 5 जनवरी, 2015 से 15 जनवरी, 2015 तक लिये गये।

परिशिष्ट-1

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थस्थलों की कराई गई यात्रा एवं उस पर व्यय

ट्रेन संख्या	संचालन तिथि	कहां से	कहां को	यात्रियों की संख्या	Net Amt.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	8/3/2013	जयपुर	रामेश्वरम्	991	12931370
2	8/4/2013	जोधपुर	जगन्नाथपुरी	992	11381727
3	8/12/2013	भरतपुर	द्वारिकापुरी	937	9388743
4	8/13/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	1001	13045575
5	8/14/2013	बीकानेर	रामेश्वरम्	1002	12977385
6	8/18/2013	भरतपुर	रामेश्वरम्	994	12924803
7	8/22/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	1009	13120598
8	8/24/2013	उदयपुर	सम्मेदशिखर	843	10981413
9	8/28/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1004	12757714
10	9/1/2013	उदयपुर	वैष्णोदेवी	960	8166476
11	9/3/2013	जयपुर	तिरूपति	995	12790046
12	9/8/2013	उदयपुर	जगन्नाथपुरी	987	11242590
13	9/8/2013	भरतपुर	रामेश्वरम	987	13140650
14	9/11/2013	बीकानेर	जगन्नाथपुरी	938	11355011
15	9/16/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	1005	12907623
16	9/17/2013	भरतपुर	द्वारिकापुरी	949	9610720
17	9/20/2013	जोधपुर	रामेश्वरम्	999	13009597
18	9/23/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1113	14632705
19	9/25/2013	जयपुर	रामेश्वरम्	992	13152184
20	9/30/2013	जयपुर	शिरडी	1111	12426044

1	2	3	4	5	6
21	10/3/2013	कोटा	रामेश्वरम्	1132	15195379
22	10/4/2013	बीकानेर	तिरूपति	825	10897538
23	10/9/2013	जयपुर	रामेश्वरम्	869	12397856
24	10/13/2013	बीकानेर	रामेश्वरम्	927	12719225
25	10/13/2013	भरतपुर	गोवा-चर्च	1225	12667076
26	10/19/2013	अजमेर	रामेश्वरम	937	12802043
27	10/21/2013	कोटा	रामेश्वरम	1106	14739358
28	10/23/2013	जोधपुर	जगन्नाथपुरी	856	11038373
29	10/29/2013	उदयपुर	बिहारशरीफ	750	7688140
30	11/7/2013	जोधपुर	रामेश्वरम्	805	10681916
31	11/7/2013	जयपुर	तिरूपति	886	12391749
32	11/9/2013	कोटा	रामेश्वरम्	896	12813899
33	11/15/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	812	12100498
34	11/17/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	961	13089270
35	11/19/2013	भरतपुर	जगन्नाथपुरी	944	11279727
36	11/24/2013	उदयपुर	वैष्णोदेवी-अमृतसर	750	9089360
37	12/4/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	1001	13324924
38	12/6/2013	अजमेर	रामेश्वरम्	854	12384978
39	12/14/2013	उदयपुर	रामेश्वरम्	770	11757862
40	12/16/2013	अजमेर	जगन्नाथपुरी	906	10781307
41	1/5/2014	जयपुर	रामेश्वरम	846	12774465
42	1/7/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	861	13018977
43	1/15/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	792	12536275
44	1/17/2014	जयपुर	रामेश्वरम्	870	9986831
			योग	**41390**	**530100000**

परिशिष्ट-2

वर्तमान योजना में किये गये परिवर्तन		
क्रम संख्या	**वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013**	**वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2014**
1	**2**	**3**
1	गत योजना में प्रदेश के 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के राज्य एवं केन्द्र सरकार से सेवानिवृत कार्मिक तथा आयकरदाता तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन के पात्र थे।	वर्तमान में योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार से सेवानिवृत कार्मिकों एवं उनके जीवनसाथी को तथा आयकर दाताओं को आवेदन हेतु पात्र नहीं माना गया है।
2	पूर्व योजना में समूह में आवेदन की अनुमति थी।	वर्तमान योजना में समूह में आवेदन के बिन्दु को समाप्त किया गया।
3	गत योजना के आवेदन पत्र में चयनित तीर्थ स्थल का एक ही विकल्प था।	वर्तमान योजना में आवेदन पत्र में चयनित तीर्थ स्थल के दो विकल्प दिये गये हैं।
4	गत योजना में पात्र यात्रियों का चयन सम्भागीय आयुक्त स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा रेण्डमाइज प्राथमिकता सूची तीर्थ स्थलवार किया गया था।	वर्तमान योजना में पात्र यात्रियों का चयन जिला कलक्टर स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से किया गया।
5	गत योजना में चयनित यात्री की आयु 65 वर्ष या अधिक होने पर सहायक के रूप में महिला/पुरुष को ले जाने की अनुमति थी।	वर्तमान योजना में चयनित यात्री की आयु सीमा 65 वर्ष से बढाकर 70 वर्ष कर इस आयु के या इससे अधिक आयु के यात्रियों को एक पुरुष सहायक के रूप में ले जाने की अनुमति है।
6	गत योजना में आबंटित कोटा का कुल 10 प्रतिशत आरक्षित तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया था।	वर्तमान योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर आरक्षित तीर्थ यात्रियों की सूची का कोटा 20 प्रतिशत किया गया है।

1	2	3
7	गत योजना में अनुरक्षकों की आयु सीमा 40 वर्ष थी।	वर्तमान योजना में अनुरक्षकों की आयु सीमा 50 वर्ष यथा सम्भव रखी गई है।
8	गत योजना में आई.डी. के रूप में दस्तावेज यथा पेनकार्ड, वोटर आई.डी. राशन कार्ड इत्यादि मान्य था।	वर्तमान योजना में केवल मतदाता पहचान पत्र ही दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है।

चित्तौड़गढ़ जिले के मन्दिरों में कर्मचारियों के रिक्त पद

31. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में सरकार के अधीन कौन-कौन से मंदिर कहां-कहां पर स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिरों की देखरेख एवं पूजा के लिए सरकार द्वारा पुजारी/ कर्मचारियों के कितने पद किस-किस श्रेणी के सृजित हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के 10 स्थानों पर मन्दिर स्थित हैं:-

क्र. सं.	मन्दिर का नाम	स्थान
1.	मन्दिर श्री अन्नपूर्णाजी व बाण माताजी	किला चितौड़गढ़
2.	मन्दिर श्री मंगलेश्वरजी	ग्राम गुरजनिया तह. राशमी
3.	मन्दिर श्री जाडेश्वरजी	ग्राम गुरजनिया मातृकुण्डिया तह. राशमी
4.	मन्दिर श्री रोशनेश्वरजी	ग्राम गुरजनिया तह. राशमी

(देवस्थान राज्य मंत्री)

क्र. सं.	मन्दिर का नाम	स्थान
5.	मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी	ग्राम गुरजनिया तह. राशमी
6.	मन्दिर श्री चतुर्भुजजी	सदर बाजार ग्राम आकोला
7.	मन्दिर श्री महादेवजी	ग्राम उमण्ड
8.	मन्दिर श्री चतुर्भुजजी	ग्राम जासमा तह. कपासन
9.	मन्दिर श्री गणेशजी व हनुमानजी	ग्राम जासमा तह. कपासन
10.	मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी	ग्राम भदेसर तह. भदेसर

(2) उक्त मन्दिरों की देख-रेख एवं पूजा के लिए विभाग द्वारा पुजारी/ कर्मचारी के कोई पद स्वीकृत नहीं हैं क्योंकि इन मन्दिरों में वंशानुगत पुजारी कार्यरत हैं।

(3) वंशानुगत पुजारी होने से कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रदेश में बालश्रम की रोकथाम हेतु उपाय

32. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बाल श्रम की रोकथाम के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था कायम नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्ष 2003 से 2014 की अवधि में बाल श्रम करवाने के लिए कितने व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने प्रकरणों में कितने व्यक्तियों को सजा दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में बाल श्रम करवाने वाले व्यक्तियों, फर्मों/संस्थाओं को सीज करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार इस बाबत कोई सकारात्मक निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में बाल श्रमिक की रोकथाम के लिए पुख्ता व्यवस्था कायम है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(2) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है। अधिनियम की धारा 16(1) के तहत शिकायत (अभियोजन) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। वर्ष 2003 से 2014 तक के निरीक्षण, अभियोजन एवं जुर्माने की सूचना वर्षवार संलग्न है।

(3) उक्त में से किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी गयी।

(4) जी हां। बाल श्रम करवाने वाले व्यक्तियों, फर्मों/संस्थाओं को सीज करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

33. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी-कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में कब-कब व कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी निम्न प्रकार है :-

अकुशल - 189/- प्रतिदिन

अर्द्धकुशल - 199/- प्रतिदिन

कुशल - 209/- प्रतिदिन

उच्च कुशल - 259/- प्रतिदिन

वर्गवार विवरण की अधिसूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(2) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2014 तक राज्य में न्यूनतम मजदूरी में की गई बढोतरी निम्न प्रकार है :- (प्रतिदिन मजदूरी)

श्रेणी	1.1.2011	1.5.2012	1.1.2013
अकुशल	100/- से 135/-	135/- से 147/-	147/- से 166/-
अर्द्धकुशल	107/- से 145/-	145/- से 157/-	157/- से 176/-
कुशल	115/- से 155/-	155/- से 167/-	167/- से 186/-
उच्च कुशल	प्रथम बार 205/-	205/- से 217/-	217/- से 236/-

(3) जी हां। श्रम ब्यूरो शिमला, भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिये औद्योगिक श्रमिकों के लिए तैयार किये गये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो बढ़ी हुई मंहगाई को इंगित करते हैं, के आधार पर न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचना दिनांक 28.1.2015 द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी महंगाई के आधार पर ही बढ़ाई गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)